राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 11 वां दिवस [संख्या 8

मंगलवार,

दिनांक 2 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

राणा प्रताप सागर बांध की डूब में आये ग्रामों के निवासियों का पुनर्वास

189. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसी बांध के डूब में आने वाले क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार क्या क्या सुविधायें प्रदान करती हैं ?

(2) राणा प्रताप सागर बांध की डूब में आये कितने लोगों को किन किन गांवों में बसाया गया एवं उनको क्या क्या सुविधायें प्रदान की गई ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) डूब में आने वाले क्षेत्र के आकार एवं प्रभावित जनसंख्या के आधार पर पुनर्वास सुविधायें राज्य सरकार द्वारा तय की जाती हैं ।

(2) राणा प्रताप सागर के डूब में आये 1918 परिवारों को 51 गांवों में बसाने के लिये जमीन दी गई । उनमें से 1515 परिवार उन गांवों में बस गये । गांवों की सूची संलग्न है । इनको भूमि अवाप्ति की रकम के अलावा मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी गई । खेती के लिये जमीन एवं इन परिवारों के लिए 52 कुएं, 35 स्कूल, 44 चोपाल, 6 औषधालय, 2 तालाव, 3 सड़क के पुल, 5 अप्रोच रोड, 3 लिफ्ट सिंचाई सुविधायें एवं 1 नहर सिंचाई सुविधा प्रदान की गई हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम जैन : आपने जो बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पुनर्वास सुविधायें दी जाती हैं, वे सुविधायें क्या हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जैसा अभी मैंने आपको सवाल के भाग (2) में बताया, वे सुविधायें हैं, डूब में आने वाली अचल संपत्ति का मुआवजा, प्रत्येक परिवार को

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

निःशुल्क खेती योग्य भूमि, परिवार भवन निर्माण हेतु जमीन, गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लिये वाहन, सामान ढोने की सहायता और आवश्यक सुविधायें जैसे स्कूल, तालाब और दूसरी सुविधायें। ये सुविधायें जैसा बांध होता है उसके अनुरूप दी जाती हैं।

श्री घनश्याम जैन : अभी आपने 6 औषधालय खोलने का बताया, ये किन किन स्थानों पर खोले गये ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। अन्य कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री घनश्याम जैन : आपने जो 6 औषधालय बतायें क्या वे कार्यरत हैं ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : राणा प्रताप सागर....

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : डूब में आने वाले गांवों में मेरा गांव भी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : राणा प्रताप सागर की डूब में मोतीपुरा और खड़ी आये हैं, वहां जो बस गये हैं उनके लिये कोई पानी की सुविधा नहीं है। पानी की स्थिति यह है कि जो लोग बस रहे हैं उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। बिजली, स्कूल और औषधालयों की व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की स्थिति यह हो गई है कि वहां लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है, बच्चे पैदा नही हो रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर: माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसकी मुझे कोई जानकारी नही है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मोतीपुरा और खड़ी में सारी जमीन खाली हो गई है, बिजली व पानी नहीं हैं; उनके स्वास्थ्य का टैस्ट कराया जाय, यह उनकी मांग है। एक डेपूटेशन उनका विधायकों से कल भी मिला। उन्होंने कहा है, इस बात की जांच करायें कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पैदा होते।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये हैं वह इस प्रश्न में सम्मिलित नहीं थे। जो बात उन्होंने उठाई है, इसकी जानकारी करके उनकी जो समस्यायें हैं उनका समाधान करेंगे, जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है।

श्री हरीश शर्मा : जांच हो चुकी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मानवीय दृष्टिकोण से आप इस प्रश्न को स्थगित करवा दें क्योंकि जांच होने के बाद भी उन लोगों को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं कि अलग से प्रश्न है जो राणा प्रताप सागर की डूब में गांव आये हैं उनके सम्बन्ध में यह प्रश्न है, मोतीपुरा और खड़ी गांव हैं। अगर इसकी जांच करायेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लोगों के साथ में कितना अन्याय हुआ है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ) : जहां बांध बनाये जाते हैं वहां सुविधायें देने सम्बन्धी यह प्रश्न है। इसमें अलग से क्या है ? मेरा निवेदन है कि क्या ये सारी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सुविधायें पहले दी जानी चाहिये । 10–10 साल तक रोते फिरते हैं ।

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अलग से प्रश्न है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसी से सम्बन्धित है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : गांव खाली करवा देते हैं तो सुविधायें पहले होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अब तक गांवों में पानी नहीं मिला ।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे बतायें मैं मालूम कर लूंगा ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा निवेदन....

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का पालन करें ।

श्री परसराम मदेरणा : बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मोतीपुरा और खड़ी गांवों में सुविधायें नहीं मिली हैं और पानी खराब है, इसमें इस प्रकार के कन्टेंट्स हैं जैसे निलहेट, फ्लोराइड ऐसे मिनरल हैं....

श्री अध्यक्ष : यह पानी वर्थ कन्ट्रोल के काम में आ सकता है ।

श्री परसराम मदेरणा : जिससे गांवों में बच्चे पैदा होना बंद हो गया है । आपको लिस्ट उन गांवों की दी गई है, जिन गांवों में विस्थापितों को बसाया गया है । रामगंज मंडी तहसील में 12 गांवों के विस्थापितों को बसाया गया है । मोतीपुरा गांव में पानी नहीं है तो राज्य सरकार व्यवस्था कर देगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । स्थान करें ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । अगला प्रश्न । माननीय सदस्य, आप कृपया, स्थान ग्रहण करें । आप इस मुद्दे को अन्य माध्यम से उठायें ।

श्री केसरी चन्द चौधरी ।

अजमेर नगर को राजमहल योजना से जल प्रदाय

190. **श्री केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर नगर की पेयजल समस्या के हल करने के सम्बन्ध में विधान सभा में घोषित योजना के अनुसार राजमहल योजना से जल प्रदान किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और कब इस योजना की क्रियान्वित पूरी हो जायेगी ?

(3) क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई योजना बना कर भेजी

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं। राजमहल योजना के नाम से अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। मौजूदा योजना से ही जल वितरण किया जा रहा है।

(2) राजमहल योजना के नाम से अभी तक पीने के पानी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। अभी तक जो योजना बनाई जा रही है उसकी जांच विभागीय स्तर पर की जा रही है इसके उपरान्त वित्तीय साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

श्री केसरीचन्द चौधरी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अजमेर, ब्यावर और नसीराबाद के शहरों को पीने का पानी देने के लिये विधान सभा में राजमहल योजना बनाने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया गया था ? अगर इस योजना के तहत अजमेर, किशनगढ़ में पानी नहीं दिया जायेगा तो पानी कहां से दिया जायगा ? कृपया, मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर में शहरों को पानी देने के लिये सिंचाई विभाग और पी. एच. ई. डी. द्वारा एक संयुक्त योजना विसलपुर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि अभी अजमेर शहर को पानी कहां से दिया जा रहा है तो यह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है कि अजमेर को बनास योजना से पानी दिया जाता है तथा और भी दूसरे स्रोत हैं उनसे पानी अजमेर को दिया जाता है। विसलपुर योजना की सिंचाई विभाग और पी. एच. ई. डी. द्वारा संयुक्त योजना बनाने की कार्यवाही पर विचार चल रहा है। इसका निर्णय होने पर उस पर विचार करके जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने की कार्यवाही की जा सकेगी। राज्य सरकार का विचार है कि अजमेर को अच्छी प्रकार से पानी मिले।

श्री केसरीचन्द चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह विसलपुर योजना कब से राज्य सरकार के विचाराधीन है और यह कब तक पूरी करने का राज्य सरकार का विचार है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राजमहल योजना और विसलपुर योजना दोनों ही अलग-अलग योजनायें हैं। राजमहल योजना तो पी. एच. ई. डी. की है और विसलपुर योजना रिलीफ डिपार्टमेन्ट की है। विसलपुर योजना का खर्चा अधिक है। पी. एच. ई. डी. इसका भागीदार नहीं बनना चहता है। उसको अगर साथ करते हैं तो बनास से जो पानी आता है उसकी लम्बाई 50-60 किलोमीटर बढ़ जाती है इससे पी. एच. ई. डी. का खर्चा बढ़ जाता है इसलिये वह इससे अलग है। राजमहल

(श्री परसराम मदेरणा)

योजना से सम्बन्धित टेक्निकल प्रश्न हैं। इसको अभी सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के पास भेजा हुआ है ताकि उसमें पानी की हारनेस वगैरह कितनी है वह पता लगा कर आगे कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा विसलपुर योजना का सर्वे हो गया है। अभी चीफ सैक्रेटरी साहब ने आदेश भी दिया है कि दोनों योजना सेपरेट हैं, जोइन्ट नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री केसरीचन्द चोधरी : राज्य मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो जवाब दिया और दूसरी ओर जल प्रदाय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उनमें आपस में विरोधाभास है। राज्य मंत्री जी का कहना है कि राजमहल नाम की कोई जल प्रदाय योजना ही नहीं है और मंत्री महोदय का कहना है कि यह योजना हमारे विचाराधीन है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है?

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि विसलपुर योजना के बनाने में वर्तमान में जो पिकअप वीअर बनाया जा रहा है, वह विसलपुर की डूब में नहीं आ जायेगा और तब क्या स्थिति होगी?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह टेक्निकल मामला है। अभी मेरे पास डिजाइन नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, राजमहल योजना के लिये देवली, नेवरिया गांव को बेस लिया है। अब इसमें कौनसी जगह नजदीक होगी वह पूरी योजना बनने पर पता लगेगा लेकिन इसमें ऐसी भी व्यवस्था की जाने की बात है कि उससे जयपुर को भी पानी दिया जा सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। प्रश्नकर्ता।

श्री केसरीचन्द चोधरी : क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय, अभी 3-2-82 को चीफ सैक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कोई मीटिंग सचिवालय में हुई उसमें आपके विभाग के कोई कमिश्नर या सैक्रेटरी साहब भी गये थे? उसमें क्या विसलपुर योजना के बारे में कुछ डिसीजन्स हुए हैं?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी में क्या हुआ उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन सिंचाई विभाग अपनी दृष्टि से टेक्निकल तौर पर जो स्कीम होती है उसके अनुसार कार्य करता है। दूसरे, अभी उस पर फाइनल निर्णय भी नहीं लिया गया है। मामला विचाराधीन है।

श्री केसरीचन्द चोधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर अजमेर जिले को पेयजल प्रदान करने के लिये स्थायी योजना का अब तक निर्णय नहीं लिया गया है तो इस समस्या को हल करने के लिये योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी?

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह विसलपुर की योजना के अन्तर्गत जो डेम बन रहा है वह कब तक पूरा होगा ? दूसरे, यहां यह कहा जाता है कि इसका पानी अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद और किशनगढ़ को दिया जायेगा और इस योजना से टौंक जिले में भी सिंचाई की समस्या का काफी हल हो जायेगा। यह तो बहुत पुरानी योजना है और आज करीब 25 साल से विचाराधीन चल रही है पर अभी तक इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे न तो अजमेर जिले की पानी की समस्या ही हल हो रही है और न ही टौंक जिले की सिंचाई योजना ही बन रही है। इससे वहां का विकास रुका हुआ है। दूसरे, अभी आपने नेवरिया में कुछ ट्यूब वैल्स लगाये हैं और सांडल में 15 ट्यूब वैल्स लगा रहे हैं, इससे वहां का पानी बर्बाद हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह विसलपुर योजना कब तक बन कर तैयार हो जायेगी जिससे कि हमारे यहां की सिंचाई समस्या का हल हो सके और विकास भी हो सके ?

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल :

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन पूरक प्रश्न माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा। एक प्रश्न 20-9-77 को इस विधान सभा में प्रश्न काल में पूछा गया था। उसके उत्तर में मन्त्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बनास नदी से अजमेर, किशनगढ़ एवं ब्यावर में पाइप लाइन डालने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। बनास नदी पर बान्ध का डिजाइन तैयार किया जा रहा है जिसके उपरान्त उसकी स्वीकृति भी ली जायेगी। योजना का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना काल तक पूर्ण होने की सम्भावना है। क्या इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था ? दूसरा पूरक प्रश्न मेरा यह है कि इसी विधान सभा में दिनांक 31-7-80 को किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि क्या यह सही है कि राजमहल पेयजल योजना को स्वीकृति हेतु भारत सरकार के जल आयोग को भेजा गया ? यदि हां, तो इस योजना की क्या स्थिति है ? उसका जवाब यह दिया गया था, जी हां। इस योजना के अन्तर्गत बान्ध बनाने के कार्य हेतु भारतीय भूमि सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् विस्तृत डिजाइन व नक्शे इत्यादि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या यह सब पूरे हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दे रहा हूं सिर्फ तीन सवाल पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बनास योजना के साथ योजना है उसमें 4 करोड़ 52 लाख रुपये का खर्चा है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो तीनों पूरक प्रश्न पूछे गये हैं, सभी अलग अलग प्रश्न है । अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 4 करोड़ 52 लाख रुपये का खर्चा है । यह योजना तो प्रगति पर है । इसमें पम्पिग सैट वगैरह लग गये हैं । काम करीब करीब पूर्ण होने को है ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह कब तक पूरा होने को है ?

श्री परसराम मदेरणा : वैसे तो निश्चित तौर से नहीं कह सकता लेकिन गर्मियों में यह पानी देना शुरू कर देगी । जहां तक प्रश्न है कि सितम्बर, 1977 में आश्वासन दिया और 1980 में कोई आश्वासन दिया, उसके लिये तो मेरा यह निवेदन है कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन को कागजात भेजे हुए हैं । उस पर करीब 19 करोड़ रुपये खर्च हो गये । विसलपुर योजना से सिंचाई होने और पेयजल की समस्या हल होने के सम्बन्ध में भी जो कहा गया है उसमें करीब....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसमें 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : 60 करोड़ नहीं, 94 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होने की योजना है, योजना बड़ी है । और छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी टेक्निकल स्वीकृति मिलने के बाद, सेन्ट्रल वाटर कमीशन का निर्णय होने के बाद, राज्य सरकार के पास आने के बाद उस पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा । अभी तक तो इसका टेक्निकल सर्वे होना बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर, आर्डर । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर । समय कम है, माननीय सदस्य, बिराज जायं । आर्डर, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

अन्य किसी तरीके से उठायें, माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर ।

अगला प्रश्न । श्री हीरालाल आर्य ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाना

191. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विशेष अदालत कोटा में खोल देने

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

से इटावा, बारां, ग्रट, सांगोद, रामगंज मण्डी, छबड़ा ग्रादि की ग्रदालतों के मामले भी कोटा की विशेष ग्रदालत में ग्रा गये हैं जिससे वहां पर कार्य ग्रधिक हो गया है ग्रौर मामले निपटाने में विलम्ब हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विशेष ग्रदालतों की वजह से स्थानीय ग्रदालतों में मामले कम रह गये हैं ?

(3) क्या सरकार सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विशेष तौर पर ग्रनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विशेष ग्रदालतों को शीघ्र समाप्त कर स्थानीय ग्रदालतों को ही इनके केस प्राथमिकता पर निपटाने के ग्रादेश प्रदान करेगी ।

विधि मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । यह सही है कि विशेष ग्रदालतों की स्थापना से जितने मामले ग्रनुसूचित जाति तथा ग्रनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के ग्रंतरित किये गये हैं उससे स्थानीय ग्रदालतों में केवल वे प्रकरण ही ही कम हुये हैं ।

(3) यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि विशेष ग्रदालतों को समाप्त कर दिया जाय ग्रथवा उन जिलों में ग्रतिरिक्त विशेष न्यायालय तथा चल न्यायालय स्थापित किये जायें ताकि समस्या का समाधान हो सके ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगला प्रश्न । इसके ऊपर पूर्व में विस्तृत चर्चा हो चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या यह सही है कि पहाड़िया जी की सरकार ने इस सदन में यह ग्राश्वासन दिया था कि इन कोर्ट्स का डीसेन्ट्रेलाइजेशन किया जायेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा था कि एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर भारत सरकार के ग्रनुरोध पर विशेष ग्रदालतें तीन जिलों में बनाई गई थीं । उसके बाद यह देखने में ग्राया कि इनके सेन्ट्रेलाइजेशन होने के कारण, जैसे कोटा में जिले भर की सारी ग्रदालतों के मामले ग्रंतरित करके एक विशेष ग्रदालत कोटा में कायम कर दी गयी नतीजा यह हुग्रा है कि सारे लोगों को कोटा शहर में ग्राना पड़ता है । इसलिए इस विषय में भारत सरकार को यह लिखा गया है कि या तो मोबाइल मजिस्ट्रेट बनाने की इजाजत दें या यह इजाजत दें कि हम विशेष ग्रदालतों को विशेष नहीं मानकर उन्हीं ग्रदालतों को जूरिस्डिक्शन दे दें ग्रौर उनमें एक या दो दिन मुकर्रर कर दें जिससे सुविधा की दृष्टि से पहले उन मुकदमों को प्राथमिकता दें । इसके ऊपर ग्रभी भारत सरकार से जो बातचीत चली वह इस बात पर पहुंची है कि विशेष तौर पर व्यवस्था तो करनी चाहिए । ग्रब ग्राल्टरनेट व्यवस्था की गयी है कि मोबाइल मजिस्ट्रेट के लिए वाहन की तजवीज कर दें कोई क्योंकि हमारे बजट में तो गुजांइश है नहीं उन्होंने इस बात में भी थोड़ा हमारे ग्राग्रह को माना है कि कोटा में बारां में एक ग्रौर विशेष

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अदालत की स्थापना की वह मन्जूरी दे दें ताकि कोटा में एक विशेष अदालत हो जाय, एक बारां में हो जाय और उनकी मोबाइलिटी के लिये वाहन दे दिया जाय तो सारी अदालतें सफल हो सकेंगी वरना मेरी खुद की राय यह है जैसा मैंने हाई कोर्ट को भी लिखा है कि विशेष अदालतों के बजाय विशेष दिन मुकर्रर करके उन मुकदमों की सुनवाई के लिए उन्हीं एरियाज में मजिस्ट्रेट के जूरिस्डिक्शन में इजाजत दी जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि भारत सरकार का और आपका क्षेत्र केवल एक दूसरे पर आधारित है? क्या भारत सरकार से कुछ सहायता लेना चाहेंगे स्पेशल कोर्ट्स के लिए? क्या राज्य सरकार अपने आधार के ऊपर इस प्रकार की स्पेशल कोर्ट्स को नियुक्त करेगी? नहीं करेगी तो जिस प्रकार पहले व्यवस्था थी उसी आधार पर मजिस्ट्रेट को और पावर्स देकर इन केसेज की सुनवाई का अवसर क्यों नहीं देते?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो दूसरी राय है आपकी, उससे मेरी सहमति है। इसी प्रकार का मैंने भारत सरकार को लिखा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार क्या करेगी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी जो एक कमीशन आया था उसका कहना था कि यह विशेष अदालतें रहनी चाहिए। अब विशेष अदालतें रखने में दिक्कत यह आती है कि उनकी मोबाइलिटी के लिए वाहन नहीं हैं। विशेष अदालतों की संख्या या फिर इतनी हो कि हर क्षेत्र के आदमी को सुविधा मिल सके। अभी जवाब आना बाकी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनकी कोई पाबन्दी है क्या? आप इण्डिपेण्डेन्ट डिसीजन लीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन ने यह सिफारिश की है कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। स्पेशल कोर्ट्स तीन जिलों में कायम की गयी थीं। अगर इस बात के लिए भारत सरकार खर्चा देने के लिए तैयार है तो ठीक है वरना, मैं यह समझता हूं, मेरी खुद की अपनी राय है, यह केवल व्यक्तिगत राय है कि इन स्पेशल कोर्ट्स के बजाय आर्डिनेरी मजिस्ट्रेट को उनको जूरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट से सलाह लेकर पावर्स दे दी जायें और उनके दिन मुकर्रर कर दिये जाये कि सप्ताह में दो दिन, या मुकदमों की संख्या है उसके मुताबिक प्रत्येक सप्ताह में उसकी सुनवाई कर लें तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है इसलिए इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या यह सच है कि बारां के वकीलों का एक डेपूटेशन केन्द्र सरकार के पास गया था और केन्द्रीय सरकार ने यह कहा है कि राजस्थान सरकार हमारे मन्तव्य को समझ नहीं सकी है इसलिए उन्होंने प्राब्लम खड़ी कर दी ? क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के पास वापस भेजा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मुझे वहां के वकीलों ने बताया कि एक प्रतिनिधि मण्डल ज्ञापन लेकर भारत सरकार के मंत्री के पास गया था लेकिन ज्ञापन के ऊपर भारत सरकार ने कोई हमको पत्र नहीं लिखा बल्कि मैंने जो पत्र लिखा उसका भी जवाब नहीं आया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । यह प्रश्न पहले ही सदन के सामने आ चुका है ।....

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, समय कम है ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आप इसके बारे में विचार नहीं करें और भारत सरकार राजस्थान सरकार का मन्तव्य ठीक समझि नहीं तो अनावश्यक रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान करते चले जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । अगला प्रश्न ।

श्री नाथूसिंह : (बांदीकुई) अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । अगला प्रश्न ।

इस सत्र में पूर्व में इस पर चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय विधि मन्त्री जी, अपने स्वयं के हिसाब से, मन्त्री मण्डल के हिसाब से निर्णय लीजिए । अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को परेशान मत करिये, उनको डिफिकल्टी में मत डालिये । उल्टी बातें करते चले जा रहे हैं आप....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री देवीसिंह भाटी ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नाम पुकार रहा हूं ।

श्री बबाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : सात हजार मुकदमे हैं अदालतों में । हर रोज 750–800 आदमी अदालतों में आते हैं और जाते हैं । उनकी कोई व्यवस्था नहीं है । उनका खर्चा होता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : काफी सदन का समय ले लिया गया है, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप अपनी ओर से अपना मन्तव्य बतायें.......

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी × × ×

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर.......।

सदन के सामने जो कोई मसले आते है, सभी महत्वपूर्ण होते है। उसी दृष्टि से समय दिया जाता है। समय का सदैव अभाव रहता है इसलिये पूरक प्रश्न वगैरह पूछने की समय के अनुसार ही इजाजत दी जाती है। लम्बे-चौड़े भाषण करने से सदन का समय जाया होता है, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

इससे कोई फायदा नहीं है। कृपया नियमों का पालन करें। आसन पैरों पर है।

श्री देवीसिंह। मैं चौथी बार पुकार रहा हूं।

वन्य जीव अभयारण्य गजनेर (बीकानेर) के जंगली सूअरों से फसलों को बचाना।

192 **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बीकानेर के गजनेर वन्य जीव अभयारण्य में जंगली सूअरों की कुल कितनी संख्या है?

(2) क्या यह सही है कि सूअर खरीफ की फसलों के समय जीव अभयारण्य से बाहर निकल कर दूर-दूर 25-30 गांवों तक के ग्रामीणों के खेतों में आकर फसलों को नुकसान पहुंचाते है? यदि हां, तो खेतों में खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिये विभाग क्या कदम उठा रहा है? यदि कोई कदम नहीं उठा रहा है तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार ग्रामीणों द्वारा अपने खेतों में सूअरों को मारने की इजाजत देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) माह दिसम्बर, 1981 में की गणना के अनुसार 194 जंगली सूअर है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(2) जी हां। आंशिक रूप से कभी-कभी पास के दो तीन गांवों की फसलों को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं।

क्षेत्र की सीमा की तारबन्दी की गई है। टूटी हुई तारबन्दी को वापस कायम किया जा रहा है तथा वन्य जीवों को चारा देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। विशेष परिस्थितियों में इजाजत दी जा सकती है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार और जो विभाग के कर्मचारी हैं उसके अनुसार जो वन्य जीव अभयारण्य में पशु हैं, पिछले 5-6 वर्ष पूर्व के आंकड़ों के अनुसार चार हजार के करीब जंगली सूअर मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी उधर से निकलता हूं। इतने सूअर होते तो मुझे भी कभी न कभी तो मिलते।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, गजनेर के आसपास की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि वन्य जीवों की सुरक्षा न की जाय। उनकी देख-भाल की जाय किन्तु उसके साथ ही ग्रामीणों की खेती का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फसलों के नुकसान के बारे में बार बार शिकायतें की गई हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है पूर्व में वन्य अभयारण्य में जीवों और वन्य जीवों और जंगली सूअरों को चारा डाला जाता था परन्तु अब चारा डालना बन्द कर दिया गया इसलिए वे अपने अपने स्थानों को छोड़ कर बाहर दूर गांवों में चरने के लिए जाते हैं। इससे खेती में नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर जैसा आपने बताया, तार बन्दी हुई है और आपने यह भी बताया कि तार बन्दी कुछ जगह टूटी हुई, है उसकी मरम्मत करके शीघ्र ठीक कराई जाय जिससे खेती को नुकसान न पहुंचे और किसानों को राहत देने की तुरन्त व्यवस्था की जाय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहें तो मैं विशेष परिस्थितियों में वन्य जीवों को मारने की इजाजत देने के लिए भी तैयार हूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों का मामला है, मुझे भी प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अगर ऐसे वन्य जीवों को पालना है तो बीकानेर में जंगली गधे और जमवारामगढ़ में जंगली गायें घूम रही हैं, उनको भी ले आयें।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समझ में आ गई, मन्त्री महोदय के।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कहां जायं ? वन विभाग की क्या जिम्मेदारी नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया लिया गया है ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं काफी देर से खड़ा हूं । अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : वन्य जीव रखने से थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा, यह तो आप भी जानते हैं । रोज नुकसान उठाते हैं, उसका क्या इलाज ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला गजनेर का ही नहीं है, जयपुर जिले में भी बहुत सी जंगली गायें खेती का नुकसान करती हैं । दौसा में नील गाय और रोझड़ी फसलों को खराब करती हैं । किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि उनकी खेती का काफी नुकसान होता है । मैं पूछना चाहती हूं, मन्त्री जी, कि इस विषय में कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है ? और अगर है, तो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा अभयारण्य क्षेत्र व प्रोटेक्टेड एरिया है तथा नेशनल पार्क है उसके अलावा बाकी हिन्दुस्तान और राजस्थान है वहां वह जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं अपने विभाग से कुछ करने में असमर्थ हूं ।

श्रीमती विद्या पाठक : आपके विभाग नहीं, हम प्रश्न सरकार से पूछते हैं । क्या आप मन्त्री लोग एक सरकार नहीं हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह वन विभाग की जिम्मेदारी है कि जो उस क्षेत्र में काश्तकार खेती करते हैं, उनकी फसल का नुकसान नहीं हो । पहले उनका ध्यान रखना आवश्यक है न कि वन्य जीवों का । जो उनकी खेती है जिसमें उन्होंने धनराशि लगा रखी है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये । अब प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा । पशु नुकसान करते हैं तो रात दिन रखवाली रखें । इसके अलावा कोई चारा नहीं है । कुदरत में सबका सीर है ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य । अलग प्रश्न, माननीय सदस्य । छोटे से प्रश्न ने इतना समय ले लिया ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह छोटा सा प्रश्न नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(१५)

श्री अध्यक्ष : समझ लिया है मैंने, माननीय सदस्य। मगर जीवों की रक्षा करेंगे तो वे कुछ न कुछ तो जरूर खायेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : सारी फसलों को तहस-नहस कर देते हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

जयपुर नगर परिषद् के वार्डों का परिसीमन

193. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या निर्वाचन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् चुनावों के लिए 50 वार्डों का परिसीमन किया गया है ? यदि हां, तो परिसीमन का क्या आधार निर्धारित किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1978 में भी सरकार ने 50 वार्डों का परिसीमन किया था और अब बनाये हुए वार्डों के परिसीमन को नये तरीके से परिसीमन किया गया है ?

(3) क्या 50 वार्डों के गत परिसीमन को रद्द करने की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वार्डों के परिसीमन पर भेजी गई आपत्तियों की सुनवाई करने का इरादा सरकार का है ? यदि हां, तो कब तक परिषद् चुनावों के पहले या बाद में ?

निर्वाचन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जयपुर नगर परिषद् के लिए 50 वार्डों में विभाजन का प्रारूप दिनांक 28.11.81 को प्रसारित किया गया। इसका आधार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 13 (3) के अनुरूप विधान सभा की नवीनतम मतदाता सूची है।

(2) जी हां। इसके पूर्व दिनांक 17.10.78 को 50 वार्डों का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की 13 (2) के अनुरूप जनसंख्या के आधार पर किया गया था। दिनांक 27-11-81 को जयपुर नगरपरिषद् के वार्डों के विभाजन का प्रारूप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 13 (3) के अनुरूप प्रसारित किया गया।

(3) जी नहीं। क्योंकि अलग से निरस्त करने के लिए कोई अधिसूचना करना कानूनी आवश्यक नहीं है ?

(4) वार्डों के प्रारूप के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 14 (3) के अधीन सुनवाई करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए आपत्तियों पर सुनवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लेकिन जिलाधीश प्राप्त आपत्तियों पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विचार का अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिया है वह बड़ा अनुत्तरदायित्वपूर्ण दिया है, सम्मिलित वार्डों....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। प्रश्न पूछिये। आर्डर। सख्या बता दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब है।

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 17-10-78 को जो तय की गयी थीं, सूचियां, वार्ड परिसीमन किया गया था उसको तो हटाकर इन्होंने वोटर लिस्ट के आधार पर धारा 13 (3) के अनुरूप कर दिया है। मैं यह बात पूछना चाहूंगी कि पुराने वार्ड नं. 10 और वार्ड नं. 11 में जनसंख्या घट गयी है। क्या लिस्ट के वोट घट गये थे जो दोनों को जोड़कर एक कर दिया ? क्या आपने इस बात का खयाल रखकर एक विधान सभा क्षेत्र को काटकर दूसरे विधान सभा क्षेत्र में मिला दिया ? यह किस तरह से हुआ ? मन्त्री महोदय, उत्तर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 1971 की सेंसस के ऊपर वार्ड्स बने हुए थे, पापूलेशन के आधार पर वार्ड बने हुए थे। अब 1981 की सेन्सस की रिपोर्ट आने तक तो देर हो जाती और चुनाव कराने थे इसलिए हमने ये सोचा कि विधान सभा की जो लेटेस्ट सूचियां बनी हुई हैं, उसके अनुरूप हम वार्ड बना दें। जयपुर नगर को 50 वार्ड के अन्दर डिवाइड करके जहां तक हो सकता हो, उसी अनुपात में वार्ड बनाए। एक में पापूलेशन कम रह जाती है और दूसरे वार्ड में ज्यादा पापूलेशन है तो वह जोड़ेंगे तो फर्क आना लाजिमी है। उससे तो बच नहीं सकते। अलग अलग विधान सभा क्षेत्र भी अगर एक दूसरे के क्षेत्र में मिल जाते हैं तो म्यूनिसिपलिटी के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता।....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये जो जनसंख्या है, इसके आधार पर जो आपने वोटर लिस्ट के आधार पर कहा उसमें भी 65 वार्ड बनने ज़रूरी थे। आपने वार्डों का परिसीमन किया है, क्या आप इस पर पुनर्विचार करने का विचार रखते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो 50 वार्ड बनाये गये हैं, मतलब यह कि 4 लाख की जनसंख्या के ऊपर बनाये हैं। आधार अभी तक चला आ रहा है। हमने पापूलेशन के आधार पर जिस तरह से वार्ड बांटे थे, 4 लाख की जनसंख्या के ऊपर 50 वार्डों की व्यवस्था अब तक चली आ रही है, उसी तरह से जिनकी जनसंख्या 4 लाख से ज्यादा है और 4 से 5 लाख हो जाय तो 50 से 55 वार्ड नहीं होते इसलिए अधिक से अधिक....

श्रीमती उजला अरोड़ा : वोटर लिस्ट के अनुरूप हैं। मतलब है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अधिक से अधिक जनसंख्या के आधार पर जितने वार्ड बन सकते हैं, वे 50 वार्ड ही होते हैं। इससे ज्यादा कहीं भी नहीं हैं, 10 लाख पर भी 50 वार्ड ही हैं।

(16)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर आप वार्डों का विभाजन कर रहे हैं। जयपुर शहर के वार्ड नं० 2 और वार्ड नं० 3 हैं, इनकी जनसंख्या में एक दूसरे से 1:3 का डिफरेन्स है, इसी तरह से जपुयर में अधिकांश वार्ड ऐसे हैं जहां 1:2 का डिफरेन्स है। इसका क्या कर रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मौजूदा जो एवरेज आता है, अभी तक यह प्रकाशित किये जा रहे हैं, उसका एवरेज 10,262 आता है। अब हम एक सदस्य के आधार पर उसका डिवीजन करते हैं, अगर उसमें एक कम हो जाता है तो उसको तो हम देखते नहीं हैं लेकिन 10 के बजाय 5 हजार रह जाता है या 6 हजार हो जाता है फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है। मौजूदा स्थिति में जैसा आपने बताया, वार्ड नं० एक की जनसंख्या 10,967 है, वार्ड नं० 2 की 9,822....

श्री भंवरलाल शर्मा : 3 का और बता दीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वार्ड नं० 3 की 12,181 है इसलिए जो इधर जायेंगे तो बहुत ज्यादा, जैसे 6 और 10 हजार का फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, श्री सूरजपाल सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय बताएंगे कि जयपुर शहर के 5 और 5 वार्ड....

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दे रहा। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है, मैं प्रश्नकर्ता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इजाजत दे दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय इधर उधर घुमा रहे हैं। परिसीमन के बारे में विचार किया जा रहा है, आपने दूसरा प्रश्न ले लिया इसको रद्द कर दें और....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या। आर्डर प्लीज। उत्तर नहीं होगा। मैंने इजाजत नहीं दी।

प्रश्न संख्या 194

श्री सूरजपाल सिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एक सूचना और देना चाहता हूं। मैंने यह महसूस किया है कि जयपुर के वार्डों का जो परिसीमन किया, उसको गजट में नोटिफाई करने में जरा देर हुई इसलिए दुबारा प्रकाशित करने के लिए मैंने आज्ञा दी है। वह शायद

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)

आज के बजट में प्रकाशित होगा। आप देख लीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल दे दिया आज आ गया। यह स्थिति है....

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मुझे इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : मुझे अधिकृत किया है।

श्री अध्यक्ष : यहां उसकी इत्तला होनी चाहिए।

श्री रतनाराम चौधरी : ये जालौर जिले से सम्बन्धित है इसलिए साहब....

प्रश्न संख्या 195

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छू राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आवश्यकतानुसार निगम की बसों की व्यवस्था

196. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बसों की संख्या निश्चित करने का मापदण्ड क्या है ?

(2) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आवश्यकतानुसार निगम की बसों की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

राज्य मन्त्री, परिवहन (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात् यात्रियों की सुविधा हेतु अनुसूचित सेवाओं की संख्या निर्धारित करने का मापदण्ड है जिसके अनुसार समय समय पर यात्री उपलब्धता के आधार पर अनुसूचित सेवाओं की संख्या परिवर्तित की जाती है।

(2) निगम की विभिन्न कार्यशालाओं में आफ रोड पड़ी हुई वाहनों को आन रोड किये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं तथा शीघ्र ही व्यवस्था कर दी जावेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा प्रश्न यह है कि क्या....

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो आने दीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उत्तर आ गया। आपकी स्कीम में जितनी बसें चलनी चाहिए, उतनी चल रही हैं क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमारे शिड्यूल में 2057 बसें हैं जिनमें से 2022 चल रही हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो इस कमी की पूर्ति करने के लिए क्या आप विचार कर रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको बताया न कि जो ग्राफ रोड बस हैं उनको ग्रान रोड किया जा रहा है, जिससे उनको चलाकर पूरा किया जा सके।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल बस जितनी हैं, वे नहीं चलायी जा रही है, मेरा क्षेत्र इससे सब से अधिक प्रभावित है। मेरे क्षेत्र कोटा, बारां में शिड्यूल बस का नम्बर 48 आता है लेकिन चल रही हैं 34। ये जो फिक्स हैं। जबकि एक भी शटल नहीं चल रही है तो जितनी शिड्यूल हैं उसके हिसाब से रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, यात्रियों को इससे परेशानी है। अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को जो बारां से बस चली है, शिवपुरी कोटा, उसमें 177 टिकट बुकिंग पर कटे हैं। 200 सवारियां हैं। ये शिड्यूल के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसका परिणाम है। यदि एक्सीडेंट हो गया, यात्रियों की मृत्यु हो गयी तो कौन जिम्मेदार है? इसलिए मेरा प्रश्न है कि ये जितना शिड्यूल है, उसके अनुसार व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आप विचार कर रहे हैं या नहीं?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसा आपको आश्वासन दिया कि निगम शीघ्र ही इसकी व्यवस्था कर रहा है। जैसी हमारी व्यवस्था करने की तैयारी है वह भी मैंने आपको अपने उत्तर में बताया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन रूट्स को आपने नेशनलाइज तो कर दिया लेकिन आज तक एक भी बस वहां पर नहीं चल रही है, इससे न तो वहां पर प्राइवेट बसें चल रही हैं और न ही निगम की बसें चल रही हैं और सवारियों को बड़ी असुविधा हो रही है, तो उनके लिए बसें चलाने की आपकी कोई योजना है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरी जानकारी में तो नहीं है।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं आपको बताता हूँ कि दईखेडा से अकलेरा रूट पर आपने आठ बसें चलाने का निश्चय किया लेकिन वहां पर एक भी बस नहीं चल रही है, क्या यह सही है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा। यदि ऐसा है तो शीघ्र ही बसें चलाने की व्यवस्था करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि टोंक जिले में कितनी ग्रान रूट हैं और कितनी ग्राफ रूट हैं? और जो ग्राफ रूट हैं उनको ग्रान रूट करने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, टोंक में कितनी ही ऐसे ग्राफ रूट हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : टोंक जिले में ऐसी हालत है........

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर, आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए....

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : आधी बसें ग्राफ रूट हो जाती हैं, वहां पर इतनी बुरी हालत है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। अगला प्रश्न, श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा और बारां में एक भी बस नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष : हर तहसील के अन्दर हर गांव तक बसें लग जाती हैं राष्ट्रीयकृत, उन सबका ब्यौरा दिया जाना सम्भव नहीं है। समय का अभाव है। कृपया अगला प्रश्न पुकारने दीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री महावीरप्रसाद।

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

197. श्री दाऊदयाल जोशी, (डीगोद), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 31 दिसम्बर, 1981 को राज्य में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी कितनी थी ?

(2) वर्ष 1981 में नियोजित बेरोजगारों में से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी ? इसमें अनुसूचित जाति। जनजाति एवं मुस्लिम व्यक्तियों का प्रतिशत क्या रहा ?

(3) क्या सरकार अन्य कुछ राज्यों की भांति राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व किस मात्रा में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, रोजगार (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) 31 दिसम्बर, 1981 को राजस्थान के सभी नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका पर शिक्षित 1, 91, 828 अशिक्षित 2,04,671 बेरोजगार आशार्थी उपलब्ध थे।

(2) वर्ष 1981 में नियोजित बेरोजगारों में से 7660 शिक्षित बेरोजगार थे उनमें से अनुसूचित जाति के नियोजित शिक्षित आशार्थियों का प्रतिशत 9·6 तथा 4.6 अनुसूचित जनजाति के नियोजित शिक्षित आशार्थियों का था। मुसलमानों के नियोजन हेतु राज्य में कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए सूचना एकत्रित नहीं की जाती।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(3) जी नहीं। वित्तीय कठिनाई के कारण। किन्तु प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्नातक एवं अधिस्नातक आशार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा रोजगार उपलब्ध होने तक या अधिक से अधिक दो वर्ष तक बेरोजगार भत्ता (स्टाइपेण्ड) दिया जाता है। ऐसी ही योजना विकलांग आशार्थियों के लिए भी है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं स्नातक, पहले उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता था वह बन्द कर दिया गया है। क्या सरकार उनके लिए पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : वैसे तो यह अलग से प्रश्न है, परन्तु मैंने कहा कि सरकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अनुसूचित जाति के स्नतकों और अधिस्नातकों को बेरोजगारी भत्ता देती है। ऐसा मैंने आपको बताया है।

श्री हीरालाल आर्य : मैंने यह पूछा है कि पूर्व में तृतीय श्रेणी वालों को भी दिया जाता था उसको बन्द कर दिया गया है। क्या सरकार उसको पुनः चालू करेगी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार यह तो बताये कि क्या पूर्व में भत्ता दिया जाता था ?........

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिडयूल्ड कास्ट्स के जो ग्रेजूएट और पोस्ट ग्रेजूएट विद्यार्थी फर्स्ट और सेकेण्ड क्लास में पास होते हैं उनको भत्ता देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1981-82 में आपके प्रावधान के आधार पर राजस्थान के शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने ग्रेजूएट्स को यह भत्ता दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रश्नकर्ता हूं, मुझे पूरक प्रश्न पूछने दें। प्रश्न तो मैंने किया है, मुझे अवसर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने........

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि आपके पास सूचना उपलब्ध हो तो उत्तर दे दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरे पास सूचना है। वर्ष 1981-82 में शिड्यूल्ड कास्ट के लिए बताऊं कि बी. ए. 41 और एम. ए. 62, कुल 103 और एस. टी. के बी. ए. 13 और एम. ए. 40, कुल 53, इस तरह से 103 और 53 कुल 156 हैं। इनमें से 118 ने कुछ दिनों बाद सर्विस जोइन कर ली और 28 को स्कॉलरशिप मिल रही है। यह मेरे पास इन्फार्मेशन है।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि 31 दिसम्बर तक 1,61,828 शिक्षित बेरोजगार हैं जो पंजीकृत हैं। बहुत से ऐसे बेरोजगार भी हैं जो पंजीकरण नहीं कराते हैं। तो क्या सरकार के सामने कोई ऐसी ठोस समयबद्ध योजना है कि इन बेरोजगार को रोजगार दिया जा सके?

श्री अध्यक्ष : पंचवर्षीय योजना है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : योजनाबद्ध विकास ही एक ऐसी योजना है जिसके तहत लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरप्रसाद।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों शिक्षित बेरोजगारों की संख्या चार लाख और कुछ बताई गई है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार की क्या योजना है? दूसरा, उनको बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है और उनको रोजगार कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण देने का प्रावधान है। इसके बारे में कोई ठोस उपाय करने के बारे में क्या सरकार सोचती है कि उनको संरक्षण दिया जावे, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार दिया जावे? क्या इसका सख्ती से पालन करने का राज्य सरकार विचार रखती है? तीसरा....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भाषण नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इन बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की कोई योजना सरकार रखती है?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्या इस भत्ते के बदले में उनका शोषण हो रहा है? उनसे झूठे बर्तन उठाने और पानी पिलाने जैसा काम लिया जाता है, क्या यह सही है? क्या सरकार इस पाबन्दी को हटाएगी?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। मैं और प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा श्री सी. पी. जोशी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलावें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री सी पी. जोशी।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं देंगे, आर्डर आर्डर। श्री सी. पी. जोशी।

पंचायत समिति खमनोर के निवासी भीलों आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनायें।

198. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति खमनोर में में रहने वाले भीलों, आदिवासियों के कल्याण के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार माडा योजना, पंचायत समिति खमनोर में लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री जन जाति क्षेत्रीय विकास (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं खमनोर पंचायत समिति के गांव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार माडा योजना में नहीं आते हैं। अतः पंचायत समिति खमनोर को माडा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने प्रश्न संख्या (1) का जवाब दिया है-जी नहीं। क्या यह सच है कि जिन आदिवासियों ने राणा प्रताप के साथ मिलकर हल्दी घाटी लड़ाई में लड़ी थी वह करीब 16 हजार आदिवासी खमनोर पंचायत समिति क्षेत्र में रहते हैं ? इन आदिवासियों के कल्याण के लिए भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है, माडा योजना का जो लाभ मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल रहा है ? मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि निर्धारित मापदण्डों में ये आदिवासी नहीं आते है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों ने महाराणा प्रताप के साथ मिल कर संघर्ष किया, इन आदिवासियों की माली हालत सुधारने की कोई राजस्थान सरकार के पास योजना है ?

श्री चेतराम मीणा : माडा योजना के अन्तर्गत जो मापदण्ड है उसके आधार को पढ़ लेते तो माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री सी. पी. जोशी : माडा योजना क्या है यह मुझे मालूम है। यह एक करोड़

(श्री सी. पी. जोशी)

की योजना है। मैंने पहला प्रश्न यह पूछा कि क्या पंचायत समिति खमनोर में रहने वाले भीलों, आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं, जिसके लिए आपने कहा कि जी नहीं ?

श्री चेतराम मीणा : मैंने निवेदन किया है कि जी नहीं।........

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं। माडा योजना पंचायत समिति खमनोर में लागू करने के प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में आपने कहा जी नहीं। उन गांवों के आदिवासियों के विकास के लिये सरकार के पास कोई योजना है क्या ? कई ऐसे गांव हैं जिनमें जनजाति का बाहुल्य 50 प्रतिशत से अधिक है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कई गांव ऐसे हैं जिनमें जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। नौ गांवों की जनसंख्या 2163 है। वह भी एक जगह नहीं है। उनके बीच में 13 गांव आते हैं और वह भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं है। इसलिये 50 प्रतिशत जनजाति का बाहुल्य नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, 1971 के सेंसस के डाटा कन्फर्म कर लें, 1981 के कन्फर्म कर लें। यह असत्य रिपोर्ट हैं। वह दस हजार और सोलह हजार के बीच आदिवासी हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय मैंने नौ गांव बताये हैं, वह 1971 की सेंसस के आधार पर बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

एक माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं बारबार निवेदन कर रहा था समय कम लें। आप ज्यादा समय लेते हैं, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वह अवशेष रह जाते हैं। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जिस तरह से मैं निवेदन करूं उसके अनुसार माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तथा समय का ध्यान रखें तो ज्यादा प्रश्न आ जायेंगे।

(व्यवधान)

आप जानते हैं कोई इलाज बाकी नहीं बचा है।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मेरा नम्र निवदेन है कि प्रश्न संख्या 204 बहुत महत्वपूर्ण है। वह पूरे राजस्थान के किसान

(एक माननीय सदस्य)

वर्ग से सम्बन्धित है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्थगित करने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप मुझ से चेम्बर में मिल लें। हो सकेगा तो मैं आपकी मदद करूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

3000 से ऊपर की आबादी के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

194. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले में 1971 की जनगणना के अनुसार 3000 से ऊपर की आबादी के कितने गांव हैं जिनको डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार 3000 से ऊपर की आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों को डामर सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जालौर जिले में 1971 की जनगणना के अनुसार 3000 से ऊपर की आबादी के 15 गांव ऐसे हैं जो अभी डामर सड़क से नहीं जोड़े जा सके हैं। इनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (प्रपत्र "क")

(2) जी हां। धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जिला झुंझुनू में अकाल राहत कार्य

195. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुंझुनू जिले में अक्टूबर, 1981 से अब तक कितने अकाल राहत कार्य चल रहे है?

(2) इन कार्यों पर प्रतिदिन कितने मजदूरों को कार्य दिया गया है?

(3) पंचायतों के माध्यम से इनमें से कितने कार्य करवाये गये?

(4) क्या राज्य सरकार ने पंचायतों के माध्यम से कार्य करवाने की नीति को त्याग दिया है?

उत्तर

(1) झुंझुनू जिले में अक्टूबर, 1981 से अब तक 14 परीक्षण राहत कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 7 कार्य चल रहे हैं।

(अकालराहत मन्त्री)

(2) इन कार्यों पर अक्टूबर, 81 में 575, नवम्बर, 81 में 429, दिसम्बर, 81 में 476, जनवरी, 82 में 202 व फरवरी, 82, में 179 श्रमिक कार्यरत रहे हैं।

(3) पंचायतों के माध्यम से कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(4) पंचायतों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करवाने की नीति यथावत है तथा पंचायतों के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु 10.23 लाख रुपये की राशि जिला झुंझुनू को आवंटित की गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बीकानेर में चरागाह भूमि का आवंटन

138 श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में चरागाह भूमि को भी आवंटित किया गया है? यदि हां, तो कहां कहां, किस किस को, कितनी कितनी भूमि? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त आवंटन को निरस्त करने का विचार रखती है?

(3) भविष्य में चरागाह भूमि को आंवटित न किये जाने के बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। चरागाह भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। बीकानेर जिले की तहसील लूनकरणसर की तीन पंचायतों क्रमशः शेखसर, कुजटी एवं मोटासर में आवासीय प्रयोजनार्थ प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 2 एकड़ भूमि चरागाह से परिवर्तित की गई है जिसे हुडको की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दी जानी है।

(2) जी नहीं।

(3) चरागाह भूमि को आंवटन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

दिलबंध की पाल को ऊंचा करना

139. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिल बंध, जिला सवाई माधोपुर को ऊंचा करने का सरकार का इरादा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या यह सही है कि यदि दिल बंध को ऊंचा कर दिया जावे तो मेन कैनाल की टेल की आबादी वाले ग्रामों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पानी दिये जाने हेतु उसका सर्वे कर लिया गया है? यदि हां, तो इससे किस किस ग्राम का कुल कितना रकबा सिंचित होगा?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) क्या यह क्या यह सही है कि ढिल बंध की नहर के जो टेल पर ग्राम हैं उस क्षेत्र में पानी बहुत गहरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन ग्रामों के गरीब नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने हेतु यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ढील बांध को ऊंचा करने का अभी कोई इरादा नहीं है। ऊंचा करने की सम्भावनाओं के तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर अभी तक जांच नहीं की गई है।

(2) इस बांध को ऊंचा करने के विषय में अभी विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिए अधिक पानी की उपलब्धता तथा क्षेत्र को लाभान्वित होने की सम्भावनाओं का पता तकनीकी जांच होने पर ही लग सकेगा।

(3) सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही यह सूचना दी जा सकती है।

तहसील गिर्वा (उदयपुर) में नान्देश्वर बांध के निर्माण में आई भूमि का मुआवज़ा

140. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में नान्देश्वर बांध के निर्माण में कितने गांव एवं कितनी एकड़ कृषि भूमि डूब में आई है ?

(2) प्रभावित ग्रामवासियों को कहां बसाया गया और डूब में आई भूमि का किस दर से मुआवजे का भुगतान कब किया गया? कृपया डूब में आई कृषि भूमि के प्रभावित लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नान्देश्वर बांध के निर्माण में केवल एक ग्राम नाई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की 143-12 एकड़ जमीन डूब में आई है।

(2) प्रभावित लोग स्वंय की इच्छा से ही इसी गांव में बस गए हैं। डूब में आई जमीन का मुआवज़ा निम्न दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत किया गया है :

भूमि किस्म	दर (रुपये में)	
कू II	8064/प्रति बीघा	
कू. III	5376/प्रति बीघा	
भू. ख.	3360/-"	"
भू. काक.	2688/-"	"
का. ख. एसा III		
का. ख. माली		
ख-III, बाड़ा, भू बीड़	1680-"	"
भू. का., बीड, का.		
बीड, कांकरी	1008 "	"
भू. क.	840/-"	"
की. बो.	504/-"	"
मगरी बोड, का. क.	336/-"	"
नदी	84/-"	"

(सिंचाई मंत्री)

कृषि भूमि के प्रभावित लोगों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। क्र. सं. 1 से 38 का भुगतान सितम्बर, 1981 तक किया जा चुका है। शेष क्र. सं. 39 से 45 के मुआवजे का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी से अवार्ड जारी होने पर किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

नागौर एवं मेड़ता कस्बों के मध्य लिग्नाइट के भण्डारों पर ताप बिजलीघर की स्थापना

141. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य के नागौर एवं मेड़ता कस्बों बीच मिले लिग्नाइट के विशाल भण्डारों पर ताप बिजलीघर लगाने का विचार कर रही है?

(2) क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय ने जर्मन जनवादी गणराज्य के राजदूत से बातचीत की है?

(3) यदि हां, तो यह तापघर कब तक लगाने का विचार है? क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से स्वीकृति मिल गयी है?

उत्तर

(1) नागौर एवं मेड़ता कस्बों के बीच मिले लिग्नाइट के भण्डारों की मात्रा, किस्म, व्यवसायिक खनन व उपयोगिता के बारे में विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण के पश्चात् ही इस संदर्भ में आगे विचार किया जा सकता है।

(2) जी नहीं

(3) प्रश्न (1) के उत्तर में वर्णित स्थिति के संदर्भ में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम सौकड़ा (जैसलमेर) के निवासियों को जलप्रदाय

142. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सौकड़ा जिला जैसलमेर में कुंए पर मशीन लगाई गई है एवं पानी की टंकी भी स्थापित की गई है?

(2) क्या यह सही है कि वहां पर कार्यरत कर्मचारी अधिकतर अनुपस्थित रहता है जिससे ग्रामवासियों को पानी की उपलब्धि नहीं होती? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक सुचारू रूप से कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कर्मचारी साधारणतया ग्राम में ही रहता है, किन्तु अन्य आसपास की योजनाओं पर भी राज्य कार्य हेतु आव-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

श्यकतानुसार आना जाना पड़ता है। वैसे पेयजल योजना सुचारु रूप से चल रही है।

उदयपुर नगर के समस्त क्षेत्रों में जलदाय की यथेष्ट व्यवस्था

143. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर के कौन-कौनसे क्षेत्र ऐसे हैं वहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है एवं वहां की जनता की हमेशा शिकायत प्राप्त होती रहती है ?

(2) क्या मादडी, सेक्टर 3, 4, 5 व 6, अशोक नगर, आयड, गणेशघाटी, खमेसरों का टिब्बा में यह समस्या हमेशा बनी रहती है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या के स्थाई निदान हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर के समस्त क्षेत्रों में पानी उचित मात्रा में वितरण किया जाता है परन्तु अब कभी किसी तकनीकी खराबी के कारण से जैसे कि मशीन का खराब हो जाना, पाइप आदि का फट जाना या विद्युत के अभाव की वजह से उत्पादन में कमी हो जाती है तो ऊंचाई व अन्तिम मुहाने वाले क्षेत्रों पर पानी का दबाव कम हो जाता है। मेहतों का टिम्बा, खमेसरों का टिब्बा गणेश घाटी, पुरोहित जी की हवेली, गडबडों की सहेरी (आयड), मादड़ी, मूल्ला तलाई आदि क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। हिरन मगरी सेक्टर 3, 4, 5 व 6 में अशोक नगर व मूल्ला तलाई में भी जब कभी उत्पादन में कमी जाती है तो इन क्षेत्रों में पानी पर्याप्त मात्रा में पूर्ण दबाव से नहीं पहुंच पाता है।

(2) इन बस्तियों में समस्या हमेशा नहीं बनी रहती है केवल उस दिन समस्या उत्पन्न होती है जिस दिन विद्युत का अभाव हो या कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न हो जावे जैसे पाइप का फटना, मशीन का खराब हो जाना आदि।

सेक्टर 3, 4, 5 व 6 हेतु उच्च जलाशय गृह निर्माण हेतु 16.00 लाख रुपये का तकमीना बनाकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को भेजा जा चुका है तथा उनको कई बार स्मरण पत्र दिये जा चुके है परंतु तकमीने की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अशोक नगर क्षेत्र में छोटी लाइन को बदलने के लिये प्रस्ताव एवं तकमीने तैयार किये जा चुके हैं। धन उपलब्धि के अनुसार यह कार्य करवा दिया जावेगा। आयड के लिये एम. बी. कालेज बूस्टर से पानी दिया जा रहा है। गणेश घाटी एवं खमेसरा के टिब्बा को पानी वाल्व कन्ट्रोल करके सप्लाई समय बढ़ाकर दिया जाता है।

चालू वर्ष की ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें

144. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इस साल कितनी नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं तथा किस-किस जिले में कितनी-कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित होंगी तथा कितना खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस वित्तिय वर्ष के माह जनवरी, 82 के अन्त तक विभिन्न श्रेणी की 77 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(2) स्वीकृत योजनाओं की जिलेवार सूची संलग्न है। इन योजनाओं पर 1539.902 लाख रुपये का खर्चा वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जिला टोंक में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

145. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में बाढ़ से कितनी सड़कें कहां-कहां खराब हुई हैं और उनमें अनुमानित नुकसान किस-किस सड़क पर कितना कितना हुआ है ?

(2) इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार ने कितनी राशि स्वीकार की है और किन किन स्थानों पर कितनी धनराशि का उपयोग हो चुका है ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में बाढ़ से 16 सड़कें खराब हुई हैं जिन पर अनुमानित नुकसान 98.50 लाख रुपये का हुआ है। इन सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा 76 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जनमें से अब तक करीब 40 (21.15+18.85) लाख रुपयों की राशि का उपयोग हो चुका है। सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

घास वितरण केन्द्रों पर सड़े गले घास का विक्रय

146. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार के ध्यान में है कि सरकारी घास वितरण केन्द्रों पर जो घास उपलब्ध कराया गया वह सड़ा गला एवं पशुओं के खाने लायक नहीं था ?

(2) क्या यह सही है कि यह घटिया किस्म का घास जो कि जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया वह कई विक्रय केन्द्रों पर अभी तक पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भविष्य में इस तरह के सड़े

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

गले घास के विक्रय पर रोक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चालू अभाव वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निष्क्रमण करने वाले विभिन्न जिलों में निष्क्रमण केन्द्र खोले गये थे जिन पर वन विभाग से तथा स्थानीय रूप से क्रय कर पशुओं के खाने के योग्य घास व चारा उपलब्ध कराया गया। जिला जैसलमेर में उपलब्ध कराये गये घास के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई तो वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया घास एक वर्ष पुराना होना लेकिन पशुओं के खाने योग्य एवं पौष्टिक होना पाया गया।

(2) जिला प्रशासन द्वारा केवल विक्रय योग्य घास ही घास डिपो के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। भविष्य में भी राज्य सरकार केवल पशुओं के खाने योग्य एवं पौष्टिक घास को ही इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से ही विक्रय करायेगी।

जिला जालौर में अकाल राहत कार्य

147. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष जालौर जिले में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य शुरू करवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन गांवों में व कुल कितने गांवों में ?

(2) क्या यह सही है कि जसवन्तपुरा पंचायत समिति का सम्पूर्ण क्षेत्र व रानीवाड़ा पंचायत समिति के कुछ गांव भयंकर अकाल से पीड़ित हैं, परन्तु अभी तक अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों और कब तक अकाल राहत कार्य शुरू करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सं. 2038 की अभाव स्थिति में जालौर जिले के कुल 615 गांवों में से 456 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं।

अकालग्रस्त गांवों में 15 परीक्षण राहत कार्य चल रहे हैं तथा सहायता विभाग द्वारा भू–संरक्षण विभाग के 12 कार्य 8·76 लाख की लागत के स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 8 कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के भी चल रहे हैं।

(2) जसवन्तपुरा एवं रानीवाड़ा पंचायत समिति के अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई एवं वन विभाग के श्रमिकों के संदर्भ में स्थायी आदेश

148. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व वन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विभाग हेतु स्थायी आदेशों का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो ये कब से लागू किये गये ? कृपया स्थायी आदेशों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये स्थायी आदेश श्रमिक संगठनों की उपस्थिति में पारित हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्या राजस्थान औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1975 का उल्लंघन नहीं हुआ है ?

(3) क्या सरकार इनकी सुनवाई हेतु सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को आमंत्रित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग ने स्थायी आदेश प्रमाणित कराये हुये हैं। परन्तु ये अभी लागू नहीं हुये हैं। प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

वन विभाग के स्थायी आदेशों का प्रारूप प्रमाणित करने हेतु प्राप्त हुए हैं जिस पर औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 के तहत कार्यवाही जारी है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के स्थायी आदेश नियमानुसार श्रम संगठनों को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रमाणित किये गये हैं। अतः स्थायी आदेश नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। क्योंकि स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने हेतु उस संस्थान में कार्यरत पंजीकृत श्रम संगठनों को सुनवाई हेतु नियमानुसार बुलाना आवश्यक होता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के स्थायी आदेश प्रमाणित हो चुके हैं। वन विभाग के स्थायी आदेश प्रमाणित करते समय पंजीकृत श्रम संगठनों को सुनवाई हेतु बुलाया जायेगा/जा रहा है।

सत्र एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलना

149. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सत्र न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पर नये सत्र न्यायालय खोलने की सलाह दी है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार किन-किन स्थानों पर सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, सप्तम् वित्त आयोग ने सन् 1980-81 में राज्य सरकार को 9 स्थानों

(32)

(विधि मंत्री)

पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने की सलाह दी थी।

(2) सप्तम् वित्त आयोग की सलाह पर सन् 1980–81 में निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किये जा चुके हैं:—

1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय किशनगढ़ बास (अलवर)

2. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय धौलपुर (भरतपुर)

3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय डीग (भरतपुर)

4. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नोहर (श्रीगंगानगर)

5. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)

6. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नं. 7. जयपुर सिटी।

7. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नं. 2 बारां (कोटा)

8. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय राजसमन्द (उदयपुर)

9. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नागौर।

पीपल्दा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

150. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के विकास के लिए (i) मांगरोल से बमोरीकलां (ii) मेंता से ढींपरी (iii) ढींपरी काली सिंध से पीपल्दा वाया अयाना, लुहावद (iv) इटावा से ढींपरी (चम्बल) वाया हथोली बोंरदा (v) खातोली से पीपल्दा वाया करवाड़ (vi) पीपल्दा से फूसोद (vii) इटावा से बाड़ोली वाया भाडोल पीपल्दा खुर्द, लुहावद तथा इटावा से नोनेरा वाया डडवाड़ा (viii) तलाव से ढीपरी, (ix) खातोली से नीमोला (x) रामपुरा से बामली (xi) इन्द्रगढ़ से ढींपरी सड़कों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है?

(2) सरकार ने उक्त सड़कों के निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है तथा इन सड़कों के निर्माण हेतु सरकार क्या योजना बना रही है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों के निर्माण की योजना बना कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2 एवं 3) पीपल्दा क्षेत्र के विकास के लिये

1. शाहपुरा (सीसवाली मांगरोल सड़क से लुहावद अलोन्ग इटावा ब्रान्च और अयाना डिस्ट्रीब्यूटरी)

2. बमोरी कलां से माल बमोरी (अलोन्ग लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी)

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

3. इटावा से श्रीपुरा (अलोन्ग इटावा ब्रान्च)

4. बरनाला डिस्ट्रीब्यूटरी से अप्रोच ढीपरी गांव।

5. नीमला से श्रीपुरा (अलोन्ग बरनाला डिस्ट्रीब्यूटरी)

6. पीपल्दा से गणेशपुरा वाया कजलिया (अलोन्ग कजलिया माइनर)

7. सुधार कार्य इटावा गेंता सड़क।

सड़कों को चंबलक मांड योजना के फेज II में सम्मिलित किया गया है। शेष चार सड़कों के निमाण की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

आदिवासी विकास हेतु मास्टर प्लान

151. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार आदिवासी विकास के लिए मस्टर प्लान बनाने का विचार कर रही है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) मास्टर प्लान नहीं बनाया जा रहा है। अतः सर्वेक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जयसमन्द झील की मछलियों से होने वाली आय

153. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयसमन्द में मछली मारने का ठेका राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम द्वारा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो जयसमन्द झील में कितने प्रकार की मछलियां हैं ? प्रत्येक प्रकार की मछली की कीमत प्रति किलो किस दर से मछली पकड़ने वालों से ली जाती है एवं किस दर से बेची जाती है ?

(2) वर्ष 1975 से 1981 तक प्रतिवर्ष क्या लाभ-हानि हुई ? वर्षवार विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मछली पकड़ने के लिए कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो वर्ष 1975 से 1981 तक वर्षवार कितना लाभ इस सहकारी समिति को दिया गया ?

(4) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को वर्ष 1975 से 1981 तक कितना कितना लाभ वर्षवार दिया गया ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने जयसमन्द झील राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ को वार्षिक लीज पर दिसम्बर, 1977 से दिया है। जयसमन्द झील में मेजर कार्प, केट फिशेज व माइनर कार्प मुख्यतः मछलियां हैं। प्रत्येक प्रकार की मछली की कीमत जो प्रति किलो की दर से मछली पकड़ने वालों से जाती है एवं जिस दर से बेची जाती है उसका ब्योरा संलग्न है। परिशिष्ट 'अ',

(2) संघ दिसम्बर, 1977 से जयसमन्द में सहकारी समितियों के द्वारा पकड़ी एवं संग्रहित मछलियों के विपणन का कार्य कर रहा है। वर्ष 1977–78 से 1980–81 तक प्रतिवर्ष लाभ हानि का विवरण निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	सकल लाभ	अन्य खर्च	शुद्ध लाभ लाखों में)
77–78	(–)00.75	1.41(–)	2.16
78–79	3.03	1.00	2.03
79–80	7.58	3.00	4.58
80–81	1.42	–	1.42 (आडिट चल रहा है)

(3व4) मछली पकड़ने के लिये छः सहकारी समितियां (गामड़ी, विपुड़ी, नमानघाटी तथा सराड़ी) कार्यरत हैं। इन सहकारी समितियों कुल की सदस्य संख्या 569 है, यह संघ के सदस्य है। संघ की विभिन्न प्रवृत्तियां है, जिसमें मछली विपणन भी एक व्यवसायिक प्रवृत्ति है। सभी प्रवृत्तियां के व्यवसायिक आधार पर सम्मिलित लेखे तैयार किये जाते हैं। आदिवासी सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष तौर से संघ द्वारा अतिरिक्त आनुपातिक प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	शुद्ध लाभ	प्रोत्साहन राशि का वितरण किया
77–78	(–)2.16लाख	इस वर्ष हानि रही अतः वितरण नहीं किया गया।
78–79	2.03 ,,	पूर्व वर्ष में हानि होने के कारण कोई राशि वितरित नहीं नहीं की गई
79–80	4.58 ,,	रु. 2.80 लाख
80–81	1.42 ,,	रु. .48,300

(ब्योरे के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर में आयातित सामग्री का क्रय

154. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर में गत पांच वर्षों में कितनी आयातित सामग्री किन किन आयात लाइसेंसधारी व्यापारियों से क्रय की? कृपया सूची एवं व्यापारियों की विगत सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्रय की गई आयातित सामग्री की निविदा किन किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई, निविदा कब आमन्त्रित की एवं किन किन अधिकारियों के समक्ष कब खोली गई ? क्या निविदा के लिये कोई कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कमेटी में कितने एवं कौन कौन सदस्य थे ?

(3) आयातित सामग्री क्रय करने के पीछे संस्थान का क्या मन्तव्य था ?

उत्तर

(1) आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर ने गत पांच वर्षों में केवल एक आयातित सामग्री "कैनन कैमरा" वर्ष 1979-80 में मैसर्स सप्लाई सिंडीकेट, उदयपुर से क्रय किया है ।

(2) चूंकि आयातित सामग्री का मूल्य 5,000/- से कम होने के अनुमान के आधार पर किसी भी समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित नहीं कराई गई । निविदा इस कार्यालय के टेण्डर नोटिस क्रमांक 1819, दिनांक 29.11.79 के द्वारा दिनांक 27.12.79 को 3 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन 4 बजे प्रधानाचार्य द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं स्टोर कीपर के समक्ष खोली गई । चूंकि क्रय की गई सामग्री का अनुमानित मूल्य 5,000/- रुपये से कम होने के कारण कोई कमेटी नियमों के अन्तर्गत गठित नहीं की गई ।

(3) भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप संस्थान में म्यूजियम विकास एवं सांस्कृतिक शाखा के अन्तर्गत आदिवासी लोक जीवन संस्कृति के विभिन्न पक्षों को समन्वित एवं उजागर करने में उद्देश्य की पूर्ति हेतु "कैनन कैमरा" क्रय किया गया था ।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

155. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा दूर के ग्रामीण अंचलों में बसी जनता की बेरोजगारी को दूर करना है ? यदि हां, तो ग्रामोद्योग हेतु शहरी क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण क्यों दिया जा रहा है ?

(2) बोर्ड ने वर्ष 1980-81 व 1981-82 में जिला बीकानेर में ग्रामोद्योग हेतु कितना व्यक्तिगत कितना संस्था व समितियों को ऋण किस उद्योग हेतु दिया है ? कृपया वर्षवार नाम, पता, राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई संगठन काम नहीं कर रहे थे वहां व्यवसायिक केन्द्र प्रयोग के रूप में खोले गये थे ? यदि हां, तो बीकानेर में कई संगठन काम कर रहे हैं फिर भी बोर्ड ने व्यवसायिक केन्द्र क्यों खोल रखा है ?

(4) क्या सरकार बोर्ड के ऐसे व्यवसायिक केन्द्रों को जहां कई संगठन कार्य

(श्री देवी सिंह भाटी)

करते हैं बंद करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 18 (1) के अनुसार बोर्ड का कार्य राज्य में खादी ग्रामोद्योगों को प्रारम्भ करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सहायता देना एवं उनका संचालन करना है। शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामोद्योगी कामगार उपलब्ध होते हैं, उन्हें सहायता दिये जाने पर खादी आयोग का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) बोर्ड द्वारा बीकानेर जिले में ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 373 व्यक्तिगत कामगारों एवं 2 संस्थाओं को कुल 7.77 लाख रुपये ऋण तथा वर्ष 81–82 में जनवरी, 82 तक 175 व्यक्तिगत कामगारों को 3.26 लाख का ऋण उपलब्ध कराया है। उद्योगवार सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। बोर्ड द्वारा व्यवसायिक केन्द्र गठित व नवगठित संस्था। सहकारी समितियों को तकनीकी मार्ग-दर्शन व कत्तिन एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से खोले गये थे।

(4) जी नहीं। राज्य में उत्पादन एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से निरन्तर नये संगठन खड़े किये जा रहे है जिनको तकनीकी एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन व्यवसायिक केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य की बीमार संस्थाओं/समितियों के रुके हुये माल की बिक्री तथा तकनीकी मार्गदर्शन कर उनके पुनर्जीवीकरण करने का कार्य केन्द्रों द्वारा किया जाता है। बीकानेर जिले में ही भीनासर, किलचू, देशनोक एवं प्रगतिशील आदि सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया गया है।

बीकानेर क्षेत्र में खादी का कार्य करने वाली पुरानी व नवगठित संस्थाओं द्वारा क्षेत्र की सभी कत्तिनों एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। अतः व्यवसायिक केन्द्र बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

प्रतापगढ़ से राज्य में व मध्य प्रदेश के नगरों तक निगम की बसें चलाना

156. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा एवं रतलाम, मन्दसौर, इन्दौर आदि शहरों के लिये राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें नहीं चलायी जा रही हैं जिसके कारण यात्रियों को अपना समय व अधिक पैसा बर्बाद करना पड़ता है ? यदि हां, तो जनता की सुविधा के लिये प्रतापगढ़ से अन्यत्र एवं मध्य प्रदेश के निकटवर्ती शहरों

(श्री नन्दलाल मीणा)

में कब तक बसें चलाने का निगम का विचार है ?

उत्तर

जी हां । प्रतापगढ़ से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा भीलवाड़ा मार्ग अभी राष्ट्रीयकृत नहीं किये गये हैं । वर्तमान में यात्रियों की सुविधा के लिये प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के लिये 5 एकल सेवाएं तथा प्रतापगढ़ से भीलवाड़ा के लिये 2 एकल सेवाएँ निगम द्वारा अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं । निजी वाहन स्वामियों द्वारा कुछ स्थानों के लिए सेवायें प्रदान की जा रही हैं । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इसी प्रकार के मार्गों पर सेवायें प्रदान करने का प्रश्न पृथक से विचाराधीन है ।

निगम में कार्यरत स्थाई चालक एवं परिचालक

157. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम में कुल कितने चालक व कितने परिचालक स्थाई हैं ?

(2) वर्ष 1981–82 में जनवरी तक कितनी संख्या में चालकों को निलम्बित किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य परिवहन निगम में कुल 1461 चालक व 2621 परिचालक स्थाई हैं ।

(2) वर्ष 1981–82 में जनवरी तक कुल 347 चालकों को निलम्बित किया गया है ।

आवासन मण्डल कोटा द्वारा भवन निर्माण हेतु स्वयं की खान का उपयोग

159. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कोटा आवासन मण्डल द्वारा मकानों के निर्माण हेतु अपनी निजी खान पत्थर, फर्शी, पट्टियां हेतु ली हुई हैं ? यदि हां तो कबसे तथा उसमें गत 3 वर्षों में कितना माल दोहन किया गया व कितनी राशि का तथा वह कहां कहां उपयोग में आया व कितनी कितनी राशि का ?

(2) गत 3 वर्षों में उस खान पर किस किस मद में कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई है ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । जून, 1979 से कुल माल फर्शी के रूप में 77892·41 वर्ग फीट निकाला गया, जो महावीर नगर, तलवंडी, रामचन्द्रपुरा एवं दादाबाड़ी विस्तार योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के मकानों के उपयोग में लाया गया । जिसकी कीमत रु. 81787·03 है ।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त खानों पर निम्नांकित व्यय किया गया:—

(38)

(आवासन मंत्री)

वर्ष	खान विभाग का किया गया भुगतान	लेबर व ट्रान्सपोर्ट पर किया गया भुगतान	योग
1979-80	3386·00	46750	50136·00
1980-81	7402·00	—	7402·00
1981-82	2376 00	—	2376 00
		कुल व्यय	59914 00

कोटा नगर में आवासन मण्डल के निर्माणाधीन भवन

160. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) कोटा नगर में राजस्थान आवासन मण्डल का किन किन योजनाओं में कितने कितने मकान सबसे पूर्ण या अपूर्ण स्थिति में हैं ?

(2) गत पांच वर्ष से कितने मकान निर्मित स्थिति में हैं ? उन्हें अलॉट क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उनकी कीमत की वसूली निर्मित वर्ष के हिसाब से ली जायेगी या वर्तमान दर से ?

(4) मण्डल द्वारा अलॉट नहीं किये जाने की स्थिति में भी क्या उन मकानों की लागत की ब्याज सहित राशि मकान लेने वालों से ली जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा नगर में राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में पूर्ण एवं अपूर्ण मकानों का ब्यौरा संलग्न तालिकाओं में सदन की मेज पर रखा दिया गया है। (तालिका अ,ब)

(2) कोई पूर्ण मकान ऐसा नहीं है जो कि पांच वर्ष से पड़ा आ रहा है।

(3) पुराने पंजीकृत आवेदकों से मकानों की कीमत की वसूली निर्मित वर्ष के हिसाब से ही की जाती है।

(4) मकान आवंटन नहीं होने की स्थिति में जब तक वह प्रथम बार आवंटन नहीं हो जाता है तब तक कीमत निर्मित वर्ष के हिसाब से ही ली जाती है कोई अतिरिक्त ब्याज वसूल नहीं किया जाता है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

बीकानेर क्षेत्र के अभयारण्य के वन्य जीव

161. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) बीकानेर क्षेत्र में वन्य जीव सरक्षण कानून के तहत कितने केस जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक पकड़े गये सची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीकानेर क्षेत्र के अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना की गई है ? यदि हां, तो कुल कौन-कौन से वन्य जीव कितने-कितने हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत वर्षों से वन्य जीवों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) उपरोक्त अभयारण्य के वन्य जीवों के खाद्य पर व स्टाफ तथा अन्य मद में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कुल कितना खर्च हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 81 से दिसम्बर, 81 तक 12 मामले पकड़े गये हैं। विस्तृत सूचना संलग्न है।

(2) जी हां। शीतकालीन गणना माह दिसम्बर, 81 में कराई गई है। किस्मवार वन्य जीवों की सूची संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं:—

1. नाजायज शिकार की रोक थाम एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की कठोर पालन के लिये पृथक से वन्य जीव उड़न दस्ते का गठन किया गया है।

2. पृथक से वन्य जीव सुरक्षा के लिये अब दो गेमवाचर इस क्षेत्र पर और लगाये गये है।

3. गश्ती दलें को समय समय पर छापा मारने के लिए पृथक से एक जीप (एफ. सी.) दी गई है।

4 गत वर्षों में वर्षा समय पर नहीं आने से पानी तथा चारे की कमी को दूर करने के लिये भी प्रयास किये गये हैं।

मदवार वर्षा निम्न प्रकार है:—

मद	वर्ष	
	1980-81	81-82
1. खाद्य पदार्थ		2023/-
2. सुरक्षा स्टाफ का खर्चा	44602/79	37168/
3. अन्य मद जैसे पानी आदि की व्यवस्था।	7998/20	2410/-

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना हैं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय

(श्री अध्यक्ष)

के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों द्वारा गत 16 फरवरी से की जा रही हड़ताल के विषय में,

(2) श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला कोटा में अन्ता खीसवानी सड़क ऊंची बना देने के कारण वर्षा के पानी से अनुसूचित जाति के लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के विषय में,

(3) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना तहसील में 46 ग्रामदानी गांव में आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के विषय में,

(4) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 19 फरवरी को चूरू में पुलिस द्वारा एक पत्रकार तथा तीन अन्य व्यक्तियों की पिटाई करने के विषय में,

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर निर्माण के दौरान तहसील कोलायत व फलौदी क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि बगैर नोटिस दिये अवाप्त करने के सम्बन्ध में,

(6) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्या, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले में कीड़े लग जाने से फसलें नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने के विषय में,

(7) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में पिछले दो माह में अनेक डकैतियों की की घटनाएं होने के विषय में,

(8) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिलाभ रतपुर में धोलपुर उपखण्ड में बसरोघां ग्राम में एक डकैती की घटना में एक महिला की हत्या और हजारों रुपये का माल लूट कर ले जाने के विषय में,

(9) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर परिषद् में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न न होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(10) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के गांवों में अकाल, व पीने के पानी के अभाव के विषय में।

माननीय सदस्य इसे अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

(11) सर्वश्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द्र आर्य वीर, सदस्य विधान सभा की ओर से चित्तौड़ से 45 किलोमीटर दूर एक डकैती की घटना के विषय में।

यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य है, परन्तु स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील फागी में गत 24 फरवरी को बस स्टैण्ड पर ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के सम्बन्ध में।

यह घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, परन्तु स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(14) सर्वश्री यदुनाथ सिंह, रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 फरवरी को सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री द्वारा एक ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

इस विषय पर सर कार का वक्तव्य हो चुका है।

(14) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर सवाईमाधोपुर में चम्बल नदी के पाली घाट पर नावों तक पहुंचने का उपयुक्त रास्ता न होने के विषय में।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है।

(15) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से एम. टी. शाखा पुलिस लाइन के श्री भीखाराम मेघवाल, कांस्टेबल के साथ छुआछूत का व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

यह एक व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित मामला है।

(16) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित न होने के विषय में।

इस विषय में पूर्व में सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जा चुका है।

(17) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर क्षेत्र के गोगुन्दा तहसील के गांवों में पीने के पानी के अभाव के विषय में।

इस विषय को माननीय सदस्य अन्य अवसरों पर उठा सकते हैं।

(18) श्रीमति उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर में नल टूट जाने से गड्ढे व मकानों के क्षतिग्रस्त होने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(19) सर्वश्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा सम्भाग में जलदाय विभाग द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं को बन्द करने और नई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ न करने के विषय में।

यह स्थगनप्रस्ताव का विषय नहीं है।

(20) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में पिछले दो दिनों में आंधी व ओले पड़ने से फसलों के नष्ट होने के विषय में।

इस प्रस्ताव में आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त कारणों से मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है।

(1) श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में गुटबन्दी व अव्यवस्था होने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से सदन में दिनांक 5 मार्च को एक वक्तव्य दिया जाय।

(2) श्री रतन लाल ताम्बी : भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में बीगोद ग्राम के पास महिलाओं पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज।

सरकार की ओर से सूचना दी गई है कि यह एक साम्प्रदायिक मामला है और इस घटना में पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही की गई है। इसी विषय में माननीय सदस्य श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

(3) श्री हंसराज शर्मा : सवाई माधोपुर में वन विभाग द्वारा घास के परमिट बन्द कर देने के विषय में।

सरकार की ओर से सूचना दी गई है कि प्रचलित प्रथा के अनुसार परमिट जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं और परमिट जारी किये भी जा रहे हैं।

(4) श्री गुलाबचन्द कटारिया व श्री मेघराज तावड़ : पंचायती राज कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर की गई हड़ताल।

इस विषय में सरकार द्वारा सूचना दी गई है कि वार्ता के पश्चात् अनशन समाप्त कर दिया गया है और संघ व सरकार के बीच में शीघ्र ही वार्ता होने की सूचना भी दे दी गई है।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं अथवा राज्य सरकार का जवाब आने के बाद विनिश्चय किया गया है वे दो दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

जनगणना के अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कल जब माननीय गृह राज्य मन्त्री जनगणना के अधिकारियों के विषय में वक्तव्य दे रहे थे, मैं राज्य सरकार को जानकारी कराना चाहता हूं कि इसी प्रकार का विषय भोपाल, मध्य प्रदेश विधान सभा में भी आया। वहां जो रूलिंग दी है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां के शासन ने 28 फरवरी से बेरोजगार हो रहे जनगणना कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का निर्णय किया है। यह घोषणा आज विधान सभा में सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री चन्द्रप्रसाद शेखर ने दी कि प्रदेश में गत वर्ष जनगणना के लिये अस्थाई तौर पर कर्मचारी रखे गये थे, जनगणना विभाग के एक आदेश के अनुसार उनकी सेवाएं 28 फरवरी को समाप्त हो रही थीं....

श्री अध्यक्ष : विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये घोषणा की गई है कि राज्य सरकार इन लोगों को नौकरी में सरप्लस की हैसियत से रख रही है। फिर जैसे जैसे जगह खाली होती जायेगी, इनको नौकरी दे दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपना पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है। 1400 लोग अपने यहां बेरोजगार हो रहे हैं 28 फरवरी से, माननीय मंत्री महोदय, उनकी नौकरी चली जायेगी और फिर ऐसा न हो कि डण्डा चार्ज हो, लाठी चार्ज हो, जैसे वली साहब के यहां हो गया। मेरा निवेदन है कि जिन्होंने अत्यंत कुशलता से काम किया है उनके जीवन को ध्यान में रख कर नौकरी पर लें, ऐसा मैं चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। श्री महाराम चौधरी।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सत्रावधि में राज्य सरकार के निर्णय का समाचार पत्र में प्रकाशन

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर उठाना काफी कठिन कार्य है, यह आपने महसूस किया होगा।

श्री नाथूसिंह : मैं ऐसा कोई मसला नहीं उठा रहा हूं, पाइन्ट आफ आर्डर है। जब विधान सभा का सत्र शुरू हुआ तो नियमों के अनुसार परिपाटी यह है कि कोई भी पालिसी मैटर या नीति संबंधी मामला होगा तो राज्य सरकार सदन को उसकी सूचना देगी, बाद में वह मैटर बाहर जायेगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज आपने एक समाचार पत्र में पढ़ा होगा, अंग्रेजी शराब की दुकानों की नीलामी समाचार छपा है। अंग्रेजी शराब की दुकानों के ठेके नीलाम करने का सरकार ने निर्णय लिया है। यह पालिसी मैटर है कि जैसे देशी शराब के ठेके नीलाम किये जायेंगे उसी प्रकार से अंग्रेजी शराब के ठेके, जिनसे 40 करोड़ की सरकार को आय होगी....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। इसे आप अन्य किसी तरीके से उठायें।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य, समय का अभाव है। यह अपमान है तो इसके लिये भी व्यवस्था है नियमों में। श्री महाराम चौधरी।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसमें दीगोद के नन्दराय गांव में लाठी चार्ज का मेरा प्रस्ताव पेंडिंग है उस पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप चाहेंगे तो अवसर दे देंगे।

श्री बंसीलाल पटवा : इस पर व्यवस्था नहीं दी गई गई इसलिये निवेदन किया है मैंने ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल आपने व्यवस्था दी थी, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थान प्रस्ताव दिया था बांसवाड़ा के संबंध उस पर आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार बयान दे । वह अभी नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की सुविधा के अनुसार यह मैंने कह दिया कि वक्तव्य देंगे। सरकार वक्तव्य देगी, किस समय देगी इस पर जानकारी अलग से कर सकते हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने एक तथ्य आसन के मार्फत सदन में उजागर किया था कि पत्रकारों को इस बात के लिये विवश किया जा रहा है कि वे कुछ बातों को न छापें.....

श्रीअध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप सुन तो लें। उस पर आपने व्यवस्था दी थी कि जिन बातों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाता है उसके अलावा पत्रकार सभी बातों को छाप सकते है....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है । अंकित न हो ।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री महाराम ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3-4 साल से लगातार अकाल पड़ रहे हैं और वहां जल स्तर कुओं का काफी नीचे चला गया है उस संबंध में था । न कि पेयजल समस्या के संबंध में । मेरा इस संबंध में यह निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : उस पानी को किस काम में लाया जाता है ?

श्री महाराम चौधरी : पीने के । लेकिन पीने के पानी की समस्या वाला अलग में प्रस्ताव दूंगा इसलिये पहले से कह दूं । कहीं आप कहें कि कल यह बात आ गई इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उन क्षेत्रों में ये गांव जितने भी हैं फलौदी, नागौर और ओसियां तहसील के....

श्री अध्यक्ष : फलौदी में तो अच्छी वर्षा हुई है ।

श्री महाराम चौधरी : 2-2, 3-3 मिलीमीटर सुनी होगी ।

श्री अध्यक्ष : 31 मिलीमीटर ।

श्री महाराम चौधरी : 31 मिलीमीटर कितनी होगी, साहब, कोई थली के अन्दर

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री महाराम चौधरी)

पानी बह कर तालाब थोड़े ही भर जाते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, पिछली बार भी मैंने इस विधान सभा में आपकी मार्फत निवेदन किया था कि यदि अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की समस्या मिटानी है और पानी उपलब्ध कराना है तो जो जल प्रदाय योजना राज्य सरकार बना रही है उससे तो पूर्ति होगी नहीं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कुए गांव-गांव में 2-2, 3-3, 4-4 बने हुए हैं उन कुओं के लिये आप भू जल विभाग से बोरिंग मशीनें उपलब्ध करादें। जिन 3-4 पंचायत समितियों के क्षेत्रों, थली के क्षेत्रों के अन्दर कुओं की एक बराबर सी ही भौगोलिक स्थिति है और पानी की समस्या भी है वहां पर बोरिंग और ब्लास्टिंग मशीनें सिर्फ एक महीने के लिये उपलब्ध करा दी जायं तो ऐसे कुओं में 50-60 फीट बोरिंग करके पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। उससे उनकी पेयजल समस्या दूर हो जायेगी, उसमें खर्चा भी कम लगेगा और वहां के क्षेत्रों में आने वाले समय में किसानों को बहुत राहत मिलेगी लेकिन सरकार इस मामले में उदासीन है। पिछले साल जब कि मैंने भू जल विभाग से आपकी विधान सभा के मार्फत प्रश्न पूछा था, नागौर जिले में कितनी मशीनें कब-कब उपलब्ध कराई गई कुओं को गहरा करने के लिये और ब्लास्टिंग करने के लिये; तो उसका यह जवाब आया है सरकार की तरफ से कि इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है। जब कि विधान सभा के जरिये और पर्सनली विभाग के अधिकारियों से मिल कर 5/7 दफा मैंने रिक्वेस्ट की है। जो पैसा सार्वजनिक कुओं के लिये दिया गया है, मशीन नहीं मिलने की वजह से वह पैसा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये पीने के पानी के लिये काम में नहीं आया है। आज, अध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत होना शुरू हो गई है कि पीने के पानी के कुओं के अन्दर पानी कम है। पानी कम होने की वजह से आदमी को अन्दर उतर करके छोटे बर्तन से, चरस में धोबे से डाल-डाल कर के पानी निकालने की परिस्थिति हो गई है। इस चीज की सरकार अवहेलना कर रही है। कतई ध्यान नहीं दे रही है। अगर आप मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ कहने को बाध्य करते तो शायद कुछ सुविधा मिल जाती लेकिन आपने इस समस्या को मामूली समस्या समझ कर, न्यायिक जानकारी होते हुए भी और स्वयं का क्षेत्र होते हुए भी कि ऐसी स्थिति में लोग भयंकर दुखी हैं स्थगन प्रस्ताव को महत्व वाला न समझ करके अस्वीकार कर दिया है। इसका मुझे अफसोस है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार से कुछ आश्वासन दिलवाया जाये या कुछ कार्यवाही कराने के लिये बाध्य किया जाये या मुझे जवाब दिलवाया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार को बाध्य करें। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : कल मुझे प्रश्न काल के समय एक छोटा सा पत्र मिला उसके अन्दर गांवों के जो नाम लिखे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन कर दूं कि यह विधान सभा की ओर से वितरित नहीं किये जाते हैं उत्तर। विधान सभा को जो प्राप्त होते हैं वे राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं। इनका विधान सभा से वितरण होता है। विधान सभा से किसी तरह का कोई सम्बन्ध हो तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं की जाती है।

श्री महाराम चौधरी : मैं भी विधान सभा का सदस्य हूं। यह नाम इस तरह से....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह अलग से प्रश्न है। यह दूसरा प्रश्न है।....

श्री महाराम चौधरी : मेरे को ठेस लगी है। इसलिये निवेदन कर रहा हूं। यह व्यवस्था चाहता हूं।...

श्री अध्यक्ष : अभी वर्तमान में इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने में मैं असमर्थ हूं।

अगला विषय। श्री अनग कुमार जैन। चितौडगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक डकेती का घटना के सम्बन्ध में।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति सन्तोषप्रद बताने वाली इस सरकार के शासन में प्रदेश के अन्दर हत्याएं, डाके, बलात्कार की घटनायें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे एक सवाल का माननीय गृह राज्य मन्त्री ने उत्तर दिया था। दिसम्बर, 1981 तक 6 माह में प्रदेश के अन्दर 136 डकेतियां पड़ीं ...

श्री अध्यक्ष : आप इसी घटना के बारे में कहें।

श्री अनंगकुमार जैन : दो ढाई महीने की बात है। ज्यादा नहीं बोलूंगा। 136 डकेतियां 6 महीने में पड़ीं जिनमें 52 लाख का माल लूटा गया। 15 हत्याएं हुई, 136 व्यक्ति मारे गये। जहां प्रदेश में इस प्रकार की डकेती, बलात्कार की घटनाएं हों........

श्री अध्यक्ष : 38 लाख का माल बरामद हुआ बताया।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : यह 9 महीने का फिगर है। 6 मीहने का नहीं है। अपने आप को करेक्ट कर लें।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह है दूसरी तरफ चित्तौड़ के पास 45 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक जाट परिवार के यहां पर शादी हो रही थी। वहां पर दस सशस्त्र डकेत गये। उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की और चार लाख रुपये का माल लूट ले गये। इतनी भयंकर घटना हुई है, उसके बारे में राज्य सरकार की ओर से स्टेटमेन्ट आना चाहिए था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कह कर टाल दिया कि यह गंभीर घटना तो है, यह आपने माना है। इस प्रकार डकेती की घटना होती है यह राज्य सरकार के लिये शर्म की बात है लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है....

श्री महाराम चौधरी : राजा, महाराजाओं के साथ घटती तो शायद यह सरकार मुआवजा देती। किसी काश्तकार के यहां घटना हुई है, इसलिये सरकार मुआवजा देने में असमर्थ है।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार डकैती, बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे सरकार का सुनियोजित षड़यन्त्र है। इस प्रकार के डाके डलवाने वाले लोगों को, बलात्कार करने वाले लोगों को, हत्याएं करने वाले लोगों को सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर भी सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। एक व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी। उसकी औरत और भाई को गिरफ्तार कर रखा है। चार महीने इस प्रकरण को हो गये हैं लेकिन पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया, जो कार्यवाही की, बूंदी से आने वाले माननीय श्री बृजसुन्दर जी शर्मा ने एस. पी. को टेलीफोन किया कि इनके खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिये उनको मजबूर किया जा रहा है कि इस प्रकरण को यहीं बन्द कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से, सरकार के मन्त्रियों की ओर से इस प्रकार के कार्यकलाप किये जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : एक तरफ गृह राज्य मन्त्री यह कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर शान्ति कायम हो लेकिन दूसरी ओर सरकार के मन्त्री इस प्रकार की घटनाएं कराते हैं....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आवें, यदि पुलिस किसी घटना को प्रकाश में लावे और दोषी व्यक्ति को पकड़ना चाहे तो उन लोगों को राज्य सरकार के मन्त्री की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पुरजोर शब्दों से मांग करता हूं कि इस प्रकार की हत्याओं, बलात्कार की घटनाओं के अन्दर सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है वह न दिया जाय और पुलिस को आदेश दिया जाय कि तफतीश करके सही स्थिति को सामने लावे।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : यह किसी तहसील का मामला है। कौनसी तहसील का मामला है?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : चित्तौड़ के पास डकैती हुई है....

श्री अध्यक्ष : तहसील कौनसी है?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : राशमी थाना अन्तर्गत गंगपुर गांव है।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिन पर दिन कानून और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अभी पिछले समय भी सांगानेर में 5 लाख की डकेती हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को एक निवेदन कर देना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव एक घटना विशेष के बारे में आता है, उस तक ही अपने आपको सीमित रखें। उसकी बहुत बड़ी भूमिका बांधे, क्या षड़यन्त्र चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा आप कहते हैं तो आप विषय से दूर हट जाते हैं। कृपया उस घटना के सम्बन्ध में सरकार की लापरवाही हुई है, आगे कोई बात है, वह कहें। लेकिन इस तरह की घटना के साथ किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ आप कहते हैं, यह मानहानिकारक अपमानजनक मामला है, यह उचित नहीं है। इसके लिये अलग नियम है। पूर्व में उसकी सूचना देनी होती है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, राशमी थाना के अन्तर्गत गंगपुर गांव आता है। उसमें जाट परिवार के यहां यह घटना हुई। वहां पर डकेतों ने जाकर के कई महिलाओं के साथ अन्याय किया है। एक व्यक्ति मरा भी है। कई लाख का सामान लूट कर ले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिन पर दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, किन्तु सरकार व प्रशासन निष्क्रिय है। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं बढ़ें। सरकार का ध्यान जावे और प्रशासन सख्ती से जनता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा। 24 फरवरी को बस स्टैण्ड फागी में....

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फागी तहसील में चित्तौड़ा रेनवाला के मोटर स्टैण्ड पर बजरी लाने वाले ट्रक बड़ी भारी संख्या में आते हैं। ड्राइवर वहां पर विश्राम करते हैं, चाय पीते हैं। बड़ी भारी भीड़ लगी रहती है। 24 तारीख को एक गरीब व्यक्ति, जिसके कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वहां से सड़क को पार करके चला जा रहा था, दोनों तरफ ट्रक खड़े थे। तभी पीछे से एक ट्रक आ रहा था उसने अचानक टक्कर मार कर धन्नाराम नाम के जवान को मार डाला। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उस गरीब की तो मृत्यु हो गयी है और उसकी पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है इसलिये राज्य सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

सवाई माधोपुर में चम्बल नदी के पानी में घाट की व्यवस्था के बारे मे।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर सवाई माधोपुर जिला है वहां पर चम्बल नदी पर एक घाट है वहां से लोग मध्य प्रदेश से राजस्थान में आते हैं और राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश जाते हैं।

(श्री हंसराज शर्मा)

उस स्थान पर सरकार के द्वारा नावों का ठेका दिया गया है। प्रति वर्ष वह ठेका दस हजार या बीस हजार का होता था किन्तु इस बार राज्य सरकार के द्वारा वह करीबन 1 लाख 34 हजार में दिया गया है, वह लोग जो नावें खेते हैं उनके जो ठेकेदार हैं वे मनमाने पैसे वसूल करते हैं। यदि ग्राप सवाई माधोपुर से चालीस गांव तक जायें तो 35 किलोमीटर तक बस से जाने में जितना किराया लगता है उससे दुगुना तिगुना ग्रौर चार गुना तक वसूल करते हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें किराये का नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : इस पर निवेदन करने के बाद मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह निवेदन करूंगा कि जिस जगह से यात्री जाते हैं उस जगह नावों के ऊपर जाने के लिये सरकार के द्वारा कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। जो यात्री बच्चे, महिलाएं, लोग सामान लेकर जाते हैं उनको नावों में बैठने के लिये दो तीन फीट पानी में जाना पड़ता है, दो तीन फीट तक पानी में ग्रपना सामान लेकर जाना पड़ता है जिससे कि यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो सामान ले जाते हैं। 10 किलो या बीस किलो का उनको 10 रुपया, ग्रौर 15 रुपया तक मजदूरी देनी पड़ती है। इसके ग्रलावा निवेदन करूंगा कि सरकार ने ग्रबकी बार सवा लाख का ठेका दिया है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर समुचित व्यवस्था कराये इस प्रकार की व्यवस्था करायी जाये कि यात्री ग्रासानी से नाव पर चढ़ सकें। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा जो नावें दी गई हैं वे इतनी टूटी फूटी ग्रौर पुरानी हैं कि जो यात्री सामान लेकर जाते हैं वह जब उतरते हैं तो उनका सामान बिलकुल भीग जाता है। यदि कभी गाड़ियों को यात्रियों द्वारा नाव के द्वारा पार करना पड़ता है तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वहां किसी प्रकार के लकड़ी के पट्टे नहीं हैं, वहां पर पत्थर या मिट्टी का कोई रास्ता नहीं है। जाने वाले को स्वयं ट्रक वालों से हाथ जोड़ी करके पट्टे मांगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से उनको एक जीप निकालने के लिये भी काफी दिक्कत होती है। इसी प्रकार जो गाड़ियों को मध्य प्रदेश में ले जाते हैं उनको एक बार के तीन सौ, चार सौ ग्रौर पांच सौ रुपये तक खर्च करने होते हैं। इसलिये ग्रापके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको समाप्त करें। लोग परेशान हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : नाव तक जाने में फिसल जाते हैं, इसलिये वहां पर उन लोगों की सुविधा के लिये नाव तक पहुंचने के लिये कोई व्यवस्था की जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

(ग्रनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन। राजस्थान विश्व-विद्यालय के.......

नहीं, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिये इजाजत नहीं दूंगा।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : मेरा निवेदन है कि वह तो यह नहीं था। यह तो विधि संकाय की परीक्षा के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा हो चुकी है दुबारा इजाजत नहीं दूंगा। फिर भी आप दो मिनट बोल लें।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की ओर से प्रथम वर्ष वाणिज्य, कला और तृतीय वर्ष विज्ञान व कला के जो पेपर बायकाट किये गये थे और जिनको सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी थी उनकी परीक्षा अक्टूबर माह में ली गई थी। आज तीन चार महीने समाप्त हो गये हैं लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की ओर से घोषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति के अन्दर विद्यार्थी क्या करें और क्या न करें, यह समझ में नहीं आता। पास होने के बाद में किस प्रकार से वह आगे की कक्षा में सम्मिलित होगा, किस प्रकार से तैयारी करेगा? इसके कारण से विद्यार्थियों में असंतोष है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मांग करूंगा कि विश्वविद्यालय ये परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करे। जैसा आपने फर्माया कि मंत्री महोदय घोषणा कर चुके हैं कि शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे तो इसको शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़। गोगुन्दा में पीने के पानी के अभाव के विषय में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अर्ज किया कि गोगुन्दा विपक्ष की सीट है इसके कारण से सरकार ने उसके साथ कुछ ऐसा सौतेला व्यवहार किया है कि इस साल फसल नहीं होते हुए भी वहां अकाल घोषित नहीं किया, काम चालू नहीं हुए हैं। वहां पर लोगों के पास में आधा बीघा से ज्यादा भूमि नहीं है। केवल आदिवासियों की ही बात नहीं है आम जनता के पास भी इससे ज्यादा भूमि नहीं है। यह आपको जानकारी है कि वह एक पहाड़ी इलाका है। आप अन्दाजा लगाइये कि जहां के लोगों को जरूरत के दिनों में पीने का पानी तक नहीं मिलता है वहां पर अच्छी फसल क्या होगी। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, जो कि 20 संकल्प के इन्चार्ज हैं, के पास भी मैं गया। मैंने अपनी बात रखी थी कि गोगुन्दा के साथ अन्याय मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग वहां के हैं वे छोड़कर जा रहे हैं। खास तौर पर वहां पानी नहीं है। अकाल का काम नहीं खोला तो कोई बात नहीं है लेकिन पीने का पानी तक भी नहीं है। इसके बारे में आपसे गत वर्ष भी निवेदन किया था, एक गांव है जिसमें मिडिल स्कूल भी है वहां के हैडमास्टर को बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि आसपास में एक ही कुआं है और इसमें भी पानी रात को भर जाता है, तो जल्दी जो लोग जग जाते हैं उनको तो पानी मिल जाता है उसके बाद खतम हो जाता है। जैसा कि महाराम जी कह रहे थे बिलकुल वही की वही पोजिशन हमारे यहां पर भी है, पहाड़ी इलाका है, इसके कारण ही वहां पर यह हालत है। इसी प्रकार सायरा, जो कि बड़ी आबादी का गांव है, में एक व्यक्तिगत कुआं है उसमें भी पानी खतम हो चुका है। लोग परेशान हैं कहां

(श्री मेघराज तावड़)

जाये, जायें तो कहां जायें। पहाड़ी इलाका है, आसपास कहीं अच्छी जगह भी तो नहीं है जहां से पानी ला सकें। जायं तो यहां से बीस मील दूर बनास की धारा है उस साइड में जायं या फिर सादड़ी में जायं तो ही पानी मिलेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आपने मेरे प्रश्न के लिये कहा कि अन्य तरीके से उठाऊं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यो अन-नेसेसरी प्रश्न उठाता ही नहीं हूं। ऐसे विधान सभा में प्रश्न नहीं करता हूं, सेंसलेस बात नहीं करता हूं; इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देश दें कि वह गोगुन्दा के साथ सौतेला व्यवहार न करें। वहां पर पानी की व्यवस्था करायी जाय।

अध्यक्ष महोदय, सायरा में भी स्कूल में छुट्टी करनी पड़ेगी अगर यही हालत रही तो वहां पर यह व्यवस्था है कुआं सरकारी एक भी नहीं है और सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। एक कुआं है वह भी व्यक्तिगत है। ऐसी स्थिति वहां पर 3–4 5 गांवों में और है, अध्यक्ष महोदय, पर मोटे तौर पर इन गांवों में पानी नहीं है। इसके लिये मैंने निवेदन किया है और स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, उम्मीद करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश देंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में किसी को भी, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है इसलिये हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें। हमारे यहां पर अकाल राहत के काम नहीं हो रहे हैं और पीने के पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा हमारे यहां पर जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिये व्यवस्था नहीं करें पर आपके लोग भी वहां पर हैं उनकी भी यही पोजीशन है, इसलिये मानवीय दृष्टिकोण से पीने के पानी की व्यवस्था करें। अकाल की स्थिति को देखते हुए वहां के लोगों के लिये काम की व्यवस्था करें ताकि लोग छोड़कर नहीं जायं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री अध्यक्ष : आपको मैं बाद में अवसर दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री दाऊ दयाल जोशी। कोटा संभाग में जलदाय विभाग द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं को बंद करने के विषय में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत भारी दिल से मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार लगातार करने का सरकार का कुप्रयत्न चल रहा है। जलदाय विभाग की दृष्टि से अजमेर रीजन में कोटा, बूंदी, झालावाड़ सर्कल आता है। अजमेर रीजन में नौ जिले हैं, उन नौ जिलों में 600 लाख की जलदाय योजनायें प्रारंभ हों, यह योजना बनी थी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अजमेर रीजन में 9 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तीन जिले हैं जिनमें अनुपात के हिसाब से 2(0

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लाख का डिस्ट्रीब्यूशन योजना की दृष्टि से होना चाहिए था। किन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 महीने बाद मार्च में बजट आ जाता है, अक्टूबर मास में केवल मात्र 33.40 लाख की योजनायें कोटा, बूंदी, झालावाड़ के लिए मंजूर की गई। 200 लाख में से केवल मात्र 53.40 की मंजूर की गई और अक्टूबर मास का जब बजट आया तुरन्त ढाई महीने बाद दिसम्बर, 17 को यहां से आर्डर जाता है, राजस्थान सरकार की ओर से कि जो 53.40 लाख की योजनायें स्वीकृत की गई हैं उसमें कटौती की जाती है। वह केवल 25.26 लाख की करके रख दी गई। 24.90 कोटा के लिए थी, वह 10 लाख कर दी, 14.20 लाख झालावाड़ के लिए थी, वह केवल 5 5 लाख कर दी और बूंदी के लिए 14.30 लाख की थी वह केवल 5.36 लाख करके रख दी। केवल 25 लाख की योजना ढाई महीने बाद रखी, यह सौतेला व्यवहार कांग्रेस सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1979–80 में 130 लाख की योजना थी, 1980–81 में 80 लाख की योजना थी और वह 1981–82 में केवल 25 लाख की योजना। यह स्थिति वहां कर दी है इन्होंने हमारी। इसके कारण क्या हुआ? पिछले तीन सालों से, दो सालों से जो जलदाय योजनायें चल रही थीं, पूर्णता की ओर बढ़ रही थीं कोटा, बूंदी, झालावाड़ में 17 दिसम्बर को जाकर सारी की सारी योजनाओं को एक दम बन्द कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि कोटा जिले में कवाई, घनावदाशाहजी, गैंता, इटावा, दीगोद, कस्बा थाना, खातौली, इतनी योजनायें पूर्ण होने को थीं, किसी का तीसरा, किसी का दूसरा साल है सबको बंद कर दिया गया है। झालावाड़ में रटलाई, हार्टगढ़ और बून्दी जिले में, जहां से विधि मंत्री जी आते हैं, गुरली विजय नगर, खडीपुर योजनाओं को बीच में एबरप्ट बंद करके सारी स्थिति....

श्री अध्यक्ष : बून्दी वाली योजनायें किस क्षेत्र की हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनका क्षेत्र नहीं है किसी दूसरे एम. एल. ए. का क्षेत्र है इसलिए बन्द कर दी गई। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो योजनायें पूर्ण होने जा रही थीं, मिनिस्टर साहब आ गये हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वे मेरी बात की ओर ध्यान दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल कोटा जिले में बमोरीकलां, बुढ़ादीत, करवाड़, मंडावरा, पीपल्दा, जैपला, काडयानों, इन सब योजनाओं पर कार्य होने वाला था, बूंदी मे डाबी, गोटडा पर कार्य होने वाला था, पुरानी योजनायें बंद कर दी गई, नयी योजनायें शुरू नहीं हुई। पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, सारे क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में रोष व्याप्त हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे साथ? कोटा, बूंदी, झालावाड़ के साथ सौतेली मां सा व्यवहार कर रहे हैं। मंत्री महोदय, विचार करें। इस प्रकार की योजनाओं को एकदम बन्द कर देना वहां के लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार है। विकास की दृष्टि से आप कोटा, बूंदी, झालावाड़ को कहां ले जाना चाहते हैं? दीगोद से आने वाले माननीय विधायक के यहां तीन क्षेत्रीय ट्यूब

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वेल लगाने की योजना थी, सांगोद के क्षेत्र में ...

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : केवल एक योजना शुरू की है। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। लक्ष्मीपुरा एक गांव है। एक एक गांव के अन्दर पानी में फ्लोराइड है, इस पानी का प्रयोग करने से वहां के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस लक्ष्मीपुरा में....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वहां सब ठीक कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ के साथ सौतेला व्यवहार वह करें, यह कौनसी स्थिति है ? बिजली का सवाल आये, बिजली नहीं। यह क्या हो रहा है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करिये। राजस्थान आपका है, हमारा है, हम सबका मिल कर है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसमें इस प्रकार राजनीतिक आधार पर भेदभाव करना गलत है, निन्दनीय है। किसी तरह भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बाकी रह गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसका ...

श्री अध्यक्ष : आपके यहां योजना बन्द हुई है क्या ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : चार योजनायें हैं 10 हजार की आबादी है। यहां तीन ट्यूब वेल की योजना स्वीकार की थी। एक ट्यूब वेल पर काम चल रहा है। वह भी बन्द कर दिया गया आज से 20 दिन पहले। 2 ट्यूब वेल और हैं। आबादी 10 और 12 हजार की है। पानी नहीं है। उसके पास तीन मील दूर पर लक्ष्मीपुरा गांव में एक भी कुआं नहीं है, केवल एक उजाड़ नदी तीन मील दूर पर है। लोग उसके घाट से गाड़ियों में भरकर पानी ले जाते हैं। उसकी योजना थी वह भी बन्द कर दी गई। मेरा निवेदन करना यह है कि कोटा जिले में जिला योजना समिति के तहत सरकार के आंकड़ों के आधार पर 257 विलेज ऐसे हैं जहां पाले निकलते हैं। उस पाले की बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। स्वच्छ पानी की सारी की सारी योजनायें 25 गांव की बंद कर दी गईं। हम सब वहां के प्रतिनिधियों ने इस विषय में सदन का ध्यान आकर्षित किया था। बिजली बंद, पानी बंद। मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या कोटा जिले में पिछले एक साल से आयुर्वेदिक औषधालय कहीं भी खोला गया? तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि एक भी नहीं। क्या एलोपैथिक डिस्पेन्सरी कहीं खोली गई ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन कर रहा हूं। कोटा जिले में से 7 विधायक विरोधी दल के हैं इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पानी नहीं, बिजली नहीं तो ऐसा करें, कोई न कोई कानून अगर माननीय परसराम जी के पास हो तो उसके तहत 9 में से 7 विधायकों, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, को अयोग्य घोषित करा दो, सदन से बाहर निकाल दो। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। हम बोलेंगे ही नहीं। आखिर इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कोटा, बून्दी, झालावाड़ के साथ किया जाता रहे और हम टुकुर टुकुर देखते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाटर टैंक की स्कीम थी। टैंक स्कीम की टंकी बन चुकी थी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसके ऊपर सवा तीन लाख रुपये राज्य सरकार के खर्च हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : पाइप लाइन जोड़ने के लिए केवल 73 हजार की और जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारी सारी योजनायें बंद कर दी गई। जिला आयोजना समिति द्वारा स्वीकृत थीं जिसमें सब प्रकार....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, राजस्थान सरकार का कोटा, बूंदी, झालावाड़ के साथ भेदभाव का षड्यंत्र चल रहा है, उसकी बड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो हमारी योजनायें समाप्त की हैं उनको तुरन्त लागू करें ताकि दुखी लोग और दुखी नहीं हों। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके की बहुत सारी योजनायें बंद हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री हीरालाल आर्य : दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, पानी का श्राप तो शत्रु को भी नहीं दिया जा सकता मेरा तो इलाका अनुसूचित जाति का इलाका है। प्राथमिकता से उस इलाके में पानी की व्यवस्था करानी चाहिए थी। मेरे यहां पर इटावा, गैंता, खातौली आदि की नल योजनायें चल रही थीं, उन पर काम चल रहा था, टंकियां बनी हुई हैं, पाइप लाइन फिट कर दी गई हैं। उन योजनाओं को अधूरा छोड़ देने से वहां के बड़े बड़े कस्बों में पानी बन्द हो जायेगा। पीपल्दा कलां, बमोरी कलां करवाड योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं। काम शुरू होने वाला था, इनमें भी योजनायें बंद कर दी गई हैं। अयाना व लुहावद में भी स्वीकृति मिलने वाली थी। इसके अलावा मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक भी योजना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थी। मेरा इलाका शिड्यूल्ड कास्ट का है। उसको

(श्री हीरालाल आर्य)

प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहां योजना बंद कर देना बहुत अन्याय है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनको बंद कर दिया है उनको चालू करके वहां के लोगों को राहत देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थित)

आप बोलना चाहेंगे क्या ?

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : हां, थोड़ा सा, या आप जानकारी मंगवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ गई, मैंने इसको अस्वीकार भी कर दिया।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था, आप उस वक्त नहीं थे, आप बोलना चाहेंगे ?

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दीगोद के पास मांडलगढ़ तहसील में इजराय एक गांव है। पिछली 22 तारीख को महिलायें शिव पूजा की दृष्टि से गई थीं, उन पर लाठी चार्ज किया गया और प्रचार यह किया गया उसके पीछे साम्प्रदायिकता थी, साम्प्रदायिकता की बात की गई। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, आलोचना की दृष्टि से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, इजराय गांव एक ऐसा गांव है जहां पर मुस्लिमों की बस्ती ज्यादा है और हिन्दुओं की बस्ती कम है। दोनों ही सम्प्रदाय वहां पर आपस में साम्प्रदायिक सद्भाव के साथ रहते हैं। इस तरह की बात है कि रक्षा बन्धन आता है तो एक दूसरे को राखी बांधते हैं और ईद आती है तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अभिनन्दन करते हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई, इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। एक एस. पी. साहब के वहां पर आने से यह सारी घटना हुई। जब शिव पूजा की दृष्टि से महिलायें वहां पर गई, पूजा करना चाहती थीं और पूजा की दृष्टि से वे वहां पर खड़ी रहीं तब वहां पर पुलिस फोर्स गई और लाठी चार्ज किया गया। मैं सोचता था कि इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से वक्तव्य आयेगा। लगभग चालीस महिलायें थीं जिनके हाथ में बच्चे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया, टियर गैस छोड़ी गई। यह सारी बात रिकार्ड पर है। सरकार इस बात को दबाना चाहती है, मैं सोचता हूं, यह निन्दनीय है। वहां पर शिव मन्दिर और मस्जिद दोनों पड़ोस में हैं, शिव मन्दिर और मस्जिद के बीच में एक पक्का चबूतरा बना हुआ है। पुलिस ने केवल शिव मन्दिर को 143 की कार्यवाही करके पजेशन में ले लिया। मैं सोचता हूं सारे ही क्षेत्र को लेते तो इस तरह की स्थिति खड़ी नहीं होती। वहां का जो थानेदार है रजाक, एस.एच.ओ. है, वह वहां पर लोगों को भड़का रहा है और उत्तेजना फैला रहा है। लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों ने कहा तो उन पर लाठी चार्ज किया

(श्री बंसीलाल पटवा)

गया। बस स्टेण्ड के पास एक राजू माली है, उसके घर में एक लड़की थी उसकी मृत्यु हो गई। तीन महिलायें अपने आदमियों को देखने के लिये आई उनके घरों में घुस कर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यह उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे इस दृष्टि से पुलिस निष्पक्षता से व्यवहार करे। इसके साथ-साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे लगाये गये, उन मुकदमों को वापस लिया जाय और इस तरह का वातावरण बनाया जाय कि उस गांव में साम्प्रदायिक तनाव नहीं रहे। समस्त क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 145 में लेकर सद्भाव बनाया जाय जिससे कोई उत्तेजना नहीं फैले। पहले भी एक बार लाठी चार्ज हुआ तब भीलवाड़ा में हड़ताल हुई थी इसलिए इस तरह की स्थिति को समाप्त किया जाय नहीं तो अब भी वह बात हो सकती है। जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की गई उनको तुरन्त निलम्बित किया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं आपको बताऊं, इस सबके पीछे एक कांग्रेस के नेता हैं जो इस शरारत को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको रोका जाय। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो मुकदमें बनाये गये उनको वापस लिया जावे और निष्पक्षता का व्यवहार किया जावे ताकि उत्तेजना नहीं फैले, और साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव है, मैं भी....

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह तो आप भी मानेंगे कि पिछले तीन दिनों से बरसात हो रही है। सरकार की ओर से जानकारी दी जानी चाहिये कि कहां-कहां ओले पड़े, कहां वर्षा हुई और कहां पर कितनी क्षति हुई है, यह सरकार की ओर से बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास अभी सूचना नहीं होगी, लेकिन इसमें बाद में....

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट का समय....

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी चाही गई है, इसलिए बोलने की इजाजत नहीं मिल सकती। इस पर विचार हो चुका है। मैंने रिजेक्ट किया है, इस विषय को बार बार उठाने की अनुमति नहीं मिल सकती, किसी अन्य तरीके से उठायें।

श्री रामकिशोर मीणा : अन्य तरीके से क्या, अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव से तो उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बजट पर उठा सकते हैं मांगों के टाइम पर, और भी बहुत से तरीके हैं। बार बार मैं इसको उठाने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री महोदय ने कहा था पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई है,

(श्री यदुनाथ सिंह)

रिपोर्ट आने पर प्रस्तुत करेंगे, परसों एक एफ. आई. आर. लॉज हो गई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखिये, मैं वार वार इजाजत नहीं दे सकता। मैंने रिजेक्ट किया यह कह कर कि इस पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन ने व्यवस्था कर रखी है कि जब किसी माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो जाय तो उनको दो मिनट बोलने की इजाजत दी जाती है उनकी सहूलियत के लिये, जबकि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य कोई महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं, इसलिए इजाजत दी जाती है। दुबारा स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी, यह प्रश्न सदन में आ चुका है। अब कौनसा अंश आ गया और कौनसा बाकी रह गया, कौनसा यह हो गया, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो उस प्रश्न को अन्य तरीके से उठा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। यही मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है। जहां तक सम्बन्धित व्यक्ति का स्पष्टीकरण देने का सवाल है, ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं है सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, आसन ने व्यवस्था दी थी कि मन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया वह मान्य नहीं होगा। पुलिस की रिपोर्ट आने पर जानकारी दी जावे, पुलिस की रिपोर्ट....

श्री अध्यक्ष : यदि कोई इस तरह का आश्वासन दिया है तो उस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार कर लेंगे।

सन्देश

महामहिम राज्यपाल का कृतज्ञता ज्ञापन

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 27 फरवरी, 1982 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित सन्देश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :

"क्रमांक प० 12/17/राभ/82/366
मार्च 1, 1982

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 27 फरवरी, 1982 का अ० शा० पत्र क्रमांक एफ० 10/3/सदन/वि० सं०/82/8982 मिला। इस कृतज्ञता सन्देश के लिये मैं, माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ
कल्याण दत्त शर्मा"

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान राज्य में विद्युत संकट

श्री परसराम मदेरणा, राज्य में विद्युत संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (ऊर्जा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में विद्युत आपूर्ति के मुख्य स्रोत भाखरा-व्यास तथा चम्बल परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा व राजस्थान अणु विद्युत गृह से उत्पादित बिजली है। विगत तीन वर्षों से चम्बल भाखरा के बांधों के जलाशयों में लगातार पानी के भराव में कमी रहने के परिणाम स्वरूप इनसे कम विद्युत उत्पादन तथा राजस्थान में अणु विद्युत गृह की इकाइयों के बार बार लम्बी अवधि के लिए बन्द हो जाने से राज्य में विद्युत की उपलब्धि में बहुत कमी आ गई। फलस्वरूप राज्य को भयंकर विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है। माह दिसम्बर, 81 व जनवरी, 82 में राज्य में विद्युत की औसत उपलब्धि क्रमशः 107.38 व 85.30 लाख यूनिट प्रतिदिन रह गई तथा 1 से 15 फरवरी, 82 की औसत दैनिक उपलब्धि 82.19 लाख यूनिट रही। 16 से 28 फरवरी तक औसत उपलब्धि 10 लाख यूनिट प्रतिदिन रही है। राज्य की अप्रतिबन्धित (अनरेस्ट्रिक्टेड) दैनिक अनुमानित मांग 190 से 220 लाख यूनिट बीच है।

विद्युत की उपलब्धि मांग के अनुरूप नहीं होने पर विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं पर प्रतिबन्ध/कटौतियां लगाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। चूंकि रबी की फसल के दौरान कृषि हेतु अधिकतम विद्युत उपलब्ध कराना राज्य के व्यापक हित में था, अतः इसको प्राथमिकता देते हुए अन्य उपभोक्ताओं पर, जिनमें औद्योगिक उपभोक्ता भी शामिल है, समय-समय पर आवश्यक कटौतियों/प्रतिबन्ध लगाये गये। कृषि हेतु माह दिसम्बर 81 में 5 से 7 घंटे तथा जनवरी, में 82 5 घण्टे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराई माह फरवरी में दिनांक 21 तक 4 से 5 घण्टे प्रतिदिन बिजली दी गई। दिनांक 16-2 82 की रात्रि से राजस्थान अणु विद्युत गृह की प्रथम इकाई से उत्पादन आरम्भ होने से विद्युत उपलब्धि में मामूली सुधार हुआ। अतः दिनांक 22.2.82 से अब प्रदेश में कृषि हेतु 6 घण्टे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड में विद्युत उपलब्धियों में सुधार होने के फलस्वरूप रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के विद्युत सप्लाई की जावेगी। यह व्यवस्था दिनांक 1-3-82 की रात्रि से लागू की गई है और जब तक सुधार की स्थिति बनी रहती है, जारी रहेगी। जहां तक औद्योगिक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, लघु उद्योगों (25 हार्स पावर तक सम्बद्ध भार) पर कोई कटौती/प्रतिबंध अक्टूबर, 81 से दिसम्बर, 81 तक नहीं लगाया गया। 1 जनवरी, 82 से लघु उद्योगों को 8 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसे लघु उद्योग जो ग्रामीण लाइन (फीडर) से जुड़े हुए हैं उन्हें रूरल स्टेगरिंग प्रोग्राम के अनुरूप ही बिजली दी जाती है। मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं पर नवम्बर, 81 के बाद कृषि हेतु बिजली की मांग बढ़ जाने से कटौती लगानी पड़ी जो कुछ समय 70 से 100 प्रतिशत तक भी रही। बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं पर

(श्री परसराम मदेरणा)

भी भारी कटौती लागू करनी पड़ी जो कुछ समय तो 70 से 100 प्रतिशत तक रही। राज्य सरकार को सतपुड़ा से अपने हिस्से की बिजली पूरी तरह नहीं मिल पा रही है। जबकि राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर में उत्पादित सम्पूर्ण बिजली का उपयोग राजस्थान करता रहा है, गांधी सागर में उत्पादित बिजली मध्य प्रदेश काम में ले रहा है। कुछ बिजली कभी कभी मध्य प्रदेश अपनी सुविधानुसार रेडियल फीडर्स से राजस्थान को उपलब्ध करा देता है। सतपुड़ा से अपने हिस्से की पूरी बिजली लेने के लिये मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल एवं मध्य प्रदेश सरकार से विभिन्न स्तरों पर अनेक बार बातचीत हुई है। राज्य सरकार इस ओर पूर्ण जागरुक है तथा सतपुड़ा से अपने हिस्से की पूरी बिजली लेने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। माह अप्रेल में कृषि की मांग कम होने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली में सुधार होगा। राज्य में बिजली की उपलब्धि बढ़ाने हेतु कुछ नई योजनायें निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1982 में कोटा ताप बिजली घर की दोनों इकाइयां चालू हो जाने पर इनसे 220 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध होगी। सिंगरोली सुपर थर्मल पावर स्टेशन से भी 53 मेगावाट बिजली वर्ष 1982–83 में मिलने की संभावना है। वर्ष 1983–84 में माही बजाज सागर परियोजना से 25 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो सकेगी। पलाना थर्मल परियोजना के लिये जर्मन जनवादी गणराज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस योजना से 120 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य सरकार केन्द्र व पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है पर वहां भी बिजली की कमी होने से नियमित आधार पर कोई सहायता नहीं मिल पाती। उपलब्ध बिजली को सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता व राज्य के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाते हैं।

(1·7 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी(कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को आद्योपांत सुनने के बाद में मैं तो कम से कम इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पष्ट अनुमानों को लेते हुए केवल मात्र राज्य सरकार की खाली बैठक का कुप्रयास उन्होंने किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय ने सतपुड़ा से बिजली लेने की चर्चा की, वहां 1982–83 में सिंगरोली योजना से 53 मेगावाट बिजली लेने की बात कही है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, अभी-अभी प्रधान मंत्री के द्वारा उद्घाटन करने के पश्चात् जो पहली यूनिट चालू हो गई, जिसमें 57 मेगावाट बिजली बनती है, यह सुपर थर्मल पावर यूनिट है, यह बढ़कर धीरे-धीरे 1500 मेगावाट यूनिट तक पहुंचेगा जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

440 के.वी. लाइन जो कानपुर से जयपुर के बीच लगनी है जिसके माध्यम से वह सारी बिजली राजस्थान को लेने की बात होगी, 1982–83 की चर्चा करके उन्होंने कहा 57 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध होगी। माननीय मंत्री महोदय ने यह चर्चा की है, उनके वक्तव्य से इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सका। 17 मेगावाट आज जो हमारा हिस्सा है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 17 मेगावाट उस 440 के लाइन के कारण जो इस प्रकार परिस्थिति है । बीच में जरूर कह गये कि उत्तर प्रदेश से थोड़ी बिजली भरतपुर में ले रहे हैं। वह केवल मात्र सैल के आधार पर लेने की प्रक्रिया है, वह हमारे हिस्से की नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं सतपुड़ा की चर्चा करना चाहूंगा। एक तरफ राजस्थान में हालत यह है कि किसान विद्युत का प्यासा है। लघु उद्योग के मजदूरों की भी चर्चा करूंगा, उसके बारे में सवाल पूछना चाहूंगा। सतपुड़ा से बिजली के बारे में विधान सभा सत्र के समय इसी विधान सभा में घोषणा की गई थी। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यहां से गये थे, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री महोदय से बातचीत हुई व उन्होंने इस बात की हां भी भरी है कि राजस्थान का जो सतपुड़ा का हिस्सा है वह सतपुड़ा से मिलने वाला हिस्सा लगातार मिलता चला जायेगा। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस सत्र से लेकर इस सत्र तक के बीच की अवधि में जो हमारे करीब 50 मेगावाट का हिस्सा बनता है वह प्राप्त नहीं हुआ या नहीं ? केवल केलकूलेशन की चर्चा करेंगे, गांधीनगर से ला रहे हैं, सतपुड़ा से ला रहे हैं, रावत भाटा और जवाहर सागर की बिजली ले रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं। कितनी हम पैदा कर रहे हैं, कितनी उनके हिस्से की है, कितनी हमारे हिस्से की बन रही है उसके केलकूलेशन के आधार पर हमको मिलने वाली बिजली है जो, मिलनी चाहिये, मेरा आरोप है, उसको लेने में राज्य सरकार नाकामयाब सिद्ध हुई है, अकर्मण्य सिद्ध हुई है, अपने प्रदेश का हिस्सा लाने में नाकामयाब रही है।

राजस्थान का काश्तकार मर रहा है, लघु उद्योग वाला मर रहा है, कारखानेदार मर रहे हैं, मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, तालाबंदी की जा रही है, ले-आफ किया जा रहा है, किशनगढ़ से पावरलूम उठकर बाहर चले जा रहे हैं। ऐसा कौनसा वक्तव्य मन्त्री महोदय दे रहे हैं कि जिस वक्तव्य में किसी प्रकार की दिशा देने की और कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वयं ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारी आवश्यकता 220 लाख यूनिट्स की रही है और मिला अभी भी कितना ? 80 लाख यूनिट। मन्त्री महोदय ने कह दिया कि हमने लघु उद्योगों में कोई कटौती नहीं की। फिर कहा गया है कि स्थान-स्थान के हिसाब से रूरल फीडर्स के आधार पर, अर्बन फीडर्स के आधार पर कुछ सिद्धांतों को फॉलो करने की कोशिश की है। मेरा आरोप है कि 8 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, 4-4 घंटे नहीं, तीन-तीन घंटे बिजली लघु उद्योगों को मिली है। कभी कह दिया फीडर लाइन से बिजली नहीं आई, कभी कह दिया हमारा हिस्सा वहां से नहीं आया, लाइन पकड़ में नहीं आई, कभी लोड में डिफेक्ट हो गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इन कारणों से यह एवरेज आकर पड़ता है। इसलिये राजस्थान के मुख्य मन्त्री को दौरा करना पड़ता है। जगह जगह चाहे भीलवाड़ा चाहे जोधपुर, घोषणा करनी पड़ी कि लघु उद्योगों का न्यूक्लस बांध बनेगा, न्यूक्लस बांध की चर्चा है, 60 करोड़ का न्यूकलस बांध। कहां है पैसा? किसके पास पैसा है? उन स्थानों पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बाद कूलिंग अरेंजमेंट्स के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। यह सामान्य छोटे-छोटे कारखाने प्रारम्भ करना चाहते हैं लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और न्यूक्लस बांध की घोषणा कर रहे हैं जोधपुर और भीलवाड़ा में। 30 साल की योजना की चर्चा तो कर लेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोटा का थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना है कुछ लोगों की लगातार जिद के कारण बना है, लगातार पर्स्यूएशन के कारण, लगातार मॉनीटरिंग के कारण प्रयास प्रारम्भ हुआ। कहां गई 31 मार्च, 1980? कहां गई 31 मार्च, 1981? कहां गई 31 मार्च, 1982? मन्त्री महोदय वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हैं कि 31 मार्च, 1982 को 110 मेगावाट कहां से आ जायेगी। अभिभाषण में गोल, अभी वक्तव्य में गोल, चिकनी चुपड़ी बात। वाह मन्त्री महोदय, बात बड़ी चतुरता और बड़े तरीके से करते हैं। लोगों को चाहिये बिजली मांग रहे हैं बिजली।

मॉनीटरिंग के लिये जनता पार्टी के राज में सब कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत से बिजली मन्त्री के नाते मैंने कहा, नहीं इसी स्थान पर होगा, जो होगा देखा जायेगा इसलिए हुआ। 60 करोड़ की चर्चा की थी और 10 करोड़ मुश्किल से दिया है, रो रो कर पैसे दे रहे हैं, इस प्रकार की कोशिश हो रही है। मैंने पिछली बार आरोप लगाया था अब भी कहना चाहता हूं केटेगरिकली मुख्य मन्त्री इस बात को कहने की स्थिति है कि 31 मार्च 1982 को कामर्शियल पर्पज के नाते उसमें प्रॉडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। हां, पंचायतों के चुनावों को प्रभावित करने के लिए कोटा जिले में लाने की बात जरूर की जाएगी, बाइलर लाइटर का नाटक जरूर किया जाएगा, चालू नहीं हुआ। केवल डीजल के आधार पर बाइलर लाइटर में लाखों रुपयों का नुकसान करा दिया, मुख्य मन्त्री ने कोटा में डाला था। पंचायत समितियों के चुनाव को प्रभावित करना था, बारां पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, प्रभावित करना था, बीच में कुछ न कुछ कहने को कह दिया। कहा गया कि कोटा में बाइलर लाइटर लग गया, डीजल जल रहा है। 30 पर्सेन्ट डीजल का आधार होगा 70 पर्सेन्ट कोयले का आधार होगा। क्या रेलवे लाइन कम्पलीट हुई है? क्या उसका सर्वे हुआ है? सब प्रकार की फार्मेलिटीज पूरी हो गई हैं? कुछ नहीं। इसलिए मन्त्री महोदय ने सारे भाषण में 31 मार्च, 1982 को गोल कर दिया है। गोल होने का सवाल कहने की स्थिति में नहीं। मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री को बिजली की आवश्यकता के लिए। राजस्थान में वातावरण बना था और दूर-दूर से राजस्थानी आ रहे थे, नये नये यूनिट्स लेकर आ रहे थे। आज बिजली की कमी है, सारी बातों के आधार पर किस प्रकार से स्थिति पनप रही है, मैं चर्चा नहीं करना चाहता।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जरूर करना चाहूंगा कि राजस्थान के हजारों किसान ऐसे हैं जिन्होंने एक एक वर्ष तक 4 हजार से 5 हजार रुपये तक जमा करा रखे हैं, बिजली बोर्ड के पास बिजली कनेक्शन लगाने के लिये एल. फार्म पड़े हैं। अब प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई, विधान सभा सत्र शुरू हो गया इसलिए, 15 दिन पहले से प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरा आरोप है। ऐसे किसान हैं जिनके 4 हजार से 5 हजार एक एक दो-दो वर्ष तक बिजली बोर्ड के पास पड़े रहे उनको बिजली नहीं दी गई, उनके कुओं पर बिजली नही लगाई गई। क्या स्थिति बन गई? कौनसी स्थिति बनती चली जा रही है। यह तो भगवान की कृपा हो रही है कि थोड़ी सी बरसात होती चली जा रही है और किसानों के खेत की प्यास लगातार मिटती चली जा रही है वरना हालत ऐसी हो जाती जिसका कुछ कहना नहीं। जहां बरसात नहीं हुई है वहां ऐसी हालत है कि किसान बेहाल हैं पानी मिलता नहीं, रात के अन्दर मिलता है। बड़ा गोलमाल करके मन्त्री महोदय ने कहने की कोशिश की, रात को 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोई कटौती नहीं करते। बहुत अच्छी घोषणा है। जनवरी और दिसम्बर के महीनों में कड़कती सर्दी में घरबार छोड़ कर किसान खेत को पानी देने के लिए जाय और जाने के बाद डिफेक्ट होने से बिजली बन्द हो जाय, घंटों तक अव्यवस्था रहे। बिजली की चोरियां हो रही हैं, वह नहीं पकड़ी जा रही हैं, ठीक डिवीजन नहीं हो रहा, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह वक्तव्य तो ढकोसला है, इसमें स्पेसिफिक बात नहीं कही गई है। मैंने अनुत्तरित प्रश्न यहां खड़े किये हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय दुबारा जवाब दें, केटेगारिकली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कहें। न्यूक्लस प्रोजेक्ट की चर्चा की। आपने उसके बारे में कहा कि सतपुड़ा और सिंगरोली से बिजली जो मिली है उसको लाने के लिए 440 के. वी. लाइन, जिसकी मैंने चर्चा की है, की चर्चा करें, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करें, जनरेशन ठीक करें, ट्रांसमिशन ठीक करें, पैसा उपलब्ध करायें। मुझे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी मिलते हैं, कहते हैं ललितजी क्या करें आपका जमाना था पैसा जितना चाहते थे मिलता था निर्माण करने के लिये आज राज्य सरकार कुछ नहीं करती, नाक रगड़ते हैं तो भी नहीं मिलता है, यह उनका आरोप है। हजारों रुपये की क्या बात है। कोटा थर्मल पावर प्लांट की स्थिति बता सकता हूं। हालत आपने यह कर रखी है कि वे विकास करना चाहते हैं, उनकी क्षमता है, योग्यता है, विकास चाहते हैं किन्तु उनको पैसा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। कैसे करायेंगे? सरकार दिवालिया है, ओवर ड्राफ्ट के कारण विकास कार्य नहीं हो रहे और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भूखा मर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अनुत्तरित रह गये, मन्त्री महोदय, दुबारा जवाब दें तथा उन बातों का उत्तर देने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : एक एक का जवाब देना ठीक होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : यह माकूल व्यवस्था नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो बयान दिया है, टिप्पणी की है वह करीब-करीब सभी महानुभावों की तरफ से की जायेगी ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक सदस्य ललित किशोर चतुर्वेदी ने जो भी मुद्दे उठाये उनका उत्तर मन्त्री महोदय दें दें फिर उसके बाद दूसरा सदस्य जानकारी करें तो ठीक रहेगा ताकि रिपीटिशन न हो ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री नोट करते रहेंगे और एक बार जवाब देंगे ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खांरची) : यह घनश्याम तिवाड़ी है, घनश्याम जैन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नीचे से नाम ले रहा हूं । हां ठीक है, घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी ने यह कहा कि सिंगरोली से बिजली प्राप्त हो जायेगी, यह बात बिलकुल गलत कह रहे हैं । राजस्थान गवर्नमेंट जो सिंगरोली से 440 के०वी० की लाइन लाने की बात कर रहे हो इनके पास पैसा कहां है ? दूसरा, जो भी पैसा दिया गया था उसको तो इन्होंने दूसरी जगह पर ट्रान्समिशन लाइन पर लगा दिया । जहां पर बिजली आनी चाहिये थी वहां पर आज कुछ नहीं है, सिर्फ खम्भे खड़े हुए ये कहीं कहीं पर वह भी अब नहीं हैं । इसके अलावा बिजली आने में कम से कम तीन साल तक लग जायेंगे यानि सन् 85 तक यह बिजली नहीं आ सकती । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सिंगरोली से बिजली लाने की बात कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत है ।

इसके अलावा एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सीकर में तीन हजार एप्लीकेशन्स बिजली की आई थीं, लोगों ने डिमाण्ड नोटिस दिये और पैसे भी जमा करा दिये थे, एल. फोर्म भी जमा करा दिये पर आज डेढ़ साल हो गया है कोई उन लोगों को बिजली नहीं दी गई है । इसके अलावा वहां पर बिजली की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, आज लोगों को बिजली के कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं । कहा यह जाता है कि लोगों को गांवों में पांच पांच घण्टे बिजली दी जा रही है पर सही मायने में लोगों को दो तीन घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है । फिर भी वहां के लोगों से मिनिमम चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं । मेरा यह निवेदन है कि जितने घण्टे बिजली दी जाय उतने ही घण्टों के पैसे लिये जाने चाहिये । यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि बरसात आ गई और फसल को पानी मिल गया वरना वहां पर पानी के लिये लोग आन्दोलन करते । उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के नाम पर राजस्थान में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

घोर अव्यवस्था है। माननीय ऊर्जा मन्त्री, परसराम जी मदेरणा ने यहां पर कहा कि गांवों में किसानों को बिजली दी जा रही है लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसानों के बच्चे उद्योगों में काम करने जाते हैं तो कारखानों में बिजली नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, सीकर में पीने के पानी की स्थिति बड़ी विकट हो गई है, कुओं में बिजली नहीं आने के कारण पानी ऊपर आता नहीं है। यह स्थिति केवल न सीकर में ही है अपितु सारे राजस्थान में ही यह स्थिति हो रही है। यहां पर जैसा कि अभी परसराम मदेरणा जी ने कहा कि हम उद्योगों को और किसानों को रात को दस बजे से लेकर पांच बजे तक बिजली देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उद्योगों को बिजली बहुत कम मिल रही है। मैं तो कहूंगा कि कहीं कहीं पर तो बिजली बिलकुल ही नहीं आ रही है। इसका कारण है कि बिजली राजस्थान में नहीं है। जो लोग बाहर से यहां उद्योग लगाने के लिये आये थे वह वापस अपना सामान उठाकर राजस्थान के बाहर चले गये। इस प्रकार आज उद्योगों का भी सर्वनाश हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मन्त्री ने जो यह कहा कि बिजली दी जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर बिजली दो तीन घण्टे जो भी आती है उसमें भी बीच बीच में बिजली ट्रिपिंग करती है। इसके अलावा जहां पर बिजली की बात करते हैं वहां मीटर तो लग जाते हैं पर फैक्ट्री नहीं चल रही है। इस प्रकार आज राजस्थान में लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर काम करते हैं उनके कारखानों में बिजली नहीं मिलने के कारण आज ले आफ हो रहे हैं। लोगों को मजदूरी के लिये काम नहीं मिलता है। देश में उत्पादन का भट्टा बैठ गया है यह सब राजस्थान सरकार की वजह से हुआ है। आज राजस्थान सरकार का दिवाला निकल गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि उद्योगों को, किसानों को बिजली मिलनी चाहिये। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप पड़ोसी राज्यों से बिजली लेकर यहां के उद्योगों को चलावें, किसानों को बिजली दें। एक बार जब जनता पार्टी के समय में महाराष्ट्र में बिजली का संकट आ गया था तो हमने रात में बिजली उनको दी थी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि यह उनका दायित्व है कि वह चाहे मध्य प्रदेश से बिजली लावें, चाहे हरियाणा से बिजली लावें और चाहे दिल्ली से बिजली लावें कहीं से भी लाकर बिजली सप्लाई करें ताकि लोगों को राहत मिले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बिजली राजस्थान में प्राप्त नहीं हो सकती। आपने कहा कि हम 50 प्रतिशत लोगों को बिजली दे देंगे। मैं कहता हूं कि आप 25 प्रतिशत भी बिजली राजस्थान के लोगों को उपलब्ध नहीं करा सके। बड़े शर्म की बात है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार कहीं से भी बिजली लावे वरना समय निकल रहा है और बिजली के बिना राजस्थान का उद्योग और किसान सभी बर्बाद हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था। मेरा नाम आपने नहीं पुकारा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप बोलना नहीं चाहतीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह घनश्याम जैन के चक्कर में रह गई हैं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की कितनी कमी है इसके बारे में अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा। माननीय मन्त्री महोदय ने जो सदन में स्टेटमेंट दिया है उसमें महज आंकड़े ही दिये हैं। उन्होंने राजस्थान की बिजली की जो हकीकतन हालत है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहूंगी पिछले महीने की 17 तारीख को जब मैं करीब 500 किसान को साथ लेकर दोपहर को माननीय विद्युत मन्त्रीजी के बंगले पर गई थी उस समय उन्होंने कहा कि अभी मुझे शिवरिंग हो रहा है। यह कहला भेजा। मैं उनको इसलिए याद दिलाना चाहती हूं कि अगर उनको दोपहर को शिवरिंग होती है तो उन आदमियों की हालत क्या होगी जो रात के बारह बजे अपने बाल बच्चों को छोड़कर खेतों पर खड़े रहते हैं ? आप उनका अन्दाजा लगाइये कि किस तरह से काश्तकार अपने खेतों में बिजली के लिए खड़े रहते हैं। उस पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पूरे समय तक नहीं मिलती नहीं। गांव के काश्तकारों से बिजली के राज्य विद्युत मण्डल मिनिमम चार्जेज वसूल करता है जबकि उतने घंटे बिजली आती ही नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विद्युत मन्त्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि आज जो राजस्थान में बिजली मिल रही है वह पर्याप्त नहीं मिल रही है। इसलिए मैं यह ऊर्जा मन्त्रीजी से कहना चाहूंगी कि आप यह जो फ्लेटरेट पर बिजली के चार्जेज ले रहे हैं उनको बन्द किया जाय क्योंकि आप इतनी बिजली दे नहीं रहे हैं। आप उतने ही पैसे काश्तकारों से वसूल करें जितनी आप उनको बिजली सप्लाई करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं खड़ा हो जाऊं ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप तैयार होकर नहीं आते हैं ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई सूचना ही नहीं थी कि आज मुझे बोलना भी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी पहले सूचना नहीं दी गई थी कि मुझे बोलना है। मैं अभी बोल लेता हूं मेरे पास कागजात हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरे क्षेत्र तक ही सीमित था क्योंकि मेरे क्षेत्र वालों के वोट से मैं यहां आया हूं। यहां मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की तकलीफों को उजागर करना है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपने पाइन्ट पर आ जावें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप शायद मेरे से विशेष नाराज हैं, मेरे क्षेत्र वालों से आप नाराज हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेरे निर्वाचित होने के बाद उस क्षेत्र के अन्दर मैंने कई बार सहायक अभियन्ता के कार्यालय में जाकर इस बात की जानकारी चाही कि कितने आपके पास किसानों के प्रार्थना पत्र आये हुए हैं और कितनों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, कितने मकानों के लिये प्रार्थना-पत्र आये हुए हैं और कितनों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और अन्य कितने प्रकार के कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र आये हैं। तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में 815 एग्रीकल्चरल के फार्म जमा हैं और उन्हें कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, कम से कम 2200 मकानों की फाइलें तीन-तीन साल से जमा हैं, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 75 प्रतिशत फाइलें हैं जिनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। अब यह कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये हैं, उपाध्यक्षजी, इसका एक-मात्र कारण यह है कि नीचे के तबके के जो सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता हैं मैं उनसे बात करता हूं कि यह लोग मुझे बार-बार लिख रहे हैं कि इन्हें कनेक्शन दो तो वह एक ही बात कहते हैं कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं चीफ इन्जीनियर और चेयरमैन वह हमको मैटीरियल नहीं भेजते हैं मीटर नहीं भेजते हैं। मैटीरियल और मीटर समय पर मिल जाय तो मैं कहता हूं कि शायद उनको कनेक्शन मिल जाय।

उपाध्यक्ष जी, 1979 से डिमाण्ड राशि भरी हुई है किन्तु 89 कृषि के कनेक्शन आज भी मेरे क्षेत्र खारची तहसील में बकाया हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र के अन्दर आर. आई. एम. डी. सी. ने इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया है। लोग-बाग इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं लेकिन बिजली की भारी समस्या को देखते हुए इण्डस्ट्रीज लगाना दूर अपने प्लाट्स बेचने के लिए वहां बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि 210 लोगों ने लघु उद्योगों के लिए वहां पर प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं, उनको दो साल हो गये हैं किन्तु वह फाइलें जहां की तहां पड़ी हैं। 200 दुकान वालों ने, व्यावसायिक धन्धा करने वालों ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन की अर्जियां जमा करा रखी हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिले। इसी प्रकार से 25 अर्जियां मिक्स्ड लोड के लिए दी हुई हैं। तो मेरे क्षेत्र के बारे में मेरा निवेदन था कि वहां एक ही समस्या है कि न तो मीटर सप्लाई होते हैं और न सामान ही सप्लाई होता है। पैसा जमा करने के बाद फाइलें लेकर एक सहायक अभियन्ता,

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

एक अधिशासी अभियन्ता बैठ जाते हैं, 20-25 बाबू बैठ जाते है और उनकी गाड़ियों में पैट्रोल जलता रहता है। क्या हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी कि वहां सामान भेजने का काम करें या केवल उनके पास यही काम है कि वह केवल फाइलें ही समेटते रहें। बिजली जितनी आई चाहे 4 घंटे आई या 6 घंटे आई, बिजली जितनी आई है उनको दी जाय लेकिन जो अर्जियां जमा कराते हैं, जो कनेक्शन मांगते हैं उन्हें तो कनेक्शन दीजिये। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज आप इसका जवाब दें तो इस बात का आश्वासन दें कि कनेक्शन के लिए आप कब तक कितना सामान और मीटर भेज देंगे ताकि मैं जनता को जाकर कह सकूं कि कितने कनेक्शन बाकी हैं उनके लिये इतने मीटर इतने समय में आ जायेंगे ताकि आपके कनेक्शन हो सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बोल लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह : जान बूझकर गायब किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सी. पी. जोशी

एक माननीय सदस्य : यह बोल लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी। बोल चुके हैं आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मान्यवर, स्थगन प्रस्ताव मेरा था, आपने मेरा नाम आखिर में पुकारा, बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार पर आरोप जब यहां लगाये जा रहे थे कि इन्होंने हमारे राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं की, मुख्य मन्त्रीजी कहने के लिए आये कि हम तो बड़े हितैषी हैं। आज खुद मंत्री महोदय, कह रहे हैं कि हम सतपुड़ा से, माही से और दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे प्रदेशों से बिजली लाने में असमर्थ रहे हैं। इस असमर्थता का बयान स्वयं मुख्य मन्त्री करते तो यह लोग तालियां नहीं पीटते झूठी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं कहना चाहूंगी कि मजदूर बेकार हैं और यह कह रहे हैं कि छोटे उद्योगो के लिए हमने कटौती नहीं की। मेरे क्षेत्र के दस हजार छोटे छोटे उद्योग वाले जो नगीना तराशी से अपना पेट भरते हैं माननीय तकीउद्दीन जी गये तो ट्रान्सफार्मर खुलवाया, मैं गई तो खुलवाया लेकिन हुआ क्या ? बाकी मजदूर लोग बर्बाद हो रहे हैं। इनको लिस्ट दी गयी कि यहां यहां और खोलिये और इन्होंने आज तक नहीं खोले। हां, एक इन्होंने चमत्कार जरूर दिखाया 19 तारीख को जिस दिन हड़ताल थी उस दिन। दिन, रात बिजली और पानी इन्होंने दिला दिया मान्यवर, एक ओर वह यह कहते हैं कि हड़ताल नहीं करें और दूसरी ओर कारखानों को बिजली नहीं देते। सारा औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद पड़ा हुआ है। खेतों में यह हालत है कि 2 घंटे भी बिजली नहीं देते। आये दिन मेरे क्षेत्र के भी लोग यहां बंधे पर, बंध की घाटी पर पाइप लाइन तोड़ने के लिए आते हैं और इनको भुगतना पड़ता है। वह कहते हैं कि बिजली नहीं दोगे तो हम आपको पानी नहीं देंगे। यह जनता में असंतोष फैलाने के लक्षण हैं। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मैं दुबारा कहूंगी कि बिजली न छोटे उद्योगों को दे रहे हैं और न बड़े उद्योगों को दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनकी जेबें भर देते हैं उनको यह बिजली दे रहे हैं। बिजली कहां दी जाती है ? नुमाइशों को। फोक्स लगाये हैं शहर में जगह जगह, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली की बिलकुल कमी नहीं है। जिधर जिधर से मन्त्री महोदय गुजरते हैं उधर ही बिजली दिखाई देती है। इनके बंगलों पर बिजली चौबीसों घंटे जलती है। इस तरह की सुविधा जब इनको दी जाती है तो इन्हें कैसे अंधेरा दिखाई देगा, इन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि गांवों में बिजली नहीं है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। दो साल में मेरे क्षेत्र में 15 हजार कनेक्शन इन्होंने नहीं दिये। सुनेल के पास में मालपुर डूंगर चौड है उसी पंचायत का एक गांव है जो एक फर्लांग पर भी नहीं है वहां पर खम्भे लगे खड़े हैं और कनेक्शन केवल दिये जाने की देर है, विद्युतीकृत एरिया है लेकिन इन्होंने कनेक्शन नहीं दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और सीमेंट की फैक्ट्रियां बन्द होने का कारण है सारे काम बन्द हो जाने हैं निर्माण के। मेरे यहां गटर लाइन खोल कर पटक दी, कहते हैं कि जब तक सीमेंट नहीं मिलेगी तब तक यह खड्डे पड़े रहेंगे, गटर लाइन खुली पड़ी रहेगी, लोग गिरेंगे और मरेंगे। उधर छोटी छोटी चक्कियां बन्द, छोटे छोटे उद्योग बन्द, किसान बर्बाद मजदूर बर्बाद, आम आदमी परेशान, एक्सरे की मशीनें बन्द, फोटोस्टेट की मशीनें बन्द– मैं कहना चाहूंगी कि कर क्या रहे हैं, मन्त्री महोदय ? अगर आप विद्युत उपलब्ध नहीं करा सकते तो इस तरह से सीधे सीधे कहिये। हम चाहेंगे कि मन्त्री महोदय यहां पर कहें कि मेरा विभाग इस बारे में अक्षम है। लेकिन आप अपने आपको सक्षम भी नहीं बताते और सक्षम भी नहीं बताते। मुझे एक बात याद आती है—मेरा औसत ज्यों का त्यों, पूरा कुनबा डूबा क्यों। एक मन्त्री महोदय थे ऐसे ही जैसे ये निकल गए

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नदी के सहारे सहारे और वह देखते जाते थे कि नदी में कितना पानी है। औसतन पानी इतना था कि उनका कुनबा नहीं डूबता था। पहला गया तो वह डूबा, दूसरा गया वह डूबा, तीसरा गया वह डूबा। अन्त में वह कहने लगे कि मेरा औसत ज्यों का त्यों है फिर भी पूरा कुनबा डूबा क्यों। इस तरह से आप यहां भी औसत बता रहे हैं। लेकिन बिजली आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय, यह बहुत ही दुख की बात है।

मैं कहना चाहूंगी कि समय रहते आप मजदूरों को बिजली दीजिए, कारखानों की बिजली दीजिए, छोटे उद्योगों को बिजली दीजिए। और दिक्कत है, विधान सभा के प्रस्ताव से माननीय इन्दिराजी के पास जाइये। आप सच्चे हैं तो वह दूसरे प्रदेशों से बिजली दिलवायेंगी। हमको तो बिजली चाहिए आपके यह आंकड़े नहीं चाहिए। खेतों में हम जायं तो हमें बिजली चाहिए, कारखानों में हम जायं तो बिजली चाहिए। छोटे छोटे मेरे यहां कारीगर हैं, मैं कहना चाहूंगी कि पीतल की नक्काशी का काम करते हैं, छपाई का काम करते हैं यह सब बिजली के ऊपर आधारित हैं, मान्यवर। वह कहां से कर्ज चुकायेंगे? सब लोगों ने कर्जा लेकर काम किया है। मैं कहना चाहूंगी कि उनके लिए क्या कर रहे हैं? यह आंकड़े ले आये उससे मतलब नहीं है। समस्या का समाधान क्या है? आप समाधान कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह दीवान,

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का संकट इस साल तो है ही परन्तु जिस तरह का मुख्य मन्त्री जी ने अपने गवर्नर के एड्रेस पर हुई बहस के जवाब में कहा, पता नहीं कब तक यह बिजली का संकट चलता ही रहेगा। इस बाबत सरकार क्या योजना निकाल रही है इसका हमको पता नहीं है। किसानों के पास जब जाते हैं तो वह पूछते हैं कि यह संकट इसी साल रहेगा या आगे के लिये कुछ हम करें। करीब करीब सभी किसानों ने जो भी पैसा उनके पास बकाया था, जो बचा था उस सबसे डीजल इंजिन खरीद लिये सभी उस मंहगे भाव के डीजल, जो विदेशों से आयात किया जाता है, को काम में ले रहे हैं। सरकार कहती है कि मार्च, 82 में थर्मल पावर स्टेशन का पहला फेज तैयार हो जायेगा। मैं पक्का कह सकता हूं कि अक्टूबर के पहले किसी भी हालत में इस पावर स्टेशन से कामर्शियल प्रॉडक्शन चालू नहीं हो सकता है। अगर अक्टूबर, 82 में यह चालू हो जाता है तो इसी का जो दूसरा फेज है वह कब चालू होगा? इसका भी कोई पता नहीं है। दूसरे जो कोल हैण्डलिंग प्लान्ट लगने वाला था जिसके बिना कोई भी विद्युत स्टेशन चालू नहीं हो सकता है उसका अभी तक कोई पता नहीं है। जो इसके कन्सलटेन्ट हैं वे ही दूसरे नाम से यह प्लान्ट सप्लाई कर रहे हैं और बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा है, किस हिसाब से काम कर रहा है।

जो इसके कन्सलटेंट बनाये गये हैं, उनकी भी बिलकुल पॉलिटिकल डिसीजन

(श्री माधवसिंह दीवान,)

लेकर नियुक्ति हुई है। जो मेयर है दिल्ली में उनके ही रिश्तेदार यहां पर कन्सलटेंट बना दिये गये हैं। उनको कोई भी तजुर्बा नहीं था। उनको कन्सलटेंट बनाकर सारे राजस्थान में ऐसी भयंकर स्थिति पैदा कर दी है जिससे उद्योगों और कृषि को नुकसान हो रहा है।

अब जो सैकण्ड स्टेज है, उसका कन्सलटेंट सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी का है। जो प्राइवेट लिमिटेड है वे कन्सलटेंट बनकर आने की कोशिश कर रहे है और पूरा दबाव पॉलिटिकली लगा रहे है ताकि उनको कन्सलटेंट बना दिया जाय। अपने टेण्डर देकर वे अलग-अलग पार्टियों के नाम से काम शुरू कर रहे हैं।

पश्चिमी राजस्थान के संकट को कम करने के लिये जोधपुर में 220 के. वी. का स्टेशन लगना था पर दुख की बात है कि अभी तक उस स्टेशन के लिये जमीन ही एक्वायर नहीं हो पाई है। जब जमीन ही सब-स्टेशन के लिये एक्वायर नहीं हुई है तो सब-स्टेशन का काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा? यह विद्युत संकट उस एरिया में, मैं समझता हूं, अगले 3-4 सालों तक वैसा का वैसा ही कायम रहेगा। अनूपगढ़ में हाइडल पावर स्टेशन के लिये प्लानिंग कमेटी ने जून, 80 में सैक्शन दे दी थी पर अभी तक न तो स्टाफ ही वहां लगाया गया है और न ही कोई काम किया गया है। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैसा देने को तैयार है तो यह लाइन क्यों नहीं सरकार तैयार करती है ताकि यह काम टाइम पर शुरू हो जाय। फलाना स्टेशन के लिये विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारी जर्मनी घूम आये हैं और क्या करके आये हैं, उसका कोई पता नहीं है। क्या काम होगा और कब तक होगा? नये जनरेटिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये एक एडीशनल चीफ इन्जीनियर की पोस्ट थी कि कहां-कहां पर जनरेटिंग स्टेशन लगाये जा सकते हैं, कहां-कहां पर चान्सेज हैं, कहां चान्सेज बनाये जा सकते हैं, वह पोस्ट भी अबोलिश कर दी गई है। पता नहीं उनको कहां लगाया गया है। मुझे जरूर आशंका है, इस राज्य का सारा आधार विद्युत पर हैं यदि जल्दी ही कोई चीज नहीं की गई तो नये उद्योग राजस्थान में नहीं लग पायेंगे। जो लगे हुए हैं वे उद्योगपति भी सोचते हैं कि राजस्थान के बाहर ले जायें। इससे भविष्य में और अधिक गहरा संकट हो जायेगा। आशा है, सरकार इस बात का जरूर कोई न कोई हल निकालेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह आज अपना स्टेटमेंट देने में एक बहुत ही, क्या शब्द यूज करना चाहिये, चतुराई की है। उनकी चतुराई ही समझनी चाहिये, चतुराई इस सेन्स में कि मैम्बर्स को जानकारी नहीं थी किस दिन किसका मोशन था जिसका उत्तर दे रहे हैं। आप नाम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पढ़ कर सुना रहे हैं वह तो सारा एटरेन्डम है। किसी सदस्य को पता नहीं था कि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चर्चा होगी और हमें भाग लेने का मौका मिलेगा। आपने, उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात कही, आपने केवल एक जानकारी दी कि मंत्री महोदय का आज एक वक्तव्य होगा, वक्तव्य हो गया और आपने सारे एडजोर्नमेंट मोशन्स, कॉल अटेन्शन नोटिसेज जिनमें माननीय सदस्यों के नाम का उल्लेख था, उन सबको भाषण देने की अनुमति दे दी। यह तो आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में जो डिबेट होनी चाहिये, उस डिबेट को स्केटर्ड करने का प्रयास किया है ताकि इस मामूली सी चर्चा के आधार पर सरकार यह कह सके कि बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में चर्चा हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पहले जानना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के सारे कामों पर चर्चा होगी या नहीं? इसका उत्तर दें। साथ ही इसके प्रसंग में चर्चा की जा सकती है यदि डिबेट नहीं होती है तो हर मैम्बर को बोलने का अधिकार होगा, केवल उनको नहीं जिनके मोशन्स हो।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : हमको अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर चर्चा होगी, इसलिये एडजोर्नमेंट मोशन दिये नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ऐसा लगता है कि यह अजीब प्रकार की चर्चा हो रही है। अगर वक्तव्य के सम्बन्ध में होती तो केवल इतनी सी व्यवस्था देते कि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते है, मंत्री महोदय ने भी कोई आपत्ति नहीं की है जैसा कि वे हमेशा पाइन्ट आफ आर्डर रेज करते हैं, वह भी शायद इसलिए नहीं किया कि वक्तव्य पर कोई दूसरे सदस्य भाषण नहीं दे सकते हैं। चुपचाप भाषण शुरू हो गया। मुझे लगता है यह सारी कार्यवाही इसीलिये हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर अब इस सदन में चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर इस सदन में चर्चा होगी? और अगर चर्चा होगी तो क्या सरकार उसके लिए तैयार है? इस पर कोई व्यवस्था दी जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, शासन के आदेश पर मैंने स्टेटमेंट दिया है। काल अटेन्शन मोशन्स और एडजोर्नमेंट मोशन्स के ऊपर अध्यक्ष महोदय ने जानकारी सरकार से प्राप्त करके आज नहीं 27 तारीख को ही वक्तव्य देने का उल्लेख कर दिया था—एक। जहां तक प्रश्न है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चर्चा होगी या नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिपक्ष के नेता महोदय एक सदस्य हैं इसलिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही इसका माकूल उत्तर दे सकती है। वह तो मैं देने में असमर्थ हूं। आज जो चर्चा हो रही है वह फुलफ्लेज्ड डिबेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर नहीं हो रही है। जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेंट मोशन्स दिये

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं उसका वक्तव्य दे दिया है। आज दूसरा बिजनेस है ..

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो मालूम है।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा क्वेश्चन कि मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं किया। प्रक्रिया यह है कि वक्तव्य देने के बाद माननीय सदस्य बोलते हैं। उनको कुछ प्रश्न पूछने चाहिये। यह तो आसन के सोचने की बात है, मेरी नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आसन तो व्यवस्था करता ही है लेकिन दूसरे प्रसंग में यदि कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहें तो आपकी तरफ से आपत्ति उठाई जाती है। यह भी सवाल इस प्रकार का है.......

(व्यवधान)

और, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी प्रकार की व्यवस्था देते हैं। आज आपने कृपा की है, माननीय मंत्री महोदय भी मौन हैं। इसके पीछे साफ है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चर्चा नहीं होगी, इस सदन में। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सबसे इम्पार्टेन्ट मसला है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की व्यवस्था का मंत्री, विद्युत बोर्ड और सरकार में जो सम्बन्ध है, वह कितना है। मैं चाहूंगा कि इस सैशन में निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर चर्चा हो ताकि इस सदन को, राजस्थान की जनता को और भारत सरकार को पता लग सके कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितना एफिसियेन्ट रहा है, कितना काम कर रहा है। इसलिये मैं आपसे चाहूंगा सदन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चर्चा हो, इस तरह की आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कोई चर्चा हो या न हो, यह कार्य सलाहकार समिति तय करेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कार्य सलाहकार समिति के अधीन कोई चीज नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से व्यवस्था होगी या नहीं होगी, कार्य सलाहकार समिति तय करेगी। यह मेरी व्यवस्था है। नम्बर–2 पहले कार्य सूची में यह अंकित है कि श्री परसराम मदेरणा, ऊर्जा मंत्री विद्युत संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। यह उन्होंने दिया और जिन लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन्स दिये थे, उनको बोलने का मौका दिया गया, हालांकि सवाल पूछने चाहिये थे। बोर्ड पर बहस नहीं हो रही है, विद्युत संकट पर बहस हो रही है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, थर्मल पावर के ...

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य सूची सारे लोगों को आज वितरित की गई है। अब आप यह बतायें, कार्य सूची साढ़े नौ बजे पहुंची तो हम किस तरह भाग ले सकते हैं? मैं चाहता हूं और भी माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दे दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन कोटा में लग रहा है इसलिये, जितनी जानकारी माननीय ललित किशोर जी को, दाऊदयाल जोशी को है उतनी दूसरों को नहीं है, इसलिये बोलने की इजाजत दी जाय।

एक माननीय सदस्य : परमिशन देने की कृपा करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिजली के संकट के कारण किस प्रकार जनता परेशान है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका न काल अटेन्शन मोशन है, न कोई एडजोर्नमेंट मोशन है....

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम परेशान हैं, कोटा जिला सबसे खेतिहर इलाका है और बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कोटा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है. कोटा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, कोटा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर बिजली के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं हैं और कोटा ही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर हम बिजली के लिए टुकुर-टुकुर देखते हैं। कोटा ही ऐसा क्षेत्र है जहां किसान रात को 12 बजे खेत पर काम करता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से ही निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के किसानों को बार-बार कहने के बावजूद 7 घंटे बिजली नहीं मिली है, कोटा जिले के किसान को 3 या 4 घण्टे से ज्यादा बिजली कभी नहीं मिली, ये सरासर झूठ और फरेब है। किसान रात के दो बजे से लेकर....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटेन्शन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 20 तारीख को आया था। उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके ऊपर मुझे बोलने की आप आज्ञा दीजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन दिया जाय कि बिजली बोर्ड पर बहस इसी सत्र में की जायेगी। यह बहुत बड़ा आवश्यक मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : सारे राजस्थान का मसला है, बिजली पर सब कुछ आधारित है इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण मसले के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन आपको मिलेगा, बाद में मिलेगा। मन्त्री महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा 20 तारीख का यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : यह सवाल इस बात से सम्बन्धित नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव दे दिया, सारे राजस्थान की जनता इससे प्रभावित है, सारे राजस्थान का किसान इससे प्रभावित है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री अनंगकुमार जैन : × × ×

श्री बुलाराम : आसन पैरों पर है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। सदन में बाधा न डालिये।

श्री यदुनाथ सिंह : वहां की हालत खराब है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती क्षेत्र में बिजली के बारे में अभी-अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि 4 घण्टे बिजली पहुंच रही है....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने 20 तारीख को यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : क्यों नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने सूचना दी है।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप आकर मेरे चेम्बर में मिलिए ।

श्री देवीसिंह भाटी : चेम्बर में क्या मिलूंगा । आपसे मुझे कोई काफी नहीं पीनी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए । आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, मैं आपको नाम से पुकारूंगा ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम् मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लीजिए ।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे क्षेत्र की जो बिजली की स्थिति है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो ही सप्लीमेन्ट्री, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं मन्त्री महोदय से केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय की सहमति अगर मिल जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको नाम से सम्बोधित किया, फिर भी आप नहीं बैठे ।

श्री देवीसिंह भाटी : चाहे आप मुझे सदस्यता से निलम्बित कर दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, उसका मुझे कोई डर नहीं है परन्तु मेरे क्षेत्र की जनता, किसान त्राहि त्राहि कर रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बाहर चले जाइये ।

श्री देवीसिंह भाटी : कैसे चला जाऊं, नहीं जाऊंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मेरा निवेदन यह है, आप विराज जायं तो मैं अर्ज करूं । उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह है, जैसा मैंने निवेदन किया कि जब से सत्र प्रारम्भ हुआ है, किसी न किसी रूप में बिजली की कमी के बारे में बात उठी है । आपने बहुत अच्छा काम किया है । आप तो बड़ी शान्ति से सब लोगों को एकोमोडेट करने में लगे हुए हैं लेकिन अब थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है कि 2-4 दिन से ज्यादा बिजली का संकट है । जो बोलने से रह गये, 10-15 आदमियों को आपने अनुमति दे दी है । 2-4 को और दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अपोजीशन लीडर को मैं अर्ज कर देता हूं कि यह अवसर आयेगा, इस पर कार्य सलाहकार समिति तय करेगी, इस पर एक अलग टाइम मुकर्रर किया जाय, तब आप खूब जी भर के बोलिये । अभी बजट आने वाला है, उसके

(श्री उपाध्यक्ष)

ऊपर भी मांग, डिमाण्ड होंगी, उस पर बोलने का मौका मिलेगा। आप सब्र से काम लीजिए। आपको मौका मिलेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : बिजली के बारे में मौका नहीं आता है, बिजली के बारे में सिर्फ बिजली बोर्ड के बजट पर डिस्कशन यहां होता है, तब बहस होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी। अब किसी को मौका नहीं दूंगा। मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 2-3 सदस्य हैं, वे और बोल लें। तीन सदस्य आपको अगर थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बात कहते हैं, यदि आप उनको अनुमति देंगे तो आपकी उदारता सबको मालूम है, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना हमारे देश की एक मुख्य परियोजना है जिसके अन्दर से लूणकरणसर लिफ्ट नहर निकाली गई है। आज जो उसका आधार है, जो पानी लिफ्ट करने का आधार है, वह मात्र एक बिजली है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो माह से लूणकरणसर लिफ्ट नहर से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की समस्या है। किसानों ने राजस्थान नहर के अधिकारियों के कहने के अनुरूप खेती की, काश्त की और आज दो माह से उनकी फसल को पानी नहीं मिल रहा। उसके लिए मैंने भी, उपाध्यक्ष महोदय, नहर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की, कुछ डेलीगेशन भी मिले। उनका सीधा कहना था, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग की बार बार जो कटौती हो रही है उसके कारण से हम लूणकरणसर लिफ्ट नहर में पानी पम्प नहीं कर सकते और पानी पम्प न करने की वजह से हम पानी नहीं दे सकते चाहे किसानों की फसल बर्बाद हो, चाहे सूखे, चाहे उगे। उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी इस प्रकार से कहते हैं। वे कहते हैं कि बिजली विभाग द्वारा कटौती हो रही है हम इसके लिए क्या करें? हमारे पास आधार नहीं है, न हम कुछ करने में सक्षम हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बिजली मन्त्री का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो हमने राजस्थान नहर में एकमात्र लिफ्ट नहर निकाली है और आगे हमारी योजना है कि हम 5 और नयी लिफ्ट नहरें निकालेंगे, एक लिफ्ट नहर निकाली गई है, उपाध्यक्ष महोदय, वह आज बिजली पर आधारित है और दूसरी भी जो लिफ्ट नहर की योजनाएं बनेंगी, वे भी बिजली पर आधारित होंगी। आज एक लिफ्ट नहर लूणकरणसर नहर मौजूद है जिसको आज की स्थिति में पानी नहीं मिल रहा और जिसकी वजह से आज किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। वे प्यासे मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय लूणकरणसर लिफ्ट नहर की योजना के लिए विशेष रूप से बिजली दें चाहे वे कहीं से मांगकर लायें, दूसरी स्टेट से लायें, चाहे कहीं से कटौती करें, उस क्षेत्र के किसानों को बचायें और उसके लिए व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

मैं निवेदन कर दूं कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में जो ग्रामीण जल प्रदाय योजना हैं, वे सारी की सारी बिजली पर आधारित हैं। जल प्रदाय योजना से आज 10-10 20-20 गांव जुड़े हुए हैं। आज की स्थिति में बिजली में बराबर कटौती हो रही है। आज भी जैसी कटौती जारी है, उसमें लोग प्यासे मर रहे हैं, उनका पशुधन है, वह प्यासा मर रहा है। वे अपने गांव छोड़कर जा रहे हैं। मेरा मन्त्री महोदय से एक ही निवेदन है कि या तो उसके अन्दर सुधार करें या तो जैसी कि बिजली की राजस्थान में स्थिति है, उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था करें वरना ये स्कीम वन्द कर दी जायं। आज सरकार को गालियां सुननी पड़ती हैं फिर एक बार ही गालियां सुननी पड़ेंगी लेकिन बार बार उनकी फसल बर्बाद नहीं होंगी, उनका पशुधन खतम नहीं होगा। वे कुएं और पुराने साधनों पर आ जायेंगे। राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं बनायी जाती हैं कि हम ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं और बढ़ा रहे हैं. हम और सुविधायें देंगे तो बिजली कहां है? बिजली है नहीं, आल्टरनेटिव है नहीं, जनरेटर नहीं लगा सकते क्योंकि....

श्री उपाध्यक्ष : Do not repeat। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दो ही बातें हैं। एक तो लूणकरणसर लिफ्ट योजना है और दूसरा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए बिजली की व्यापक व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। मैं नाम पुकारूंगा वही बोलेंगे, दूसरा नहीं बोलेगा। श्री कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछूंगा यदि वे इधर की तरफ ध्यान दें। मैं पूछूंगा........

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न किनसे करूं, वे सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा प्रश्न यह है कि यह जो फ्लेट रेट तय की गई है यह कितने घण्टे बिजली देने के लिए तय की गई है? एक महीने में 135 घण्टे बिजली मिलनी चाहिए तभी जाकर उनको फ्लेट रेट लेने का अधिकार है। यदि इन्होंने 135 घण्टे बिजली नहीं दी है तो जिस पर्सेन्टेज से दी है क्या उसी पर्सेन्टेज से फ्लेट रेट कायम की जाएगी? यह मेरा पहला प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा। क्योंकि थोड़ा बहुत सम्बन्ध आपका भी किसानों से है, यह जो किसानों को बिजली देने वाली बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार कंसन्ट्रेशन करके बिजली ड्राफ्ट करने में सफल रही है? जब किसानों को चार घण्टे, पांच घण्टे और छः घण्टे बिजली देने की बात कही गई है तो कितने घण्टे बिजली दी गई है? किसान तो पैसा खर्च नहीं कर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सकता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े उद्योगों को चोरी से बिजली दी गई है। कोटा में जे. के. और डी. सी. एम. को चोरी से बिजली दी गई है। जब इसकी शिकायत की गई तो इंक्वायरी हुई और पकड़े गए मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो इस तरह से किसानों को पूरी बिजली नहीं दी गई है तो बताया जावे कि कितनी बिजली दी गई है? मैं आपको बताऊं कि लिफ्ट इरिगेशन को उद्योग घोषित कर दिया गया है। लिफ्ट इरिगेशन में हमारे यहां पर चालीस दिन बिजली मिलती थी लेकिन बीस दिन के अन्दर ही बोर्ड ने ऐसा आदेश दे दिया कि यह उद्योग है इसलिए उद्योग के हिसाब से बिजली मिलती है वही मिलेगी। केवल आधा घण्टे लिफ्ट इरिगेशन से बिजली मिली है और इसके कारण किसानों की फसलें सूख गईं। इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड ने लिफ्ट इरिगेशन को उद्योग घोषितकरके यह सब किया है।

तीसरा मेरा यह प्रश्न है कि आज आपने बिजली की कमी बताई है लेकिन आपकी योजना से हमारे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को यह शंका हो गई है कि हम अगर बिजली की मोटर लगायेंगे तो हमें बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी। उद्योग नए आ नहीं रहे हैं, थर्मल पावर की बात हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस थर्मल पावर का भी वही हस्र होने वाला है क्योंकि कभी कोयला मिलेगा तो वैगन नहीं मिलेंगे और वैगन मिलेंगे तो कोयला नहीं मिलेगा।....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं दें, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पलाना लिग्नाइट योजना दो वर्षों से पैंडिंग पड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ चुकी है। इसके बारे में अब आपकी क्या योजना है? राजस्थान के खनिज भण्डार को देखते हुए पलाना के बारे में विचार करें। हमें बिजली कहां से मिलेगी? यहां पर आंख मिचौनी करते रहे हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोयला मिलने से वंचित रहा तो इसका क्या भविष्य होगा? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के हित की बातें करते हुए यह घोषणा करें कि फ्लेट रेट किस पर्सेन्टेज से ली जायेगी? किस पर्सेन्टेज से बिजली मिली है उसी से फ्लेट रेट लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य, बाकी बैठ जावें।

श्री महाराम चौधरी : इधर से तो काफी सदस्य बोल चुके हैं। इधर से भी मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका दूंगा, बैठ जाइये।

श्री हंसराज शर्मा : मैं विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो आपने विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है, राज्यपाल के अभिभाषण में 1100 से 1500 मेगावाट किया किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कीजिए, भाषण नहीं करेंगे।

श्री हंसराज शर्मा : मंत्री महोदय बतायें कि क्या सवाई माधोपुर जिले में 14 गांवों का विद्युतीकरण करना था और दो वर्षों में 12 और इस साल में एक का ही विद्युतीकरण किया गया है, इसका क्या कारण है?

दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि यदि आपके पास बिजली का सामान ही नहीं है तो केवल मात्र बिजली के करेंट की तरह प्रदर्शन करने की दृष्टि से गांवों के विद्युतीकरण के गलत आंकड़े आप लोगों को क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में जिन गांवों का आपको विद्युतीकरण करना था उनमें से कितनों का कर लिया और कितनों का सामान के अभाव में नहीं कराया? सरकार के पास पैसा नहीं है या अधिकारी दोषी हैं तो आप योजना का ढोंग मात्र क्यों करते हैं या काश्तकारों को धोखा देने वाला काम क्यों करते हैं? ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी : मेरा नाम पुकार लिया है, मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव रखने का मतलब यह था कि बिजली का भयंकर संकट है। काश्तकारों की फसलें सूख रही हैं। भूतपूर्व राज्य सरकारें भी और इस वक्त की राज्य सरकार भी अन्तर्राज्यीय समझौतों के अनुसार बिजली प्राप्त करने में असमर्थ रही है। इस सम्बन्ध में सरकार या विद्युत मण्डल के अधिकारी अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। इन्होंने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की। यदि इनसे कार्यवाही नहीं हो सकती थी तो कम से कम यहां पर काश्तकारों को या यहां की जनता को यह ऐलान करके कह देते कि आप खुद कुछ करो। वे आकर दूसरी स्टेटों से अपना प्रयत्न करके बिजली लाते। उपाध्यक्ष महोदय, जो समस्याग्रस्त और अभावग्रस्त ग्राम हैं और जहां पर अकाल की भयंकर समस्या है उन गांवों की सरकार बिलकुल ही अवहेलना कर रही है। उन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल कहां है? आप तो बयान दे रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : इन गांवों को प्राथमिकता दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए एक तो मेरा यह सवाल था। दूसरा यह निवेदन है कि बिजली की कमी है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में साज-सजावट में, बाग बगीचों, समारोह आदि में सजावट होती है उनमें बड़ी-बड़ी लाइटें लगी होती हैं, ग्रामीण

(श्री महाराम चौधरी)

क्षेत्र का आने वाला आदमी चकाचौंध हो जाता है। उनके अन्दर बिजली की कटौती करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्राथमिकता दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि अगर सरकार बिजली पूरी काश्तकारों को देने में असमर्थ है तो जिस तरह से उद्योगों को जनरेटिंग सैट दिलाने में उनको आर्थिक सहायता दिला रही है उसी तरह से किसानों को भी जनरेटिंग सैट दिला कर यह समस्या सुलझाई जावे। सरकार को इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्यकुमार (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच में जो बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं यह बता दूं कि दिनांक 26 तारीख को....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाइये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....इसमें यह सरकारी घोषणा है कि बिजली देने की योजना वापस ले ली....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, इण्ट्रप्ट मत कीजिये।

श्री सूर्यकुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में विद्युत संकट को देखते हुए क्या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा पैदा करके राजस्थान में विद्युत संकट कम करने की राजस्थान सरकार के पास कोई योजना है? अगर कोई योजना है तो उससे विद्युत संकट किस हद तक हम दूर कर पायेंगे? इसके बारे में अगर कोई आंकड़े हों तो बतावें। अगर कोई योजना नहीं है और कोई आंकड़े नहीं हैं तो क्या राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कोई सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि जिससे विद्युत संकट कम हो सके?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक जिले के के बारे में कोई नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

एक दल के सदस्य बोल रहे हैं और एक दल को बिलकुल ही समय नहीं दिया है। आसन का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक दल को समय दे।

(श्री मोहनलाल मोदी)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल का कोई सदस्य नहीं बोला। कम से कम मेरे को समय दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में 263 गांव हैं। 161 गांव विद्युतीकृत हुए हैं। शेष गांव....

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक सवाल की अनुमति है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिये इनके पास क्या योजना है? दूसरा, किसानों को पूरा वोल्टेज नहीं मिलता है। जिसके अभाव में मोटरें जल जाती हैं। बिजली डिपार्टमेंट में लोग बैठे रहते हैं। उनको पूरा वोल्टेज मिले, इस बारे में राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है?

दूसरी बात यह है कि बिजली विभाग में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है। प्रायोरिटी समाप्त की जाती है। उनकी लिस्ट होती है. क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखते हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट जनरल पब्लिक को बतायी जाय? आम लोग इसकी व्यवस्था को जान सकें इसके लिये विद्युत मन्त्री प्रयास करेंगे।

एक निवेदन है कि 16 जनवरी को नोटिफिकेशन के जरिये छोटे उद्योगों, फैक्ट्रियों को....

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल की अनुमति दी है, बैठ जाइये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह आपकी उदारता का अनुचित फायदा उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है बयान आपका। इससे क्या फायदा है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। खंडेला के अन्दर घरों में दस हजार उद्योग धन्धे लगे हुए हैं जो गोटा बनाते हैं। इसमें दस हजार मजदूर काम करते हैं। आधा हार्स पावर से ज्यादा इस उद्योग में बिजली नहीं लगती है। ऐसी जगह कोई व्यवस्था करने की सोच रहे हैं या नहीं? आपको विशेष तौर से उनके लिये बिजली का प्रबन्ध करना चाहिये। एक तरफ बिजली का संकट है, दूसरी तरफ 132 के.वी. की लाइन नीम का थाना तक बिछी हुई है। वहां पर सब-स्टेशन बनाने के लिये जमीन का झगड़ा चला। हाई कोर्ट में जमीन एक्वायर करने के लिये केस चला। हाई कोर्ट से बिजली बोर्ड के पक्ष में फैसला हुआ लेकिन राज्य सरकार ने फैसला होने के बाद स्टे ले लिया। आज तक स्टेशन नहीं बन रहा है। करोड़ों रुपये लाइन पर खर्च हुए हैं, वह बेकार गये। वहां के लोगों को बिजली नहीं मिलती है। अगर 132 के.वी. का स्टेशन बन जाता है तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होती है। इसलिये मैं

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार ने स्टे ले रखा है, उसको तुरन्त हटाया जाय। किसने लिया, यह भी आपके जवाब में बतायें? एक छोटा सा प्रश्न और है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक सवाल करने को कहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : हण्ड्रेड पर्सेन्ट कटौती आपने की है, हण्ड्रेड पर्सेन्ट कटौती करने के बाद भी आप पूरा बिल दे रहे हैं, यह क्या न्यायोचित है?

श्री बंसीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित प्रश्न कर रहा हूं। जैसे पेयजल की दृष्टि से पी. एन. टी. स्कीम है, बड़ी जलदाय योजनाएं हैं जिनके आधार पर पानी सप्लाई किया जाता है बिजली चालू होने पर। इसी तरह से टेलीफोन व्यवस्था है। अस्पतालों में एक्स रे मशीन काम करती हैं। इस तरह की जो आवश्यक सेवाएं हैं किसानों की खेती के साथ-साथ वहां पर मन्त्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : टेलीफोन में बैटरी लगती है।

श्री बंसीलाल पटवा : नहीं लगती है। वहां पर 24 घण्टा बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था कटौती होते हुए भी अलग से विशेष लाइन डाल कर की जा सकती है। लेकिन अनेक जिलों में बड़े अस्पतालों में, पी. एन. टी. स्कीम से जलदाय योजनाओं में इस तरह की व्यवस्था 24 घण्टा नहीं है। क्या मन्त्री महोदय इस तरह की व्यवस्था करने को तैयार हैं? मंशा है? एक प्रश्न यह है, किसान बर्बाद हो चुका है। अन्य प्रान्तों से कहीं से भी बिजली लाकर के किसानों को बिजली देने की कार्यवाही कर सकते हैं? आवश्यक सेवाओं और कृषि से सम्बन्धित मेरे यह दो प्रश्न हैं।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : He will be the last.

श्री रामकिशोर मीणा : क्या विद्युत मण्डल में उद्योग धन्धों, जिनकी बिजली में कटौती की गई है, को मिनिमम चार्ज से मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो क्या काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है? उनकी कटौती की है, क्या उनको भी मिनिमम चार्ज से मुक्त किया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। मन्त्री महोदय।

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के किसान हैं, मैं किसान का बेटा हूं मैं नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। मंत्री महोदय।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मैं आपसे विनती करता हूं आप विराज जायें । मन्त्री महोदय ।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछूंगा । नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक प्रश्न पूछूंगा । लाखों रुपये दिये हैं, एक भी गांव में बिजली नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(व्यवधान)

जवाब आ जायेगा सदन में । समस्या है यह ।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

एक माननीय सदस्य : ××××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिना अनुमति के बोलना अच्छा नहीं है । मुझे मजबूर होकर दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

श्री महेन्द्रसिंह : एक प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

मैं नाम से सम्बोधित करूंगा, माननीय सदस्य । मैं परवाह नहीं करता किसी की ।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसान गंगानगर के हों ऐसी बात नहीं है, सब राजस्थान के मिलाकर बराबर हैं । मन्त्री महोदय ।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा कारण मालूम है जो बिजली की कमी का मुख्य कारण है । यह अखबारों में भी आ चुका है....

श्री उपाध्यक्ष : बिना अनुमति के बोलने लग गये हैं । अंकित न हो ।

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री दुलाराम : व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दुलाराम : व्यवस्था का सवाल नहीं हो तो रिजेक्ट कर देना आप । आप बोलने तो दें । मैंने मुद्दा उठाया नहीं उसके पहले डिसीजन दे दें, कौनसा डिसीजन है । मेरा निवेदन यह है गंगानगर से हजारों लोगों से पैसे लिये हैं बिजली विभाग ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पाइन्ट आफ आर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय ।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री दुलाराम : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर निवेदन कर रहा हूं। बिजली बहुत कम गांवों में लगी है। हमारी दुर्दशा हो रही रही है। जनता पार्टी ने दुर्दशा करवा कर पैसे मंजूर करवा लिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यहां नहीं उठायेंगे।

श्री दुलाराम : यहां नहीं उठाया गया तो कहां उठायेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर यह है गड़बड़ ग्रापने कर ली। प्रश्न उठायेंगे तो कम से जवाब तो देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं हैं, बैठ जाइये। नो पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री परसराम मदेरणा (ऊर्जा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोधी पक्ष के नेता ने ग्रौर कोटा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने सदन में यह कहा कि मैंने बहुत चतुरता से यह वक्तव्य दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने नहीं कहा। वक्तव्य में कोई चतुराई है ही नहीं। यह क्रेडिट ग्राप जबर्दस्ती ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राप सुनें शांति से। ग्राप बार-बार खड़े क्यों हो रहे हैं। वह कोई स्कोरिंग पाइन्ट तो है नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं स्कोरिंग पाइन्ट नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राखिर विवाद कई हैं, जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, डिबेट के रूप में परिवर्तित कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन बात ग्रापने चतुराई की जरूर कही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मगर ग्राप चतुर हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कोटा से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो मैंने वक्तव्य दिया है वह बहुत ही चतुरता ग्रौर चालाकी का वक्तव्य है। मैं नहीं समझ सका, मैंने स्पष्ट बात कही है सप्लाई ग्रौर डिमाण्ड का गैप है, जो राजस्थान के लिए बिजली का भारी संकट है। जो कटौती की जा रही है, मैंने स्पष्ट कहा, इन उद्योगों के लिये कटौती है, किसी उपभोक्ता को बिजली पूरी नहीं दे रहे हैं। 6 घण्टा बिजली दे रहे हैं। वह भी रोटेशन से दे रहे हैं। लोड शैडिंग कर रहे हैं। मांग ग्रौर ग्रापूर्ति के बीच काफी बड़ा गैप है। मैंने इसके कारण भी बताये हैं कि जो पन बिजली उत्पादन हो रहा है, बंधों में बहुत कम भराव चल रहा है, इसके कारण हाइडल जनरेशन की कमी रही है। कुल मिलाकर हमारी जो इ स्टाल्ड केपेसिटी है उसके ग्रनुपात में बिजली मिलती लेकिन इन्स्टाल्ड केपेसिटी के ग्रनुकूल भी हम बिजली उत्पादन नही कर सकते हैं। क्योंकि पन बिजली के ग्रन्दर इन बन्धों की वजह से ग्राज स्थिति यह है कि भाखरा ग्रौर पौंग, पौंग में इस साल पानी ज्यादा ग्राया था लेकिन गांधी सागर भाखरा ग्रौर पौंग में पिछली 2 मार्च को जो भराव की स्थिति थी वह ग्राज नहीं है। ग्रभी कुछ बिजली उत्पादन के लिये थोड़ा

(श्री परसराम मदेरणा)

बहुत चंबल से पानी ज्यादा लिया एक दो रात। उस पानी से भी जनरेट करना जरूरी था, और जरूरी काम केन्द्र के ऊपर फेंकना नही चाहते थे। ऐसी स्थिति में भी करनी पड़ी जिससे पुन: इस ढग से कार्य आसानी से 2-3 दिन चले लेकिन पानी कम है। इसलिये बिजली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें क्योंकि बरसात पड़ती जा रही है, संकट बना हुआ है।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं नहीं उन्होंने यहां पर न्यूकिलस प्लान्ट की बात कही। जैसी कि मुख्य मन्त्री जी न्यूकिलस प्लान्ट की बात कहते है।.जैसा कि प्रति पक्ष के नेता महोदय जानते हैं कि न्यूकिलस प्लान्ट बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट में है। वह प्लान्ट इस तरह का है कि सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज बने, उद्योग पनपें। न्यूकिलस प्लान्ट कोई जनरेशन का प्लान्ट या बिजली का प्लान्ट नहीं है।

(व्यवधान)

आप कैप्टिव और न्यूक्लिस के बीच में थोड़ा डिफरेन्स नहीं जानते हैं तो विरोधी पक्ष के नेता से पूछ लीजिये।

मैं निवेदन कर रहा था मैंने यह कभी नहीं कहा कि लघु उद्योगों की बिजली काटी नहीं गई है। लघु उद्योगों के संबंध में भी मैंने कहा है कि पहले तो बिजली की कटौती कर रहे हैं लेकिन जनरेशन, 1 जनवरी के बाद पावर का जनरेशन कम हो गया, और अणु बिजली घर दोनों ही बन्द हो गये उसके बाद से एक जनवरी से हमने 8 घंटे कर दी है। लघु उद्योगों के संबंध में इतनी मैंने बात कही थी, जब उद्योग मत्री जी उत्तर दे रहे थे। दूसरे जितने रूरल फीडर्स हैं उन रूरल फीडर के ऊपर हम 8 घंटे ही दे सकते। क्योंकि वहां पर लोड शेडिंग की वजह से जितने घटे बिजली दे रहे हैं उतने ही घंटे छोटे उद्योगों को मिलती है, यह बात मैंने कब कही। इसलिए यह कहना गलत है कि सही स्थिति कोई छुपाई गई है। यह छुपाई नहीं है। बिजली का संकट राजस्थान में है इसलिए मैंने निवेदन किया था। उन्होंने बात की कि सिंगरोली के सम्बन्ध में बात कही गई 53 मेगावाट की। अभी सिंगरोली का एक यूनिट का कमीशन हुआ है। उससे बिजली उत्तर प्रदेश से आगरा और भरतपुर की लाइन से मिल रही है कभी दो लाख, कभी 3 लाख और कभी 5 और 8 लाख यूनिट बिजली हमको मिली है। जब तक 440 के वी लाइन कानपुर से नहीं जोड़ी जाती है जयपुर की, इसकी बीच की व्यवस्था तो चल रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि कोटा के संबंध में उन्होंने बात कही 31 मार्च तक स्टीम रोलिंग और सिंक्रोनाइजिंग का समय रखा गया है। आपने कार्मशियल जनरेशन की बात कही, इसमें समय लगता है जैसा कि आप जानते हैं अब थर्मल के संबंध में उसकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी करा आल इंडिया का क्या एवरेज है उसके संबंध में भी मेरे वर्दी प्रिडिसेसर ज्यादा जानकारी रखते हैं।

यहां पर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीकर के संबंध में एक बात कही कि पड़ोसी राज्यों से लेकर बिजली दें क्योंकि बिजली का संकट है। बिजली के सकट के संबंध में निवेदन कर दूं कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है जब जब बिजली का उत्पादन आर. ए. पी. पी. से आउटलेट हुआ है भारत सरकार और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी

बोर्ड, देहली और नटर्न स्टेट के लोगों से बराबर कांटेक्ट में रहते हैं। जितनी बदरपुर वगैरह से मिल रही है उसे लेने की कोशिश करते हैं। अभी 12 लाख यूनिट पिछले सप्ताह से दे रहे थे, इन्द्रप्रस्थ में गड़बड़ होने की वजह से बिजली की डिफिकल्टी हो गई इसलिए कम हो गई लेकिन कल फिर से डी.डी.टी.ए. से मिलना शुरू हो गई है और मिल रही है जो करीब 20 लाख यूनिट मिली है। कल जो हमको बिजली मिली है हम इस कोशिश में हैं कि बिजली हम को मिले।

यहां पर कई माननीय सदस्यों, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या और जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आप मिनिमम चार्जेज किस बात का ले रहे हैं। मिनिमम चार्जेज कंजम्शन के आधार पर लिये जाते हैं।

बिजली कन्ज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके कुछ आवर्स फिक्स किये जाते हैं।

बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात भी पूछी, फ्लेट रेट के अन्दर आपने घंटे निर्धारित किये हैं, 135 घंटे निर्धारित हैं। 135 घंटे बिजली उनको नहीं मिली है तो अलग बात है लेकिन 135 का एवरेज निकाल कर मैं देख चुका हूं। जो फ्लेट रेट के उपभोक्ता हैं उनको 135 घंटे बिजली निश्चित तौर पर मिली है।

आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने अभी जो किसानों के संबंध में बात कही मैं ठीक कह रहा हूं जिस दिन वह किसानों के डेपुटेशन के साथ मिलने के लिये आई थीं उस दिन मुझे बुखार था। बुखार होते हुए भी क्योंकि महिला सदस्या मिलने के लिये आई थीं इसलिए मैंने कहा मुझे शिवरिंग हो रहा है तो भी मैं मिलने के लिये आया हूं नहीं तो आर्डिनरिली शायद मैं नहीं मिलता। शिवरिंग की बात तो आप जानते हैं जब रोटेशन पर आ जाता है तो किसानों को निश्चित तौर से रात को अपना पंप चलाना पड़ेगा तब परेशानी जरूर होती है लेकिन चूंकि बिजली की कमी है, इसलिये ही सीलिंग हमको करना पड़ता है मजबूरी की हालत में, वह भी रोटेशन हम बदलते रहते हैं ताकि जिनका रात में टर्न आ रहा है उनका दिन में भी टर्न आ जाय। इस तरह से हर सप्ताह रोटेशन होता रहता है।

यहां पर यह बात भी कही गई कि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। फागी से आने वाले माननीय सदस्य से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जहां तक कृषि के कुओं के लिये जो डिमाण्ड नोटिस मिल गये हैं और जिन्होंने धनराशि जमा करा दी है उनकी संख्या 89 बता रहे हैं लेकिन पूरे राजस्थान में 15 हजार थे। पिछली बार सदन को आश्वासन दिया था कि डिमाण्ड नोटिस जिनको मिल गये हैं और धनराशि जिनकी जमा है उन लोगों को और सभी एप्लीकेंट्स को, जिनकी संख्या 15 हजार के के आस पास है, इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक बिजली देंगे। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि उनमें से 14 हजार के आसपास लोगों को बिजली मिल गई है और अगले एक महीने में जिनको बिजली नहीं मिली है उनको बिजली के कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

यहां पर सीमेंट और दूसरे उद्योगों की बात कही, यह दूसरी बात है। सीमेंट मुख्य उद्योग है, सीमेंट की मांग भी बहुत है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लेकिन हमारे पास में बिजली की सप्लाई कम होने की वजह से उद्योगों पर 70 फीसदी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने कंसलटेंट की बात कही, मैंने भी कल परसों के अखबारों में पढ़ी थी। इसके अभी फैक्ट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्सलटेंट, रिप्रजेंटेटिव कन्सलटेट था और उसके सम्बन्ध में क्या बात हुई है इसकी जानकारी कर मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं।

अनूपगढ़ का इस साल का हमने 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और इस योजना को हम हाथ में लेने जा रहे हैं।

लिफ्ट इरिगेशन के संबंध में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान की सबसे बड़ी लिफ्ट योजना लूणकरणसर है और उसमें दो महीने से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है इसलिये अनरेस्ट्रिक्टेड बिजली की सप्लाई की जाय ताकि पानी को लिफ्ट किया जा सके। मैं वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि वहां अलग से फीडर नहीं है और अलग से फीडर नहीं है तो हम उस फीडर पर जितने भी दूसरे उपभोक्ता हैं उनको बिजली दे सकते हैं। यह हमको करना पड़ता है। ऐसी सूरत में वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है कि अनरेस्ट्रिक्टेड सप्लाई की जा सके।

श्री देवीसिंह भाटी : तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : इस्तीफा तो जनता दिलाती है, एक माननीय सदस्य के मांगने से सरकार इस्तीफा देने वाली नहीं है।

यहां पर एक बात कही, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने, लिफ्ट इरिगेशन को उद्योग घोषित किया है। आर. एस. ई. बी. ने तो उद्योग तो घोषित नहीं किया है लेकिन यह जरूर है कि जो कनेक्शन दिया गया है वह हाईटेंशन कनेक्शन है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लिफ्ट इरिगेशन उद्योग के रूप में घोषित की गई थी।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में इंट्रप्ट मत कीजिये।

यहां पर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा विद्युतीकरण सवाई माधोपुर में और खास तौर से उनके निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांवों में किया। उनकी संख्या 11 है, अभी हाफ हैण्ड में रिप्लाइ नहीं दे सकता लेकिन फेज प्रोग्राम चल रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण का। साथ ही टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आर. ई. सी. के गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बहुत कम गांवों मे किया जा रहा है। यह फेज प्रोग्राम बोर्ड के सामने है और योजना मद में जितने अर्थ की उपलब्धि है उसके अनुसार ही आगे विद्युतीकरण का काम ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है।

नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने 132 के० वी० लाइन का स्टेशन बन रहा है उसके बारे में कहा और इसमें

(88)

जमीन के स्टे के बारे में भी कहा। यह बात सही है। मेरे पास कुछ काश्तकार और सज्जन आये थे और माननीय सदस्य भी आये थे। उन्होंने बताया कि आल्टरनेटिव जमीन पड़ी है परन्तु विद्युत मण्डल जानबूझ कर इस जमीन को लेना चाहता है जिसमें काश्त की जा रही है। दूसरी जमीन जो पड़ी है वह इतनी उपयोगी नहीं है। इस काश्तगारी जमीन को ही क्यों लिया जा रहा है जब कि आल्टरनेटिव जमीन है, तो बोर्ड इस पर विचार करे। जब मेरे यह ध्यान में आया कि हाईकोर्ट तक मामला चला है और हाई कोर्ट से इस मामले में फैसला हो चुका है तो वह स्टे आर्डर मैंने उसी समय वेकेट कर दिया था जब यह मेरे को मालूम पड़ा। अब कोर्ट स्टे नहीं है।

जहां तक पटवा साहब भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपने स्टे दिया था। आपने कहा कि स्टे-आर्डर वेकेट कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा: स्टे नहीं दिया था। जो आल्टरनेटिव जमीन है....

श्री मोहनलाल मोदी: आज भी काम बन्द है।

श्री परसराम मदेरणा: आल्टरनेटिव जमीन है तो बोर्ड को उस पर विचार करना चाहिये। उन्होंने फेक्चुअल रिपोर्ट भेजी। मैंने उससे इत्तिफाक कर लिया। ऑलरेडी लैण्ड का पजेशन हो गया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। आपने कहा कि मैंने स्टे दिया था वह वेकेट कर दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी: आप जानकारी कर लें मंत्री महोदय....

श्री परसराम मदेरणा: भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में एक बात कही कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल, पी. एच. ई. डी. की स्कीम्स, उनको बिजली मिलनी चाहिये। शहरों में अलग लाइन है। वहां पर बिजली की सप्लाई आवश्यक सेवाओं को अलग रखने का प्रावधान है। अलग फीडर है लेकिन गांवों में आवश्यक सेवाओं के लिए सब जगह पैरेलल लाइन डालना ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन डालना बोर्ड की वित्तीय परिस्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया है। डीजल जेनरेटर सेट के बारे में, 26 तारीख की विज्ञप्ति में है। उत्तर तो दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा: आप सुनिए।

जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने डीजल सेट के लिए अनुदान की बात कही है। इसका सम्बन्ध उद्योग विभाग से है, बिजली विभाग से नहीं है।

श्री माधवसिंह दीवान: मेरा एक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में 220 के.

(श्री माधवसिंह दीवान)
वी. सब-स्टेशन के बारे में मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि यह कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : फेज प्रोग्राम में इसकी लाइन का काम चालू है। काम प्रगति पर है।

श्री रामसिंह विश्नोई : वहां पर जमीन का टंटा है। जब तक जमीन का टंटा दूर नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरणा : यह लाइन खींचने की बात कर रहे हैं। पूरी लाइन खींचने की बात मैं कह रहा हूं। लाइन खींचने का काम प्रगति पर है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किये थे उनका मंत्री महोदय ने यहां जवाब दिया। किसानों से सम्बन्धित जो फाइलें थीं, उनके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की गांवों के अन्दर फाइल जमा है। वे अपने मकानों पर कनेक्शन लेना चाहते है। गांवों में क्या होता है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसे वाले लोग हैं जो धनिक वर्ग है, वह पैसा देकर अपने यहां पर कनेक्शन करवा लेते हैं लेकिन जो एस. सी., एस. टी. के गरीब लोग हैं वे अपने कनेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों कनेक्शन मेरे क्षेत्र में बाकी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन फाइलों के ऊपर आप क्या करना चाहेंगे ? जब नीचे के स्तर के अधिकारी से पूछता हूं तो वे एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास मीटर नहीं है, ऊपर के अधिकारी सामान नहीं भेजते हैं। इसलिए आप क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में कृपया स्पष्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चर कनेक्शन देने के सम्बन्ध में जो बात आपने कही उसके सम्बन्ध में तो जानकारी है। आपने कहा कि मैटीरियल नहीं भेजा जा रहा है। वहां पर कनेक्शन दिये गये हैं। 100 लघु उद्योगों ने अर्जियां दी हैं, 200 दुकानों की अर्जियां हैं, 25 मिक्स्ड लोड की अर्जी हैं। दूसरी बस्तियों के अन्दर कनेक्श देने की आपने जो बात कही है इसकी मेरे पास में फेक्चुअल जानकारी नहीं है, स्कीम के अन्तर्गत है या नहीं. कनेक्शन कब दिये जाने हैं, इसलिए आफ हैन्ड इस प्रकार का जवाब नहीं दे सकता। इसकी जानकारी करके मैं आपको पत्र भेज दूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय, आपके पास दो विभाग हैं, विद्युत विभाग और जलदाय विभाग। जोधपुर जिले के अन्दर टोडी की स्कीम है और भी दूसरी स्कीम्स हैं। क्या आप यह उचित समझते हैं जो चार घंटे बिजली मिलती एग्रीकल्चर के लिये ? चार घंटे पी. एच. ई. डी. के कुओं पर मिलती है क्या आप उसको उचित समझते हैं ? सैपरेट लाइन खींचकर जो नजदीक हैं उनको 17–18 घंटे कर दें, तो गर्मियों के अन्दर जो पानी की भारी किल्लत होती है, उसका समाधान हो जायेगा।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है मंत्री महोदय, 220 के. वी. लाइन का जोधपुर में टंटा चल रहा है। जब तक इसकी जगह तय नहीं होगी आपका सब-स्टेशन नहीं बनेगा और तब तक 220 के. वी. स्टेशन की प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। ये छोटे-मोटे टंटे हैं। इनको आप अपने स्तर पर

(श्री रामसिंह विश्नोई)
निपटावें ताकि वहां पर काम प्रारम्भ हो सके।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक पी. एच. ई. डी. के लिए अलग से लाइन की बात है, उनका लोड सीविरिंग फीडर के साथ में चार घण्टे चल पाता है इसलिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। बोर्ड ने एक प्रोग्राम बनाया है, कुछ लाइन खींची जाने के सम्बन्ध में। अगले वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान रखा है। जोधपुर में ऐसी कोई योजना है जहां पर ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं, तो उनको अगले साल के प्रोग्राम में सम्मिलित किया जायेगा।

220 के. वी स्टेशन की जमीन के बारे में टन्टा है, जैसा लूणी से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं समझते हैं। कुल मिलाकर इसके अन्दर लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही जो की जानी थी, वह हो चुकी है। इसलिये इस स्टेज के ऊपर अब साइट को बदलना मैं समझता हूं, सम्भव नहीं हो सकेगा, तो भी मैं अगले महीने के दौरे पर बोर्ड के अधिकारियों को बुला लूंगा, और माननीय सदस्य भी वहां पर रहेंगे ही, जो हल निकल सकता है, निकालेंगे। एक्वीजीशन की कार्यवाही चलती रहेगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले की महुआ और टोडाभीम तहसीलों में पिछले चार साल से एक भी गांव में नया विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है। वहां पर विद्युतीकरण के लिये कोई कोआपरेटिव सोसाइटी की स्कीम सरकार के विचाराधीन है? वह स्कीम कब तक लागू हो जायेगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर स्कीम लागू नहीं होती है तो चार साल में नार्मल प्लानिंग के तहत जिन गांवों का विद्युतीकरण होना था, क्या सरकार उस गेप को पूरा करने का इरादा रखती है?

श्री परसराम मदेरणा : सभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम हाथ में नहीं लिये जा सकते हैं चाहे वह आर. ई. सी. के हों या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के हों, लेकिन वहां पर कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ है तो जो प्रोग्राम इस साल हाथ में लिये जा रहे हैं, निश्चित तौर से मैं बोर्ड को सलाह दूंगा कि वह आपकी पंचायत समितियों के गांवों का विद्युतीकरण प्रोग्राम हाथ में ले।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा था, को-आपरेटिव सोसाइटी की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो योजना है, यह नई योजना प्रारम्भ की है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने। इसमें एक योजना राजस्थान में लागू भी है-कोटपूतली वाली। दूसरी योजना के सम्बन्ध में कोई स्कीम बनी है या नहीं, यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। महुआ की बनी है या नहीं, अगर स्कीम बनी है, तो इसको रखा जायेगा और कारपोरेशन से स्वीकृति होगी। अभी इस बारे में मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : No further discussion please.

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष, महोदय, बोर्ड की तरफ से स्कीम बनाकर राज्य

(श्री हरिसिंह)
सरकार को भेजी जा चुकी है, परन्तु राज्य सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया है। वह टोडाभीम और महुआ की योजना है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास किस स्तर पर कागजात हैं, यह मुझे पता नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह भी निवेदन कर दूं कि वह फाइनेंस के पास है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां तो सारी योजनाएं जाती हैं। इसका पता कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि पावर कट के बारे में जो नोटिफिकेशन निकला था 20 अप्रेल, 1981 को उसमें है।

Domestic, Non-domestic, Water Works, Ice Factories, cold Storage. Milk chilling plants. public street lighting, small industries having load of 25 H. P., Sugar Industries, मतलब इस प्रकार की जो इन्डस्ट्री आदि हैं उन के लिए नो कट था लेकिन आज वाटर वर्क्स को पूरी बिजली नहीं मिल रही है इसलिये वहां पर उत्पादन नहीं हो रहा है। लाइट नहीं मिल रही है, अंधेरा रहता है। आज गांवों में चक्कियां इसलिए ही बन्द है कि उनको ठीक प्रकार पावर नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो मन्त्री महोदय ने निदेश जारी किये हैं कि इनको पूरी पावर मिले ? क्या इसकी व्यवस्था की गई है, उपाध्यक्ष महोदय ? इसका जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माकूल जवाब आ चुका है। माननीय सदस्य, अब नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है कि आम आदमी इस तकलीफ से राहत पा सके। तीसरा....

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ चुका है इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री सूर्यकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। वैकल्पिक स्रोतों के बारे में मैंने पूछा था, मैंने ऊर्जा मंत्री से पूछा था कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के पास क्या कोई योजना है ? अगर हां, तो उससे किस हद तक हमारा बिजली संकट दूर हो सकेगा ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार क्या इस प्रकार की किसी योजना पर विचार कर रही है ? मेरे इस प्रश्न का उत्तर ऊर्जा मंत्री ने नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : सोलर विन्ड और बायो गैस की एक इन्टीग्रेटेड योजना तैयार की जा रही है। एक प्लाण्ट भी सोलर का कोटपूतली में लगाया जा चुका है। कौंसिल स्थापित कर दी है, और बोर्ड बनाया जा रहा है। अन्य राज्यों ने सोलर बिजली प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो टैक्निकली अचीवमेंट्स किये हैं उनके सम्बन्ध में उनसे सम्पर्क किया जा रहा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

केन्द्रीय सरकार की साइन्स और टैक्नोलोजी की जो मिनिस्ट्री है उससे भी सम्पर्क करके हम तैयारी कर रहे हैं। मैं उचित समय पर, टाइम पर आपको सूचित कर दूंगा। माननीय सदस्य को जो भी लिटरेचर हमारे पास आया है, और जिस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं और आगे के लिये जो योजना बनायी जा रही है उससे संबंधित रखूंगा। खास तौर से वैकल्पिक स्रोतों को डवलप करने की आज की स्थिति में आवश्यकता है।

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन करोड़ों रुपये ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय ने कुछ नहीं किया है इस संबंध में इसलिए क्या राज्य सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी × × ×

श्री महाराम चौधरी : पानी नहीं दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं। चर्चा समाप्त हुयी। अब विधायी कार्य लिया जायेगा। श्री घनश्याम तिवाड़ी परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

× × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

परिनियत संकल्प

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं : "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981, (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981) व दिनांक 27 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनावों के तुरन्त बाद यह देखा कि नगरपालिका के चुनाव करा कर बहती गंगा में हाथ धो ले, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यह कहा गया था कि पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े, जब कि प्रधानों और प्रमुखों को टिकट देकर जबरदस्ती अपनी तरफ कर लिये और जीत गये। उन्होंने देखा कि बहती गंगा में हाथ धोये जायें। इस उद्देश्य से यह तय हुआ कि नगरपालिका के चुनाव दलीय आधार पर लड़े जायं। नगरपालिका चुनावों में दलीय सिम्बल दिये जायेंगे, नगरपालिका के चुनाव राजनैतिक दलों के टिकटों के आधार पर दलीय रूप से लड़े जायेंगे। उनकी मंशा यह थी कि जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव जीत गये हैं उसी प्रकार से नगरपालिका के चुनाव भी जीत जायेंगे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा कि नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस (आई) ने सब वार्डों में से 200 को छोड़कर 1977 में 1700 वार्डों के अन्दर चुनाव लड़े, उसमें उसने अपने प्रत्याशी खड़े किये थे, लेकिन नगरपालिका चुनावों में मतदाताओं ने उनको बता दिया, उनको केवल 682 सीटें प्राप्त हुयी। इस प्रकार से 1977 में से 682 सीटें ही कांग्रेस (आई) के मैम्बर्स को मिलीं। इस प्रकार से जनता ने डाइरेक्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को परास्त किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि इन चुनावों के अन्दर सरकार को अध्यादेश निकालने का, आर्डिनेंस निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इन चुनावों को तो पुराने अध्यादेश के अनुसार ही करा सकते थे, फिर अध्यादेश क्यों जारी किया? ऐसी तो कोई बात नहीं है जिसके कारण से पुराने एक्ट के आधार पर चुनाव नहीं करा सकते थे। आपकी अध्यादेश जारी करने की मंशा क्या थी? इस अध्यादेश को क्यों जारी किया गया? इसका एक कारण यह है कि 18 साल के मतदाता को जो मत देने का अधिकार था उसको 21 साल कर दिया। एक तो यह कारण था। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, अध्यादेश के उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि पचायतों के, पालियामेंट के और विधान सभा के चुनावों में मतदाता की उम्र 21 साल है, इसलिये 21 साल ही करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, विधान सभा में और लोक सभा में आकर हम लोग बजट बनाते हैं, टैक्स लगाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। हमने एक प्रक्रिया प्रारम्भ की थी कि नगरपालिकाओं में जब नौजवान वोट लेकर आयेगा तो शहरों के विकास की बात सोचेगा। वहां अब क्या होने वाला है, नगर पालिका में क्या होने वाला है, क्या करेंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, लाइट कैसे लगेगी, ट्रक स्टेण्ड कहां बनेगा, बस स्टेण्ड कहां बनेगा-इसकी व्यवस्था की बात थी, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इनकी यह लचर दलील थी। 18 साल का नौजवान जो मैजर बन जाता है डामेस्टिक सेवाओं में भर्ती हो सकता है, सुरक्षा सेनाओं में जा सकता है, जो देश की रक्षा के लिये लड़ सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट नहीं दे सकता है। ये हो नौजवान हैं जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। 18 साल का मतदाता वह था जिसने बिहार में नव-निर्माण का आन्दोलन करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खोला था। 18 साल का मतदाता वह मतदाता था जिसने गुजरात में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ा था। उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश का कारण यह था कि इस नौजवान की शक्ति से यह सरकार डरती थी। इस प्रकार के 20 लाख मतदाताओं को अधिकार से वंचित किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हुं कि यदि 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार होता, तो जो 682 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनमें से 100 सीटें भी नहीं मिलतीं। कांग्रेस का नगरपालिका चुनावों में सफाया हो गया होता। उस सफाये से बचने के लिये ही, नौजवानों की शक्ति को रोकने के लिये ही

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नौजवानों की शक्ति को नकारने के लिये ही, नौजवानों की शक्ति को दबाने के लिये आर्डिनेन्स जारी किया है। जो नौजवान, इस सरकार से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, इस सरकार से परेशान हो चुके हैं, जो पुराने लोगों को हटाना चाहते हैं, पुराने लोगों ने भ्रष्टाचार से नगरपालिकाओं स्थिति बिगाड़ी है, जो नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुके हैं, जो नगर पालिकाओं में नगर का विकास न करके खाली धडेबंदी करते हैं, उनको वह हटाते, जिससे कि नगरपालिकाओं को स्थिति ठीक होती, नौजवान काम करते लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार नौजवानों को चांस देना नहीं चाहती है। युवकों की शक्ति को नकारने के लिये, उनकी शक्ति को कुचलने के लिये ही यह अध्यादेश निकाला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के द्वारा एक काम किया गया है कि युवा शक्ति को नकारा जाय, इसलिये मैंने यह संकल्प पेश किया है। सरकार युवा शक्ति को नकारना चाहती है, उनके असंतोष को दबाना चाहती है, यह युवकों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करना चाहती है। यह सरकार युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहती है। इसके लिये सरकार विधान सभा को फेस नहीं कर सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को यदि विधान सभा में पेश करते तो विधान सभा के बाहर हजारों लोग खड़े हो जाते, नारे लगाते, आवाज लगाते, प्रदर्शन करते और इस को पास नहीं करने देते। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में इसको पेश करने की हिम्मत नहीं हुयी। जन-शक्ति, युवा, शक्ति को ये टाल सकें इसके लिये इन्होंने यह काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट था कि जनगणना के आधार पर वार्डों का गठन होगा। उस सेक्शन के अन्तर्गत आपको किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी। सेक्शन 13 के अन्तर्गत आपको कोई भी कानून में संशोधन करने की, कोई भी आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसमें लिखा है कि जनगणना के आधार पर और शहर की जनसंख्या के आधार पर वार्ड बनेंगे नगर पालिका के अन्तर्गत जितने वार्ड हैं, उतने वार्डों का शहर की जनसंख्या में भाग देकर बराबर-बराबर जनसंख्या का जो अनुपात आता है उस अनुपात से वार्ड बना दिये जायेंगे, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने नया सेक्शन उसमें एड किया, वह इस प्रकार है....

"Notwithstanding anything contained in this Act, the division of wards for the purposes of holding elections of Municipal Board or Municipal Council before the release of final returns of 1981 census, shall be made by the State Government on the basis of latest Assembly Electoral Rolls."

इसको करने की आवश्यकता नहीं थी। एक्ट में पहले से ही यह प्रावधान था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward and shall, as far as possible, be in the same proportion as the total number of seats for the municipality bear to its population."

उपाध्यक्ष महोदय, आपने दोनों सुने। सेक्शन 13 में जो क्लॉज है वह भी सुना और जो उन्होंने नया एड किया वह भी सुना। पुराने क्लॉज में साफ है कि जितनी शहर की जनसंख्या होगी, उसके अन्तर्गत जितने वार्ड हैं, उनका भाग देकर जितनी जितनी जनसंख्या के वार्ड होंगे उतनी जनसंख्या के समान वार्ड समान अनुपात में बना दिये जायें। उसके बाद नया सेक्शन बनाने की आवश्यकता क्या थी ? वह इसलिए थी कि इस एक क्लाज को एड करके इन्हें नगरपालिका चुनावों को राजनीति के साथ जोड़ना था। राजनैतिक धोखेबाजी जो इन्होंने की है, वह आज तक के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक शहर के वार्ड को उठा कर देख लीजिए। जिन वार्डों में कांग्रेस के विरोधी लोग जीतने वाले थे, जीत सकते थे वहां दो-दो सौ वोट कम कर दिये। समान अनुपात का आधार खतम कर दिया। वार्ड का वह आधार खतम कर दिया जिसके अन्तर्गत शहर के एक वार्ड के एक हजार आदमी मतदाता थे, दूसरे वार्ड में 15 सौ मतदाता थे, जनसंख्या के खण्ड, प्रखण्ड बने हुए थे उनके हिसाब से इन्होंने प्रखण्डों को तोड़ा। सारा मामला हटा दिया। लेटेस्ट असेम्बली की वोटर लिस्ट के आधार पर वार्ड बना दिये। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जनगणना हुई थी। 72 की जनसंख्या मानते। उनके आधार पर प्रखण्ड तय करते। एक एक, दो-दो को मिलाकर बांट लेते। इनकी इतनी संख्या है, इतनी लेकिन राजनैतिक सौदेबाजी....

श्री उपाध्यक्ष : लेटेस्ट जनसंख्या आउट हो गयी क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर नहीं आउट हुई, तो 1972 के आधार पर करते। उसमें भी अनुपात बराबर जाता। लेकिन उस सबको समाप्त कर दिया। इस आर्डिनेन्स में यह लिख दिया। इन क्लाजों के रहते हुए एक नया सेक्शन इन्सर्ट किया। इन्सर्ट करके यह काम किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे वार्ड थे जिनके अन्दर इनके लोग जीत नहीं सकते थे। उनको हटाया। उपाध्यक्ष महोदय, उठाकर देख लीजिए, इन्होंने जानबूझकर अल्प संख्यक सब स्थानों पर वार्ड में कम कर दिये। इसका प्रमाण यह है कि पिछली नगरपालिका चुनाव में जितने मुसलमान जीत कर आये थे उनसे बहुत कम मुसलमान इस बार जीत कर आये हैं। एक उदाहरण और है फतेहपुर में नगरपालिका चुनाव में मुसलमानों की संख्या थी 27 हजार और हिन्दुओं की 26 हजार। वहां पर मुसलमान वार्डों को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि सिर्फ 8 मुसलमान और 16 हिन्दू जीतकर आये हैं। यह आपकी करतूतों का फल है। मुसलमानों को 3-3, 4-4 सौ के खण्ड में इस प्रकार बांटा कि एक जगह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से कोई मैंबर जीत कर नहीं आये। इस प्रकार का काम किया। फतेहपुर का उदाहरण दिया, आप मंगाकर देख लीजिए पाप के फल की जिम्मेदारी आप पर है और इसका कारण है वहां के कांग्रेस के नेता। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, उनकी लड़ाई थी वहां के लीडर फारूख से। वह नहीं चाहते थे कि फारूख की म्यूनिसिपैलिटी बने....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष होंगे, जिला कांग्रेस कमेटी के....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिला कांग्रेस कमेटी की आलोचना करने से मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन जिला कांग्रेस के महामंत्री की आलोचना करने से तकलीफ होती है। वहां के विधायक थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। जाति के हिसाब से वार्डों का विभाजन किया। इस प्रकार से जिन शहरों में दूसरी जाति के लोग ज्यादा थे, जो कांग्रेस विरोधी गुट के या विरोधी पार्टी के व्यक्ति जीतने वाले थे, उन वार्डों का इस प्रकार विभाजन किया कि उनमें कांग्रेस का प्रत्याशी जीतकर आये। इस उद्देश्य से इन्होंने नया सैक्शन 13 में 3–ए इन्सर्ट किया है। बहुत सी शिकायतें हैं। अनेक स्थानों से, अनेक जगहों से शिकायतें आयीं उनके बाद भी ऐसा प्रावधान कर दिया, नियमों में संशोधन कर दिया। पहले सुनवाई होती थी, पब्लिकेशन होता था, सुनवाई होने के बाद में सरकार के पास सिफारिश आती थी और उसके बाद में वार्ड फाइनल होते थे। इस बारे में व्यवस्था थी कि आपको आब्जेक्शन लिख कर देना हो, तो लिख कर दीजिए। सुनवाई होगी और उसके बाद सरकार फाइनल करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले की 7 नगर पालिकाओं में बहुत से आब्जेक्शन आये लेकिन एक भी राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय जवाब दें, कितने आब्जेक्शन राजस्थान में फैसल किये हैं। जितने वार्डों के आब्जेक्शन आये उनमें से कितनों को स्वीकार किया गया और स्वीकार करके फैसला दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी संख्या बहुत ही नगण्य है। इन्होंने यह किया कि घर-घर में कांग्रेस का लीडर बैठ गया और वार्डों की संरचना की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव नहीं हुए, राज्य सरकार ने कराये नहीं, यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड नं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत सकते हैं, वहां पर एक-एक वार्ड में दो-दो हजार रखे हैं और जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी कन्टेस्ट में आ सकता है वहां एक हजार से ज्यादा नहीं हैं। कोई जवाब नहीं है। यह संशोधन इन्होंने किया, इसलिए किया कि कांग्रेस जीते। इन्होंने प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया है। इस सैक्शन को इन्सर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जानबूझकर किया। इसी प्रकार से दूसरे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संशोधन किये, क्या जरूरत थी इसको करने की। अपने व्यक्ति को कैसे जिताया जाये, जनता नहीं जिता सकती, तो सरकार द्वारा कैसे जिताया जाये। सरकार नहीं जिता सकती तो जो कर्मचारी हैं उन पर दवाव डालकर जिताया जाय। इसी उद्देश्य से इस प्रकार का प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान कर दिया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा काम किया है। मदेरणा साहब, आप जिस मन्त्रिमण्डल में बैठे हो, उसने ऐसी करतूतें की हैं, जो भारत में ही नहीं विश्व के प्रजातंत्र के इतिहास में नहीं मिलेंगी, ऐसी आपने मिसाल कायम की है। यह आपकी प्रजातंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, निष्पक्ष चुनाव की सरकार की कार्य-प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसा दुनिया के प्रजातंत्र के इतिहास में शायद ही होगा। जिन लोगों ने 2 तारीख को नोमिनेशन फाइल किये, उनकी सरकार ने एक आदेश निकाल कर बिना कारण बताये रद्द कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। कोई कारण नहीं बताया गया। क्या इसलिए किया गया कि कांग्रेस के लोग वार्ड में अपनी स्थिति अच्छी नहीं बना सके थे. कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए केन्डीडेट नहीं मिल रहे थे। कोई कारण नहीं बताया सरकार ने।

(300 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे उदाहरण हैं कि नाम लोग भर गये, फिर कलकत्ता, बम्बई चले गये और जब वापस आये 8 तारीख को तो जो चुनाव में उम्मीदवार हो कर गये थे, सरकार ने उनकी उम्मीदवारी का एक झटके में सफाया कर दिया। ऐसा प्रजातंत्र के इतिहास में कभी नहीं किया गया। मैं मांग करता हूं, सरकार इस बात का जवाब दे कि यह किस आधार पर किया, क्यों किया, क्यों प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया, क्यों उन व्यक्तियों के फार्म रिजेक्ट किये, क्या आधार था? कोई कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार सारी परम्पराओं को मिट्टी में मिला दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इससे भी बड़े घोटाले इन्होंने किये हैं। मतदाता सूचियों का प्रकाशन वार्डों के अनुसार नहीं है। सभापति महोदया, ऐसी मतदाता-सूचियां हैं, जो कांग्रेस के वार्ड थे, वहां पर मकान संख्या 1 से लेकर 50 तक नाम लिखे गये। फिर एक दो मकान छोड़ कर दुबारा मकान संख्या 1 से लेकर 50 तक लिख दिये। कई वार्डों में इस प्रकार के विवाद भी आये और रिटें भी आईं सरकार के खिलाफ। हरिजनों के वार्डों को इन्होंने तोड़ा। मतदाता सूचियों में नाम के नाम ही गायब हो गये। एक-एक सूची में दो हजार डेढ़ हजार नाम गायब कर दिये। लोगों ने शिकायत भी की कि उनके नाम जोड़े जायें। ऐसा भी देखने में आया कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे उनको चुनाव लड़ाना था इसलिये उनके नाम जोढ़ दिये गये। इस प्रकार के कारनामे करके मतदाता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सूचियों में भयंकर गड़बड़ की है। वार्डों के डिलिमिटेशन में इन्होंने गड़बड़ की, एक-एक मतदाता के नाम में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की और फिर अध्यादेश लाये। अध्यादेश इसलिए लाये कि हम गड़बड़ करके कैसे चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए अध्यादेश नहीं लाये कि इससे नगरपालिकाओं के चुनाव में क्या सुधार कर सकते हैं ?

सभापति महोदया, नगरपालिका चुनावों में सारा खर्चा नगरपालिकाओं पर डाला गया। पंचायतों का सारा खर्चा सरकार ने अपने ऊपर लिया लेकिन नगरपालिकाओं का सारा का सारा खर्चा उन्हीं पर डाला गया। जो नगरपालिकायें पहले से ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर थीं, जो नगरपालिकायें जर्जर हालत में थीं, सरकार के अनुदान के ऊपर और स्वयं के साधनों पर चलती थीं, जो नगरपालिकायें सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकतीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं कर सकतीं, लाइट और स्ट्रीट की व्यवस्था नहीं कर सकती उन सब नगरपालिकाओं के ऊपर राज्य सरकार ने चुनाव का खर्चा डाला। ऐसे उदाहरण भी हैं कि जिन नागरपालिकाओं के पास पैसा नहीं था, उन नगरपालिकाओं के आगे जाकर जीप खड़ी कर दी कि तब तक चुनाव नहीं होंगे जब तक कि खर्चा नहीं दोगे। इस प्रकार से नगरपालिकाओं के साथ अत्याचार किया गया, जो जर्जरित हालत में थीं उनको और भी जर्जरित बनाया गया।

सापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ जब चुनाव कराये तो उदयपुर और अजमेर नगरपालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं कराये, कारण क्या था ? कोई कारण नहीं। एक-एक व्यक्ति वहां पर चुनाव के लिये कह रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य मन्त्री, माननीय शीशरामजी ओला को कई नगरपालिकाओं से नहीं पटती है। तीन नगरपालिकाओं में, झुन्झुनू, बाकरा और रावल खेड़ा में बिना किसी कारण के चुनाव स्थगित करा दिया। शीशरामजी कहते हैं कि चुनाव हो जायेंगे। आप बतायें कि क्यों चुनाव स्थगित करा दिये ? लक्ष्मणगढ़ के चुनाव क्यों स्थगित कराये ? क्या कारण था ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अजमेर नगरपालिका के चुनाव क्यों नहीं कराये ? उदयपुर के क्यों कैंसिल किये ? क्या कारण था ? इसका कारण नहीं बता सकते कि उदयपुर में चुनाव क्यो नहीं कराये ? कारण इसका था कि वहां लोग वर्तमान शासन के खिलाफ थे, कांग्रेस का गुट वहां पर कमजोर पड़ता था इसलिए चुनाव रोके गये। एक और दो तारीख को फार्म भरे गये, उन फर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया। 142 नगरपालिकाओं के चुनाव आपने कराये तो उदयपुर और अजमेर में क्या हो गया था ? जोधपुर नगरपालिका के चुनाव तो हाई कोर्ट के आदेश से कराने पड़े, बाकी नगरपालिकाओं के क्यों नहीं कराये ? अब घोषणा कीजिये कि कब करायेंगे ? मन्त्री महोदय इसका जवाब दें। बकाया नगरपालिकाओं के चुनाव क्यों नही कराये ? इसका स्पष्टीकरण दें, घोषणा करें, इसकी, इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ एक एक काम, एक-एक तौर-तरीका इनका ऐसा था जिनसे यह साफ हो गया कि इन्होंने प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को, डेमोक्रेसी को खण्डित करने का काम किया। इन्होंने तीन बार आर्डिनेन्स जारी किये, चुनाव नहीं करा सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आपको अध्यादेश जारी करने थे, तो अध्यादेश जारी करते नगरपालिकाओं की स्थिति सुधार ने के बारे में। नगरपालिकाओं का आधार क्या है कमाई का? सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ सरकार ने घोषणा की कि पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल्स और डिस्पेन्सरीज काम करती हैं उनमें पैसा क्यों नहीं लगाते? अगर आप नगरपालिकाओं की स्वायतता कायम करना चाहते हैं तो जैसे आप पचायतों को सहायता देते हैं, वैसे ही उनको भी सहायता दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भूतपूर्व उप मन्त्री जी नींद ले रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। अभी नींद ले रहे थे, मेरी आवाज सुन कर जाग गये।

श्री सभापति : कोई नियम विरुद्ध नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियमों के विरुद्ध है। सत्र चल रहा है....

श्री कैलाश मेघवाल : नियम 269....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऊंघ रहे थे, सो नहीं रहे थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, डाइरेक्ट उनसे बात नहीं करें। ठीक है, आपने आसन का ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : सभापति महोदया, आपत्ति इस बात की होती है कि नींद ले रहा हूँ। कई दफा मैं ध्यान लगा कर सुनने के लिये बैठ जाता हूँ, आखें मींच लेता हूँ। मैं सो नहीं रहा था। यह मेरी आदत है। मैं सो नहीं रहा हूँ, आंख मींच कर ध्यान से सुनता हूँ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जहां तक मुझे याद है, राज्य सभा में भी एक बार रूलिंग दी गई थी—

श्री मोहनलाल मोदी : यह प्रश्न भूतपूर्व मन्त्री जी के लिये किया गया था माननीय बृजसुन्दर जी के लिये नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था उन्होंने अपनी गलतियां प्रगट कीं। पैसा बढ़ाने का आपने प्रावधान नहीं किया। इसका प्रावधान करते तो मैं इसका स्वागत करता। नगरपालिकाओं की स्वायत्तता के लिये आपने क्या किया? उनके क्षेत्र में स्कूल हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, प्रौढ़ शिक्षा है, नगरपालिकाओं की स्वायत्तता बढ़ाने का बात करते। यह मेरा प्रश्न है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपने किस के लिए आर्डिनेन्स जारी किया। प्रिआडिट का भूत बिठा रखा है आपने इनके ऊपर। चैयरमेन कोई काम नही कर सकता। अगर आप नगरपालिकाओं की भलाई के लिए कानून बनाते, तो मैं स्वागत करता। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इस प्रकार से आर्डिनेन्स जारी करके ठीक काम नहीं किया। आपने ऐसा काम किया कि येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की व्यवस्था कर दी।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, डिस्पेन्सरीज जिन नगरपालिकाओं के क्षेत्र में हैं उनको वह दी जायं, मनोरंजन कर उनको दिया जाय। नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके इस प्रकार के काम किये जाने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो छोटी नगरपालिकाएं हैं जयपुर और उदयपुर को छोड़ें लेकिन सीकर, नागौर, अलवर, जैसी नगरपालिकाओं के ऊपर यू. आई. टी. का भूत बिठा रखा है। उनका काम है, सफाई है या नहीं, बिजली है या नहीं। ट्रक स्टेण्ड, रिक्शा स्टेण्ड, बस स्टेण्ड, कई प्रकार की सुविधा हैं जो ये उपलब्ध कराना चाहता हैं लेकिन नगरपालिका की जमीन यू. आई.टी. के अन्तर्गत आती है जो अनइलेक्टेड बाडी है। नगरपालिकाओं के द्वारा काम कराना चाहते हैं, लेकिन जो नगरपालिकायें हैं उनके ऊपर तो आपने यू आई. टी. बिठा रखा है। मैं मांग करता हूं कि यू आई. टी. को खतम किया जाये और इनका सारा काम नगर परिषद् को सौंपा जाये। इससे नकरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और विकास का काम वह कर सकेंगी। आप ने उन्हें नगर परिषद् का काम नहीं दिया, आप उनको काम नहीं सौंपना चाहते।

सभापति महोदय, इन्होंने चुनाव जीतने के लिये किस प्रकार के हथकण्डे अपनाये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। कोई भी सरकार हो, वह सारे ज्ञापन को देखे। चुनाव के पहले दिन जब चुनाव प्रचार बंद हो गया शिवगंज और सुमेरपुर जिले में इस प्रकार का पोस्टर विज्ञापित किया नगरपालिका के खर्चे से, कांग्रेस के खर्चे से नहीं, कांग्रेस के खाते से नहीं, नगरपालिकाओं से पैसा इकट्ठा किया गया, नगरपालिका ने खर्च किया, माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये तो बड़े-बड़े पोस्टर निकाले गये और कांग्रेस का प्रचार किया गया। यह आपका चुनाव लड़ने का तरीका है, यह आपकी प्रजातन्त्र में आस्था है! सभापति महोदय, इससे पता चलता है कि नगरपालिकाओं के चुनाव कैसे जीते। सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से जो पोस्टर नगरपालिका के चुनाव में निकाले गये शिवगंज और सुनेरपुर में, यह कांग्रेस का प्रचार करने का तरीका था, इस तरह चुनाव जीते। मैं कहना चाहता हूं आपने इस प्रकार के चुनाव कराये, जो इलेक्टेड डिक्लेयर हुए, जो आपकी पार्टी के नहीं थे उन पर दबाव डाला और आपने उनसे मनमानी कराई। इस प्रकार का काम किया आपने। सभापति महोदया, आप कहते हैं कांग्रेस को बहुमत मिला। आपने आखिर कैसे चुनाव करवाये। आप नहीं जीते, इन

(101)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पंचायत चुनावों में, हम लोग जीते हैं। आपके जो उम्मीदवार थे, जिनको आपकी पार्टी का टिकट प्राप्त था उन 1900 में से 600 जीतकर आये, वह आपके चुनाव चिह्न पर के ऊपर लोग जीतकर आये। बाकी जीतकर आये लोकदल, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इन पार्टियों के उम्मीदवारों के लोगों ने कांग्रेस के हाथ के ठप्पे को हराया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने सरकारी साधनों का, पैसे का दुरुपयोग किया। सभापति महोदया, अगर आप आज्ञा दें तो निवेदन करूं, इन चुनावों में नगरपालिका के चुनावों में पुलिस के घेरे डालकर, कार में बैठा कर लोगों से वोट डलवाये गये और हमारे लोगों को भीतर नहीं घुसने दिया गया। आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। मेरा निवेदन करना यह है कि नगरपालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह हारी है और उसका इन चुनावों में सफाया हो गया है। अगर टोटल औसत निकालें तो नगरपालिका से एक सदस्य इनका मिलेगा। लेकिन उसको जो वोट मिले हैं वह कुल वोटों के प्रतिशत से बहुत कम हैं। आपके चिह्न से ज्यादा लोग हमारी पार्टियों के चुनाव चिह्न के जीते हैं इनको अधिक मत मिले हैं। यह देखने से इनका औसत बहुत कम आता है। नगरपालिकाओं के चुनाव में जनता ने कुल मिलकर कांग्रेस को ठुकरा दिया है, यह इसका एक परिणाम है। इसके साथ-साथ जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी सरकार के कारनामे गलत हैं। उसने आपकी सरकार की नीतियों पर मोहर नहीं लगाई है। जनता ने यह सिद्ध कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आर्डिनेंस इन्होंने जारी किया है, यह गलत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं कहना चहता हूं कि मेरे परिनियत संकल्प को स्वीकार किया जाये और यह जो अध्यादेश लाये हैं इसको निरस्त किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : बोलने वाले माननीय सदस्य अधिक समय न लें। श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : हम जो प्रस्ताव लाते हैं और बोलते हैं इसका मतलब है कि सरकार को दिशा निर्देश मिले।

(व्यवधान)

श्री सभापति : लेकिन ज्यादा लम्बा न खीचें। आप अपने पर कंट्रोल रखें। कंट्रोल नहीं रखा जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981 व दिनांक 27 जनवरी, 1982

(श्री यदुनाथ सिंह)

को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

सभापति महोदया, इस सरकार की क्या मंशा है और क्या नीति है? कल कुछ कहती है और आज कुछ कहती है। कल जब पंचायत के बारे में अध्यादेश यहां पर रखा जा रहा था तो सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि हमने इलेक्टोरल को बड़ा किया है, पंचायत और सरपंचों का इलेक्टोरल बड़ा किया है। लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा जो पंचायत, नगरपालिकाओं के इलेक्टोरल को बड़ा किया गया था, 18 साल की उम्र का मतदाता, जो देश में परिवर्तन लाने की स्थिति में है और जो परिवर्तन के लिये लड़ता है, को चुनाव में भाग लेने के अधिकार से महरूम करके सरकार ने जो बात कही थी उसको उल्टा किया। सभापति महोदया, जैसा नगरपालिकाओं के चुनाव से स्पष्ट हुआ है कि जो 1977 में वार्डों के चुनाव हुए थे उनमें से 682 में कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। इससे साफ जाहिर है कि जनता की भावना को समझती तो इस अध्यादेश को बिल का रूप नहीं देती। सभापति महोदया, इनकी जो दलगत टिकट देने की नीति है, उसको जनता ने ठुकरा दिया है। क्या यह समझने की सरकार में स्वयं की बुद्धि नहीं थी कि जनता ने इनको ठुकरा दिया, जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया उनको जनता ने हराया, इनकी पार्टी का जनता ने हराया। मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों में, नगरपालिकाओं और समाज सेवी संस्थाओं में दलगत राजनीति को न लाया जाये। वह तो क्षेत्रीय विकास की भावना को लेकर काम करती हैं, लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार करने वाली नहीं है। दलगत राजनीति लाने से गांव में जो विकास की प्रक्रिया होती है, नगरपालिकायें विकास के कार्य करती हैं, विकास करना उनका उद्देश्य होता है, वह बिलकुल छिन जाता है। महात्मा गांधी, जिन की आप रोज दुहाई देते हैं, नाम लेकर आप लोगों को ××× करते हैं। यह उनकी आशाओं मर्यादाओं के विपरीत भी हैं। नगरपालिका समाज सेवी संस्था है इनकी स्वायत्तता बढ़ाने का अगर आप बिल लाते, अगर आप यह कानून बनाते कि इनको और अधिकार कैसे दिये जायेंगे, यह जो काम करने वाली संस्थायें हैं इनको किस तरह सक्षम बनाया जायेगा, तो ठीक होता। लेकिन नगरपालिका चुनाव में सरकार ने हर तरह के हथकण्डे अपना कर, पुलिस के घेरे में ले ले जाकर लोगों से वोट डलवाये, लोगों को जबरदस्ती अपने दल में लाने के लिये भ्रष्टाचार का उपयोग किया, उनसे जबरदस्ती की गई। इस प्रकार से दलगत राजनीति का जो माहौल नगरपालिकाओं में लाये उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संकल्प को मंजूर किया जाये।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मैंने परिनियत संकल्प

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रस्तुत किया है, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या, सन् 1981) व दिनांक 27 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

मैं चाहता हूं प्रभारी मंत्री जवाब देंगे सरकार की ओर से, जो भी मन्त्री यहां बैठे हैं वे इसका जवाब देंगे तो जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं उन का उनके पास अगर जवाब नही है तो, सभापति महोदया, मुझे यह मानकर चलना पड़ेगा कि राजस्थान के वर्तमान मन्त्रिमण्डल, कांग्रेस (आई) के मन्त्रिमण्डल ने सिवाय राजस्थान की जनता के साथ मखौल करने के और सिवाय कठपुतली के खेल करने के कुछ भी नहीं किया है। इनका समझने का स्तर नहीं, इन के चिन्तन का स्तर नहीं, इनको ठीक ढंग से काम करने के तौर-तरीके मालूम नहीं। यह मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, जो संशोधन किया गया और जो पहले संशोधन किया जनता पार्टी की सरकार ने वह यह था कि नगरपालिकाओं के चुनाव में 21 साल के व्यक्ति को जो मत देने का अधिकार था वह मत देने का अधिकार 18 साल के व्यक्ति को दिया। अब माननीय सभापति महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें गलती क्या है? यह आर्डिनेंस जारी करने का आखिर क्या कारण है? यह तर्क नहीं है कि विधान सभा में 21 साल के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। यह तर्क नहीं है कि लोक सभा और दूसरे चुनावों में 21 साल के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है इसलिये हमने इसे वापस 21 साल कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, कोई लड़का होता है कोई लड़की होती है, अपना फैसला कर लेते है, शादी करने की बात करते है, घर से 18 साल की उम्र होने पर चले जाते हैं तो कानून का दखल नहीं रहता। जाकर शादी करते हैं तो कानून दखल नहीं देता है। दूसरे कई तरह के कार्य करने के जो वैधानिक अधिकार हैं 18 साल के प्रत्येक नौजवान और नवयुवति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपना भविष्य निर्धारित करने की बात जो देश के कानून में है वह चिंतन के आधार पर है। जो कानून बना हुआ है सी. पी. सी. उसमें माना गया है कि अपना भविष्य निर्धारित करने की क्षमता, मानसिक परिपक्वता, चिंतन 18 साल की आयु प्राप्त होने पर हो जाता है, क्या ऐसे व्यक्ति को, क्या इस उम्र के व्यक्ति को नगरपालिका का मतदाता होने का अधिकार न होने का सवाल है? हमें खुशी होगी इस बात की कि परिपक्व चिंतन से सही दिशा में उठने वाला कदम है इस कदम को कांग्रेस (आई) विधान सभा में लागू करती, इस कदम को लोक सभा में लागू करती, इस कदम को दूसरे चुनावों में लागू करती। इस कदम को उठाने के पीछे जनता पार्टी के पास विवेक था, रेशनल थिंकिंग था और एक भावना थी सारे देश में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवाज उठी नौजवानों में कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

जो 18 साल की उम्र में राजस्थान में हमको मत देने का स्वतन्त्र अधिकार है, हमारा भविष्य निर्धारित करने का स्वतन्त्र अधिकार है, कई कानूनों में संशोधन करने का स्वतन्त्र अधिकार हैं, हमें देश का भाग्य निर्माण करने के लिये अधिकार दिया जाय, हमें हमारी नगरपालिका के भाग्य के निर्माण करने में भागीदार बनाया जाय। भागीदार बनाने की जो उनकी मांग थी उसमें सत्यता थी, सच्चाई थी। इसके पीछे एक मौलिक भावना थी, मौलिक चिंतन था उसके आधार पर जनता पार्टी की सरकार ने 21 साल से 18 साल कर दिया था। अब क्या होगा? कहां से नौजवान लायेंगे जो आगे बढ़े? नौजवानों के शासन के काल में, नगरपालिकाओं के काल में हिस्सेदारी का जो कदम था, उस कदम को कांग्रेस (आई) की वर्तमान सरकार ने वापस लिया उसके पीछे कोई तर्क नहीं। जो कारण बताये हैं उनमें केवल "चूंकि" है। अरे! चूंकि यह स्थिति आ गई है। जो यह समाज है यह परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। बार बार क्यों लाये जाते हैं संशोधन? समय की मांग को देखना पड़ेगा, समय के चिंतन को देखना पड़ेगा, समय की दिशाओं को देखना पड़ेगा और उसके आधार पर सही काम हमको करना पड़ेगा। देश के नौजवानों को नगरपालिका, जो प्रारंभिक इकाई है, में भाग लेना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर जनता पार्टी का शासन रहता तो शायद यह कदम हम विधान सभाओं और लोक सभा में उठाने की तैयारी कर रहे थे। यह प्रारम्भिक तैयारी थी, लेकिन यह प्रगतिशील कदम इनको इच्छा नहीं लगा क्योंकि विधान सभा और लोक सभा में 21 साल है इसलिये वापस 18 से 21 करते हैं। क्या यही चिंतन है, क्या यही सोचने का तरीका है, क्या यही आपका संतुलित एप्रोच है? मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से क्योंकि सारे देश की स्थिति आपको मालूम है, इलेक्टोरल कालेज कैसे बनता है? देश में गुलाम को वोट देने का अधिकार नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मैंने पहले आपसे निवेदन किया....

श्री सभापति : कई माननीय सदस्यों को....

श्री कैलाश मेघवाल : अगर मेरा कोई तर्क ठीक न हो, अगर जो बात कह रहा हूं स्पष्ट न हो तो मैं स्वयं बैठ जाऊंगा। आपके बिठाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन परिनियत संकल्प साधारणतः नियमानुसार है, यह तरुण के सम्मान....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : भाषण अच्छा है लेकिन इसमें तथ्य नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय खेतसिंहजी, आपकी समझ में आने वाला नहीं है

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसलिये मैं कह रहा था, सभापति महोदया, आपको थोड़ा उदार होना चाहिये परिनियत संकल्प पर....

श्री सभापति : मैं तो बहुत उदार होना चाहती हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : अभी तो भूमिका ही बाँधी थी कि आपने घंटी बजा दी।

श्री सभापति : अगर इस तरह से बोलते जायेंगे, इतने सदस्यों को बोलना है....

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझ से पूर्ववक्ता श्री यदुनाथ सिंह ने बहुत कम समय लिया जरूरी नहीं कि सब पूरा समय लें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे अपनी बात कहने दी जाय नहीं तो बहस का सार्थक परिणाम नहीं आयेगा, आपके सामने तथ्य नहीं आयेंगे तो फिर सदन में बैठने से क्या लाभ ? आखिर एक लैजिस्लेशन बनाने जा रहे हैं उसमें नौजवानों को चुनौती दी है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया है, हमें अपनी बात नहीं करने देते....

श्री सभापति : अब भूमिका न बनायें दूसरे सदस्यों का ख्याल रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : कोई लैजिस्लेशन पास कराना है तो सदन में अपनी बात कह सकते हैं। सामने की बैंच खाली नजर आती है। हम विधान सभा में चाहते हैं कि विरोधी पक्ष अपना रोल सही अदा करे, सरकार को सही दिशा दे, उस बात को ध्यान में रखते हुये, हमारे बोलने के अधिकार को....

श्री सभापति : आप पाईंट पर आयें।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था इस विषय में मैं जानना चाहता हूं कौनसा तक था ? तर्क ऐसा होना चाहिये मौलिकता जिसमें हो, चिंतन की पृष्ठभूमि जिसमें हो, यथास्थितिवाद से हटकर आगे बढ़ने की बात हो। दूसरा नया संशोधन किया है कि 1981 की जनगणना के अंतिम आंकड़े आने तक जो पहले विधान सभा में चुनाव हुये उस निर्वाचक संख्या के आधार पर वार्डों का गठन करेंगे। माननीय सभापति महोदया, क्या कहूं इस सरकार से ? कितनी मखौल है देश में जनता के साथ। किस तरह का संशोधन लाये ? मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अंतिम आंकड़े तो आज तक नहीं आये 1981 में, अब 1982 में बोल रहा हूं, क्यों नहीं आये ? क्योंकि जनगणना में जिस तरह की जानकारी चाही जाती है, जनगणना में जिन विभिन्न विषयों पर विभिन्न जानकारी होती है, सारी जानकारियां धीरे धीरे टेबुलेट होती रहती हैं। प्राथमिकता के आधार पर, सभापति महोदय, सितम्बर में भी जनगणना के जो प्राथमिक आंकड़े आये उसके आधार पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसी विधान सभा के सत्र में चर्चा की थी, जनगणना के जिन प्राथमिक आंकड़े के आधार पर वार्ड बनाया जा सकता था, जिन प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता था, जिन प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सामने आ गया था, वे आंकड़े मुझे प्राप्त हो जायं, सितम्बर में इस आधार पर यह बहस की थी। वह सरकार के पास तो मई या जून में आ गये थे और मुख्य मंत्री का फोटो आ गया था, जिसमें जनगणना अधिकारी प्राथमिक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उसमें सारी जानकारी है, मेरे पास भी है। जनगणना के प्राथमिक आंकड़े के आधार पर नगरपालिकाओं के नाम लिखे हैं जो प्रामाणिकता से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का भाग्य सुरक्षित करने का आधार बन सकता था। सभापति महोदया, जन संख्या के आंकड़े वजूद में आ गये और 15 सितम्बर को अध्यादेश लाये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन पर विचार नहीं किया गया, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि 1981 की जनगणना के आंकड़े 19 90-91 तक आते रहेंगे, क्या जवाब है इस बात का? कौन ड्राफ्ट करता है? किस तरह से निर्णय लेते हैं? इस सदन के साथ क्यों धोखेबाजी की जाती है? क्या कारण हैं, जून के आंकड़े अगर आपके पास है तो लाकर देखें उसमें तारीखें हैं, कैसे परिनियमन होगा सीमायें होंगी सोचने का तरीका होगा। आपके पास बहुमत है, खेतसिंहजी व्हिप इश्यू करेंगे। लेकिन अंतिम आंकड़े क्या होते हैं।

सभापति महोदय: राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। राजस्थान की जनता के साथ बहुत मखौल किया गया है। सभापति महोदया, जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के विरुद्ध राजस्थान सरकार काम कर रही है। यह अध्यादेश मेरी उस भावना को फिर से प्रभावित कर रहा है, सभापति महोदय, वह भावना क्या है, सभापति महोदया? वह यह है कि जो अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के वार्ड बनाये गये हैं नगरपालिका के चुनावों के लिये वह ऐसे है कि जो रेशनल नहीं है, उन वार्डों का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। विधान सभाओं के चुनाव होते हैं उसमें जो आधार हैं वह उसके अनुसार नहीं है। सभापति महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के वार्ड अलग से बनाये हैं उनका क्या आधार रखा है? मैं, सभापति महोदय, इसलिये यह बात कहना चाहता है कि आज आप ठीक हैं सदन में आ गये है औरबहुमत के आधार पर इस बिल को पास भी करा लेगे लेकिन विधान सभा के जो निर्वाचन के आधार है और जिन आधारों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का प्रतिशत होना चाहिए वह आधार सही नहीं है। यह आपने आधार कहां से लिये हैं, इसका आप मुझे जवाब देंगे। अगर आप मुझे इसका जवाब नहीं देंगे तो आप राजस्थान की जनता के

(श्री कैलाश मेघवाल)

साथ धोखा कर रहे हैं। आपको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो प्रतिनिधित्व देना चाहिये वह नहीं दिया है और झूठे आंकड़े दिये हैं। यही कारण है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का प्रतिशत जो है वह कम है। आखिर आप यह क्या तमाशा कर रहे हैं ?

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान सरकार संशोधन नगरपालिका बिल में ला रही है वह क्या संशोधन ला रही है। आपको निवेदन करूं कि आप अगर उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि यह क्या हो रहा है, यह बिल कैसा है, यह किस तरह का संशोधन ला रहे हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार कौनसी सामग्री यहां पर लाई है और यह सामग्री कहां से आई है ? इसका कोई आधार है या नहीं ? आधार है, तो कौनसा है ? आज क्या काम हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आपने अध्यादेश जारी कर दिया। सभापति महोदय, जो अध्यादेश लाया गया है वह ऐसा है कि इसके द्वारा शिड्यूल्स कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के हकों पर कुठाराघात किया गया है। आप अगर अच्छा अध्यादेश लाते, उसमें कोई मौलिकता होती, कोई आधार होता तो हम आपके अध्यादेश का स्वागत करते। सभापति महोदय, पिछले दिनों मैं विधान सभा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें श्री खेतसिंह जी ने कहा था अध्यादेश जो लाया जाता है वह बहुत ही सोच समझ कर पेश किया जाना चाहिये। वही खेतसिंह जी ने कहा था जो कि आज छोटी छोटी बातों पर अध्यादेश ला रहे हैं, गलत आधार पर अध्यादेश ला रहे हैं और यहां पर अध्यादेश लाकर के व्हिप इश्यू करके बैठे हुए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का। इससे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य क्या हो सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं तीसरे पाइन्ट पर आ जाता हूं।

श्री सभापति : अभी तक आये नहीं क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो दूसरा संशोधन था वह बताया है अब जो तीसरा संशोधन किया गया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह जो तीसरा संशोधन किया है इसके द्वारा डिसक्वालिफिकेशन्स को रिमूव किया गया है। पहले इसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति, जिसमें पिछले एक साल से नगरपालिका की बकाया थी, नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकेगा इसके बारे में संशोधन किया गया है। अब वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। सभापति महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सभापति महोदय, 'नगरपालिका, कर वसूल करे नहीं, नगरपालिका का कर वसूल नहीं हो। नगरपालिका का कर जिनसे वसूल नहीं हो वह कौन लोग हैं, यह मैं, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं, वह लोग कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के नहीं है; कोई गरीब तबके के नहीं है। सभापति महोदया, इन लोगों में तो पैसा बकाया रहता ही नहीं है और गृह कर तो उन पर लगता ही नहीं है बाकी दूसरे कर भी उन पर नहीं लगते

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं। सभापति महोदया, यह कर की बकाया होती है बड़े बड़े सेठों में या बड़े बड़े पूंजीपतियों में, यह कर बकाया होता है बड़े भूमि पतियों में या बड़े बड़े जागीरदारों में जिनसे कि कर वसूल करने की क्षमता राजस्थान सरकार में नहीं है। सभापति महोदया, उन लोगों को सत्ता की कुर्सी पर बैठने से राजस्थान सरकार रोक भी नहीं सकती है। सभापति महोदया, यह अध्यादेश लाकर उन लोगों के लिये धारा मे प्रावधान किया जा रहा है। सभापति महोदया, आप देखें कि ऐसे कितने लोग है जिनमें कि नगरपालिका की बकाया है। दूसरे जिन लोगों में नगरपालिका की बकाया है उनमें तो राजस्थान के बड़े-बड़े सेठ, राजस्थान के बड़े बड़े सरमायेदार और वे लोग हैं जो कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के नेता लोग हैं। किसी गरीब में कोई पैसा बकाया नहीं है। यह तो उन लोगों को राहत दी जा है जिनसे राजस्थान सरकार कर वसूल नहीं पा रही है। आज नगरपालिका की स्थिति क्या है? वह बहुत ही खराब स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह सब षड्यन्त्र हो रहा है। जो षड्यन्त्र चल रहा है वह यह है कि आदमी को उलझाये रखो। हर समय अपने चौके के लिए उलझा रहे जैसे घर में दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, या चावल नहीं है, या आटा नहीं है। उससे अगर वह निपट जाये और बाहर आ जाये तो उसे बाहर गन्दी नालियां मिलें, टूटी सड़कें मिलें, बाहर गन्दगी मिले। उसमें वह साईकिल नहीं चला सकते। सड़क बिलकुल टूटी हुई है। तो, सभापति महोदय....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप 20 मिनट बोल चुके हैं। इस तरह सभी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री कैलाश मेघवाल: सभापति महोदया, मेरे ख्याल से आपकी घड़ी की रफ्तार मेरे बोलने से तेज चल रही है। बस एक दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 20 मिनट तो हो चुके हैं।

(व्यवधान)

काम तो मेरी घड़ी से ही चलेगा। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल: तो, सभापति महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि कर वसूल नहीं हो रहे हैं। कर वसूल नहीं कर रही है नगरपालिका पर इसमें भी राजनीति है। सरकार चाहती है कि जनता राजनीति के बारे में सोचना ही बन्द कर दे। सभापति महोदय, आज जो इस देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश में जो खराबियां है उनके खिलाफ में लोग आवाज नहीं उठायें। देश में जो लूट मची हुई है उसके खिलाफ में आवाज उठाना बन्द कर दें। आज नगरपालिका की सड़कों की हालत खराब है। घर के बाहर निकलते ही मल-मूत्र और गन्दगी पड़ी हुई दिखती है। साक्षात नरक है, सभापति महोदया। पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। यह सब हालत जो हो रही है यह राजस्थान की नगरपालिकाओं के कर वसूल नहीं करने के कारण हुई। आज गन्दगी बढ़ी हुई है, प्रशासन बिलकुल

(श्री कैलाश मेघवाल)

निकम्मा हो गया है। सर्वत्र मल-मूत्र और गन्दगी फैली हुई है। सभापति महोदया, साक्षात नरक आपको देखने को मिलेगा। सभापति महोदय, कभी आप अजमेर पधारें तो मैं आपको उधर से गुजरते वक्त बताऊंगा वह स्पोट जहां कि आपको चुनावों के दिनों सबसे ज्यादा झण्डे कांग्रेस पार्टी के लगे हुए थे, जहां गरीब लोगों के मोहल्ले हैं वहां पर आपको साक्षात नरक देखने को मिलेगा, सड़ा हुआ मल-मूत्र देखने को मिलेगा, उसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो, सभापति महोदया, एक बार भूख हड़ताल पर भी बैठा और मैंने कंवरिया साहब से भी कहा पर, सभापति महोदया, कोई सुनने वाला नहीं। राजस्थान की सरकार द्वारा कर वसूल नहीं किया जाये, सत्ता में बैठकर आप लोगों से वसूली के नोटिस नहीं निकलवायें और फिर इस प्रकार की कार्यवाही करें, सभापति महोदया, कांग्रेस सरकार ने यह किया।

सभापति महोदया, आपका मूड देखकर मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और कहता हूं कि मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा। आप रिपीटीशन नहीं करेंगी, माननीय सदस्या,

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके पहले नाथूसिंह जी का नाम है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पहली बार समझदारी का काम किया है।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैंने यह परिनियत संकल्प रखा है, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981) व दिनांक 27 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

श्री सभापति : देखिये, माननीय सदस्य, आपकी पार्टी 22 मिनट का समय ले चुकी है इसलिये मैं आपको बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन कर रही हूं कि आप कम से कम समय लें।

(व्यवधान)

चूंकि आपकी आदत ज्यादा बोलने की इसलिये मैंने पहले ही कह दिया।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, मैं आदत के कारण नहीं बोल रहा हूं। मैं तो यह जो आर्डिनेन्स आया है उसको अस्वीकार करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया जाता है तो उस में वक्त की पाबन्दी नहीं होती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : होती है।

श्री नाथूसिंह : होती है तो आप बता दें, खेतसिंह जी।

(व्यवधान)

(श्री नाथूसिंह)

सभापति महोदय, इसमें समय की पाबन्दी नहीं होती है आर्डिनन्स पर परिनियत सकल्प पर बोलने का कोई सीमा से नहीं बान्धा जा सकता है।

श्री सभापति : मुझे अध्यक्ष महोदय से यह आदेश मिला है कि सात मिनट का समय दीजिये। आपकी पार्टी के माननीय सदस्य 20 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, जो कोई भी लोक सभा में सदस्य रह चुके हैं और आप भी राज्य सभा के सदस्य रह चुकी हैं आप जानती होंगी वहां कोई पाबंदी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलना प्रारम्भ करें। आप इधर उधर की बातें करके समय नष्ट नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, जो आर्डिनेन्स लाया गया है इसमें जो अमेण्डमेन्ट्स लाये गये हैं उनको देखने से पता लगता है कि सारे अमेण्डमेन्ट्स इस सरकार के स्वार्थ के ऊपर टिके हुए हैं, सरकार के विवेक पर नहीं। तीन अमेण्डमेन्ट्स हैं इसमें, युवकों की उम्र मताधिकार की 18 से 21 साल कर दी, वार्ड्स कैसे बनाये जायेंगे और एरियर्स के बारे में। सभापति महोदया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह जो दो अमेण्डमेन्ट्स दिये हैं मैं उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता जितना कि सेक्शन 17 में अमेण्डमेन्ट लाया गया है उसको समझता हूं। क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस पर आज ही नहीं प्रारम्भ से ही बहस चल रही है। इन्होंने, सभापति महोदय, जो रीजन्स दिये हैं वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं :

"The voting age for purposes of Assembly, Parliament and Panchayt elections continued to be 21 years while the same was reduced from 21 years to 18 years in 1978 for purpose of municipal elections. In order to maintain uniformity in regard to voting rage for all elections,"

एक ही कारण दिया है to maintain uniformity. और कोई कारण नहीं है it was decided to restore the voting age to 21 years in miniclpal elections also by amending section 17 of the Raiasthan Municipalities Act, 1 959.'

एक कारण दिया है यूनिफार्मिटी का। यूनिफार्मिटी आप और चीजों में क्यों नहीं लाते हैं? इसी वोटिंग एज के बारे में आप यूनिफार्मिटी लाना चाहते हैं। सभापति महोदया, और यह यूनिफार्मिटी की बात होती तो समझ में आता। इसके विपरीत जो 1978 में अमेण्डमेंट लाया गया था और जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी उसके रीजन्स मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय, सभापति महोदया, जो रीजन्स दिये हैं उससे क्लियर हो जायेगा :

(श्री नाथूसिंह)

'In order to meet the aspirations of the youth and enable them to participate in the democratic system at the local level, it is considered appropriate to reduce the age for elections to municipalities from 21 years to 18 years, and thereby make available the right of franchise to youth in the State."

सभापति महोदया, इन दोनों रीजन्स को देखकर आपको पता लग जायेगा कि वजन किसमें है। इनके पास भारी रीजन नहीं है जो इन्होंने दिया हो, महत्वपूर्ण कारण नहीं बताया जिसके कारण यह अमेण्डमेन्ट लाया गया हो। इसलिए कि केवल अमेण्डमेन्ट लाना था, स्वार्थ सिद्धि करनी थी इसलिए अमेण्डमेंट लाया गया। उसका रीजन तो देना ही पड़ता इसलिए यूनिफॉर्मिटी का रीजन दिया। हम बार बार यह नारा लगाते थे, आपने 75 से 77 तक बहुत नारे लगाये और आज भी लगा रहे हैं। थोड़े दिन बाद लगायेंगे आज नहीं लगाया तो, एक ही युवक है हिन्दुस्तान में राजीव गांधी। तो आपको पूरे हिन्दुस्तान में एक ही नजर आता है दिल्ली दरबार में और कोई युवक नजर नहीं आता। सभापति महोदया, यह अमेण्डमेन्ट लाकर इन्होंने युवकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आखिर यह 18 वर्ष की एज क्यों की गई? 1978 में यह अमेण्डमेन्ट क्यों लाया गया था इसके पीछे का कारण क्या था? सभापति महोदय, आप तो बुद्धिमान हैं, जानती हैं, राज्य सभा में डिबेट सुनी भी होगी, आप बोली भी हैं, विदेशों में भी आप जाकर आई हैं। 18 साल के मताधिकार की शुरुआत क्यों हुई? इसके पीछे कारण क्या है? वयस्कता अधिनियम को अगर आप पढ़ेंगी तो वयस्कता की आयु 18 साल रखी है। कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत कोई कानून ऐसा नहीं है जो वयस्कता पर आधारित नहीं हो। हर कानून में वयस्कता को सफिशियेन्ट माना है और वयस्कता की उम्र 18 साल है। फिर आपने केवल वोट देने के लिए यह 21 साल क्यों कर दी? क्या इसके पीछे आपके पास कोई कारण है? कोई कारण आपके पास नहीं है। आपने यूनिफॉर्मिटी का कारण बताया। अगर आप यूनिफार्मिटी लाना चाहते हैं तो, सभापति महोदया, इन्हीं की सरकार दूसरे प्रान्तों में है वहां का मैं उदाहरण देता हूं। बिहार में 18 साल की आयु है, मध्य प्रदेश में 18 साल की आयु है, आन्ध्र प्रदेश में 18 साल की आयु है, आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा गुजरात और केरल में सब जगह वोटिंग एज 18 साल है। फिर आपको यूनिफार्मिटी का आधार देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? बेसलेस है यह यूनिफार्मिटी का आधार जो दे रहे हैं। इससे आपका कोई पक्ष मजबूत नहीं होता। सभापति महोदया, बहुत सोच समझकर 18 साल की एज को लागू किया है। हिन्दुस्तान में इसका इतिहास प्रारम्भ होता है, एक सर्वदलीय कमेटी बनी थी इंग्लैंड में। एक रिपोर्ट उसके बाद आई ब्रिटेन में। उन्होंने पहली बार ब्रिटेन में लागू करने के लिए इस तरह का सुझाव

(श्री नाथूसिंह)

दिया। उसके बाद हाउस आफ कामन्स के सभापति के सभापतित्व में एक सर्वदलीय समिति बनी और उसमें 1969 में 18 साल के नौजवान को मताधिकार का दिया 1969 में तत्कालीन जनसंघ के नेता थे लोक सभा में श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेई, उन्होंने पहली बार प्रश्न को उठाया कि जहां से ससदीय लोकतन्त्र लिया है वहां 18 साल की आयु है। उस समय तत्कालीन विधि मन्त्री, श्री मेनन ने आश्वासन दिया और कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिए तैयार हूं। यह मामला सलेक्ट कमेटी में गया। उसके बाद, सभापति महोदया, 24 नवम्बर, 1970 को यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा। इतना ही नहीं पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट लोक सभा में इन्ट्रोड्यूजस की गई 1970 में उस रिपोर्ट के अन्दर, सभापति महोदया, कहा गया है। मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं :

"In their 9th report fourth Lok Sabha submitted to the Lok Sabha in 1970, the committee have given earnest consideration to the demands of the petioners for lowering the voting age from 21 yrs. to 18 yrs. Although there are strong arguments against the proposal, such as imma turity of youth at that age and financial implications....

फॉर और अगेन्स्ट दोनों तरफ के तर्क वहां पर दिये गये :

"financial implications involved in handling vastly increased electorate thereby, the committee feel that there are no valid reasons denying the right of vote to persons above the age of 18 yrs., particularly when for all other purposes of law they are treated as majors and"

यह समिति ने रिपोर्ट दी उसमें कहा है:

"and deemed competent to handle their affairs."

श्री सभापति : आप इसका सार ऐसे ही फर्मा दें।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं। मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं सार का सवाल नहीं है। जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, आखिरकार वह कमेटी महत्वपूर्ण कमेटी है:

"The committce thereforere commended that Article 326 of the Constitution should be amended and voting age reduced from 21 yrs. to 18 yrs."

इसके बाद आप क्या चाहते हैं ? सभापति महोदया, इतना ही नहीं 22 जून, 1971 को एक जोइन्ट कमेटी आफ पार्लियामेन्ट अपाइन्ट की गई वह तत्कालीन

(श्री नाथूसिंह)

विधि राज्य मन्त्री, श्री नीतिराज चौधरी ने अपाइन्ट की; उसके चेयरमैन थे श्री जगन्नाथ राव, जो कि कांग्रेस के थे हमारी पार्टी के नहीं थे आपकी पार्टी के थे और उस समय मेजोरिटी आपकी पार्टी की थी। उसने 4 जनवरी, 197- को रिपोर्ट पेश की। सभापति महोदया, उस रिपोर्ट का अन्तिम पेरा मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। उसमें भी कहा है :

"The committee felt that this measure provided to the younger generation a sense of participation in the democratic process. In their view, there are no valid reasons for denying the right of vote to the age group of 18-21 yrs. particularly when for all purposes of law, they are treated as majors and deemed competent to handle their affairs.

It further said that the voting age should be reduced from 21 to 18 yrs. and the Constitution might be amended accordingly."

सभापति महोदया, उसमें भी यह बात है। यही नहीं, 1974 में तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री, श्री करणसिंह जी ने भी एक प्रस्ताव किया था स्वाधीनता की रजत जयन्ती का और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि इस स्वाधीनता की रजत जयन्ती के उपहारस्वरूप इसे भारत के युवकों को भेंट करना चाहिए। यह करणसिंह जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा है। कितनी ही कमेटियों ने इसके बारे में रिपोर्ट दी। करणसिंह जी ने प्रस्ताव किया। इतना ही नहीं, 1974 में जस्टिस तारकुण्डे की अध्यक्षता में जयप्रकाश जी नारायण ने एक कमेटी अपाइन्ट की पूरी जांच करने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा है उसको भी मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं ताकि कोई बात नहीं रह जाय। जो कमेटी अपाइन्ट की गई थी उस कमेटी मेंने कहा है, दो ही लाइनें हैं:

"It is argued thet there might have been some justice when the constitution promulgated after confirming once franchise to 21 yrs. This provision had no meaning any more......"

यह तारकुण्डे कमेटी ने रिपोर्ट दी। मैं नहीं कह रहा हूं। एक के बाद एक कितनी कमेटियां बैठीं वह रिपोर्ट देती गईं। यह रिपोर्ट फरवरी, 1975 में प्रकाशित हुई। इतना ही नहीं है, 1977 में रूस में एक इण्डियन डेलीगेशन गया। उसके सामने, सभापति महोदया, कोसीगिन साहब ने इस बात को स्वीकार किया है और बड़े प्राइड के साथ में कहा है कि वोटिंग एज 18 साल होनी चाहिये। मैं उसे कोट करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इसके बाद 5 जनवरी,

(श्री नाथूसिंह)

1978, जब जनता गवर्नमेंट थी, को केबिनेट की सब-कमेटी बनाई। उस सब-कमेटी ने इस मामले में विचार किया और विचार करने के बाद उसने भी जो रिपोर्ट दी....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा संक्षेप में कहें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, 22 जनवरी, 1978 को इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में विचार प्रकट किये। उन्होंने भी इस बात को माना है कि यह गलत है। उन्होंने कहा है :

"Election commission agrees with the suggestion that the voting age be lowered to 18 years."

सभापति महोदय, यह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, एक नहीं अनेकों बार सदस्यों ने कहा है। इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर शकधर साहब हैं, 16 नवम्बर, 78 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है :

"The Chief Election Commissioner Mr. Shakhdhar expressed the view that the voting age be brought down from the present to the 18yrs."

यह पार्लियामेन्ट्र व सेमीनार में बोलते हुए कहा है। आगे उन्होंने कहा है :

श्री सभापति : आप 15-15, 20-20 मिनट बोल गये हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, यह सब्जेक्ट ही 18 साल के युवकों का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह युवकों का सब्जेक्ट है।

श्री सभापति : उनको होना चाहिये, आपको नहीं....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : युवकों को कन्ट्रोल में आपने ही नहीं रखा। ये कहां रखेंगे ?

श्री सभापति : आप जरा जल्दी करिये।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, आप तो हमेशा युवकों का समर्थन करती आई हैं This is very important,because, सभापति महोदया, यह शकधर साहब ने कहा है। इसके आगे भी कई बार यह मसला आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इस समय विरोधी दल के माननीय नेता बैठे हुए हैं जो उस समय मुख्य मन्त्री थे। इन्होने उस समय इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कम से कम राजस्थान के युवकों को एक तोहफा भेंट किया और वोटिंग एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। इन्होंने प्रारम्भ किया, इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल प्रदेशों ने 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। इतना ही नहीं, केन्द्र भी इस मामले में बार बार सोचता रहा है। केवल पूरे भारत के प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पूरे

(श्री नाथूसिंह)

विश्व के देशों के अन्दर, चाहे कम्युनिस्ट कन्ट्रीज हों और चाहे डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज हों उनकी लिस्ट उठाकर देखें, 18 साल, यहां तक कि 17 साल के नौजवानों को वोटिंग का राइट दिया गया है। सभापति महोदया, मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन जिन कन्ट्रीज में 18 साल की एज है—अर्जेन्टाइना, आस्ट्रेलिया, बंगला देश, ब्राजील, बुलगारिया, कनेडा, कोस्टारिका, चेकोस्लावाकिया, इंगलैण्ड, फिनलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी रिपब्लिक, जर्मनी फेडरल रिपब्लिक, हंगरी, आयरलैंड, इजरायल इस तरह, सभापति महोदया, बहुत सारे देश हैं, नीदरलैण्ड, पोलैण्ड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्री लंका, स्वीडन जो हमारे चारों तरफ हैं चीन....

श्री परसराम मदेरणा : पाकिस्तान में तो वोटिंग हो नहीं रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : लेकिन वहां इलेक्शन कानून तो है उसमें 18 साल ही है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आप अन्तर्राष्ट्रीय इन्फार्मेशन दे रहे हैं....।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो अन्तर्राष्ट्रीय इन्फार्मेशन दे रहे हैं लेकिन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार व कार्य करे तब काम चलेगा।

श्री नाथूसिंह : मैंने दूसरे प्रदेशों का भी उदाहरण दिया है। आप थोड़ी देर से आये हैं।

श्री सभापति : अब आप रिपीट मत करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि जितनी कमेटियां बनीं उन्होंने यह रिपोर्ट दी है। मैंने यह भी बताया कि किन किन प्रदेशों में और किन किन कन्ट्रीज में वोटिंग का राइट 18 साल के नौजवानों को दिया गया है तो राजस्थान में जो कानून जनता पार्टी लाई थी उसको आर्डिनेन्स लाकर क्यों अमेन्ड करना चाहते हो? आखिर कौनसी दिक्कत है आपके सामने? आप यह मानते हैं, 18 साल का हर कानून में प्रोविजन है। मदेरणा साहब, आप जानते हैं वयस्कता अधिनियम में भी यह व्यवस्था है। हर पर्पज के लिये 18 साल है तो फिर केवल वोट के लिये युवकों से क्यों भयभीत हैं? एक कारण दिया गया है—यूनिफार्मिटी का केवल एक ग्राउण्ड दिया है। सभापति महोदया, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें भी यूनिफार्मिटी दिखायें। अमीर और गरीब की यूनिफार्मिटी दिखायें, एजूकेशन में यूनिफार्मिटी दिखायें, एग्रीकल्चर में यूनिफार्मिटी दिखायें, शहर और गांवों का यूनिफार्मिटी दिखायें, मेडिकल में यूनिफार्मिटी दिखायें, यूनिवर्सिटी और कालेजों में यूनिफार्मिटी दिखायें, सिंचाई में यूनिफार्मिटी दिखायें। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें यूनिफार्मिटी दिखाई जा सकती है। इन्कम में यूनिफार्मिटी दिखायें, खर्च में यूनिफार्मिटी नहीं ला सकते हैं? और तो और, सभापति

(श्री नाथूसिंह)

महोदया, अपनी पार्टी में ही यूनिफार्मिटी ले आयें। इन सबकी तो कोई चिन्ता नहीं है लेकिन यूनिफार्मिटी की चिन्ता लगी है तो 18 साल के नौजवान के वोट के राइट पर लगी हैं। आज पढ़े लिखे जो 18 साल के हैं वे ज्यादा समझदार और ज्यादा रेस्पान्सिबिल हैं बजाय बिना पढ़े लिखे 25 साल के। इसलिये किसी भी आर्गूमेंट पर यह नहीं कर सकते हैं। हमें समझाइये, किसी भी आर्गूमेंट के आधार पर यह नहीं कर सकते हैं जो 18 साल से 21 साल किया है। यह आपको भयभीत करता है। आपको तो एक ही यूनिफार्मिटी नजर आती है। आप राजस्थान के लाखों युवकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखते हैं, रोज आन्दोलन हो रहे हैं। नौजवान जैसा बिहार में जागे, गुजरात में जागे वैसे जागे तो फिर भी 77 वाली स्थिति ला देंगे, जो यूनिफार्मिटी 1977 में हुई थी—वह ला देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है युवकों की भावनाओं के साथ न खेलें। मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं इस के बारे में कि यदि अमेण्ड कर दिया 21 साल तो आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप तैयार हो जाइये, राजस्थान के युवकों को फेस करने के लिए, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, विरोधी दल के हैं। आप कहेंगे विरोधी दल सरकार नहीं चलने देते, लेकिन यह युवकों की भावनाओं का प्रश्न है। आपकी पार्टी के लोग भी इसके लिए लालायित हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप पार्टी के लिए यह धारणा बना रहे हैं। कोई अगर यह कहे तो मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, जयपुर के अन्दर आपने चुनाव नहीं कराये,

(व्यवधान)

पहले रिपीटिशन हो चुका, मैं रिपीटिशन नहीं करना चाहता।

कई जगह आपने चुनाव इसलिए नहीं कराये नगर परिषदों के, जयपुर नगर परिषद के चुनाव इसलिये नहीं कराये क्योंकि जयपुर के अन्दर आपकी ढीली है। जयपुर नगर परिषद् के चुनाव हो जाते तो आप लोगों की बुरी हालत होती। उसकी हार का पूरे राजस्थान के अन्दर असर पड़ता इसलिए आपने नगर परिषद् के चुनाव नहीं कराये। क्या कारन था चुनाव नहीं कराने का? और पीछे बाढ़ आयी, आप लोग कफन पर भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, पिछले दिनों बाढ़ आयी जयपुर के अन्दर, उससे आपने लाभ उठाया। यहां है नहीं स्वायत्त शासन मन्त्री, उन्होंने उस बाढ़ द्वारा व्यक्तिगत और राजनैतिक दोनों रूप से फायदा उठाया। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि बाढ़ में जिन लोगों के मकान बह गये थे, उन लोगों को उठा उठाकर अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाकर लालच दिया बसाने का। बाढ़ में लोग मर रहे थे, किसी की चिन्ता नहीं थी, अपनी कान्स्टीट्यूएंसी की चिन्ता थी। यह व्यवहार है आप लोगों का। कफन पर भी मुनाफा कमाने की आपकी आदत है। आपको सोचना चाहिए था। इस मामले में गम्भीरता से सोचना चाहिए था कि लोग तो मर रहे हैं।

(श्री नाथूसिंह)

आज नगर के सारे नागरिक हैं? वे क्या कह रहे हैं, गोटेवाला जी अपने समर्थकों को ले जाकर बसा रहे हैं विद्यानगर में। इसलिए, सभापति महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए, सभापति महोदय, जितने भी ये कार्य कर रहे हैं, ये कानून के अनुसार नहीं हैं, ईमानदारी के अनुसार नहीं हैं....

एक माननीय सदस्य : विद्यानगर का तो प्लानिंग ही तैयार नहीं है।

श्री नाथूसिंह : कैसे नहीं है, साहब, बन गया वह तो।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये।

श्री नाथूसिंह : क्योंकि, सभापति महोदय, मेरा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो दो मिनट करके इतना लम्बा नहीं चलेगा।

श्री नाथूसिंह : मैं लास्ट दो मिनट लूंगा। यह मामला ही ऐसा है।

यह आर्डिनेन्स, नैतिकता के आधार पर नहीं है इसलिए इस पर विचार कीजिए आप। अब भी भगवान आपको बुद्धि दे दे।

जितने एरियर्स हैं, एरियर्स किसके बाकी हैं, आप सर्वेक्षण कीजिए।

(4 4. म. प.)

(श्री अहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष)
पदासीन

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप आसन पर बैठे हैं तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। बहुत देर हो गई आपको।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम आपसे मुझे आशा नहीं थी, आप आसन पर बैठते ही मुझे बोलने से बन्द करना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि मैं बोलूं। मैं आसन के रूप में नहीं कह रहा हूं मैं बाहर के आधार पर कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो एरियर्स हैं, सर्वेक्षण किया जाय तो 90 पर्सेन्ट कांग्रेस (ई) के मिलेंगे। उनमें एरियर्स बाकी हैं। हां, इसमें आप एक अमेण्डमेन्ट करते तो मुझे खुशी होती। एरियर्स को यदि जमा कर दिया जाता है उस समय भी तो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। ऐसा अमेण्डमेन्ट लाते आप यह तो है पहले से ही। इसमें दिक्कत क्या आ गई थी? उस समय जमा कराने पर भी आप लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं माने यह दुर्भावना का प्रतीक है। आप लोग अपने लोगों को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, कुल प्रक्रिया को देखकर जो तीन अमेण्डमेन्ट आप लोग लाये हैं ये सारे अमेण्डमेन्ट राजनैतिक पूर्वाग्रह से परिपूर्ण हैं, स्वार्थ पर अधारित हैं, नैतिकता के आधार पर

(श्री नाथूसिंह)

नहीं है । आप लोग राजस्थान के युवकों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनके भाग्य के साथ, उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके राइट्स छीन रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से विनती करता हूं, राजस्थान के युवकों की तरफ से कि ये जो 18 साल से 21 साल करने का अमेण्डमेन्ट लाया गया है, इसको सदन ठुकरा दे, अस्वीकार कर दे। इससे आपकी इन्सल्ट नहीं होगी उल्टे आगे आपकी लोग तारीफ करेंगे कि सरकार जागरुक है, सरकार को जब जगाया गया तो जाग गई, नहीं तो लोग बाग ये कहेंगे कि ये सरकार ऐसी निठल्ली है, ये कुंभकर्णी सरकार है जिसे बार बार जगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जागती है। ये आरोप आपके ऊपर पर लगेगा। इसलिए मैं सदन से विनती करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, कि इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करें।

आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा टाइम का ध्यान रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने मिनट ?

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट बहुत होते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन मिनट। पांच मिनट से भी कम कर दूं ? जितना आप कहें उससे एक मिन्ट कम।

(व्यवधान)

आप बोलिये। यह गरमी की बात नहीं, यह अकड़ने की बात नहीं। ऐसी कमजोर नहीं हूं।

यह सदन श्रीमन्, राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक....

श्री उपाध्यक्ष : यह पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्यों न पढ़ूं ? पढ़ूंगी।

मैं प्रस्ताव करती हूं यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिको (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981) व दिनांक 27 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें कह दी गई वह मैं नहीं दोहराना चाहती लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय ने कौनसा तर्क लेकर 18 वर्ष से 21 वर्ष की है। जो दलील आपको पूर्व वक्ता ने दी है उनमें से कौनसी काट्य है ? कोई काट्य है, मुझे लगता नहीं। अगर आप कोई ऐसी दलील लेकर आये होते, नगरपालिका क्षेत्र के बड़े विकास के बारे में उन्हें जिम्मेदारियों सौंपने के बारे में लेकर आये होते कि उन्हें जलदाय विभाग देंगे, कि उन्हें विद्युत विभाग देंगे, कि उन्हे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रोडवेज देंगे, जो आपसे चलते नहीं हैं, तो आपकी बात मान ली जाती। उन्हें मनोरंजन कर देंगे ताकि अपने विकास कार्य को बढ़ा सकें, जो चुंगी की दर 200 प्रतिशत बढ़ा दी उसको वापस कर लेंगे। ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आपको ये अध्यादेश लाना पड़ा, मन्त्री महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह एक बात ऐसी है जो जनता पार्टी सरकार ने की इसलिए हम अध्यादेश लाये है कि इसको हटायेंगे। यह वैसी ही दलील है जैसी दलील शराबबन्दी के बारे में थी, जनता पार्टी सरकार ने शराबबन्दी का अच्छा काम किया लेकिन इन्होंने कहा, क्योंकि यह जनता पार्टी सरकार ने किया इसलिए हम इसे हटादेंगे। हमसे शराबन्दी का मामला संभलता नहीं। आज ही मेरा एक प्रश्न था, इसमें जो धारा दूसरी दी गई है वार्डों के परिसीमन की, उस प्रश्न में मैंने वार्डों के परिसीमन के बारे में पूछा था। विधि मन्त्री जी को उत्तर भी सूझा नहीं। उस प्रश्न के उत्तर में बताया गजट में नोटिफिकेशन आये हैं। वार्ड गलत काटे है दो वार्ड का एक वार्ड कर दिया। दुगुनी जनसंख्या कर दी, एक वार्ड दूसरी कान्स्टीट्यूएन्सी के वार्ड में जोड़ दिया। यह क्या तरीका हैं गलत काम कर रहे हैं और हमें सुझा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि गलत काम मत करो। आप गलत काम को सही करने के बजाय जो सही काम है, उसको गलत करने पर चले हो। मन्त्री महोदय, आपकी बुद्धि की बलिहारी है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, समय रहते आप यह जो अध्यादेश लाये हैं, इसको वापस ले लें। इलेक्टोरलकालेज बड़ा होने से अच्छा रहता है। लोग समझदार हों, अधिक हों अधिक लोग मतदाता हों, लोगों को उनका अधिकार मालूम पड़े लोगों की आस्था जनतन्त्र में हो, मैं समझती हूं, वह ज्यादा अच्छी बात है। जिस तरह से आपने कल पहले ही से दलील दी थी कि पंचायतों में हमने थ्री टायर सिस्टम किया है, टू टायर के बजाय कि ज्यादा वोट मिलें। हमने जो कर दिया वह आपको बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझती हूं, यह उचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ तो देखें, मैं आपके आदेश से पहले ही और अपने समय में रहते हुए ही यह बातें कहते हुए कि मेरे परिनियत संकल्प को स्वीकार किया जाय, बैठती हूं। जनमत के लिए भेजने की जब स्टेज आयेगी, बाकी बात तब करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं, "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981) व दिनांक 27 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

करता है।" इसके संदर्भ में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस सरकार ने नवयुवकों की उपेक्षा की है। जनता सरकार ने जो 18 वर्ष के नवयुवकों को वोट देने का अधिकार दिया था इन्होंने उसके ऊपर कुठाराघात किया है। इन्होंने उसकी जगह पर 21 वर्ष किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता था कि यदि ये नवयुवक वोट देंगे तो हम नहीं आ सकेंगे। ये नगरपालिकायें उनकी नहीं हो सकेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जिन वार्डों में ये जीत नहीं सकते थे इन्होंने कई जगहों पर कई वार्डों में फेर बदल किया और पचासों व्यक्तियों के नाम योजनाबद्ध तरीके से कटवा दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका भवानीमण्डी के सदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर राइस मिल है। वहां पर कई विचारधाराओं के व्यक्ति थे जो इनको वोट नहीं देने वाले थे। इन्होंने वोटर लिस्ट में से पचासों लोगों के नाम उड़वा दिए। इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका में जो कई लोगों के ऊपर कर और टैक्स बकाया था उन लोगों को भी इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारी संख्या में जीत कर आने की बात करते हैं। आप जरा यह तो बतावें कि भवानीमण्डी नगरपालिका में कितने आपके सदस्य जीत कर आये हैं। इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के राजनैतिक स्तर पर चुनाव करा कर नगरपालिका की जगह एक पालिकायें बनाई हैं। मेरी ऐसी भावना है कि यदि ये राजनीति से परे हो करके चुनाव करवाते तो नगर की भव्यता में, सुन्दरता में वृद्धि होती। समर्थ सदस्य बनते तो सदस्यता की भावना से कार्य करते और नगर सुन्दर बनाते और जनता को वहां पर सुविधायें मिलतीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर निवेदन करूंगा कि मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981, (अध्यादेश संख्या 9, सन् 1981) व दिनांक 7 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश पर कई माननीय सदस्यों ने कानूनी मुद्दों को उठाया है और सदन का और सरकार का उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर कुछ ही समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। जनता पार्टी के राज में नव जवानों को 21 साल की बजाय 18 साल में मतदान करने का अधिकार दिया था।

एक माननीय सदस्य : मतदान करने का अधिकार ही दिया था, मतदान कराया नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप सुनिये। हमारी बात को समझने के लिए अक्ल की जरूरत होती है वह अक्ल आपके पास है नहीं। आप हमारी बात का विरोध करते हैं क्योंकि इसके लिए अक्ल चाहिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे ये नवजवान कांग्रेस के माननीय सदस्य बोलते हैं। इन्होंने सारी बुद्धि तो राजीव गांधी की जेब में रख दी है। इसलिए मुझे इनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में तो इनको रात को बुलाना चाहिए, इनको तो दिन में दिखता ही नहीं है। अगर इनमें गरिमा होती तो गरिमा से बातें करते।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने तो आपको रिजेक्ट करके उधर बिठा दिया है। आपको रिजेक्ट कर दिया और उधर बिठा दिया इसलिए यह बात करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात मत करिये, आप अपनी बात कहिये।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी ने नवजवानों को मत देने का अधिकार दिया लेकिन आज कांग्रेस सरकार ने वह अधिकार उनका छीन लिया। श्रीमान्, मुझे इसमें ज्यादा नहीं कहना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के × × × की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वे लोग यह चाहते हैं कि दिल्ली का बेटा तो राजनीति में नौकर से नेता बन सकता है....

श्री देवीसिंह भाटी : दिल्ली का बेटा।

श्री गोपाल पचेरवाल : राजीव गांधी। श्रीमती इन्दिरा गांधी का सुपुत्र दिल्ली का बेटा राजीव गांधी तो नौकर से नेता बन सकता है लेकिन जयपुर की धरती पर ठेला चलाने वाले मजदूर का बेटा वोट तक नहीं डाल सकता। यह इनकी नीति है कि यहां के मजदूर का बेटा, किसान का बेटा मुसलमान का बेटा, मतदान करके

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके ' यह न माथुर साहब चाहते हैं और न इन्दिरा गांधी चाहती है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इन्दिरा गांधी का नाम क्यों लेते हो । किसानों का नगर-पालिका मे क्या सम्बन्ध है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल : छोटी नगर-पालिकायें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । मेरे क्षेत्र मे ऐसी नगरपालिका हैं जिनमें छः सात गांव मिलते हैं । ग्रामवासियों ने छोटी नगरपालिकाओं में मतदान किया है । आपको जानकारी नहीं है तो बता दूं । आपको मालूम नहीं है तो आप अपने मत्री महोदय से पूछ लेवें कि जनता पार्टी के राज में मैंने नगरपालिका कार्परेन का गठन करवाया था जिसमें पहली बार चुनाव हुआ और जिसमें अधिकांश एस. सी. और एस. टी. के लोग जीते हैं ।

(व्यवधान)

आपकी कांग्रेस सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता है, आपमे और आपकी सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो 18 वर्ष के नवजवान को मतदान का अधिकार दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिये :

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये हरिजन विरोधी लोग हैं । ये हरिजन के बेटे की बात भी नहीं सुन सकते । वोट देने का अधिकार तो छीन लिया लेकिन बोलने भी नहीं देना चाहते हैं । ये नहीं चाहते कि कोई हरिजन बोले और अगर बोले तो सुनना नहीं चाहते, व्यवधान करते हैं । लेकिन आपमें इतनी ताकत नहीं है, इतना दबदबा नहीं है कि मेरी आवाज को दबा सकें । मैं आपको बताता हूं कि यह कमजोर आदमी के प्रति इनकी भावना है ।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह अध्यादेश अस्वीकार करने की बात इसलिए की कि अगर यह सरकार 18 वर्ष के नवजवान को रोजगार देने की गारण्टी देती तो हम इस बिल का स्वागत करते । ग्रामीण बेरोजगार लोग हैं, जो छोटे प्रकार के बेरोजगार लोग हैं, जिन्हें नगरपालिकाओं में मतदान के अधिकार से वंचित कर रहे हैं उनके लिए अगर यह सरकार इस प्रकार की गारण्टी कर देती कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उनको रोजगार की गारण्टी दी जावेगी तो हम इस बिल का स्वागत करते । लेकिन, श्रीमन्, इस बिल में यह बात नहीं है । बेरोजगारी भत्ता देने वाली या रोजगार की गारण्टी देने वाली बात इसमें नहीं है इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो वे वार्डों को नया निर्धारण किया है, मैं आपको इस बात का उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बूंदी के प्रभारी मंत्री, श्री बृजसुन्दरजी शर्मा यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बूंदी जिले की क्या स्थिति रही। बूंदी जिले में चुनाव में क्या परिणाम आए? यह मैं बताऊंगा सारे माननीय सदस्यों को जो यहां बैठे हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता होगा कि बूंदी जिले के क्या परिणाम रहे हैं। इनके हाथ से सारी नगरपालिकायें निकल गईं। दलबदल करवा कर इन्होंने नगरपालिकाओं के चुनाव कराए लेकिन मतदान के जो परिणाम आए तो कितने लोग इनके पक्ष में आए। पंडित बृजसुन्दरजी शर्मा को जिस दिन चेयरमैन का चुनाव हो रहा था उस दिन बूंदी छोड़ना पड़ा। अपने × × × ये चेयरमैन नहीं बना सके। चुनाव का परिणाम घोषित होने से पूर्व पंडितजी ने अपनी गाड़ी रवाना कर दी और जयपुर पहुंच गए। यही कारण था कि पंडितजी ने कोशिश की कि वार्ड मेरी इच्छा के अनुसार बनाए जावें। पंडितजी ने कलेक्टर को × × × कह दिया कि वार्ड मेरी इच्छा के अनुसार बनेंगे। वहां की जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी हरिमोहन शर्मा ने इसका विरोध किया, लेकिन वे तो इनके विरोधी थे, वे बेचारे क्या कर सकते थे। पंडितजी को डर था कि न मालूम किस तरह का परिणाम निकले। जनरल सैक्रेटरी ने विरोध किया था कि जिस तरह का गठन कर रहे हैं वह गलत है लेकिन नहीं माना। इन्होंने × × × वार्डों का अपनी मर्जी से गठन करवाया। श्रीमान, मैं मेरे क्षेत्र की एक नगरपालिका की बात बताता हूं। उस वार्ड में कुल 559 मतदाता हैं, जिनमें से 110 मतदाता शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हैं और बाकी सारे सवर्ण हैं, लेकिन उस वार्ड को शिड्यूल्ड कास्ट्स का करवा दिया गया....

इस तरह वार्ड का गठन किया। यह मतदाता सूचियां बनायी जा रही हैं वह पूर्ण नहीं हैं। वहां खून खराबा हुआ, चाकू चलाये गये, पथराव किया। एक आदमी के चाकू मारा गया। इस तरह से 22 तारीख को मतदाता सूची बनायी। उस वार्ड में कोई आदमी नहीं रहता, उनके नाम लिखे गये। जो अवैधानिक रूप से लिखे गये, हमने कहा उनको काट दिया जाय लेकिन उन नामों को नहीं काटा। हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, चाकू चले और पथराव हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां पर स्थिति इतनी भयंकर हो गई। उसके बाद वहां × × × आकर बैठ गये, जैसे हम चाहेंगे वैसे वोटर लिस्ट बनेगी। यही नहीं, यह भी हुआ, एक वार्ड की मतदाता सूची मैंने आठ तारीख को ली। उसके चार रुपये जमा कराये तो 8 पृष्ठ की मतदाता सूची मुझे दी गई। दो दिन के बाद वही मतदाता सूची ली, उसके 4.50 रुपये जमा कराये गये तो वह 9 पृष्ठ की हो गई। 22

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द/अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

तारीख को मतदाता सूची जो आठ पृष्ठ की थी उसके चार रुपये जमा कराये गये वही मतदाता सूची 24 तारीख को ली नौ पृष्ठ की हो गई और साढ़े चार रुपये कीमत ली। इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी। यही आपकी लोकतंत्र में आस्था है चाहे जिसका नाम जोड़ दो, चाहे जिसका नाम काट दो। वार्डों को इधर से उधर मोड़ दो। यही आपकी लोकतंत्रीय पद्धति है। इसी दिन के लिये आप चुनाव कराना चाहते हैं? उसके बाद जिलाधीश बूंदी को लिखा गया, मतदाता सूची को संलग्न किया कि यह 22 तारीख को वो आठ पृष्ठ की मतदाता सूची ली थी, जिसके चार रुपये नगरपालिका में जमा कराये गये, यही मतदाता सूची 24 तारीख को 9 पृष्ठ की हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा इस तरह से नगरपालिका के चुनाव कराये गये। फिर जब आपमें दम था, आपकी पंचायतों का राज था तो नगरपालिका के चुनाव क्यों नहीं कराये? क्या वही नगरपालिका आपके खिलाफ पड़ती थी? यह केस भी छोड़िये नगरपालिका के चुनाव इन्होंने नहीं कराये, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। नगर परिषदों के चुनाव नहीं हुए। बीस संकल्प रखे थे आपके मुख्य मंत्री ने, उन्होंने कहा हमारा पहला संकल्प चुनाव का है। क्यों नहीं कराये पूरे चुनाव? कहां गया आपका वह संकल्प? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह नगरपालिकाओं में घोटाले किये, बेईमानी की आपने अधिकारियों को दबा कर अधिकारियों द्वारा गलत काम कराये गये, मतदाता सूचियां गलत तरीके से बनायी गई, यह सारे इनके कारनामें हैं, श्रीमान्।

दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। यह कहा कि जिसमें हाउस टैक्स बकाया है किसी तरह से उसको चुनाव लड़ने की छूट देते हैं। चेतराम जी, प्रभारी मंत्री नहीं हैं, जिनकी तरफ से बोलेंगे या उत्तर देंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनके क्षेत्र में कितने गरीब लोगों की तरफ रुपया बाकी था? आप अपने क्षेत्र की बता दें, किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की तरफ, किसी भी गरीब व्यक्ति की तरफ, किसी भी कार्यकर्ता की तरफ हाउस टैक्स बकाया नही है। बकाया किन में है? जो कांग्रेस के लोग चेयरमैन की सीटों पर बैठ हैं उनमें बकाया है। बकाया है उनमें जो उनके × × × हैं, जो चुंगी चोरने का काम करते है, हाउस टैक्स चोरने का काम करते हैं, उनकी तरफ चुंगी का टैक्स बकाया है। हाउस टैक्स किसी गरीब की तरफ बकाया नहीं है। जिसके पास रहने के लिये मकान नहीं है, जिसके पास रहने के लिये घर नहीं है, जिसको खाने के लिये रोटी नसीब नहीं है, जिसके बच्चे के लिये शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं, उसके अन्दर क्या हाउस टैक्स बकाया होगा? इसलिये इन्होंने छूट दी, जो चुंगी चोरते हैं, हाउस टैक्स चोरते हैं, उन लोगों को। कहीं इनके कार्यकर्ता चुनाव से वंचित न रह जायं, इसका इन्होंने सर्वे करवाया होगा, इन्होंने अपने जिलाध्यक्षों से जानकारी ली होगी कि जिला कांग्रेस के महामंत्री की तरफ,

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जिलाध्यक्षों की तरफ हाउस टैक्स बकाया है ? मन्त्री जी को रिपोर्ट मिली होगी, हमारे अधिकांश लोगों की तरफ हाउस टैक्स बकाया है, चुंगी का टैक्स बकाया है, जमीन खरीदी उसका पैसा जमा नहीं कराया है। इसलिये सोचा अगर इस कानून में संशोधन नहीं किया तो हमारे आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और वह हार जायेंगे। इस बात को सोच कर, मन्त्री जी, आपने संशोधन किया। यही आपकी टेंडेंसी है, यही आपकी इंसानियत है, यही गरीब आदमी पर दया दृष्टि रखने की बात है ? इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, चेतराम उत्तर देंगे।

श्री चेतराम मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मूव किया है और अन्य छः माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद विवाद में माननीय सदस्यों ने कांग्रेस संगठन के ऊपर लाछंन लगाये, कांग्रेस शासन पर भी लांछन लगाये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो अमेंडमेंट आज हम इस बिल के द्वारा करने जा रहे हैं, इस पर बहुत ही कम बोला गया है। जनरल डिस्कशन भ्रष्टाचार, चुनाव निष्पक्षता से कराने के बारे में किया गया है। सर्वप्रथम यह कहा गया चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अमेंडमेंड लाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : यह आपको कहां से सूझ गया। गलत बात कह रहे हैं। अमेंडमेंड लाने की जरूरत नहीं थी और इन्होंने सुना चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। कभी कम सुनते हो, कभी ज्यादा सुनते हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। बीच में टोका टाकी नहीं करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाउस में गलत बयानी करते हैं।

श्री चेतराम मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, चुनाव कराने की आवश्यकता थी। जनता पार्टी के शासन में नगरपालिका अधिनियम के सैक्शन 23 ए के लिये जो एक कारण दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा :

"Expiry of term of certain Boards and holding of fresh elections.—Notwithstanding anything ceontained in Section 11 of

(श्री चेतराम मीणा)

23, the term of the Boards, of which elections were held during the period when the proclamation of emergency was in force, shall be deemed to expire on the date of the commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 1977,"

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक तरह से प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया। जो जनतत्रीय प्रणाली थी, नगरपालिका जनतत्र की बहुत बड़ी आधार शिला है, उसको खतम कर दिया।

कांग्रेस संगठन ने, हमारी सरकार ने संकल्प लिये, 20 संकल्प का पहला संकल्प यह था हमें चुनाव कराने हैं। उसके क्रियान्वयन के लिये जहां हमने पंचायतों के चुनाव पूर्ण कराये वहां हम नगरपालिका के भी चुनाव कराने चाहते थे। किन्तु जैसे ही हमने यह देखा इसमें जहां वार्डों के गठन का प्रश्न था, वार्डों के गठन के बारे में एक्ट में प्रोविजन है, जो सबसे लेटेस्ट सेंसस है उसके आधार पर वार्डों का गठन किया जाय। हमने 1981 के सेंसस के लिये कई बार केन्दीय सरकार के सेंसस रजिस्ट्रार को लिखा। उन्होंने हर बार यह कहा, जनवरी, 1981 तक के आंकड़े जुलाई, 1982 तक उपलब्ध नहीं करा पायेंगे। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, 1981 की जनगणना के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण जो सबसे पीछे के हमारे पास आंकड़े उपलब्ध थे, मतदाता सूचियां थीं उन्हीं के आधार पर चुनाव कराये, जिनका संशोधन 1-1-81 तक हुआ था, उसको आधार बना कर वार्डों का पुनर्गठन किया। वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही यह भी हमने ऐम रखा, जब 1971 की जनगणना के आधार पर वार्ड बनाये गये तो यह अनुभव किया गया कि उनमें एकरूपता नहीं थी। कहीं वार्डों में जनसंख्या का घनत्व हो गया, कहीं बहुत कम हो गया था। इसलिये वोटर्स के आधार पर हमने वार्डों का पुनर्गठन किया। मैं निवेदन करना चाहूगा, सेक्शन नम्बर 13 के बारे में, वार्डों के गठन के बारे में जो संशोधन रखा गया है वह बिलकुल वैधानिक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (2) को पढ़ लीजिये, उसमें लिखा है :

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward and shall, as far as possible, be in the same proportion as the total number of seats for the municipality bear to its population."

श्री चेतराम मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, उन मतदाताओं को हमने इसलिये आधार रखा। उस समय जो मतदाता थे, जो प्रोजेक्टेड पापुलेशन थी इन होने वाले नगरपालिका चुनाव की, वह 32,24,872 थी, और मतदाता, जिन्होंने अपने मत के अधिकार का उपयोग किया वह 19,07,926

(श्री चेतराम मीणा)

थे। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे 1961 की जनगणना के बाद वोटर लिस्ट बनी हो, चाहे 1971 की जनगणना के बाद वोटर लिस्ट बनी हो, हमेशा जनसंख्या के 52 से लेकर 54 तक मतदाताओं ने आंकड़े आये हैं लेकिन इसमें हम यह प्रज्यूम करते है कि 57·9 पर्सेन्ट के बराबर होंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि मतदाता सूची का, वांर्डों का गठन जो हमने किया है वह सही मायने में सही किया है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 17 में मतदाता की उम्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह भी कह दिया कि विपक्ष के नेता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि उनके शासन काल में अमेण्डमेंट हुआ उसमें उन्होंने यह तो जरूर किया कि नगरपालिका एक्ट में 21 साल से घटा करके 18 साल मतदाता की एज कर दी लेकिन उन्होंने सिर्फ अधिकार दिये उसका सदुपयोग करने का मौका कभी नहीं दिया।

श्री नाथू सिंह : वह तो हम लेने जा रहे थे।

श्री चेतराम मीणा : जहां उन्होंने अधिकार दिया, जहां नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की जरूरत थी। उन अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिये था लेकिन उन्होंने राजस्थान में जितनी नगरपालिकाएं थीं उनको खतम करके सब जगह.........

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने वे अधिकार छीन क्यों लिये, इस पर आइये?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री चेतराम मीणा : वह भी बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन्होंने अधिकार दे दिये लेकिन उनका सदुपयोग करने का मौका नहीं दिया। यह सिर्फ दिखावे की बात थी। अब रहा सवाल, उम्र 18 साल से 21 साल क्यों की तो, उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 326 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हों। लोक सभा में........

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह क्वोट करते तो अच्छा रहता।

श्री उपाध्यक्ष : He has the right to say in the way he likes.

श्री नाथू सिंह : लेकिन, साहब, सदन को गुमराह नहीं कर सकते। वह सरकार की तरफ से बोल रहे हैं—He cannot misguide the House. He has no right to misguide the House.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सदन को मिसगाइड किया है। आप गलत बोल रहे हैं, संविधान को......

श्री उपाध्यक्ष : Don't interrupt please.

श्री चेतराम मीणा : 326 में वयस्क मताधिकार दिया है उसके अनुसार जो चुनाव रूल्स बने हैं उनमें 21 साल की उम्र निर्धारित की गई है और यह पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में, विधान सभा में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आप आर्टिकल पढ़ कर सुनायें ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । आर्डर प्लीज ।

श्री चेतराम मीणा : इसमें यह लिखा है :—

"The election to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, any person, who is a citizen of India and who is not less than twenty one years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election."

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें नगर-पालिका कहां है ?

श्री चेतराम मीणा : सुनिये ।

संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष रखी गई है । लोक सभा और विधान सभा के चुनावों और ग्राम पंचायतों के चुनावों में 21 साल थी इसलिए इसमें एकरूपता लाने के लिये 21 साल की गई है ।

बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि नवयुवकों को आगे बढ़ाना चाहिये । मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा इन्होंने बड़ा उदाहरण दिया जनता पार्टी शासन का और जनता पार्टी से पूर्व के शासन का भी हवाला दिया । इन्होंने पढ़ कर इस हाउस को सुनाया । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इनकी पार्टी के उद्देश्य युवकों को दूसरे मार्ग पर ले जाकर उनको गलत रास्ते पर ले जाने के थे वहां कांग्रेस का उद्देश्य उनको सही रास्ते पर लाना है । बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त ने 18 साल की उम्र को मान लिया था । मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मान लिया था तो उस समय आपका शासन था आपने क्यों नहीं कराया उसके आधार पर अमेण्डमेंट ।

श्री उपाध्यक्ष : No interruption. आप धैर्य से सुनिये उनकी बात को ।

श्री चेतराम मीणा : जहां यह कहा गया कि राजस्थान में जनता पार्टी शासन में 18 साल की उम्र की गई थी, इस पर कार्यवाही की इसको फालो किया और एक्ट में अमेण्डमेंट कर दिया । आपने मताधिकार तो दिये लेकिन उनका सदुपयोग नहीं किया

(श्री चेतराम मीणा)

इसलिये सिर्फ अधिकार देने से कोई फायदे वाली चीज नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सेक्शन 17 में क्वालिफिकेशन आफ इलेक्टर्स के बारे में अमेण्डमेंट है। इलेक्टर्स और मैम्बर्स में एक रूपता लाने के लिये यह किया गया है।

सेक्शन 26 (XI ग) में मैम्बर्स के खड़ा होने के लिये जो डिसक्वालिफिकेशन थी, उसमें अमेण्डमेंट किया है। जिसके बारे में यह कहा गया है कि कांग्रेस के लोगो को फायदा पहुंचाने के लिये यह किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेण्डमेंट में ऐसी कोई भावना नहीं है कि कांग्रेस वाले फायदा उठायेंगे। जब चुनाव होता है और कोई भी उम्मीद्वार जो चुनाव में खड़ा होता है, उसको किसी तरह के रेलेवेंट रूल्स का पता नहीं होता इस कारण चुनाव के टाइम पर ऑब्जेक्शन किये जाते हैं। तो वह अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता। कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ने जाता है जिसे राइट है चुनाव लड़ने का, उसको चुनाव से वंचित न रहना पड़े इसलिये यह अमेण्डमेंट किया गया है।

श्री महाराम चौधरी : यह पंचायतों में तो नहीं किया गया है।

श्री चेतराम मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों में पी. डी. आर. एक्ट का नोटिस जायेगा और नोटिस जाने के बाद में एक अवधि तक जमा नहीं करायेगा तो वह डिसक्वालिफिकेशन में आता है। म्यूनिसिपल एक्ट में इस तरह का प्रोविजन नहीं था इसलिये इसे करना पड़ा है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस अमेण्डमेंट का विरोध करते हुए जो संकल्प पेश किया है, मैं निवेदन करूंगा कि उसको रद्द किया जाय।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मेरी बात का जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। यदि श्री घनश्याम तिवाड़ी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बस।

श्री नाथूसिंह : क्यों, यह तो हमें भी राइट है।

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर। अब भी नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। सबसे पहले तो श्री घनश्याम तिवाड़ी। यदि वे प्रत्युत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स को अस्वीकार करने के लिये जो संकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं वह इण्डिविजुअली किये जाते हैं। कौन पहले और कौन बाद में किये गये गये यह इम्पार्टेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Question is not of important or unimportant.

श्री नाथूसिंह : मंत्री महोदय ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों का जवाब देने का हमारा अधिकार है। जो भाषण देते हैं अस्वीकार करने के सम्बन्ध में उनका उत्तर

(श्री नाथूसिंह)

देते समय मंत्री महोदय किसी बात से कन्फ्यूज पैदा करें, किन्हीं मुद्दों को टच करें उनका उत्तर देने का हमें अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने समर्थन किया है तिवाड़ी का।

श्री तिवाड़ी।

श्री नाथूसिंह : समर्थन का सवाल नहीं है। यह लिस्ट नहीं है भाषण देने की। यह इण्डिविजुअली दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइन्ट आफ आर्डर है नहीं। मैं असमर्थ हूं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह इण्डिविजुअली दिये जाते हैं संकल्प। इसमें प्रस्तावक या समर्थन नहीं होते हैं। आप रिपोर्ट मंगवा कर देख लीजिये। आप तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप तो लॉ के बारे में समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Tewari may speak, if he likes.

श्री तिवाड़ी If you like to speak ? आप, पहले बैठ जाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने परिनियत संकल्प प्रस्तुत करते समय तीन मुद्दे उठाये थे। इन तीन मुख्य मुद्दों का माननीय मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि × × ×

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

डाइरेक्टर रघुवीरसिंह जी पर्ची लिखकर दे रहे थे और वे इनको पढ़ कर सुना रहे थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी जितनी काबलियत इनकी कहां है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ...'आर्टिकल को इन्होंने पढ़ कर सुना दिया, जो आपने भी सुना होगा। इसमें नगरपालिका या पंचायत के चुनाव का उल्लेख नहीं है। असेम्बली, लोक सभा के चुनाव कैसे हों, उसमें वोटर की एज क्या हो, वह रखी है। मैंने यह मुद्दा उठाया था कि आपने एज 18 से बढ़ा कर 21 साल क्यों की ? इसका कोई जवाब नहीं दिया। 18 साल हटाने के पीछे आपका मकसद क्या था ? 30 लाख मतदाता वोट देने वाले थे इन मतदाताओं के वोट से घबरा कर आपने उनके वोट के अधिकार को रोका है। इसका आपने जवाब नहीं दिया है। एक बात।

दूसरा, मैंने कहा था, वार्डों के निर्धारण के सम्बन्ध में तीसरी धारा जोड़ी है जिसके अन्तर्गत असेम्बली की वोटर लिस्ट के आधार पर मतदाता की संख्या को निश्चित किया। यह जान बूझकर किया क्योंकि वार्डों में आपको धांधली करनी थी। जनसंख्या प्रखण्डों के आधार पर जो वोटर लिस्ट बनती वह आपको पसन्द नहीं थी इसलिये आपने यह संशोधन किया। इसका भी आपने जवाब नहीं दिया।

तीसरा, मैंने यह रखा था, उपाध्यक्ष महोदय, अपने संकल्प में कि वोट देने का 18 साल के नौजवान को और 21 साल के नौजवान को चुनाव लड़ने का अधिकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था। वह आपने हटा दिया। 25 साल के व्यक्ति के लिये चुनाव लड़ने का आपने रखा है।

यह तीन मुख्य मुद्दे थे। इसके अलावा आपने कोई संशोधन नहीं किये। आपने विकास सम्बन्धी कोई संशोधन नहीं किया। नगरपालिका की आय कैसे बढ़े, नगरपालिका को स्वायतत्ता कैसे मिले, नगरपालिका का काम ठीक ढंग से कैसे चले, इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। आप तीन मुद्दे लेकर आये थे और तीन मुद्दों पर आपने अमेण्डमेंट किये थे। इनसे जनता का हित नहीं होता है। इन तीन मुद्दों का मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस परिनियत संकल्प को स्वीकार करे और अध्यादेश को निरस्त करे।

श्री नार्थूसिह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कसर नहीं रखी है। आपने पौन घंटा लिया है। अब बाकी क्या रह गया है? जो बातें आपने कहीं है? वही कहेंगे। फायदा क्या है।

श्री नार्थूसिह : मैं अलग बात कहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : हरेक को टाइम देने लगा तो

(व्यवधान)

....माननीय सदस्य।....

श्री भैरोंसिह शेखावत : और कोई दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे। इनको दो मिनट बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति दे दी।

श्री नार्थूसिह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, जो मैंने कहा था उसको यहां पर मिसकोट किया है। उन्होंने ढंग से नहीं रखा है। आर्टिकल 326 पढ़ कर सुना दिया।

श्री उपाध्यक्ष : वह वकील तो हैं नहीं। आप तो वकील हैं।....

श्री नार्थूसिह : मैं आर्टिकल 326 आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage;"

अडल्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अडल्ट माने वयस्क। वयस्कता का जो अधिनियम है, उसमें वयस्कता की एज 18 साल मानी गई है। इस आधार पर एज यूनिवर्सल है, जो अडल्ट सफरेज है, उसको 18 साल माना गया है। इसलिये हर मामले में 18 साल के व्यक्ति को काम्पीटेन्ट माना है। वह कान्ट्रेक्ट कर सकता है और दूसरे काम कर सकता है। ..

श्री चेतराम मीणा : इसमें स्पेसिफिक लिखा है :

"....adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen

(श्री चेतराम मीणा)

of India and who is not less than twentyone years of age ...'

(4-45 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष, पदासीन ।)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय विधेयक पास किया गया था आपकी बैन्चेज ने इसका समर्थन किया था। जनता पार्टी के शासन काल में 21 से 1 साल किया था तो किसी ने विरोध नहीं किया था। खेतसिंह जी ने भी इसका समर्थन किया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो उस रोज मौजूद नहीं था।....

श्री गोपाल पचेरवाल : आप तो जान-बूझकर एवसेन्ट रहे थे ...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक
के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज जब तक कार्य सूची सम्पूर्णतया पूर्ण न हो जाए, विधेयक पारित न हो जाय, वह सब पारित न हों, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

राजस्थान नगरपालिका संशोधन)
विधेयक 1982

श्री नाथूसिंह : उन्होंने कहा है :

"... on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature ..."

एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन इसमें लिखा है। स्टेट गवर्नमेन्ट कानून बना सकती है और लेजिस्लेचर उसको बदल सकती है। यह इसकी स्प्रिट है। इस तरह से पालिया-मेन्ट, जो असेम्बली और पालियामेन्ट के लिये 21 साल है, वह 18 साल भी कर सकती है, may be fixed इसमें लिखा हुआ है। ..

श्री बृजसुन्दर शर्मा : "Such date as may be fixed" आप गलत क्यों समझने की कोशिश करते हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक्ट बना था तो 17-10-1959 से लेकर 11-10-1978 तक 21 साल रही। इसके बाद जनता पार्टी के शासन काल में 12-10-78 से 14-10-81 तक 18 साल की उम्र रही। मैं यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के शासन काल में 21 साल रही। तो क्या माननीय सदस्य जनता पार्टी के अमेण्डमेन्ट को ही एप्रोप्रियेट लेजिस्लेशन मानते हैं ? और दूसरे नहीं है ?

श्री नाथूसिंह : दूसरी स्टेट्स ने भी 21 साल से 18 साल पंचायतों के लिए की है।

(श्री नाथूसिंह)
मध्य प्रदेश, बिहार कई स्टेट गिनायी हैं। उन्होंने वोटर एज 18 रखी। अगर वह आर्टिकल 326 की स्प्रिट की अगेंस्ट होती तो वहां के सारे चुनाव चैलेन्ज हो जाते। आप खुद इस बात पर विचार कर सकते हैं। एक आपने अभी बोला कि इलेक्शन कमीशन ने इसको नहीं माना, तो मानने की बात नहीं है, इसमें मानने का क्या था ? इलेक्शन कमीशन के सामने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं, मैंने कई रिपोर्ट्स के बारे में कहा है, इसमें जस्टिस तारकुण्डे की रिपोर्ट भी है, और भी कई रिपोर्ट्स हैं, जब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने आई तो उसमें कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह तथ्य पर आधारित है। वास्तव में आज यह आयु 21 साल के बजाय 18 साल होनी चाहिए। यह मैं कह रहा था, मैं समझता हूं कि आप इसको समझ नहीं पाये या मैं आपको समझा नहीं पाया या उस समय आपका ध्यान इधर नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा तब इस प्रकार का प्रश्न आयेगा। विधान सभा कॉम्पीटेंट है, पंचायतों और नगर पालिकाओं में वह मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर सकती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो उम्र बदल जा रही है, अमेंडमेंट ला करके बदली जा रही है यह युवकों के साथ विशेष रूप से न्याय नहीं हो रहा है। यह युवकों के अधिकार को छीनने के बराबर है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1981) व दिनांक 27 जनवरी, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1982) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

श्री चेतराम मीणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज की कार्य सूची में दो विधेयक हैं। एक विधेयक पर काफी समय लग गया है और उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि अब विधेयक पर आगे विचार के लिये समय सीमा बांध दी जाय। जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे, जनमत जानने हेतु परिचालित करने के सम्बन्ध में आधा घंटा चर्चा होगी जिसमें प्रभारी मन्त्री का उत्तर शामिल है। अन्य प्रस्ताव आयेंगे उनके लिये 15 मिनट का समय है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरीश शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, यह जो संशोधन प्रस्ताव मैंने दिया है इसके संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराने की घोषणा की थी। पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुये। जब उनको सफलता प्राप्त हुई उसके तुरन्त बाद राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की घोषणा कर दी। जब चुनाव कार्यक्रम बनाया गया उस समय इन्होंने पार्टी के आधार पर अपनी पार्टी के लोगों को टिकट देने का कार्यक्रम जारी किया और इनको असफलता मिली। जो दूसरी संस्थाओं के चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी उसको स्थगित कर दिया और उनकी अवधि बढ़ा दी। यह प्रथम असफलता सरकार की थी। एक एक बात को देखा जाय तो इस प्रकार से यह लोगों के साथ अन्याय किया गया है अपनी मनमानी की है।

दूसरी ओर इन्होंने नगरपालिकाओं में जो 18 साल के लोगों को मतदान करने का अधिकार था उसको बढ़ाकर 21 साल का कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी वाले जानते थे कि आने वाली नयी पीढ़ी, जिसको मतदान का अधिकार था, को मतदान का अधिकार दे दिया तो इनके कोई भी सदस्य जीत कर नहीं आयेंगे। जो आने वाली नयी पीढ़ी है वह सत्तारूढ़ पार्टी के सारे काले कारनामों से परिचित है, इनके सारे कार्य कलापों से परिचित है। इस प्रकार से उनसे भयभीत होने के कारण और राजस्थान की नवपीढ़ी, नौजवानों, जो कि राजनीति में आकर काम करना चाहते थे, को मौका नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य प्रान्तों में 21 से कम 18 साल के लोगों को मतदान करने का अधिकार है। राजस्थान में उनको वंचित किया गया है। राजस्थान में ×को इससे वंचित करने का कारण यह है कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल में पांच बहुत ही पुराने लोग हैं, वे पांच व्यक्ति बहुत अवस्था के लोग हैं, बुड्ढे लोग हैं, वे उन नवयुवकों को एक आंख देखना नहीं चाहते हैं। इसलिये खास तौर से ××× बुजुर्गों ने नयी पीढ़ी को समाप्त करने की दृष्टि से, नयी पीढ़ी के अधिकार को छीनने की दृष्टि से इसमें अमेंडमेंट कराया है। उन्होंने पहले ही इनको हरा दिया था, गड्ढे में डाल दिया था। इस अवस्था पर विचार करते हुए कि जिन्होंने पहले ही गड्ढे में डाल दिया था, फिर कहीं ये लोग वापस नहीं आ जायें, इसको ध्यान में रखते हुए.......

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। मैंने समय सीमा बांधी हुई है।

श्री हंसराज शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि नगरपालिका के जो वार्ड बनाये गये हैं वे गलत तरीके से बनाये गये हैं। जो आज से दो साल के पहले की सूची थी मतदाताओं की उसके आधार पर ही बनाये गये हैं। उसके बाद में जो मतदान करने के अधिकारी थे उनको वोट देने से वंचित रखा गया है। यह इनको अच्छी तरह से मालूम था कि हमने इन लोगों को, जो कि 21 साल के हो गये हैं, युवा पीढ़ी के लोगों को मतदान का अधिकार दिया, कहीं वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया तो हम हार जायेंगे। इस कारण इन्होंने वोटर लिस्ट को परिवर्तित नहीं कराया और पुरानी से ही नगरपालिका के चुनाव करवाये। एक तरह से अपनी मनमानी की है।

इस प्रकार से मेरा यह निवेदन है कि जो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर है उस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने अच्छी तरह पाया कि मेरे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर दो नगरपालिकाओं को एकीकृत करके एक किया है, वार्ड्स भी बना दिये गये हैं। लेकिन उसकी घोषणा नहीं की गई है। अब चुनाव कराये जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यह था कि कांग्रेस के जो महामन्त्री हैं इन वार्डों का गठन उनकी इच्छा से नहीं हुआ है, वे इन वार्डों में संशोधन कराने के प्रयासों में लगे हुए हैं इसलिये वहां पर अभी चुनाव नहीं हुये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर के मतदाताओं को नगरपालिका के चुनावों में मतदान करने से वंचित रखा जा रहा है।

सवाई माधोपुर में एक जयपुर उद्योग है उस क्षेत्र में लगभग सात आठ हजार लोग रहते हैं. उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां जो आठ हजार मतदाता हैं, उन्होंने विधान सभा चुनाव में मतदान किया है, पार्लियामेंट के चुनावों में मतदान किया है, लेकिन उनको नगरपालिकाओं या पंचायतों में मतदान नहीं करने दिया गया। किसी में उनका नाम नहीं है, न तो नगरपालिका में उनका नाम है, न ही पंचायतों में उनका नाम है। इसका केवल यह कारण है कि विधान सभा के अभी के चुनावों में उस क्षेत्र में कांग्रेस को बुरी तरह पराजित होना पड़ा ये लोग चीख उठे। उस चीख की वजह से घबराने की वजह से 8 हजार लोगों को मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया है और न पंचायतों में उनका नाम जोड़ा गया है। इसलिये निवेदन करना यह है कि जान बूझकर के इन आठ हजार मतदाताओं को वंचित रखा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिन लोगों का वहां पर उद्योग चल रहा है वे यह नहीं चाहते हैं कि वहां नगरपालिका चुनी जाय, क्योंकि उनको फिर चुंगी देनी पड़ेगी। चुंगी मिलेगी वहां की प्रजा को, जिससे कि प्रजा का विकास होगा। लेकिन राजस्थान की सरकार उन लोगों के इशारे पर नाचती है × × × उसी तरह

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हंसराज शर्मा)

से आज राजस्थान की सरकार नाच रही है। वे नहीं चाहते हैं इसलिये जान बूझकर लोगों को नगरपालिका और पंचायतों के चुनावों से वंचित रखा गया है। मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के अन्दर उनके नाम जोड़े जायें और उनको मतदान कराने का अधिकार दिया जाय।

इसी संदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह अमेंडमेंट लाये है वह ऐसा संशोधन नहीं है जो कि कोई महत्व रखता हो। ऐसा अमेंडमेंट लाते जिससे कि नगरपालिकाओं को अधिकार देते, विकास का कार्य करने के लिए धन देते। आपने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रभार मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग सत्ता में रहे, जिन्होंने ××× जिन्होंने टैक्स की चोरियां कीं, मनमाने ढंग से मकानों का निर्माण करवाया, नगरपालिकाओं की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया, जो नगरपालिका चुनाव से वंचित रह सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे इसलिए इनके काले कारनामों पर पर्दा डालने की दृष्टि से सत्ता पार्टी के लोगों……..

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आलोपित की गई।

श्री हंसराज शर्मा : इसलिए मैं विरोध करता हूं। इतना ही मैंने निवेदन किया है। जो संशोधन मैंने रखा है उसको स्वीकार कर उसे जनमत जानने हेतु भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा। श्री जीतमल जैन।

भाषणों पर समय सीमा 5 मिनट।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ ज्यादती है मैं बहुत कम बोलता हूं फिर भी आप……

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट ……

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस के समय यह बात कही गई कि सत्तारूढ़ पार्टी का स्वायत्तशासी संस्थाओं को पुनर्जीवित और प्रजातंत्र को मजबूत करना पहला सूत्र है इसलिए यह सारे चुनाव कराये गये। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार देश के अन्दर आज स्थिति चल रही है उसमें प्रजातन्त्र की बात जरूर करते हैं लेकिन प्रजातन्त्र को मजबूत करने वाले स्तम्भ हैं उनको एक एक करके गिराने की तैयारी चल रही है। 25 सितम्बर को यहां विधान सभा चली। अगर वास्तव में चुनाव कराने की नीयत होती और चाहते कि किसी प्रकार का संशोधन कानून के अन्दर आवश्यक है तो उस समय एक या दो दिन के अन्दर विधान सभा के सत्र के बीच के अन्दर उन संशोधनों को ला सकते थे। हम राजस्थान के जो प्रतिनिधि हैं और विधान सभा जन

(श्री जीतमल जैन)

प्रतिनिधि संस्था है, इसमें हम इस पर आज बहस कर रहे हैं. यह बहस उस समय करते तो लोगों को, राजस्थान के नागरिकों को पता लगता कि हमारे प्रतिनिधियों की क्या आकांक्षायें हैं, क्या मंशा है, किसी प्रकार से कानून के अन्दर संशोधन चाहते हैं या नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सरकार की क्या इच्छा है। इस प्रकार की चुनावी संस्थायें हैं इनको बाई-पास करने का तरीका चल पड़ा है। अभी कुछ दिन पूर्व बसों का भाड़ा, जब कि असेंबली मिलने वाली थी, बढ़ा दिया। यह प्रवृत्ति केन्द्र के अन्दर भी चल रही है। इस प्रकार विधान सभा को कॉन्फिडेन्स में न लेकर प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने की बात तो करते हैं लेकिन नींव को मजबूत करने वाली जो संस्थायें हैं उनको बाई-पास करना चाहते हैं। असेंबली को आर्डिनेंस के जरिये बाई-पास करना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति सत्ता पक्ष के अन्दर निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह प्रजातंत्र के लिए अत्यन्त घातक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाई-पास करने की जो प्रवृत्ति है इस पर किसी प्रकार से भविष्य के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने उस संशोधन के बारे में यहां विस्तृत चर्चा की। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के कमीशनों का उदाहरण देकर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि 18 वर्ष की आयु की जो बात कही गई है कि जनता पार्टी शासन काल में 21 से 18 वर्ष मतदान करने की आयु कर दी थी उसको वापस आपने 21 कर दिया। उन्होंने इस बात का प्रयास किया। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज सत्तारूढ़ पार्टी ने इस बात को तय कर रखा है कि जो कुछ अच्छे काम जनता पार्टी के शासन में हो गये हैं उनको वापस करा जाय। माननीय मंत्री महोदय भी इस बात को मान रहे थे कि आपने 18 वर्ष की आयु का अधिकार कर दिया लेकिन आपने उनको अवसर नहीं दिया। इसलिए इसका मतलब यह मानकर चलें कि काम तो किये लेकिन दुर्भाग्यवश, मुझे आज स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं कि हम शासन में से जल्दी चले गये। हम चाहते थे कि 18 वर्ष की युवा शक्ति को इस बात का अधिकार मिले और वह उस अधिकार का प्रयोग करे। इसके बारे में एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपने युवा शक्ति का अपमान किया है। आज, आप जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या और दूसरी समस्या जो देश के सामने हैं, उनका समाधान आप नहीं निकाल पाये हैं, उसके कारण युवा वर्ग में आक्रोश है। उस आक्रोश को आप फेस नहीं करना चाहते इसलिए 21 वर्ष कर दिया।

इसके साथ-साथ मंत्री महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही कि हमने वार्डों का परिसीमन किया और इस बात का प्रयास किया कि वार्डों में मतदाताओं की संख्या बराबर बराबर हो। यह बातें केवल कही गई हैं अगर वास्तव में होतीं तो अच्छा था। पूरे राजस्थान की तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं। अलवर जिले की नगरपालिका के चुनाव हुए। वहां पर आप वार्डों का

(श्री जीतमल जैन)

परिसीमन देखें और मतदाताओं की संख्या देखें तो एक वार्ड में पौने तीन सौ और एक में साढ़े सात सौ मतदाता मिल जायेंगे। पौने तीन सौ और साढ़े सात सौ, आप देखिये कितना भारी अन्तर है। वार्डों का परिसीमन किया गया....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, केवल 5 मिनट बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने समय सीमा कर रखी है। मैं अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री जीतमल जैन : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। संक्षेप में....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में।

श्री जीतमल जैन : दो मिनट में।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह आपने राजनीतिक आधार पर वार्डों का परिसीमन किया।

समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। आपने जोर शोर से इस बात का प्रचार किया कि नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस को बड़ा भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 142 में से 93 में बहुमत प्राप्त हुआ। जो आंकड़े हैं वे इस बात के साक्षी हैं कि इस प्रदेश का जनमत आपके विरोध में गया। 662 सीटें कांग्रेस ने जीतीं और 1120 सीटें निर्दलीय और अन्य पार्टी उम्मीदवारों ने जीतीं। आपने चुनावों में खरीद फरोख्त कर, डरा धमका कर, प्रलोभन देकर, प्रबंध किया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। नगर के एक कार्यकर्ता की मुझे चिट्ठी मिली है वह मैं सुनाना चाहता हूं। नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस (आई) के हाथ में 13 सीटों में से केवल 3 सीटें ही आई पर कांग्रेस (आई) वालों ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पुलिस वालों को साथ लेकर निर्दलीय मेम्बरों को रातोंरात उठा लिया और उन्हें चांदी की चमक, पदों का लालच देकर व बन्दूक की नोंक से अपने बेड़ों में रखा गया। इनमे भारतीय जनता पार्टी का शाश्वत सत्य अखबार का पत्रकार भी है जिसे वाइसचेयरमैनी का लालच देकर दबोये रखा। इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रखी है। हमारे प्रभारी मंत्री ने कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति को चेयरमैन बनाकर भेजा, सौभाग्य से वह केवल 3-4 मतों से अपनी जमानत बचा पाया। चुनाव से पहले उन्होंने वहां के प्रशासक को बुलाकर वहां के कर्मचारियों को धमकाया, डराया, लोगों को अपनी तरफ मिलाया। सत्ता के बल पर और पैसे के बल पर चुनाव में विजय प्राप्त की। प्रजातन्त्र की बात कहते हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक को माननीय सदन से पारित कराने से पहले इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ताकि राजस्थान विधान सभा और राजस्थान के लोगों को पता चले कि इच्छा क्या है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिए जमनत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अगला सवाल यह उठता है कि विरोध पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने 1-2-3 माह के लिए कहा और मैं भी कह रहा हूं। हमने भी इससे पूर्व में एक बात कही और अलग-अलग तर्क भी दिये हैं, पेश किये हैं । हमने कहा कि हमने 18 साल का मताधिकार दिया । हमने यह भी कहा कि वार्डों को बनाते समय आपने सरकार का दुरुपयोग किया, गलत काम करवाये, मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां कीं, बेईमानी की और कहीं मतदाताओं के नाम मिटा दिये या गलत तरीके से उनके नाम लिख दिये जो लोग वहां रहते ही नहीं । हमने लिखित में आवेदन पत्र पेश किये लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैंने उदाहरण दिया फिर भी जो कुछ हुआ उसका फैसला जनता ने किया । ये बड़े गर्व से कहते हैं, 92, 93 नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लिया, बून्दी में क्या हुआ यह बतावें ? माननीय प्रभारी मन्त्रीजी, जो विधि मन्त्रीजी भी हैं, कोटा डिवीजन में कितनी नगरपालिकायें आपके पास आई ?

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब चुनाव निष्पक्ष हुए । है ना ?

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं हुजूर, इन्होंने चुनाव कराये, जनता ने इनको सबक सिखा दिया ।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था इसको एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय । इसके बाद में आप 18 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष वाले को मतदान करने का अधिकार देते हैं तो लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले होंगे ? मैं ज्यादा न कहकर इतनी बात कहना चाहूंगा कि जनता के बीच में जाने से कतरा क्यों रहे हैं ? आप इसको जनता के बीच में नहीं ले जाना चाहते ? आज जनता यह न कहे कि आप बहुमत में यहां बैठे हैं, इसलिये ऐसा विधेयक पास कर रहे हैं । इसको जनता के बीच में भेजिये, जनता की राय लीजिये, इस बिल को जनता के सामने रखने की व्यवस्था कीजिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सब जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : यहां बैठे हैं, पंडितजी । आप बून्दी की बात कहो ।

श्री परसराम मदेरणा : ये कह रहे हैं, यहां सब जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं । यह बात कह रहे हैं । केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य भी जनता के प्रतिनिधि हैं तो उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री गोपाल पचेरवाल : जिन लोगों ने आपको चुनकर यहां भेजा है....

श्री परसराम मदेरणा : यहां सब जनता के प्रतिनिधि हैं फिर भी आप जो हैं पब्लिक ओपिनियन लेने की बात कर रहे हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : केशोरायपाटन में आपने जो हिसाब किया....

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(व्यवधान)

चार सीटें आई हैं कांग्रेस की।

श्री परसराम मदेरणा : यह रेफरेण्डम नहीं है, पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कोई एतराज हुए तो पेश करदें, यह कोई रेफरेण्डम थोड़े हो रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पण्डितजी, पाटन नगरपालिका में चार सीटें आई हैं कांग्रेस की। पण्डितजी से पूछ लो, बून्दी में केवल चार सीटें हैं। बून्दी में क्या हुआ पूछ लो। कापरेन में क्या हुआ पूछ लो। नैनवा में क्या हुआ पूछ लो।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मैं दाद दूंगा कि इतनी बुरी तरह से पंचायती राज संस्थाओं में, म्यूनिसिपैलिटीज में पराजित होने के बाद इस तरह से आप भाषण दे रहे हैं। दूसरा तो कोई आदमी इस तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता था।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, आपने बहुमत का दुरुपयोग करके लोगों के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ किया उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, मदेरणा साहब, आप इस तरह की बात करेंगे। जो बात इन्होंने कही वही बात हम कह रहे हैं। आपने खिलवाड़ किया है जनता और नौजवानों के साथ, उनके हित में आज संशोधन करते।

श्री नाथूसिंह : माननीय श्री परसरामजी, 1971 में भी आप मेजोरिटी से आये, लेकिन उसके पांच, सात साल बाद में ही पूरे जोर से बोलने लगे और और आप लोग चले गये। हम तो तैयारी में हैं इधर आपका स्वागत करने के लिये।

श्री परसराम मदेरणा : संसदीय लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष को हमेशा सत्ता में आने के लिए पूरी तैयार करनी चाहिये। इस तैयारी में हम व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, हम खुद....

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार आये दिन इस तरह की बात करती है। अगर इस बिल में यह प्रोविजन कर देते, जिस तरह से विधान सभा क्षेत्र में कर रखा है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की सीटें निर्धारित कर रखी हैं, इसी सरकार इसी बिल में संशोधन कर देते। 200 नगरपालिकाओं में से जितनों का चुनाव करा रहे हैं, बांसवाड़ा क्षेत्र में आप चले जायं, जहां बैकवर्ड क्षेत्र है। वहां पर आदिवासी लोगों की सीटें निर्धारित करते, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिये सीटें निर्धारित करते। क्या माननीय प्रभारी मन्त्रीजी यह बताने की स्थिति में हैं कि आपने कितने लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को चेयरमैन बनाया। हमने बून्दी में मुसलमान को चेयरमैन बनाया, उनके उम्मीदवार को हमने समर्थन दे करके चेयरमैन बनाया। क्या सरकार की तरफ से एक दो माननीय सदस्यों की भी यह आवाज आई है कि बहुमत को समर्थन देने के लिए हमने उनको सहायता दी। इस आधार पर आप यह स्वीकार करते कि दस नगरपालिकाओं में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग चेयरमैन बनेंगे,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र के लोग चेयरमैन बनेंगे। आपने यह संशोधन कहीं नहीं किया। इसलिए, श्रीमान्, मैं यह मांग करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जनता ने तो मत दे दिया कांग्रेस के पक्ष में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने संकल्प दिया है, मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन बोलने का अधिकार नियमों के अन्तर्गत है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नियमों के अन्तर्गत ही मैं बोल रही हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय पूरा हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी अनुमति से बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री नाथूसिंह : चार।

श्री अध्यक्ष : चार-चार मिनट। तीन मिनट बाद घण्टी बजाऊंगा। चार मिनट और चार माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं साढ़े तीन मिनट में खतम कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : तो बहुत मुबारकबाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं इसको अस्वीकार किया जाय इसलिए परिनियत संकल्प दिया था। लेकिन फिर भी हठधर्मी से इसको लाये हैं तो मैं चाहती हूं कि इन्हें जिन लोगों ने चुनकर भेजा है, सरकार उन लोगों के हाथ में यह दस्तावेज देकर यह बताये कि युवा शक्ति में इनका विश्वास नहीं है। अभी एक तर्क मैंने दिया था और मैंने उस तर्क का उत्तर मांगा था लेकिन मन्त्री महोदय ने उसका समाधान नहीं किया। इस बिल को लाये क्यों हैं ? इन्होंने उम्र घटाई क्यों है? एक बात पूछना चाहती हूं, समानता की बात कही गई, यहां पर समानता की बात करते हैं लेकिन आपके कार्यों में समानता नहीं है, आपके व्यवहार में समानता नहीं है, आपके व्यापार मे समानता नहीं है, आप दोहरी मूल्य नीति रखते हैं, दो तरह का व्यापार करते हैं, एक थोक का भाव और दूसरा रिटेल का भाव। एक को ही रखिये। एक तो राशन में चीनी और एक खुली चीनी। व्यापार में समानता की बात कर रहे हैं लेकिन समानता की नीति नहीं है। सामाजिक स्तर पर समानता

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की ।

वोटर की उम्र के लिये यह कहा कि उम्र की समानता के लिये यह दस्तावेज लाये हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस विधेयक को लाये है, हमारे माननीय सदस्यों ने यहां अखिल भारतीय, अन्तर्राष्ट्रीय कमेटियों की जो रिपोर्ट है, जिस बात को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया वह रखी लेकिन उस बात का आपके पास कोई अकाट्य तर्क नहीं है कि हम उसको क्यों नहीं स्वीकार कर कर सके । इसलिए इसको जनमत जानने के लिये भेजें । यही उचित रहेगा । जिस ढंग से आप इसको थोपना चाहते हैं राजस्थान की जनता पर, यह सरासर गलत है । आप यहां कहने लगे थे कि हम नगरपालिका बनायेंगे, आज दोहरी व्यवस्था है, यू. आई. टी. अलग है, नगरपालिका अलग है । यू. आई टी का प्लाट है और नगरपालिका से व्यवस्था चाहते हैं, केवल सफाई की व्यवस्था । कम से कम आपसे छोटी सी बात की अपेक्षा नहीं की जाती जयपुर पिंकसिटी का नाम है, लेकिन पिंकसिटी के नियमों का पालन नहीं कराया जाता, कहीं गुलाबी रंग है, कहीं गहरा लाल रंग । सारे नगर को आपने गेरूआं वस्त्र धारण कराके जोगी बना दिया है, इस ढंग की क्या कोई कल्पना की है । जो प्रस्ताव रखा गया रंग आप नहीं ला सके । यह आप कर क्या रहे हैं ? श्रीमान्, इसलिए इसको जनमत जानने के लिये भेजिये तो पब्लिक बतायेगी कि क्या गलत करने जा रहे हैं । युवा शक्ति आपको बता देगी । इस तरह नहीं मानेंगे तो आने वाले चुनाव में आपको एक तरफ उठाकर रख देगी । यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि इसको जनमत जानने के लिये भिजवाया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा ।

(व्यवधान)

मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट में यह जो संशोधन बिल 1982 लाया गया है, इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि छोटे से लेकर बड़े नेता ने आजादी से लेकर आज तक कहा कि स्थानीय इकाइयों को मजबूत करना चाहिये । लेकिन मैं देखता हूं 32 साल के बाद भी स्थानीय इकाइयों को जितना कमजोर किया जा सकता है उतना कमजोर किया गया । यह जो बिल लाये हैं, 18 वर्ष की सीमा जो जनता पार्टी की सरकार ने की थी, जो यह कार्य नहीं कर सके....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप क्या....

श्री बंसीलाल पटवा : व्यवधान क्यों डाल रहे हो, चार मिनट का समय दिया है । आप पूछ लीजिये अध्यक्ष महोदय से, मैं बैठ जाता हूं ।

मेरा निवेदन यह है कि 18 वर्ष की अवधि की थी उसको 21 वर्ष करने का उदाहरण दिया गया, सेन्सस की मतदाता

(श्री बंसीलाल पटवा)

सूचियों का हवाला दिया गया और कारण बताये गये। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि 21 वर्ष विधान सभा की सूची में थी तो 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष के लिये परश्यूएशन कर सकते थे। हिन्दुस्तान का इतिहास देख ले, युवा पीढ़ी ने आज तक आजादी की लड़ाई लड़ी। यहां पर भी आजादी के पूर्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूज्य बापू के नेतृत्व में युवा पीढ़ी ने लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद आज दिन तक की अवधि में 18 वर्ष में जो नई पीढ़ी तैयार हुई, जो 18 साल की उम्र के है वह पढ़े-लिखे हैं, उनमें विलक्षण बुद्धि है, काम करने की क्षमता है तो फिर ऐसी स्थिति में स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिये, सुदृढ़ करने के लिये क्यों नही उनका उपयोग किया जाय ? आज नही तो बाद में उनको अवसर देना पड़ेगा तब तक युवा पीढ़ी विरोध करती रहेगी। उनमें समझने की कमी है; वह आप लायें। मैं समझता हूं आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। मुझे पिछले चुनावों अनुभव नहीं है; ऐसा मैं समझता हूं। मुझे भीलवाड़ा का अनुभव है। वहां मतदाता सूचियां बनाई गई थीं। वहां कई छोटी-मोटी बस्तियां हैं, उनको दूसरे कोने में जोड़ दिया गया। इस तरह से वहां वार्ड कर विभाजन हो गया। आज म्यूनिसिपेलिटी के एक्ट में जितने संशोधन किये गये या यह अध्यादेश लाये हैं, इसी प्रकार हिन्दुस्तान के राज्यों में अलग-अलग एक्ट हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका चुनाव में मिसयूज किया गया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं। फारेस्ट डिपार्टमेंट का शिकंजा कसा रहता है स्थानीय निकायों के ऊपर। जो सेक्शन 1?? में दिया गया है, उसके तहत एक्जेम्पशन दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि भीलवाड़ा म्यूनिसिपेलिटी में इस तरह का एक्जेम्पशन दिया गया। रॉ मैटीरियल के नाम पर लुब्रीकेंट्स, टूल्स और कापर, इस तरह से 50 आइटम्स पर एक्जेम्पशन दिया गया। इस तरह से उसका मिसयूज किया गया। इस विभाग के द्वारा। डिपार्टमेंट का जो शिकन्जा है वह अभी भी उस पर कसा हुआ है। इसी तरह से जो टैक्स 1957 से सौंपे गये और जो सीमा निर्धारित की गई वहीं का वही आज लिया जा रहा है। स्थानीय निकायों को मजबूत करने, सुदृढ़ करने की बात कही गई लेकिन कई बार विचार करने के बाद भी विभाग द्वारा नगर परिषदों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। इसी तरह म्यूनिसिपेलिटी को, नगर परिषद् को कमजोर करने के लिये यू. आई. टी. बनाई गई। आज जितने भी यू. आई. टी. के चेयरमैन हैं, मैं सबके ऊपर लांछन लगाता हूं कि वह काम करने वाले नहीं हैं, उनमें काम करने की क्षमता नहीं है। भीलवाड़ा में यू. आई. टी. का बड़ा इन्टरफियरेंस होता है। आज नगर पालिकाओं के पास जमीनें नहीं हैं, वह जमीन की बिक्री नहीं कर सकतीं। इस तरह की स्थिति है। इसके साथ-साथ जो लोग अयोग्य थे चुनाव लड़ने के लिये, जिनके पास टैक्स देने के लिये पैसे नहीं थे उन्हें चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन उसके आधार पर पढ़े-लिखे चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आज हाउस रेंट की बात कहते हैं-उसके बारे में आपने क्या किया ? आप कहते थे इसको लेना बन्द कर दिया जायेगा। आपने घोषणा भी की थी। 18 वर्ष की उम्र के बजाय 21 वर्ष की उम्र

(श्री बंसीलाल पटवा)

के व्यक्ति को मताधिकार देने का जो बिल था उसे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव पहले लागू कर दिया। 142 म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आपने करवाये इनमें जो 1900 सदस्य जीतकर आए उनमें से कांग्रेस के 800 जीतकर आये बाकी सारे विरोधी पार्टियों के जीत कर आये और कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। यदि इस चुनाव में मत देने की आयु 18 वर्ष होती, जिसे कानूनी रूप से भी लीगल करार दे दिया था वह होती तो आपके 800 भी जीत कर नहीं आते बल्कि 200–300 जीत कर आते। मैंने यह सब आपको निवेदन किया। आपने समय कम दिया है, मुझे मालूम है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को पहले जनमत जानने के लिये परिचालित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, युवक देश की शक्ति है उनको बागडोर दी जाय। उनके हाथ में सत्ता दी जावे तो सब बातें ठीक हो सकती हैं लेकिन उनके मताधिकार की आयु 18 वर्ष थी, उसको वापस 21 वर्ष कर दिया गया यह जो युवक देश की शक्ति हैं, जिनमें कार्य करने की क्षमता है, जो काम करना चाहते हैं देश के लिये, उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरे, जो पिछली विधान सभा के चुनाव हुए थे उसकी सूची के आधार पर नगरपालिका वार्ड बनाये जायें। यह चुनावकराये गये, इसमें मुझे राजनैतिक भ्रष्टाचार की बदबू आती है। जो मतदाता जिस वार्ड में रहते थे उनको वोट डालने के लिये वहां से दूर जाना पड़ा, मतदाता सूचियों में से नाम काटे गये। इस तरह से राजनैतिक स्वार्थ की वजह से या राजनैतिक भ्रष्टाचार की वजह से यह माध्यम अपनाया गया और अपनी मर्जी से वार्ड का बंटवारा किया गया। मेरे क्षेत्र मांगरोल में नगरपालिका है। वहां के मतदाताओं से उनके वार्ड से दूर दूसरे कोने पर जो वार्ड बनाये वहां दबाव डालकर वोटडालने को बाध्य किया। मेरे क्षेत्र में एक आदमी है श्री तेजमल शर्मा, उसने सरपंच का चुनाव लड़ा था। जब एस. डी. ओ. को यह कहा तो उन्होंने नहीं सुनी व उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा व वार्ड मैम्बर का चुनाव लड़ा। दबाव डालकर वोटर लिस्ट में से नाम काटे गये। इस तरह से जो वार्डों का गठन किया गया यह मनमानी करने को लिये और अपने लोगों का नाम रखने के लिये किया गया है। तीसरी बात, लोगों में टैक्स की बकाया था वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसका प्रतिबन्ध हटा दिया, यह चोरी को प्रोत्साहन देना है। बकाया टैक्स अमीरों, प्रभावशाली लोगों पर ही होते हैं गरीबों पर नहीं। इससे प्रभावशाली भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह व्यवस्था इन चुनावों में की गई और जिस तरह से वार्ड की सीमाओं का उल्लंघन किया गया, मेरा निवेदन है कि इसको सही किया जाय। इन्द्रगढ़ नगरपालिका का सीमा विवाद तथा विस्तार का मामला चल रहा है इसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राजनीतिक लोगों के इंटरफियरेंस की वजह से जो कार्य होने थे वह रुके हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है इसको पास करने

(श्री हीरालाल आर्य)

से पहले यदि इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री दाऊदयाल जोशी : नाम दिया है मेरा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाम से नहीं, मैंने समय सीमा बांध दी है। जितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इस समय का उपयोग करें। इससे पहले मैंने माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये भी निवेदन किया था क्योंकि कुछ माननीय सदस्य आग्रह कर कर रहे थे इसलिये मैंने यह व्यवस्था दी ..

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। समय सीमा के अन्दर काम करना होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं दो मिनट बोलूंगा, क्योंकि मैं नगरपालिका का अध्यक्ष रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री जी का कुछ बातों की ओर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो नगरपालिका चुनाव कराये मेरे क्षेत्र में जो शांतीलाल एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइजर हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह कोई कांग्रेस के मैम्बर नहीं हैं, प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं किन्तु उनको नगर अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने के लिये टिकट दिया। वह लाखों रुपये खर्च करके 8 नम्बर वार्ड से चुनाव लड़े थे....

श्री अध्यक्ष : चुनाव परिणाम आपके पक्ष में नहीं गया क्या ?

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही निवेदन करने जा रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि उनके ऊपर बहुत सा टैक्स नगरपालिका का बकाया है और इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया वार्ड नं. 5 में जिताया गया, काफी रुपया खर्च करके तो इसका मतलब यह है कि नगरपालिका में घोटाले करने की वजह से इस व्यक्ति को टिकट बेचा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार नामों की सूचियों में फेर बदल किया गया, कई नाम हटाये गये, जो उनके पक्ष में वोट नहीं देते। इस प्रकार जो आपने 18 वर्ष से 21 वर्ष उम्र की है और नवयुवकों की आपने उपेक्षा की है, यह आपके आगे के लिये अच्छा नहीं होगा। आपका हित तो आपको आगे मालूम होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो टैक्स बाकी है इसके लिये जो जीते हैं घोटाला करेंगे। यदि टेक्सटाइल मिल की टैक्स वसूली कराई तो जनहित में अच्छा रहेगा।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

यह जनमत जानने के लिए भेजना बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। संस्कृत में हो रहा है क्या भाषण ? हम आपके भाषण से वंचित रह जायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य की युवा शक्ति के साथ जो राजस्थान सरकार ने अन्याय किया है उसका प्रतिफल तो आने वाले नगर परिषद् के चुनावों में स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा, यह चुनाव योजनाबद्ध तरीके से होगा। पंचायतों में सीधे सादे लोग हैं कह दिया वोट दीजिए, दे दिया। दुबारा चुनाव हुये सीधी सादी जनता से वोट ले लिया। अब सेन्ट्रल का बजट आया है उसकी जो मार पड़ी है और कल जो राजस्थान का बजट आयेगा उसकी मार जो शहरी जनता पर पड़ेगी भारी करों की उसके बाद सारे राजस्थान भर से कांग्रेस पार्टी का पता गोल हो जायेगा। ये चुनाव करायेंगे और चूंकि सारा बंटा बिगाड़ने वाला जवान है, 18 वर्ष का नौजवान है उस नौजवान को मताधिकार से राजस्थान सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से दूर रखा है। अच्छा होता और कोई संशोधन लाते। मेरे कोटा नगर में धन्ना सेठ बैठे हुये हैं लाला भरतराम चरतराम, सिंघानिया लेकिन मेरा निवेदन है कि उनको चुंगी से छूट है। कोई सीमा तो हो। आज 22 साल हो गये, यह केवल धन्ना सेठ जे. के. सिंथेटिक्स का मालिक 120 प्रतिशत लाभ कमा रहा है। यार्न जो यह पैदा करता है, जो यार्न चलता है जिसकी लागत 60 रुपये आती है वह बाजार में 137 रुपये में बेचते हैं, जो नाइलान का धागा 60 रुपये का 100 रुपये से अधिक में बेचे फिर वह पैसे का लाभ ले जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, प्रभारी मन्त्री से कल मैंने प्रश्न किया था उसके उत्तर में जवाब मिला है कोटा के 13 बड़े उद्योगपतियों में 1973 से 1980 तक 59,34,503.40 रुपया केवल बकाया है सेल्स टैक्स का। इस 59 लाख में से केवल जे. के. सिंथेटिक्स के मालिक पर है 46,47,657.58। मेरा नहीं है, यह राजस्थान सरकार का टैक्स है। राज्य सरकार यदि धन्ना सेठों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करे म्यूनिसिपल लॉ के तहत तो नगरपालिका की चुंगी....

श्री परसराम मदेरणा : सेल्स टैक्स का इसमे क्या सम्बन्ध है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं इसलिये कह रहा हूं कि धन्ना सेठों को आप चुंगी में छूट दे देते हो, नगरपालिकाओं को क्यों नहीं राहत देते हो। मेरे कार्यकाल में पौने दो लाख रुपये की श्री राम रेयन्स में जो चुंगी बकाया थी उसमें सीधे सीधे राज्यपाल के आदेश से छूट दे दी। कोयले पर 65 रुपये के हिसाब से छूट दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मन्त्री, श्री मदेरणा से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कानून में संशोधन लाना था तो धन्ना सेठों के खिलाफ लाते। हमने कोशिश की है गर्दन पकड़ पकड़ कर नगरपालिका की आय बढ़ाई है। आज कोटा नगर परिषद् सर्वोच्च नगर परिषद् है, अपने आपमें कीर्तिमान स्थापित किया है। 5 करोड़ की आय है उसकी। राजस्थान की सारी नगरपालिकायें दिवालिया हैं, आपकी जोधपुर और बीकानेर दिवालिया

(श्री दाऊदयाल जोशी)

होंगी, कोटा ने अपने आपमें कीर्तिमान स्थापित किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनमत जानने के लिये प्रस्ताव आया है उसको स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले....

श्री बिहारी लाल (मांडल) : ये भीलवाड़ा का जवाब देंगे नहीं इनको मालूम नहीं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, दे देंगे ।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय सदस्य जो यू. आई. टी. के चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में....

श्री अध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं । यह विचारणीय विषय नहीं है ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा जनमत जानने के लिये और अन्य 7 सदस्यों ने अपनेविचार व्यक्त किये हैं इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। श्री हंसराज शर्मा, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्वप्रथम युवा शक्ति की दुहाई दी । मैं पहले भी निवेदन कर चुका और फिर निवेदन करता चाहता हूं जिस युवा शक्ति की आप दुहाई देते हैं उस युवा शक्ति को 1977 से पहले आपने किस रास्ते पर डाला ? आपने उनको भारत में तोड़ फोड़ करना, सम्पत्ति को नष्ट करना, उनकी शिक्षा को बन्द करना, इस रास्ते पर डाला । उनका जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया और एक ही बात सिखाई कि भारत में यदि कोई बात है तो "बन्द" कराना सिखाया । आपने उनको शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया । आप युवा शक्ति को उस तरफ ले जाना चाहते हैं । आप युवा शक्ति को न किसी नगरपालिका में न विधान सभा या लोक सभा में लाना चाहते थे केवल बंद की तरफ ले जाना चाहते हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : शोक सभा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या ।

श्री चेतराम मीणा : लोक सभा ।

श्री परसराम मदेरणा : शोक तो आप मना रहे हैं, पंचायत व म्यूनिसिपल चुनावों में हारे हैं, इसलिये शोक कर रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने कहा शोक सभा ।

श्री चेतराम मीणा : युवा शक्ति की जो दुहाई दे रहे हैं, युवकों को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं । यहां 18 साल से 21 साल उम्र की है उस बारे में कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन्स को देखते हुये पहले ही दुरुस्त कर दिया । इसलिये अब टच नहीं किया और युवा शक्ति का आह्वान किया ।

(श्री चेतराम मीणा)

दूसरी, माननीय सदस्य ने एक बात कही। सवाई माधोपुर फैक्ट्री के मतदाता हैं उनके बारे में कहा 500-600 मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया....

अनेक माननीय सदस्य : 5-6 हजार

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, भूतपूर्व जयपुर रियासत और फैक्ट्री के बीच में समझौता हुआ था कि इस एरिया में रहने वाले व्यक्तियों को किस पंचायत या किसी निकाय में शामिल नहीं किया जाय, उस समझौते के तहत इनको किसी नगरपालिका या पंचायत में शामिल नहीं किया जाता....

श्री दाऊदयाल जोशी : तो कहां रखा जाय ?

श्री हंसराज शर्मा : वे कहां जावेंगे ? धन्ना सेठ इनको × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मन्त्री का उत्तर सुनें।

श्री चेतराम मीणा : फैक्ट्री में उनकी खुद की योजनायें है, सड़कों के और दूसरे काम सब उनके मैनेजमेंट में हैं। सारा उनके द्वारा प्रबन्ध होता है इसलिये वह अलग हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी मतदाता को वंचित रखा जा सकता है ?

श्री चेतराम मीणा : जहां तक वार्डों के परिसीमन का सवाल है, पहले भी निवेदन किया वार्डों का परिसीमन हुआ उनके बारे में पब्लिकेशन हुआ, आपत्तियां सुनी गईं उसके बाद निर्धारित किया गया, इसलिए जो माननीय सदस्य कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यह वोटर्स लिस्ट बनने के बारे में होता है उनका पब्लिकेशन हुआ, आपत्तियां आमन्त्रित की गईं। उनको बिठाकर विचार विमर्श हुआ, स्क्रूटिनी हुई उसके बाद वोटर्स लिस्ट बनी, इसलिये यह कहना कि वोटर्स लिस्ट्स में बहुत से नाम छोड़े गये, सही नहीं है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जगह जगह पिटाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, पचेरवाल साहब ने तो इतना तक कह दिया कि बूंदी में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बून्दी और बून्दी जिले में पांच नगरपालिकायें हैं उनमें से तीन कांग्रेस की मिली हैं,

(व्यवधान)

एक जनता पार्टी को मिली है और बी. जे. पी. को एक भी सीट नहीं मिली हैं। कोटा नगर में 8 नगरपालिकायें हैं उसमें कांग्रेस को 6 मिली हैं, माननीय सदस्य, जो सदस्य, जिस पार्टी के बोल रहे थे उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है।

श्री नाथूसिंह : हरियाणा में मिली है।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : झालावाड़ जिले की 6 नगरपालिकायें हैं उसमें 6 ही कांग्रेस

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चेतराम मीणा)

को मिली हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो इस तरह माननीय सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस की जगह जगह पिटाई हुई है यह हो गया वो हो गया यह कहना कहां तक उचित है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यह किस मुंह से ऐसी बात करते हैं, कम कमसे बोलने से पहले यह सोच तो लेना चाहिये कि जो बात कह रहे हैं उसका कोई आधार है क्या। उसका बेस क्या है। राजस्थान में 142 नगरपालिकायें हैं उनमें से 95 नगरपालिकायें कांग्रेस के पास आईं और 26 नगरपालिकायें बी. जे. पी. के पास गई। इस तरह की रिपोर्ट है पर आप कहते चले जा रहे हैं कि कांग्रेस की पिटाई हुई, यह हुआ वह हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्यों ने यहां कहा वह सब निराधार है। माननीय सदस्या, श्रीमती उजला अरोड़ा ने यह कहा कि हमारी सरकार ने शुगर के बारे में दो नीतियां रखी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उनकी पार्टी के नेताओं की अलग अलग नीतियां थीं अलग नेता थे लेकिन हमारी पार्टी एक है और हमारी पार्टी का एक ही नेता है, श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने तो कानून व्यवस्था के बारे में कहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप ही कहते थे इण्डिया इज इन्दिरा और पता नहीं क्या बोलते रहते हो। कहां चली गई, जब इंदिरा हार गई थी इण्डिया इज इन्दिरा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया था कि विधान सभा और नगरपालिकाओं के लिये वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र वाले लोगों को होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, न केवल राजस्थान विधान सभा बल्कि देश की सभी विधान सभाओं के लिये इस तरह का अधिकार नहीं है। इसे तो संसद ही कर सकती है।

(व्यवधान)

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है जनमत जानने के लिए, उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

(श्री अध्यक्ष)

को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अमेन्डमैन्ट नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसको क्लाज बाई क्लाज लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ यही कह रहा हूं कि इस बिल को क्लाज बाई क्लाज लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस बिल में कोई अमेण्डमेन्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मेरा यह निवेदन है कि इस बिल की धारा तीन में मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेण्डमेन्ट मूव किया हुआ है और माननीय सदस्य, श्री नाथूसिंह जी ने भी अमेण्डमेन्ट मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : वह डिलीट करने का ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां डिलीट करने का ही है। इसमें तो एक ही सवाल डिलीट करवाने का हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है। मैं आपको बोलने की अनुमति दे देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलने की इजाजत नहीं मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह अमेण्डमेन्ट तो मैंने अस्वीकार कर दिया है और बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उसको अस्वीकार कर दिया पर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसके लिये यह व्यवस्था की कि आप कुछ कहना चाहते हैं वह आप कह दें। इसमें तो संशोधन प्रस्ताव ही आ सकता है वरना इस स्टेज पर तो मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वोटिंग कराने का तो हमारा राइट है।

श्री अध्यक्ष : बिल उस स्टेज पर नहीं है। विधेयक को विचारार्थ लिया गया उसको तो पास कर दिया उसके बाद में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके बाद में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने का अवसर नहीं चाहिये, मैं बोलने का अवसर नहीं मांग रहा हूं उसके बाद में....

श्री अध्यक्ष : उसके बाद में मैं आपको वोटिंग का हक नहीं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वोटिंग का हक तो होगा। मैं यही तो मांग कर रहा हूं। प्रभारी मन्त्री जी ने कहा कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय और उसके बाद में तो यही कहेंगे विचारार्थ लेने के बाद कि इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसके पहले ही आपने एतराज उठाया है अगर वह नहीं होता तो फिर क्लाज बाई क्लाज का प्रश्न नहीं होता। इसलिये विचारार्थ लिया जाय। विचारार्थ ले लिया गया, उसके बाद में आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोलने की मांग नहीं कर रहा हूं। जब विचारार्थ विधेयक को लिये जाने का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसके बाद अब जो स्टेज आती है....

(व्यवधान)

अगर इसमें अमेण्डमेण्ट हो। नहीं तो हम मूव कर देंगे कि इसको पारित कर दिया जाय। अब विचारार्थ का प्रस्ताव आने के बाद और पारित होने की दो स्टेज हैं। इसी बीच में क्लाज बाई क्लाज का स्टेज आता है। अगर उसमें कोई अमेण्डमेण्ट नहीं हो तो....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रस्ताव आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये धारा तीन के अन्दर मैंने डिलीट की अमेंडमेंट मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल एक्सेप्टेन्स का नहीं है डिलीट करने का है। इस सदन की आज तक यह परम्परा रही है कि जब डिलीशन का कोई प्रस्ताव नेगेशन का आता है तो उसमें यह है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कौन से रूल के तहत आप कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रूल का पूछ रहे हैं रूल 72 के तहत आप देखलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कहां है। आपने कह दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्लाज बाई क्लाज का रूल 80 में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर तो मैंने अमेण्डमेन्ट मूव कर दिया आपने स्वीकार किया। इसमें जो अमेण्डमेन्ट है उसमें जो शर्तें हैं वह और हैं और यह रूल 72 ही है।

Rule 72–Conditions of admissibility of amendments—The following conditions shall Govcn the admissibilty of amendments to clauses or schedules of a Bill—

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject-matter of the clause to which it relates.

(ii) An amendment shall not be incosistent with any previous decision of the House on the same question.

श्री अध्यक्ष : इसमें An amendment which has merely the effect of a negative vote is not allowed.

इसके तहत मैंने व्यवस्था कर दी है।

"On this principle, amendments purporting to omit a clause of a Bill are disallowed; proper course is to vote against the clause. An amendment seeking to omit certain words from a clause which would in effect, mean the ommission of the clause are also out of order."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। आपने मेरा अमेण्डमेंट इसलिए नामजूर कर दिया कि वह अमेण्डमेन्ट एक क्लाज को ओमिट करने के लिए था। इसलिए ओमिट करने के लिए जो क्लाज है, पहले की व्यवस्था यह है कि क्लाज में अमेण्डमेन्ट एक एक में मूव करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन राइट कहीं नहीं जाता है कि मैं एक पटिकूलर क्लाज का विरोध नहीं कर सकता। वह मेरा राइट नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष : उसमें फिर यह है : Proper course is to vote against the clause.

और उस क्लाज पर वोट करा देंगे जो आपने डिलीट करने के लिए कहा है। फिर आप बोल लीजिए।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि आपने समय एक घंटा तक ही बढ़ाया था इसलिए आज की कार्य सूची में जो विधेयक हैं वह पारित हो जायें तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से एक घंटा के लिए बैठक का समय और बढ़ाया जाता है।

(विराम)

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो तीसरी धारा है इसका मैं सिद्धान्ततः विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कौन सी धारा का? जरा पढ़ कर सुनाओ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : धारा तीन। 1956 के राजस्थान अधिनियम 38 की धारा 27 का संशोधन - मूल अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) में शब्दों अठारह वर्ष के स्थान पर शब्द "इक्कीस वर्ष-प्रतिस्थापित किये जायेंगे" इस धारा का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि मिनिस्टर कभी भी पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं करता। मिनिस्टर पाइन्ट आफ आर्डर रेज करता है....

श्री परसराम मदेरणा : जब मुख्य मंत्री आप थे तो आपने यहां पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था। पाइन्ट आफ आर्डर रेज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पार्लियामेन्ट में भी कोई मिनिस्टर पाइन्ट आफ आर्डर रेज नही करता। अगर रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर पाइन्ट आफ आर्डर रेज करे, तो एक प्रकार से इन्डाइरेक्ट रिफ्लेक्शन है....

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेन्ट का मुझे मालूम नहीं लेकिन अभी स्टीफेन ने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया था जिसकी अखबारों में काफी चर्चा आई थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काफी एतराज हुआ था कि मिनिस्टर को कभी पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं करने दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर होते हुए, यह तो रूल्स के इन्टरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहां पर आता है। एज ए मैम्बर आफ दिस हाउस राइट होता है उसको मैं कैसे जाने दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर मिनिस्टर होते हुए रेज नहीं कर सकते। यह रिफ्लेक्शन है चेयर पर, यह रिफ्लेक्शन है चीफ व्हिप पर।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर के अलावा इस सदन का सदस्य भी हूं अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन की कार्यवाही जो चल रही है वह रूल्स आफ प्रासीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस के रूल 80 के अन्तर्गत प्रारम्भ हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो कार्यवाही इस बिल के संबंध में चल रही है, रूल 79 तक की सारी प्रकार की कार्यवाही इस पर समाप्त हो चुकी है, अब एन्टर हो गये हैं रूल 80 में। रूल 80 में एन्टर ही नहीं हो गए हैं, रूल 80 में जैसा है—

Ruls 80 Submission of a Bill clause by clause.

Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may when a motion that Bill be

(श्री परसराम मदेरणा)

taken in to consideration has been carried....

वह मोशन पास हो चुका है It has been carried out.

"........submit the Bill, or any part of the Bill, to the House clause by clause."

अब आप क्लाज बाई क्लाज रखें इस बिल को। क्लाज साथ भी रख सकते हैं। जहां अमन्डमेन्ट नहीं हैं। जहां अमन्डमेन्ट हैं उनको अलग अलग रखेंगे। जिनमें अमन्डमेन्ट नहीं हैं उनको एक साथ रख देंगे। जिनके अमन्डमेन्ट होंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : If an objection is not raised. If there is objection then you will have to take vote.

श्री परसराम मदेरणा : यहां आब्जेक्शन का प्रश्न कहां है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I object to it.

श्री परसराम मदेरणा : आप तो 20 बार आब्जेक्ट करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो 20 बार ही बोले हैं। 25 बार करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : 25 बार क्यों 50 बार कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 51 बार....

श्री परसराम मदेरणा : और दो बिंदी और लगा दीजिए उसके बाद मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन रूल्स परमिट करेंगे तब करेंगे ना आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स परमिट करते हैं। कौन सा रूल रोक रहा है मुझे, बता दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : नेगेटिव अमेन्डमेन्ट क्लाज को डिलीट कराने के लिए जब अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की व्यवस्था दे दी क्लाज को डिलीट कराने का आपका कोई भी नेगेटिव अमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके बाद आप बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्व में भी आसन की यही रूलिंग रही है और यही प्रिसिडेन्स रहा है। जब हाउस के अन्दर कोई बिल चल रहा है और उसके किसी पर्टीकुलर क्लाज के ऊपर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है, दूसरे क्लाजेज पर अमेन्डमेन्ट हैं तो आसन की तरफ से, मैं जानता हूं, एक दो दफा इस प्रकार की अनुमति दी गयी कि इस क्लाज को डिलीट करने के लिए आपकी बात कह दीजिए जो कुछ कहना है। लेकिन इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट शायद नहीं आया है। इस प्रकार के एक दो उदाहरण हो सकते हैं लेकिन न तो किसी क्लाज के ऊपर अमेन्डमेन्ट है, न प्रभारी मन्त्री जी की तरफ से है कोई दूसरा संशोधन, न कोई माननीय सदस्य किसी क्लाज पर अमेन्डमेन्ट लाये हैं। तो इन्होंने आपको इजाजत दी है क्लाज पर कुछ बोलने के लिए। आपको अभिव्यक्ति के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि आपने न तो पब्लिक ओपीनियन के

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिए कोई अमेन्डमेन्ड मूव किया है और न प्रस्ताव लाये हैं सलेक्ट कमेटी के लिए। अब आप बोलने को तो बोल सकते हैं जब कन्सीडरेशन में है लेकिन क्लाज को डिलीट करने के लिये आपको अनुमति नहीं दी गई है। आपको बोलने की इजाजत दी है इसलिये आप उस इजाजत का नाजायज फायदा लेकर यहां वोटिंग कराना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वोट कराने का मेरा राइट है, इसको कोई छीन ही नहीं सकता है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जब आपका डिलीट कराने का अमेन्डमेंट–इज नाट इन आर्डर। फिर वोट कराने का अधिकार कहां है? वोट कराने का जब अमेन्डमेंट मूव करने का राइट नहीं है....।

श्री अध्यक्ष : अब मैं व्यवस्था दे दूं। विपक्ष के नेता महोदय ने विचाराधीन विधेयक के क्लाज 2 और 3 में यह संशोधन प्रस्तुत किया कि इनको विलोपित कर दिया जाय। हमारे नियमों में ऐसा प्रावधान है कि विलोपित कराने के संशोधन प्रस्ताव, जिसका हश्र यह हो कि इमिजियेट वोटिंग हो, पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इजाजत की आवश्यकता नहीं है। अमेन्डमेंट हो डिलीट कराने के लिये है तो इजाजत देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेम्बर उसका विरोध कर सकता है। इजाजत का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वहां अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है उस अवस्था में इजाजत नहीं होती लेकिन जिस खण्ड के ऊपर उन्होंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस खण्ड को मतदान हेतु रखा जायगा यदि वह पारित नहीं होता है तो उस स्थिति में वह विलोपित हो जायगा।

(विराम)

यह तो मैंने शुरू में ही पढ़ दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ दिया था लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : An amendment which is merely the effect of a negative vote is not allowed.

On this principle, amendments purporting to omit a clause of a Bill are disallowed; prper course is to vote against the clause.

क्लाज 2 के अन्दर अमेंन्डमेंट है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 3

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री परसराम मदेरणा :

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : मैं दुबारा पूछ लेता हूं शायद मेरी कोई गलती हो गई हो।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

श्री अध्यक्ष : आप डिविजन क्लेम करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

(मत-विभाजन घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता। बहुत बेसिक इश्यू है।

श्री परसराम मदेरणा : Ayes have it.

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष वाले हां पक्ष की लाबी में चले जायं और ना पक्ष वाले ना पक्ष की लॉबी में चले जायं।

(व्यवधान)

जब वोटिंग होगा तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा।

(लॉबी मतदान)

(मतदान के पश्चात्)

प्रस्ताव के पक्ष में 58 मत और विपक्ष में 21 मत।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

मत विभाजन

हां पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	2.
1.	श्री अब्दुल रहमान चौधरी
2.	श्री अमरचन्द
3.	श्री अमीन खां
4.	श्री असलम खां
5.	श्री अहमद बक्श सिन्धी
6.	श्री ईश्वरलाल सैनी
7.	श्री उदयराम धाकड़
8.	श्रीमती कमला भील
9.	श्री कमला भाई मीणा
10.	श्री खेतसिंह
11.	श्री गोविन्द आमलिया
12.	श्री गोविन्दसिंह गुर्जर
13.	श्री घनश्याम जैन
14.	श्री घासीराम यादव
15.	श्री चेतराम
16.	श्री सी. एल. कंवरिया
17.	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
18.	श्री जयकृष्ण शर्मा
19.	श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया
20.	श्री दिनेश डांगी
21.	श्री दीन मोहम्मद
2 .	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
23.	श्री देवेन्द्रसिंह
24.	श्री धाराराम फुलवारिया
25.	श्री परसराम मदेरणा
26.	श्री पीरूराम
27.	श्री पृथ्वीसिंह
28.	श्री प्रद्युम्नसिंह
29.	श्री बिहारीलाल पारीक
30.	श्री बुलाकीदास कल्ला
31.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
32.	श्री भंवरसिंह शेखावत
33.	श्री भैरूंलाल मीणा(उदयपुर ग्रामीण)
34.	श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)
35.	श्री बैद्य भैरूलाल भारद्वाज
36.	श्री माधवसिंह दीवान
37.	श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)
38.	श्री रतनलाल ताम्बी
39.	श्री रामकरण कताला
40.	श्री रामकिशन
41.	श्री रामधन
42.	श्री रामपाल उपाध्याय
43.	श्री रामसहाय सोनड़
44	श्री रामसिंह विश्नोई
45.	श्री रूपलाल परमार
46.	श्री विष्णुप्रकाश बजारी
47.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
48.	श्री शिवराम शर्मा
49.	श्री शोभाराम
50.	श्री श्रीराम रावत
51.	श्री सुजानसिंह यादव
51.	श्री सुन्दरलाल
53.	श्री सुरजाराम
54.	श्री सुरेन्द्र व्यास
55.	श्री सूर्य कुमार
56.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
57.	श्री हरिसिंह (महुआ)
58.	श्री हेमाराम चौधरी

ना पक्ष

क्र.सं.	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अनंग कुमार जैन
2.	श्रीमती उजला अरोड़ा
3.	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल
4.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
5.	श्री जीतमल जैन
6.	श्री दाऊ दयाल जोशी
7.	श्री नाथूसिंह
8.	सुश्री पुष्पा जैन
9.	श्री बन्सीलाल पटवा
10.	श्री बालचन्द्र आर्यवीर
11.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
12.	श्री महाराम चौधरी
13.	श्री महावीर प्रसाद
14.	श्री मेघराज तावड़
15.	श्री यदुनाथ सिंह
16.	श्री रघुवीर सिंह कौशल
17.	श्री रामकिशोर मीणा
18.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
19.	श्रीमती विद्या पाठक
20.	श्री हंसराज शर्मा
21.	श्री हीरालाल आर्य

खण्ड 4, 5, 6 इनमें कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं हैं।

प्रश्न यह कि खण्ड 4, 5, 6 स्वीकृत किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 4, 5, 6 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खन्ड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना नाम, आदि स्वीकार किये गये।

मन्त्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री चेत राम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो—

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक को साढ़े छः बजे तक पारित करने की मैं सीमा निर्धारित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र का संशोधन जब इस विधान सभा में पहले आया—

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति
का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति—

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपत्ति है मुझे। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पहले मैम्बर्स को सक्युलेट होता है। यह कल सुबह सक्युलेट हो जाय—

श्री अध्यक्ष : नहीं कल सुबह नहीं, बाद में होगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं सारा पढ़ देता हूं, साहब।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, परम्परा ऐसी रही है कि पहले मैम्बर्स को दे दिया जाता—

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी रही है, ऐसी क्यों परम्परायें डाल रहे हैं। बाद में हो जायेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : नहीं साहब, पूरा पढ़ कर सुनने का है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आज तक व्यवस्था यही रही है, मैम्बर्स उसे देख लेते हैं। यह निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : दोनों ही बातें रही हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने रिजोल्यूशन के बारे में कहना चाहते हैं। नहीं होगा तो मालूम हो जायेगा कि माननीय सदस्यों की क्या राय है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप अभी सक्युलेट कर दीजिए, शाम को घर पहुंच जायेगा। रिजोल्यूशन करना है तो वैसे कर दें जैसे आप चाहें। मुझे कोई बाधा नहीं है।

श्री खेतसिह राठौड़ : फिर आप विराजो। पढ़कर सुना देते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 31 तारीख तक का प्रोग्राम है, उसको लिखित में पहले भेज दें, इसमें आपत्ति क्या है, इसमें कौनसा बड़ा काम है।

श्री अध्यक्ष : 4 तारीख की कार्य सूची के बारे में है। 4 तारीख को क्या बिज़नेस हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 4 तारीख को बजट के ऊपर भाषण होगा। बिजनेस के बारे में कार्य सलाहकार समिति फाइनल नहीं है, अध्यक्ष महोदय फाइनल हैं। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि 4 तारीख को बजट के ऊपर वाद-विवाद होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अपना प्रतिवेदन

(160)

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं दे तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन में जो प्रक्रिया रही है, एक दफा नहीं बीसों दफा प्रतिवेदन का सक्युलेशन नहीं हुआ तो भी यहां पढ़ लिया गया है क्योंकि सभी पार्टियों की कान्सेन्शस होती है। इसमें एतराज की क्या बात हुई ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एतराज मुझे भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : तीन को कोई बिजनेस कण्डक्ट नहीं हो सकता तो चार को वाद-विवाद क्या होगा। तो वाया मीडिया एक ही है कि अध्यक्ष महोदय अपनी तरफ से करें। एक दिन के लिए करें या सभी दिनों के लिए करें। सभी दिनों के लिए करें तो जब प्रतिवेदन आ गया है तो उसको सक्युलेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर पढ़ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रतिवेदन एक दिन का नहीं है। इस प्रतिवेदन में कल से 31 तारीख तक का सदन का कार्यक्रम तय किया है। एक दो दिन का हो तो पढ़ कर सुना देते लेकिन यह 31 तारीख तक का प्रतिवेदन है इसलिए ...

श्री अध्यक्ष : इसमें यह व्यवस्था कर देते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि 4 तारीख को बजट पर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा और कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन उसी दिन स्वीकार किया जाएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र करने का जो संशोधन है वह बहुत पहले आया था। आज जो यह ट्रेजरी बैंचेज में बैठे हैं, इन सभी माननीय सदस्यों ने बहुत जोरों से इस बात का समर्थन किया था। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि जो आज यह बिल आया है, जब से दुबारा कांग्रेस सरकार बनी है तभी से इस कांग्रेस सरकार की नीति और सोचने का ढंग है, वह युवकों के जीवन के विरोध की दृष्टि से, उस नाते से प्रारम्भ हुआ है, सोचना शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से एक सक्यूलर सारे सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में चला गया कि सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में जो यूनियन्स के चुनाव होने हैं वे चुनाव नहीं होंगे और जहां-जहां पर चुनाव हो चुके हैं उन चुनावों को निरस्त माना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार, उसके सोचने का ढंग इस बिल से निश्चित रूप से प्रतिबिम्बित होती है। प्रजातंत्र का ह्रास हो, सैकण्डरी हायर सैकण्डरी स्कूलों में जो प्रजातांत्रिक पद्धति बनी और जो मानसिक भूमिका बनी, उसके बहुत परिमार्जन के पश्चात इस प्रकार के नियम बने थे और इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पर राज्य सरकार ने इस प्रकार की बात करी, और राज्य सरकार की मंशा तो यह भी थी, आगे आने वाले वर्ष में इसी के अनुसार कालेजों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको समाप्त करने की साजिश यह सरकार करने जा रही थी। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए निवेदन करना चाहना हूं कि अभी भी, इस साल भी कालेजों के चुनाव कराने के बारे में राज्य सरकार का जिस प्रकार का दृष्टिकोण है यह निश्चित रूप से अभी भी कालेजों के पास नहीं पहुंचा है। ऐसा ही प्रतिबिम्ब इस विधेयक के नाते है। इसको पारित कराने के लिए आग्रह कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का डर होता चला जा रहा है कि जो नौजवान है, जो नवयुवक हैं, जिनके हृदय में कुछ करने की आशायें और आकांक्षायें हैं, आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, आप उनकी बुद्धि का परिमार्जन देख लीजिए कि आज उसकी बुद्धि किधर जा रही है। आप उसका पर्सेन्टेज आफ मार्क, उनके सोचने का ढग, उनके सोचने की प्रवृत्ति इस प्रकार की स्थिति, कुशाग्र गति से बढ़ती जा रही है और लीगल दृष्टि से भी जो 18 वर्ष का व्यक्ति है उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। उदाहरण दिया जा रहा है, इस प्रकार की चर्चा की गई है कि हम समानता लाना चाहते हैं। समानता करिये प्रगतिशील कदमों की। यह बात सच है कि इस प्रकार की उम्र लोक सभा में नहीं है, विधान सभा में नहीं है, पंचायतों में नहीं है। किन्तु एक कानून बना था, 21 साल के बजाय 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त कराने वाली बात थी। एक एक्सपेरीमेंट होगा। एक प्रगतिशील कदम होगा। उसी नाते और विकास होगा, पंचायतों में होगा और शायद विभिन्न सरकारों का दबाव पड़ता तो कांस्टीट्यूशन में बदल कर इसी प्रकार से लोक सभा में और विधान सभा में यह प्रवृत्ति आती। मैं मानता यदि प्रगतिशील कदम करने की बात राजस्थान सरकार करती लेकिन यह परागति कदम करके समानता करने की बात कह दी गई है। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो युवा विरोधी दृष्टिकोण है उसको समाप्त करिये। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और यह इस बिल में प्रतिबिम्बित हो रही है। इसलिए इस तर्क के आधार पर मै राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि उनका जमीर जगे, उनके अन्दर की आत्मा जगे, उस युवक का विरोध करने की प्रवृत्ति छोड़ दें। क्या परेशानी हो रही है? क्यों पैर कांपते हैं, क्यों हाथ कांपते हैं। जब आप जीत गये हैं तो घबराने वाली क्या बात है। इसलिए मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसी बात पर तो आपने चुनाव लड़ा था। जोधपुर में आपका भाषण हुआ था, कैलाश जी मेघवाल ने कहा था कि भाइयों, 18 वर्ष वालों को वोट नहीं देने दे रहे हैं, फिर भी आप साफ हो गए।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह मनोवृत्ति है, यह प्रवृत्ति है, यह सोचने का ढंग है जिसका परिलक्षण तीन पदों में हुआ है। मैं तो राजस्थान की सरकार को बताना चाहता हूं कि इस नाते से यह बिल लाया गया है। इनके अन्दर की आत्मा जागे, इन युवकों के विरोध की प्रवृत्ति समाप्त हो। इस नाते से मैं चाहता हूं कि ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हुए

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्यों के हृदय जागृत हों और इस बिल को पारित नहीं किया जावे । इस तर्क के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : साढ़े छः बजे तक का मैंने समय निश्चित किया था, इस बिल को उस समय तक पारित करना होगा ।

श्री नाथूसिंह : अभी तो तीन मिनट हैं । मैं तीन मिनट लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : तीन मिनट में तो आपकी भूमिका भी नहीं बनेगी ।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले भी कहा था कि जब यह कांस्टीट्यूशन बनाया गया था उस समय हमारे इस कांस्टीट्यूशन का आधार संसदीय प्रणाली था और उसी को ध्यान में रखते हुए यह शब्द जोड़ा गया था अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का इसमें प्रावधान रखा गया, इसमें स्पष्ट रूप से अडल्ट सफरेज वर्ड यूज किया गया और अडल्ट सफरेज प्रेस्क्राइब किया गया है । आगे कहा गया है कि लेजिस्लेचर्स को पावर्स दी जावे कि इसको फ्लेक्सिबल बनावें । जब भी जरूरत पड़े आयु को बढ़ाया जावे ।

श्री अध्यक्ष : यह जरूरत के अनुसार ही घटाया बढ़ाया है ना ।

श्री नाथूसिह : वही मैं बता रहा हूँ । मैं इसलिए बता रहा हूं कि वह अडल्ट सफरेज का मतलब क्या है । अडल्ट सफरेज का मतलब यह था कि उस समय कॉंस्टीट्यूएंट असेम्बली, कांस्टीट्यूएंट असेम्बली जो बनी थी, में जो डिबेट उस समय हुई थी उसमें यह मसला सामने आया था कि 18 साल आयु रखी जाय या 21 साल रखी जाय । कइयों ने कहा था कि 18 साल रखें....

श्री परसराम मदेरणा : may be fixed वर्ड है जो आर्टिकल 326 में है That is in relation to date and not to adult suffrage. It relates to date. अडल्ट सफरेज का नहीं है ।

श्री नाथूसिह : मैं उसी पर आ रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आर्टिकल 300 भी पढ़ लीजिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप वहीं बिराजें, आने की जरूरत नहीं है। कहां आते हैं आप ।

श्री नाथूसिह : जवाब दे रहा हूं कि उस पर आ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, आप सुनें तो थोड़ा सा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें ।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, तो उस समय आर्गूमेंट यह दिया गया कि इस समय क्योंकि लोकतन्त्र प्रारम्भ हो रहा है इस देश में, अभी लोकतन्त्र मैच्योर नहीं है, शुरू हुआ है, प्रारम्भ हुआ है, ज्यों-ज्यों समय

(श्री नाथूसिंह)

बढ़ता जाएगा हम इसमें 18 साल रख देंगे। आज लोकतन्त्र पारंगत नहीं है। इसलिए 1969 में ब्रिटेन में जब 18 साल की आयु की गई तो तुरन्त वहां पर आवाज उठी, पार्लियामेंट में आवाज उठी कि वहां पर 18 साल हो गई तो यहां पर भी करो। जिस समय यह 21 साल की बात चली उसी समय यह भारतीय लोकतन्त्र वास्तव में 21 साल का हो गया था। यह उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई कमेटियां बनी, कितनी ही पिटिशन्स हुईं, उस समय सभी ने एक ही रिकमण्डेशन की सर्व सम्मति से कि 18 वर्ष कर दो। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। कोई एक पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, कई पार्टियों ने अपने पुराने चुनाव मेनीफेस्टों में स्वीकार किया है कि वोटिंग ऐज 18 वर्ष होनी चाहिये। उसके बजाय आप 21 साल करने जा रहे हैं, किस आधार पर करने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सफरेज, इस वर्ड को डिफाइन किया गया। उसके दो आधार बताये गये हैं, ऐज एण्ड नेशनलिटी एण्ड रेजीडेन्स। इलेक्टर, इलेक्टर का मतलब होता है, एडल्ट सफरेज, वह होगा इलेक्टर। जो इसकी परिभाषा दी गई है, ऐज एण्ड नेशनलिटी एण्ड रेजीडेन्स यह दो मुद्दे माने गये हैं। इन दोनों में से तय करेंगे, इलेक्टर कौन होगा। इसके बाद इसको भी डिफाइन करके लिखा है :

"The electors should have reached an age at which they are aware of their civic duties and are capable of expressing a reasonable opinion on political matters."

यही बात कही है इसमें। माननीय परसराम जो इसकी तरफ ध्यान दें। तो सिविल ड्यूटीज में रेस्पोंसिबिलिटी फील करें, पालिटिकल मैटर्स में रेस्पोंसिबिलिटी फील करें। जितने कानून बने हैं, जितने लॉ बने हैं, सब चीजों में 18 साल को माना गया है, इस एक्ट में माना गया है, फिर मैं समझता हूं आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे आपत्ति बिलकुल नहीं होनी चाहिये। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस यह रही है कि वहां एक शैडो केबिनेट होती है, उस शैडो केबिनेट के आप लॉ मिनिस्टर हैं। आपका लॉ मिनिस्टर का मूड है, तो मुझे आप बार बार क्यों सम्बोधित कर रहे हो। मैं तो विधि मन्त्री नहीं हूं।

श्री नाथूसिंह : क्योंकि आप दो नम्बर पर हैं। एक नम्बर गायब है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है, उनके कहने के अनुसार तो यह होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अब 18 साल का तो कोई है ही नहीं।

श्री नाथूसिंह : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा, एक लाइन में बात कहना चाहता हूं। यह जो कदम उठा रहे हैं, यह कांग्रेस की नीति, समाजवाद के नारे, जो लगाते हैं, के विपरीत है। सारी कमेटीज की रिपोर्ट की भावना और युवकों की भावना के विपरीत है। यह बिलकुल कतई प्रगतिशील कदम आपका

(श्री नाथूसिंह)

नहीं है। प्रतिगामी कदम आपका है। पीछे ले जाने वाला कदम है। युवकों को धोखा देने वाला, पालिटिकली डिसीव करने वाला कदम है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, एक ही लाइन में यह कहते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं यह लोग युवकों के विरुद्ध हैं। युवक जब जागते हैं तो वह क्या करते हैं, किसी ने कहा है कि "बुजुर्गों की हुकूमत घर की इज्जत का बहाना है, नयी फसलें बगावत पर उतर आयी तो क्या होगा।" इसे आप याद रखेंगे, इस विश्वास के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये। मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

मैंने समय सीमा निर्धारित की है। आर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये और उन्होंने युवा शक्ति का नाम लेकर कहा, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जब ओरिजनल एक्ट बना, उस समय इसमें 21 साल की उम्र थी। जनता पार्टी शासन में इसमें अमेंडमेंट किया गया, 12-10-78 से वोटर की उम्र 18 साल कर दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा जनता पार्टी वाले माननीय सदस्य जो विपक्ष से बोल रहे हैं, यदि इतने युवा शक्ति के हामी थे, तो वोटर की उम्र ही नहीं 18 करते मैम्बर की भी करते।

(व्यवधान)

जिससे वह सदस्य बनते, चेयरमैन बनते वाइस चेयरमैन बनते, उनको कुछ करने का मौका मिलता। एक वोटर का अधिकार देकर आप यह कहना चाहते हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने चाहे 18 साल की उम्र मतदाता की कर दो, लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं कराये। वोट का अधिकार नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे तो सब शान्ति से सुन रहे थे। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री चेतराम मीणा : इन्होंने कानून बना दिया, उनको अधिकार नहीं दिया और सदस्य कभी भी नहीं बनने दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : यह दुहाई दे रहे हैं, युवा शक्ति की। यह वैसे ही दुनियां को दिखाने को है। मन में कुछ और है, करनी और कथनी में काफी फर्क है।

श्री यदुनाथ सिंह : दलील मान गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लिप सिम्पेथी थी इनको।

श्री चेतराम मीणा : दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने दूसरा कोई प्रश्न नहीं उठाया।

(श्री चेतराम मीणा)

मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको माफ करो, इसमें रखा क्या है ?

श्री नाथूसिंह : आपका कहना मान लिया।

श्री अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

(विराम)

सब विथड्रा कर रहे हैं।

(विराम)

प्रस्तुत नहीं किया गया।

जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, यह भी नहीं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस पर बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : एक बात हमारी मान ली जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा ?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक विचारार्थ लिया जायें।

श्री रामपाल उपाध्याय (राज्य मन्त्री, सहकारिता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकारूंगा।

डा. उजला अरोड़ा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी : सदस्य कुछ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(ग्रनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री दाऊ दयाल जोशी ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह ।

(ग्रनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह ।

(ग्रनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक को....

(व्यवधान)

जब कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो किस पर बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विचारार्थ लेने का प्रस्ताव है ।

श्री ग्रध्यक्ष : यह है उसमें, इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जायें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनमत का प्रश्न नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : वह पहले तो नहीं ग्रायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनमत का तो मूव ही नहीं किया ।

श्री ग्रध्यक्ष : जब मूव नहीं किया तो ग्रवसर नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रवसर तो नहीं है । विचारार्थ के प्रस्ताव पर तो चाहे मूव किया हो या नहीं किया हो, बोलने का ग्रधिकार है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : थर्ड रीडिंग में बोल सकते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : विचारार्थ लेने पर प्रिंसिपल ग्राफ दी बिल पर बोल सकते हैं ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापने बताया है वह सही है । परिनियत संकल्प ग्राया है । विचारार्थ लिया जाये, यह प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट नहीं हो कोई भी तो नहीं बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन प्रिन्सिपल को डिस्कस कर सकते है।

श्री अध्यक्ष : वह आखिर में है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह आखिर में नहीं है। परसराम जी बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन प्रकार प्रस्ताव आते हैं, आप रूल्स ऑफ प्रासीजर निकाल रहे हैं! मैं बिना रूल्स ऑफ प्रासीजर देखे ही बता सकता हूं—एक जनमत का, दूसरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का और यह दोनों नहीं हों तो जनरल डिस्कशन का। इसके प्रिन्सिपल पर तो कोई भी डिस्कशन कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : कोई नियम तो बताइये ना?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं नियम भी बता देता हूं—

"On the day on which any motion referred to in rule 66 is made, or on any subsequent day to which the discussion there of is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles."

श्री अध्यक्ष : "One of the following motions may be made........"

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। One of the motions means a motion under rule 66, and the first motion is that the Minister shall move the motion that the Bill be taken into consideration.

श्री भैरोंसिह शेखावत : 67 (1) बिल्कुल क्लियर है—

"On the day on which any motion referred to in rule 66 is made, or on any subsequent day to which the discussion there of is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles."

श्री अध्यक्ष : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रिमण्डल और खास तौर से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब यह आर्डिनेंस लाये हैं इसके पहले किसी सैंट्रल सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव हो गये उसमें कितने डायरेक्टर्स ऐसे आये जो 6 साल तक थे? जब एक भी ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने नहीं आया तो आर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? दूसरा, मद्रास में 1968 में चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में, जैसा मंत्री महोदय कहते हैं, निर्णय हुआ और जैसा स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एवं रीजन्स

(श्री शोभाराम)

में भी कहा गया है कि 6 साल से ज्यादा मियाद एक आदमी की नहीं हो। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 14 साल गुजरने के बाद और कई असेम्बली के सेशन होने के बाद सरकार इस बिल को लाये और वह भी एक घंटे में पारित किया जाय जब कि इसमें बहुत कुछ कहना है, मैं समझता हूं कि समन्वय कमेटी बनी थी उस कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें दे दीं उनमें कम से कम 20-25 ऐसे अहमियत के सवाल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको एक साथ लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह का हम संशोधन करें एक्ट में। मैं समझता हूं कि सेक्शन एड कर दिया जाय। अब देखें, सेक्शन 32 मे लिखा है इसके तहत 7 (ए) लगायें और 34 गवर्न होता है सेक्शन 36 से, उसमें यह लिखा है— (6.46 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

इसका सब सेक्शन 7 यह कहता है—

"Disqualification of membership of Committees........"

इसके लिए लागू होता है। सेक्शन 36 में दे रखा है—

"If, in the opinion of the Registrar, the Committee of any Co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interests of the society or its members, or wilfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government........"

इस तरीके से ऐसा कौनसा इसमें क्लाज है जिसकी वजह से 36 में तो यह नहीं लिखा है कि 6 साल या 9 साल रहे। इसमें जो कारण दिये गये हैं कि रजिस्ट्रार इसको भंग कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। फिर एक फण्डामेंटल प्रश्न यह खड़ा होता है कि कोआपरेटिव का मैम्बर 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता लेकिन एक एम. एल. ए. 6 साल तक रह सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिरकार फंडामेंटल डिफरेंस है और यह क्या है। तीन साल का टाइम आप क्यों देना चाहते हैं इसका आपने कारण बताया नहीं। क्या जरूरत है 9 साल तक चले तो आये ही ? एक जिले में 400-500 सोसाइटीज होती हैं, 400 चेयरमैन इलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से तो क्या आप उन की पसन्द पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं? यह तो मामला हमारी समझ में नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं इस आर्डिनेंस के लागू होने के पहले कितने ऐसे केसेज आये आपके सामने 9 साल के जिसकी वजह से आपको आर्डिनेंस लागू करना पड़ा ? मेरे

(श्री शोभाराम)

तो समझ में यह बात आई नहीं है। मैं तो दरख्वास्त ही कर सकता हूं मंत्री महोदय से कि वे इसको वापस ले लें और यह ऐलान कर दें कि एक कमेटी का निर्माण राजस्थान सरकार की तरफ से जल्दी किया जायेगा। जो कोआपरेटिव एक्ट है 1965 का फिर भी मैं कह सकता हूं इतने साल हो गये हालात अपनी जगह हैं। फिर मैं आपसे यह पूछूं कि स्टेट पार्टनरशिप में कितना अमाउंट है? वह अमाउंट बैलेंस शीट में चढ़ाया जाता है या नहीं? बढ़ता रहा है या नहीं? बहुत सी चीजें हैं। बहुत से चेंजेज आये, बहुत सी असिस्टेंस मिली है सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के लिये। इसके लिये आप क्या कहते हैं? अगर आप 80-81 का फाइनेन्स एकाउंट भी देखें तो 31 करोड़ 60 लाख रुपये का अभी तक कर्जा बकाया है कोआपरेटिव सोसाइटीज में। जब यह बाकी है तो जोइन्ट फार्मिंग का क्या आप हिसाब बता सकते हैं? जोइन्ट फार्मिंग ने कभी आपको लाभ दिया है? वहीं 2-3 आदमी मिल कर बांट लेते हैं। किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। गोदामों के लिये करोड़ों रुपये दिये गये, क्या वे गोदाम बन गये? करोड़ों रुपये की असिस्टेंस लाकर क्या गोदाम भी बनाये? अगर नहीं तो फिर कहां खर्च हो गए? मैं समझता हूं कि और भी बहुत सी बातें हैं। इस वक्त डिटेल में जाना मुनासिब नहीं होगा। फाइनेन्स एक्ट में इतने माइनर हैड दे रखे हैं जिनको अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते-पढ़ते समझ में आयेगा कि बिलकुल ही एक तरह से मामला समझ में नहीं आ रहा है। इस को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट की मेरे एक बात समझ में नहीं आती। वक्त पर चुनाव कोआपरेटिव्स के क्यों नहीं हुए? क्या आपने ए. आर. के खिलाफ एक्शन लिया है जिनकी वजह से हमारे इस नियम का पालन नहीं हुआ? अगर वक्त पर एक्शन लेते तो यह झगड़ा मिट जाता। हम आपस में विरोध करते हैं लेकिन अब इस बात का निर्देश दें। नीचे जो काम करने वाले हैं, जिनकी मियाद मुकर्रर कर दी है कि इतना काम करना है उन्होंने नहीं किया है तो एक्शन कितना लिया है? कोआपरेरिटव में कितने अफसरों को आपने सस्पेन्ड किया है? मुझे याद है हम जब वसूली करते हैं रजिस्ट्रार साहब के यहां से स्टे आर्डर जाता है कि वसूली रोक दो। स्थगन आदेश की फाइल गायब हो गई। हम ने कहा, फाइल कहां है तब पता नहीं ऐसी फाइल कहां है। ढूंढते-ढूंढते पता लगा, फाइल को चींटी खा गई। चींटी खा जाती हैं फाइल को।....

श्री कैलाश मेघवाल : भ्रष्टाचार की फाइल होगी।....

श्री शोभाराम : चोरी गई। सब ने कहा, क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट की है? नहीं की। तो यह तरीका है। इसको देखना चाहिये। एक तो जो कोआपरेटिव्स के मामले हैं, उनमें जिसके खिलाफ एक्शन लिया वह दूसरे से मिल गया। वह मामले 12-12 साल तक पड़े रहते हैं। उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को जब तक हम अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो कोआपरेटिव का जो सैक्टर है वह सफल नहीं होगा। मैं भी 15-20 साल से इसको देख रहा हूं। हमारी बड़ी उम्मीद थी कि यह देश का कल्याण करेगी। कम से कम वक्त यह आ गया है कि कोआपरेरिटव का काम ठीक हो।

(श्री शोभाराम)

पहले गुड़ काण्ड हुआ। अब तो कई काण्ड खुल सकते हैं। पता नहीं कितने काण्ड हैं। इनके जो आडिटर्स है, जो आडिट करते हैं, उनके लिये भी हम को सोचना होगा कि इन इन पाइन्ट पर आपको आडिट करना है। फालतू बात मत करो। कम से कम इसको संभालने के लिये कुछ बुनियादी बातें कहना चाहता हूं। जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक सहकारी समिति को फायदा नहीं होगा। आर्डिनेन्स निकल गया। मैं पूछना चाहता हूं, आर्डिनेन्स के पहले कितने आदमी थे? कितने चुनाव हुए? उनके नाम बताइये। उन सोसाइटीज के नाम जानना चाहता हूं, जिनकी वजह से आर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रभारी मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय खेतसिंह जी जिस दल के चीफ व्हिप हों....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिसने आई केच की है वह बोल सकते हैं। नागौर से आने वाले सदस्य कह रहे हैं पहले उन्होंने आपकी आई केच की है। आई केच कोई करे और बोले कोई, यह तो....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय खेतसिंहजी जिस दल के चीफ व्हिप हों, उस दल में आत्मा की आवाज से बोलने वाले सदस्य भी हैं। अभी हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री माननीय शोभाराम जी बोल रहे थे। वे एक सच्चे सहकारी कार्यकर्ता के रूप में, सच्चे कोआपरेटर के रूप में बोल रहे थे। उनकी राय लेकर सहकारिता विभाग में कार्य चले तो शायद कई मामलों में सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दर्द और भी है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे दल में अनुशासन है लेकिन फिर भी हम प्रजातांत्रिक है। आपकी तरह नहीं हैं। आप तो भैरोंसिंह जी के इशारे पर खड़े होते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम मेघवाल जी तो ऐसा नहीं करते हैं।....

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस सरकार ने एक शोभाराम कमेटी बनायी थी। शोभाराम कमेटी में, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पहले इस कुर्सी पर बिराजने वाले माननीय अध्यक्ष पूनमचन्दजी भी एक सदस्य थे। बड़ी मेहनत की शोभाराम कमेटी ने। बहुत बढ़िया सहकारिता के क्षेत्र में काम करने का दस्तावेज तैयार करके सरकार को दिया लेकिन अफसोस यह है, माननीय शोभारामजी इस बात से सहमत होंगे कि वह रिपोर्ट कहां पड़ी है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसका आज तक सरकार को पता नहीं है।....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय आधा घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री महाराम, टाइम का ध्यान रखिये।....

श्री परसराम मदेरणा : आप तो कोआपरेशन मिनिस्टर रहे हो। आपको झाड़-फूंक कर देखना चाहिए था और एक्शन लेना चाहिए था।....

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसको पढ़ा है। न केवल पढ़ा है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय की सूचना के लिये निवेदन करना चाहूंगा, इसमें जो सिफारिशें थीं, उनके आधार पर नियम बनाना शुरू किया था और उन नियम के आधार पर, शोभाराम कमेटी की सिफारिश के आधार पर, मैं निवेदन करूंगा, माडर्न बायलाज में 6 साल का प्रावधान जनता पार्टी की सरकार ने रखा और इसलिये रखा, इसके पीछे मूल भावना यह थी, सहकारिता के अन्दर यह एकाधिकार का आन्दोलन न हो, सहकारिता का आन्दोलन मोनोपोली का आन्दोलन न हो, सहकारिता आन्दोलन में निहित स्वार्थ न पनपे, इसके लिये 6 साल का नियमों में प्रावधान जनता पार्टी ने किया था। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के द्वारा हो क्या रहा है, वह ईमानदार हैं क्या? इसके पीछे भावना यह थी, 6 साल के बाद सहकारी सोसाइटी में जिस व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है तो वह व्यक्ति पदाधिकारी नहीं रहेगा 6 साल के बाद। मैं आज इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने, वर्तमान मंत्रिमण्डल ने यह अध्यादेश निकाला है, यह ठीक किया है। नियम लागू किये और माडर्न बायलाज बन गये। उसके बाद चुनाव कुछ जनता पार्टी के वक्त में हुए और आपके पहले संकल्प के अनुसार और चुनाव किये गये। कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये। उन्होंने यह कहा, यह अयोग्यता चुनाव लड़ने की माडर्न बायलाज में प्रावधान करके लागू की है, यह सब्सटेन्टिव नहीं है। हाई कोर्ट ने इस बात को माना तब तक चुनाव हो चुके थे। इसलिये जो सहकारी अधिनियम, 1965 का सैक्शन 34 है, जिसमें इसकी सिफारिश के बारे में लिखा गया है उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये यह प्रावधान करना पड़ा है, और यह अध्यादेश लाया गया है। इसमें यह व्यवस्था भी की गयी है, भूतलक्षी काल से लिखा हुआ है; रिट्रोस्पेक्टिव डेट से करने का लिखा हुआ है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके पीछे भावना यह थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो।

(श्री कैलाश मेघवाल)

शोभाराम कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम होगा, लेकिन सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने उसको माना और स्पेशल कोग्रापरेटिव इन्वेस्टीगेशन शैल पुलिस विभाग में बनाया। पुलिस विभाग में स्पेशल शैल कायम किया गया। क्योंकि कहीं से भी झूठे दस्तखत हो जाते थे, उसके लिये भी सिफारिश कमेटी ने की थी उसको माना कि बैंकों से चैक के द्वारा कर्जा दिया जायेगा। यह सारा काम जनता पार्टी ने चालू किया लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या इन नियमों के प्रति वफादार है? अभी माननीय शोभाराम जी ने जिक्र किया कि मुख्य मंत्रियों ने 1961 में पास किया और 1969 में सहकारी मंत्रियों ने पास किया लेकिन 1977 तक किसी कांग्रेस की सरकार ने सहकारिता अधिनियम में यह प्रावधान नहीं किया। किसी ने नहीं किया 16 साल वाला। इसलिये नहीं कर सके कि कांग्रेस की सरकार के वक्त सहकारी आन्दोलन में भ्रष्टाचारी तत्व हावी हो गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माननीय शोभाराम जी ने आंकड़े दिये कि 20 करोड़ के करीब फाइनेंसियल अकाउण्ट्स में से बाकी बचते हैं। मैं कहता हूं कि सहकारी आन्दोलन में 15 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार और गबन में उलझा हुआ है। उसको बाहर निकालने के लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया, जो भ्रष्टाचार था, जिन्होंने सहकारी आन्दोलन को कलंकित किया उनके खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी थी, एक अभियान चालू किया था जनता पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आप आये, कांग्रेस (आई) की सरकार वापस राजस्थान में आने के बाद में या आपके सहकारी मंत्री बनने के बाद में कितने भ्रष्टाचार के मामले दिये गये हैं उस पुलिस सैल में, इसके आंकड़े दीजिये क्योंकि इस संशोधन के पीछे भावना यह है कि भ्रष्टाचार नहीं हो, सहकारिता आन्दोलन ठीक ढंग से चले, सहकारी आन्दोलन गरीब की सेवा का माध्यम हो। लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीब की सेवा सहकारिता के माध्यम से नहीं करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको कहां तक गिनाऊं, इस तरह के भ्रष्टाचार के तरीके अपनाये गये, करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया गया, भरतपुर का तो पता ही है, मंत्री महोदय, आप भी भरतपुर गये थे, क्या किया आपने? 355 में 37 सहकारी समितियों की हमने जांच करायी थी, उपाध्यक्ष महोदय, और उन सबकी सब 37 में ही भ्रष्टाचार पाया गया। 51 मामले दिये गये पुलिस में लेकिन उसके बाद जाँच करा रहे थे उन 37 सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के बारे में। अब जो बाकी 328 सहकारी समितियां हैं उनकी आप जाँच करायें भ्रष्टाचार के मामले की। सभी में भ्रष्टाचार है। हमने 37 की जांच करायी थी और 37 की 37 में ही भ्रष्टाचार पाया गया था। इसमें हमने 51 मामले भी दिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मुकदमों की तफतीश हो रही थी, इनवेस्टीगेशन हो रहा था उनमें अब कांग्रेस (आई) की सरकार आने के बाद में ढिलाई आ गयी है। आज मुकदमे पुलिस

(श्री कैलाश मेघवाल)

विभाग में ही पड़े हुए हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिये ताकि वे पूरे हों आज की सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । सहकारी मंत्री उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह हो क्या रहा है ? आज जो यह भ्रष्टाचार है, माननीय सिंचाई मंत्री जी, इनमें हो क्या रहा है । 6 साल से ज्यादा बैठें नहीं, अगर बैठेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है ? इसकी मूल भावना क्या है ? जिस भावना से यह काम किया गया था, जिस स्प्रिट को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर यह मुहिम चालू की गयी थी, जिसको कि आपने अपनाया और अध्यादेश के रूप में कानून ला रहे हैं, इसमें इसका प्रावधान किया है लेकिन क्या आपका मन साफ है ? भ्रष्टाचार की शिकायत अगर कर्मचारी करते हैं तो कहते हैं कि बी. एम. एस की यूनियन के हो । भ्रष्टाचार नहीं है । हम तुम्हारे कहने से भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं। इतनी बड़ी शिकायत कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि तुम बी. एम. एस. के कर्मचारी हो इसलिये भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हो, उसको नहीं मानते । आपके सामने शिकायत ला रहे हैं। सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार को सामने ला रहे हैं, धन का दुरुपयोग हो रहा है उसकी शिकायत ला रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के घर से संरक्षण मिल रहा है, भ्रष्टाचार को उनके यहां से संरक्षण मिल रहा है । जो कर्मचारी इस तरह से भ्रष्टाचार को सामने ला रहे हैं उनको आज टेन्ट लगाकर विधान सभा के सामने खड़ा होना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार खतम करवाइये । आखिर भ्रष्टाचार को रोकने की भावना को कौन रोक रहा है ? निहित स्वार्थ बीच में आ गये हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार कैसे खतम होगा ? मुझे मालूम है कि खुद मंत्री जी के घर से यह हो रहा है । अभी इस बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, मुझे मालूम है कि कहां से इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है । मैं कहना चाहूंगा कि आडिट रिपोर्ट जो हैं उन आडिट रिपोर्ट्स में स्पष्टतः कोई संस्था बाकी नहीं है। आप से मैं एक ही आश्वासन चाहता हूं कि अगर आप सहकारी आन्दोलन को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप सहकारिता में से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो जो आडिट रिपोर्ट्स हैं, सहकारी विभाग का आडिट भी सहकारी विभाग के लोग ही करते हैं। अगर कोई स्वतंत्र एजेन्सी होती तो और भी बड़े बड़े मामले सामने आते । लेकिन एक सहयोगी ही आडिट करता है फिर भी सारा मान लिहाज करने के बाद में, सारे भाई भतीजों को मानने के बाद, सारे आफिसरों की सिफारिशें मानने के बाद भी आडिट रिपोर्ट में गबन के मामले आये हैं, आडिट रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले आये हैं । सहकारिता मंत्री जी एक बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं । क्या आप

(श्री कैलाश मेघवाल)

आडिट रिपोर्ट निकाल कर जो गबन के मामले हैं उनको पुलिस में देंगे ? यह घोषणा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपका सहकारिता मंत्री रहना राजस्थान के लिये हितकर होगा, सार्थक होगा, आपका सहकारिता मंत्री रहना राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन के लिये सार्थक होगा। अगर ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते हैं और कहते हैं कि यह बी एम. एस. के लोग हैं, भ्रष्टाचार के मामले भारतीय मजदूर सघ के लोग सामने लाये हैं इसलिये नहीं मानते हैं तो जो आडिट की रिपोर्ट हैं उनमें जो गबन के मामले सामने आये हैं, सात करोड़ का गबन है उनमें दो साल से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। जो बी.एम, एस. के लोगों ने मामले उठाये उनको भी आप नहीं मान रहे हैं इसलिये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये विधान सभा के बाहर धरना देना पड़े तो इससे अधिक काला दिन विधान सभा के लिये और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह घोषणा करें तो मैं अपने सारे आरोपों को भूल जाऊंगा। सहकारी आडिटर्स ने जो अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और गबन के मामले बताये हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने की कृपा करें। अगर करते हैं तो आपका यह अध्यादेश पेश करना सार्थक होगा। वरना तो यह मखौल होगा। आप यों ही इस सदन का समय खराब कर रहे हैं। सहकारी मंत्री जी, भूतपूर्व सहकारी मंत्री जी भी बोल गये हैं। आप सहकारिता का धन यों ही बरबाद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के मूल एक्ट के अन्दर जो आप संशोधन करना चाहते हैं उस संशोधन से सहकारिता डिपार्टमेन्ट या जनता का हित हो रहा हो, ऐसा काम हो रहा हो जिससे कि सहकारिता के क्षेत्र में कोइ लाभ हो या वह पनपे, इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

इस तरह का अमेंडमेंट लाने के साथ साथ यदि दूसरा अमेंडमेंट जो वितरण के मामले में गड़बड़ी होती है उसको रोकने के लिए लाते या जो नीति के मामले हैं उनके लिए कोई अमेंडमेंट लाते या सरकारी अधिकारी जो सहकारी समितियों के अन्दर कार्य नहीं करते हैं उन के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का लाते तो आप सहकारिता आन्दोलन को सफलतापूर्वक चलाने में सहयोग देते। यह अध्यादेश लाकर तो सहकारी समितियों के अधिनियम में एक संशोधन सिर्फ मुख्य मंत्री सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने में जोड़ दिया है। उनको अब यह आदेश दिया जाये। पर मूल रूप से देखा जाये तो आप परिवर्तन लाने के लिए अधिनियम के अन्दर संशोधन लाये हैं यह पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी मूल चीज तक नहीं पहुंचे हैं। यहां से एक सक्यूंलर चला गया केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। ग्राम सेवा सहकारी समितियों और दूसरों को यह कतई मालूम नहीं कि अधिनियम में संशोधन कर लिया है हमने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी से यह निवेदन करना

(श्री महाराम चौधरी)

चाहता हूं कि जो सहकारिता आन्दोलन के अन्दर अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है, नियुक्तियों के मामले के अन्दर गड़बड़ी हो रही है, जो अव्यावहारिक चीजें हैं, उनको ठीक करने के लिए संशोधन अगर लाते तो सहकारिता आन्दोलन को सफलता मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक और सहकारी समितियों के अन्दर नियुक्ति होती हैं। काम तो करना होता है ग्राम सेवा सहकारी समिति में और अपाइन्टमेण्ट करके भेज देते हैं आप दूसरे अधिकारियों के अ्। इसी तहह से को-आपरेटिव बैंक के अन्दर नियुक्ति वहां के स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, नागौर में बैंक के अन्दर वहां के लोग ही लेने चाहिए लेकिन वहां नियुक्ति कर देते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और आन्ध्र प्रदेश के लोगों की। ऐसे आदमियों की नियुक्ति कर देते हैं तो आप गांवों के अन्दर जिस आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं वह तो सफल होगा नहीं। न तो कर्मचारी ग्रामीण लोगों को समझेंगे और न ग्रामीण क्षेत्र वाले उसको समझेंगे। मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि इस तरह का अमेण्डमेण्ट लाने से कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती है, न सहकारी आन्दोलन के अन्दर कोई उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक्ट में अमेण्डमेण्ट लाने के साथ साथ रजिस्ट्रार का सर्क्यूलर आया है उसके आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के रजिस्टर्ड बाइलॉज में किसी तरह का अमेण्डमेण्ट नहीं किया है, न गांव वालों से पूछा है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अमेण्डमेण्ट बिल्कुल लाने के लायक नहीं है। इससे जनता का कोई हित नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 में जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं मेरी निगाह में उन संशोधन को वस्तुतः अप्रजातांत्रिक और प्रतिगामी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतंत्र में इस प्रकार की संस्थाओं पर अवधि की बंदिश लगा कर निश्चित रूप से जन भावना का अनादर किया है। अन्य प्रकार की संस्थाओं, चाहे पंचायती राज हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे कृषि मण्डी हो उनमें इस प्रकार का नहीं है। ऐसी स्थिति में 6 वर्ष की जो बंदिश लगाई जा रही है मैं समझता हूं कि बहुत अनुचित होगी। इस आधार पर यह जो अमेण्डमेण्ट पेश किया है वह रद्द होना चाहिए। मेरा इसमें यह सुझाव है कि सहकारी समिति में गांव के सदस्य चुनते हैं, ग्रामीण मैम्बर उसे चुनेंगे जिसका काम अच्छा होगा। उसको बार बार चुनें इसमें सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

इसके साथ साथ अब यह बताया गया है कि गबन करते हैं, गड़बड़ करते हैं तो क्या 6 वर्ष बाद यह सब नहीं होगा ? यह बात समझ में नहीं आती है। पंचायती राज की संस्थाओं के 3 वर्ष में चुनाव होते हैं। इसमें धारा 17 (4) रखी है वैसी ही सहकारी अधिनियम में कर दीजिए। जब गड़बड़ लगे तब हटा दीजिए। इसमें एतराज नहीं है। इस प्रकार की बात भ्रष्टाचार, घोटाले की बात तो, मैं कहना चाहूंगा, नहीं होगी।

इसके साथ मेरा निवेदन यह है कि नगरपालिका संस्थाओं और पंचायती राज

(श्री रतनलाल ताम्बी)

संस्थाओं में अंकेक्षण विभाग अलग से है जब कि सहकारी समितियों का विभाग के द्वारा आडिट होता है। यह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वहीं के कर्मचारी वहीं के अधिकारी होते हैं। मेरा सुझाव है कि अंकेक्षण विभाग जो अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में है उसी प्रकार सहकारी समितियों का हो। समय पर आडिट की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो तो सहकारी समितियों के आन्दोलन के अन्दर निहित स्वार्थी तत्व जो हैं, वे समाप्त हो सकते हैं। मेरा इस बारे में सरकार से निवेदन है कि अमेण्डमेण्ट निश्चित रूप से प्रतिगामी है। प्रगतिशील विचारों का दावा करने वाली सरकार इस प्रकार की बँदिस लगाकर प्रजातंत्र और जन भावना का अनादर कर रही है। यह भावना नहीं रखी जाय। विधायक, प्रधान, प्रमुख, वार्ड मैम्बर और नगरपालिका, इन सब के लिए कोई अवधि नहीं है इसलिए इस प्रकार की अवधि सहकारिता आन्दोलन के लिए निर्धारित करना उपादेय नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस अमेण्डमेण्ट का विरोध करता हूं और राज्य सरकार से और सहकारिता मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का अमेण्डमेण्ट जो प्रस्तुत कर रहे हैं इसको बिल्कुल वापस लिया जाये, यही उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई सम्माननीय सदस्यों ने इस संशोधन को लागू नहीं करने के बारे में बहुत बातें कही, मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करता हूं।

श्री वंशीलाल पटवा : विनम्रतापूर्वक क्यों करते हो ...

श्री रामपाल उपाध्याय : यह तो अपनी भाषा और संस्कृति की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। No talk।

श्री रामपाल उपाध्याय : जहां तक माननीय सदस्यों ने अपने रचनात्मक सुझाव रखे हैं मुझे उन्हें मानने में कोई तकलीफ नहीं है। सच्चाई यह है कि सहकारिता एक जीवन दर्शन है और सामाजिक और आर्थिक क्रांति का माध्यम और प्रतीक है। इस बारे में माननीय सदस्य महानुभावों से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण विधायी, और रचनात्मक हो तथा विचार इस प्रकार का सुझावात्मक हो जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़े। हमारे समाज के दरिद्र नारयण, जो शोषित और पीड़ित हैं, समता के आधार के करीब आवें, इसी उद्देश्य से यह प्रयत्न है। यह एक सहकारिता का सिद्धान्त है, मेरा यह निवेदन है। जैसा अजमेर से आने वाले सदस्य महानुभाव ने कहा, उनकी बातों का प्रत्युत्तर संक्षेप में दे रहा हूं। जब वह सरकार में थे उस समय से बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि 1972-73 से जो उप नियमों में व्यवस्था बैठायी गयी 6 वर्ष की, कई जगह इसको प्रतिपादित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

आपने 6.3.79 को स्वीकार करके माडल बाईलॉज बनाये तो मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति, उसकी वैधानिक पूर्ति का यह प्रतीक है। यह आपने मन से स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। अस्वीकार जो कर रहे हैं या अस्वीकारात्मक जो रुख रखा है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं और वह यह कर रहा हूं ····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात मत कीजिए।

श्री रामपाल उपाध्याय : इससे पहले 1968-69 में मद्रास और बंगलोर में देश के मुख्य मंत्रियों और सहकारी मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसका आशय था, उसके अनुसार आज हम एक आर्डिनेंस को आपके सामने रख रहे हैं, उस आधार पर 1973 में ····

श्री शोभाराम : एक बात पूछूं। मद्रास की आप बात करते हैं और कांग्रेस की रिपोर्ट पेश हुई थी। आप जो कहते हैं हम नहीं मान सकते उसको। जो तय हुआ वहां। I was present there. बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आये थे। आपके यही पकड़ में आया।

श्री रामपाल उपाध्याय : जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, शोभारामजी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी थी····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शोभाराम : मन्त्री महोदय, मैंने आपकी बात का खण्डन नहीं किया, मैंने कहा कि इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये उसके आधार पर पीसमील अमेण्डमेन्ट नहीं कराये जायं और एक्ट में जो कुछ अमेण्डमेण्ट करने हैं वह एक साथ किये जायं। उसका सुधार किया जाय, ऐसे पीसमील में करने से तो कई साल लग जायेंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के जाने माने और सम्माननीय सदस्य श्री शोभाराम जी ने कहा कि जो सुझाव हैं इनको पीसमील में नहीं लिया जाय। मेरा निवेदन करना यह है कि इसको संवैधानिक रूप देने के लिये और निर्वाचन का जो बीस संकल्प का पहला सूत्र है उसकी पूर्ति के लिये यह किया गया है। सरकार की मन्शा कभी नहीं है कि इसको पीसमील में लिया जाय, और इसकी आत्मा को मार दिया जाय। सैक्शन 36 और सैक्शन 34 की जो बात कही गई, मैं उससे सहमत हूं लेकिन जैसा मैंने कहा, इसको संवैधानिक रूप देने के लिए यह किया जा रहा है। हाउस के माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, वर्तमान में जो सहकारी विधेयक है राज्य सरकार समुचित रूप से दक्ष लोगों से विचार विमर्श करेगी और उसके बाद पुनः संशोधित करना चाहती है। मेरा निवेदन है, शोभारामजी साहब ने जो बात कही और अन्य माननीय सदस्यों ने कही, एक एक करके करने की, का बात प्रत्युत्तर दूं तो, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और श्री चौधरीजी ने कहा, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कि इसकी मूल भावना केवल मात्र यही है कि इसको जनमत जानने के लिये....

अनेक माननीय सदस्य : किसी ने नहीं कहा।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

मेरा निवेदन है है कि निर्वाचन का जो कन्टीनुअस प्रोसेस चल रहा है उसकी असंगति रोकने के लिये और उसको वैधिक रूप देने के लिये यह कदम है। मैं समझता हूं आप इससे सहमत होंगे।

जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन निश्चित रूप से प्रजातान्त्रिक है प्रतिक्रियावादी नहीं। वह इसलिए नहीं कि दूसरे मामलों में जैसा अभी कार्यक्रम सोचा जा रहा है नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में जो बात कही है, उससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिये कि आप सब लोगों के द्वारा नई पीढ़ी का स्थान देने की बात कही गई है। मैं समझता हूं, नई पीढ़ी को स्थान देने की बात होती है वहां पर आप यदि प्रतिक्रिया करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें।

जहां तक आडिट और भ्रष्टाचार इत्यादि की बात कही गई, इसका यथा समय जवाब दिया जायगा, इसका समाधान किया जायगा। भ्रष्टाचार है इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। 18725 सहकारी समितियां हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : नई वितरण व्यवस्था है।

(व्यवधान)

जो भ्रष्टाचार सहकारी विभाग में है आप इसकी व्यवस्था क्या करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपको इसकी सख्ती से व्यवस्था करनी चाहिये। जिस तरह से आप व्यवस्था कर रहे हैं इससे भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपने जो अध्यक्ष बनाये....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, यह सहकारी आन्दोलन न केवल मेरा है, न केवल कांग्रेस दल का है बल्कि हम सबका है, देश के जन जन का है और आर्थिक क्रान्ति की तरफ बढ़ने का कदम है इसलिये आप इसको हमारा कहने का कष्ट न करें। इस देश के अन्दर इसके माध्यम से प्रजातान्त्रिक ढग से आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं, उसकी ओर यह एक कदम है। निश्चित तौर पर जहाँ 18725 सहकारी समितियां हैं, भ्रष्टाचार भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, जो भ्रष्टाचार है और दूसरी बातें हैं उनके साथ सख्ती से निपटा गया है। आप स्वयं जानते है एक मिनट भी निलम्बित करने या उनके खिलाफ कार्यवाही करने में कभी हिचकिचाहट नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : यह कहने की बात है, करने की नहीं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय चौधरी साहब ने अभी एक बात कही, वह संशोधन रखा वायलाज में रखा है 6 वर्ष, जिला स्तर की समितियों के लिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सशोधन की जो भावना है उसके आधार पर हमारे राजस्थान में 18725 सहकारी समितियों में से करीब साढ़े चौदह हजार सहकारी समितियों के निर्वाचन इसी आधार पर सम्पादित कराये गये हैं। उसको, करीब 18 हजार को 9 से गुना कर लीजिये, जनता के 47 32 लाख लोगों ने फैसला किया। अब आप कल्पना कर लीजिये कि जिला स्तर पर है या जन जन तक पहुंच गया है।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ाया गया।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बी बात नहीं कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को एक बात कहनी है कि आपने प्रिन्सिपल के तौर पर इस बिल को सपोर्ट किया है अब इस स्टेज पर आप सपोर्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय समय की पाबन्द थी, इसलिए कि वह बात तो बाद में कह दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात निवेदन करनी है। मुझे तो एक आश्वासन चाहिये, मैं सहकारिता मंत्री जी की इस भावना का तो स्वागत करता हूं कि यह सबका अन्दोलन है

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेकिन मैंने कहा कि आडिट रिपोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जैसे भरतपुर की बात मैंने कही, उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे। आपने उनको बहाल कर दिया, मैंने पत्र लिखे लेकिन आप 37 सहकारी समितियों में आगे नहीं बढ़े।

(7.20 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इसकी आगे भी जांच होनी चाहिये। क्या आप जांच करवायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आडिट रिपोर्ट के बारे में इसमें कोई बात नहीं है। आप इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इस बिल को सपोर्ट कर रहा हूं। इस बिल की भावना है कि ऐसे अधिकारी, जो सहकारी भण्डार में हैं, बैंक में हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किये हैं, के खिलाफ क्या आप जांच करायेंगे? जो आडिट रिपोर्ट में गलतियां बताई गई उनको भी आप दूर करेंगे, यह आश्वासन चाहता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दे उठाये, रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने बात की। सच तो यह है कि यह रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है, अभी इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, न ही इसको कार्यान्वित किया जा सकता है। जो भरतपुर सी. सी. बी. में गड़बड़ हुई हैं जैसा उन्होंने स्वयं ने भूतपूर्व सहकारिता मंत्री होने के नाते कहा, आप भी इसकी सारी गतिविधियों से परिचित हैं, जब समय होगा तब इसके बारे में निवेदन करना ठीक होगा। अभी यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस पर विचार किया जाये, लेकिन आपकी भावना के आधार पर इस कार्य को जल्दी हाथ में लिया जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या-क्या गड़बड़ है, जिसको मिटाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 3 मार्च, 1982 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.40 बजे बुधवार दिनांक 3 मार्च, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न 189 की सूची

राणा प्रताप सागर बांध के डूब में आये हुए विस्थापितों को प्रदान की गई सुविधाओं की तालिका

क्र.सं.	बसाये गये गांवों के नाम	तहसील/जिला	मू.अ.अ. द्वारा आवंटित भूमि		बसे हुए परिवारों द्वारा प्राप्त भूमि		प्रदान की गई सुविधायें						
							प्रथम चरण			द्वितीय चरण			
			परिवार	क्षेत्र	परिवार	क्षेत्र	कुए	स्कूल	चौपाल	औषधालय	तालाब	सड़क	सिंचाई सुविधा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	रूंथा खेड़ा पुराना/नया	रामगंज मण्डी कोटा	37	345	28	318·11	1	1	1	—	—	—	—
2.	आलोदकानी पुराना	,,	65	245	53	881·03	1	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	कालिया खेड़ी	रामगंज मंडी कोटा	160	1965	150	2164·04	2	1	1	1	—	—	—
4.	कालिया खुर्द नया	,,	31	475	27	450·00	2	1	1	—	—	—	—
5.	कुखादा कलां पुराना	,,	24	355	10	201·03	1	1	1	—	—	—	—
6.	जामुनिया खेड़ी वावड़ी पुराना	,,	67	840	59	975·00	2	1	1	—	—	1	—
7.	देवली कलां पुराना	,,	13	195	11	199·00	1	—	1	—	—	—	—
8.	वटवाड़ा पुराना	,,	38	435	35	459.11	1	1	1	—	—	1	—
9.	गुजारिया खेड़ी नया	,,	29	280	22	226·12	1	1	1	—	—	1	—
10.	सीतारामपुरा खुर्द पुराना	,,	16	160	6	116.00	1	—	1	—	—	—	—
11.	गुलाबपुरा नया	,,	9	160	7	55.04	1	1	1	—	—	—	—
12.	बड़ोदिया खुर्द पुराना	,,	23	335	22	115.00	1	1	1	—	—	—	—
13.	गिरधरपुरा पुराना	लाडपुरा कोटा	52	440	40	335.00	1	1	1	—	—	1	—
14.	कोखेन्दा पुराना	,,	57	830	54	822.11	2	1	1	—	—	—	—

2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	आंगरा मेरूजी कमल नया	बेगू चित्तौड़ गढ़	33	210	28	185.00	—	—	—	—	—	—	—
16.	अम्भा खाले नया	,,	17	185	16	185.00	—	—	—	—	—	—	—
17.	इकलिंगपुरा पुरा	,,	10	120	7	100.00	1	1	1	1	—	1	—
18.	शिवपुरे खेड़ी नया	,,	36	210	30	275.00	1	1	1	—	—	—	—
19.	कल्याणपुरा बोरदा नया	,,	60	305	51	455	—	1	1	1	—	—	—
20.	कुदाल को खाले पुराना	,,	10	115	8	95	1	—	—	—	—	—	—
21.	कुआखेड़ा नया	,,	153	1187	106	820	1	1	1	1	—	—	—
21.	भींकरा पुराना/नया	,,	40	255	34	205	1	1	1	—	—	—	1
23.	नयागांव नया/पुराना	,,	40	255	34	205	1	—	1	—	—	—	—
24.	कोलगढ़ पुराना	,,	40	255	34	205	1	1	1	—	—	—	—
25.	खातीखेड़ा की बाडिया पु,	,,	59	640	30	423	2	—	1	—	1	—	—
26.	गोकुलपुरा नया	,,	14	200	9	155	1	—	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	अमरपुरा पुराना	बेगू चित्तौड़गढ़	33	235	29	210	1	—	1	—	—	—	—
28.	जर्जरी पुराना	,,	21	275	20	270	1	1	1	—	—	—	—
29.	तमलाव पुराना	,,	35	295	31	275	2	1	1	—	—	—	—
30.	दीपपुरा पुराना	,,	32	287	11	29.72	1	1	1	—	—	—	—
31.	दूधिया तलाई पुराना	,,	22	230	17	195	—	—	—	—	—	—	—
32.	बरखेड़ा पुराना/नया	,,	34	260	25	180	1	1	1	1	—	—	—
33.	नागपुरा पुराना	,,	34	325	27	255	1	1	1	—	—	—	—
34.	बलकुन्डी पुराना	,,	58	480	32	240	1	1	1	—	—	—	—
35.	देवपुरा पुराना	,,	41	447	32	380	2	1	1	1	—	—	1
36.	बाडोली पुराना	,,	77	665	68	591	2	1	1	—	—	—	1
37.	बालचा नया	,,	19	280	15	245	1	—	1	1	—	—	—
38.	बालचा नया	,,	42	760	27	255	—	—	—	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	मन्डेसरा पुराना	बेगूं चित्तौड़गढ़	30	315	26	275	1	1	1	—	—	—	—
40.	रेनखेड़ा पुराना	,,	20	115	16	95	1	1	1	—	—	—	—
41.	शिवपुरा पुराना	,,	47	560	45	535	2	1	1	—	—	—	—
42.	शिवगढ़ नया	,,	12	100	1	10	1	—	1	—	—	—	....
43.	सागकी वाडिया नया	,,	51	535	41	535	1	1	1	—	—	—	—
44.	भगतपुरा पुराना	,,	51	535	41	535	1	1	1	—	—	—	—
45.	रावतभाटा पुराना	,,	व्यापारी वर्ग की बसावट			—	—	1	—	—	—	—	—
46.	नानपुरा नया	,,	6	40	6	40	1	—	1	—	—	—	—
47.	चैनपरिया नया/पुराना	,,	12	120	12	120	1	1	1	—	—	—	—
48.	वहेलिया पुराना	,,	18	170	6	40	1	—	1	—	—	—	—
49.	मोहनगढ़ चौरोकाडर नया/पुराना	,,	60	555	40	445	—	1	1	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50.	फुटतालाव पुराना	बेगूं चित्तौड़गढ़	15	120	13	110	—	—	—	—	1	—	—
51.	लुहाड़िया पुराना	"	15	120	13	110	1	1	1	—	—	—	—
		कुल योग	918	18821	1515	16600	52	35	44	6	2	5	4 3 लि. 1 सि. 1 नहर सू.

परिशिष्ट 2.

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

197. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

क्या रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 31 दिसम्बर, 1981 को राज्य में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी कितनी थी ?

(2) वर्ष 1981 में नियोजित बेरोजगारों में से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी थी ? इनमें अनुसूचित जाति/जन जाति एवं मुस्लिम व्यक्तियों का प्रतिशत क्या रहा ?

(3) क्या सरकार अन्य कुछ राज्यों की भांति राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व किस मात्रा में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 31 दिसम्बर, 1981 को राजस्थान के सभी नियोजन कार्यालयों की चालू पंजीका पर शिक्षित 1, 91, 820 एवं अशिक्षित 2, 04, 971 बेरोजगार आशार्थी उपलब्ध थे।

(2) वर्ष 1981 में नियोजित बेरोजगारों में से 7660 शिक्षित बेरोजगार थे उनमें से अनुसूचित जाति के नियोजित शिक्षित आशार्थियों का प्रतिशत 9·6 तथा 4·6 अनुसूचित जन जाति के नियोजित शिक्षित आशार्थियों का था। मुसलमानों के नियोजन हेतु राज्य में कोई आरक्षण नहीं है, इसलिये सूचना एकत्रित नहीं की जाती।

(3) जी नहीं। वित्तीय कठिनाई के कारण। किन्तु प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के स्नातक एवं अधिस्नातक आशार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा रोजगार उपलब्ध होने तक या अधिक से अधिक दो वर्ष तक बेरोजगार भत्ता (स्टाईपण्ड) दिया जाता है। ऐसी ही योजना विकलांग आशार्थियों के लिये भी है।

पंचायत समिति खमनोर के निवासी, भीलों आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनायें

198. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति खमनोर में रहने वाले भीलों-आदिवासियों के कल्याण के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार माड़ा योजना, पंचायत समिति खमनोर में लागू करने का

(श्री सी. पी. जोशी)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, खमनोर पंचायत समिति के गांव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार माडा योजना में नहीं आते हैं। अतः पंचायत समिति खमनोर को माडा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है।

गंग नहर, भाखरा व राजस्थान नहर से राज्य को प्राप्त जल

199. **श्री राम किशोर मीणा (सिकराय)** :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगनहर, भाखरा व राजस्थान नहर के माध्यम से राज्य को सन् 1980-81 में अब तक राज्य के हिस्से की तुलना में कितना कितना पानी मिला है ?

(2) यदि पानी की उपलब्धि में कमी रही, तो क्यों ? राज्य सरकार की ओर से पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) रावी, व्यास के अतिरिक्त पानी में राजस्थान के हिस्से के अनुसार पानी नही मिलने का मुख्य कारण पंजाब द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबन्धक बोर्ड के निर्णयों को स्वीकार नहीं किया जाना है। यह मामला राज्य सरकार द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबन्धक बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर उठाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 31-12-1981 के समझौते में पंजाब ने भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड के निर्णय को मानना स्वीकार कर लिया है।

भाखड़ा, गंगनहर एवं राजस्थान नहर द्वारा प्राप्त पानी एवं हिस्से की सूची

कब से कब तक		राजस्थान का हिस्सा	प्राप्त पानी की मात्रा	दश लाख एकड़ फीट में कम (−) ज्यादा (+)
भाखड़ा नहर द्वारा				
21-5-80	20-5-81	1·056	1·232	(+) 0·176
21-5-81	31-12-81	0·716	0·760	(+) 0·044
1-1-82	20-2-82	0·132⁰	0·186⁰	(+) 0·054⁰

रावी व्यास पानी (बीकानेर एवं राजस्थान नहर द्वारा)

21–5–80	20–5–81	5·532	5·221	(–)	0·311
21–5–81	31–12–81	4·215	3·721	(–)	·494
1·1–82	20–2–82	0·741⁰	0·777⁰	(+)	·036⁰

⁰ प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, इनका पुष्टीकरण शेष है।

क्षेत्रीय व राष्ट्रीय परमिट आवंटित करने का आधार

200. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिट प्रदेश परिवहन प्राधिकारी द्वारा अभी तक जारी नहीं किये गये हैं ?

(2) प्रदेश को कितने क्षेत्रीय व राष्ट्रीय परमिट आवंटित किये गये थे और उनमें से कितने परमिट आवंटित कर दिये गये हैं तथा भिन्न भिन्न जिलों के कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(3) क्षेत्रीय व राष्ट्रीय परमिट आवंटित करने की नीति एवं आधार क्या हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा अब तक 449 राष्ट्रीय तथा 591 क्षेत्रीय परमिट जारी किये जा चुके हैं।

(2) राजस्थान प्रदेश को कुल 800 राष्ट्रीय व 900 क्षेत्रीय परमिट केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित किये हुए हैं जिनमें से 449 राष्ट्रीय एवं 591 क्षेत्रीय परमिट्स स्वीकृत किये जा चुके हैं। परमिट्स के लिए प्रार्थना-पत्र रीजन वाइज आमंत्रित किये जाते हैं। रीजन वाइज विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्न लिखित हैं—

	राष्ट्रीय परमिट	क्षेत्रीय परमिट
जयपुर	1830	—
जोधपुर	376	382
उदयपुर	327	389
बीकानेर	315	211
	2848	882

(3) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय परमिट्स मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 55, 56 एवं 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। राष्ट्रीय परमिट स्वीकृति हेतु राज्य सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ 8 (3) होम/जी. आर.-7/75 दिनांक 29 नवम्बर, 1975 द्वारा नीति निर्धारित की है जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (GR. VII) DEPARTMENT

No. F8(G)H/Gr.VII/75 Jaipur the 29th Nov., 1975.

ORDER

The Government of India have formulated a scheme for the grant of National permits for encouraging long distance inter-State road transport. Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939) has been amending by the Motor Vehicles Amendment) Ordinance, 1975 (No. 14 of 1975) for this purpoce which has been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I dated 26 Sept., 1975.

The Government of India have advised the State Government to take steps to implement the scheme for the grant of National permits for public carriers, and issue guidelines to the permit granting authorities.

Government have considered the suggestions of the Government of India and are pleased to issue the following guidelines :—

1. The National Permits should be granted keeping in view the guidelines as given in Appendix to this order.

2. The Regional Transport Authorities are requested to take necessary further action for the grant of the National Permits under sub-section (11) of Section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939, (Central Act 4 of 1939).

By order of the Governor
Sd/-
(RAM SINGH)
Commissioner for Home Affairs
and Secretary to Government.

(APPENDIX)

Guidelines for the grant of National Permit

1. The various considerations specified in Section 55 of the Motor Vehicles Act. 1939, as amplified by the Motor Vihicles (Amendment) Ordinance, 1975, will be taken into account in selecting applicants for grant of National Permits.

2. The main purpose underlying the National Permits being the facilitation of movement of goods between the States of the Union in

the interests of the public, such applicants as are likely to contribute to this purpose should be selected.

3. Those applicants who have experience in the movement of goods on the basis of Regional, State and Inter-State permits need be considered for the grant of National Permits within the limits mentioned in the Ordinance. In order to meet the social purpose enshrined in the Ordinance, normally 50% of the National Permits may be granted to those already holding Inter-State Permits.....................25% to those holding State...........and Regional Permits and the remaining 25% to new entrepreneurs including ex-Army personnel and unemployed drivers. Such permits will be granted to ex-servicemen only, if they pass the driving test, specified in the Third schedule to the Motor Vehicles Act and they hold valid driving licences granted by the appropriate licensing authority.

4. There should be no objection to granting National Permits to those holding Inter-State permits provided they surrender the required number of the latter permits so as to come initially, or remain later, within the limits laid down in the Ordinance.

5. It will be noticed that there is no restriction of numbers of National Permits in respect of those having regional anb State permits. However, the general need to avoid under concentration of opportunities in a few hands may be borne in mind.

6. If an adequate number of new entrepreneurs are not forthcoming for availing National Permits set apart for them. unutilised number may be distributed among other kinds of applicants.

7. Before granting National Permits to new entrepreneurs such as unemployed drivers and ex-army personnel, care will be taken to see that the applicants are genuine and not benami. A suitable declaration should be obtained for this purpose from them. It should be made clear that permits granted on the basis of such declaration will not be allowed to be transferred under any circumstanes. If no longer required, they can only be surrendered for cancellation.

8. New entrepreneurs may be rechommended suitable assistance from the financial institutions in order to enable them to carry on the business of National Permits.

9. Ex-servicemen who have been released after serving a full term in the Armed Forces should be given preference over those who had left the Armed forces on compassionate or medical grounds.

10. The Ex-servicemen should be physically fit, healthy and young. Their age should preferably be below 45 years.

11. If a group of ex-servicemen from a corporate body and all the members of such body fulfil the minimum conditions eligibility, such a corporate body should be given preference over individuals.

12. War disabled ex-servicemen who are in a position to drive vehicles themselves and are otherwise eligible should be given preference over others.

घुमक्कड़ भेड़ों के लिए राज्य में ही चरागाह तैयार करना

201. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रताप गढ़):- क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य की कितनी भेड़ें पानी एवं चराई के लिये अन्य राज्यों में पहुंचती हैं ? राज्य में इन घुमक्कड़ भेड़ों के लिए कितने एकड़ चरागाहों की आवश्यकता है ?

(2) भेड़ व ऊन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कितना एकड़ उन्नत चरागाह तैयार कर भेड़-पालकों को आवंटित किया जाता रहा है ? कृपया वर्ष 1975 से 1981 तक का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) चरागाहों के विकास हेतु सरकार ने किस किस योग्यता के अधिकारियों को लगाया हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग में कृषि विज्ञान में प्रशिक्षित एवं देश-विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को चरागाह विकास में न लगाकर अप्रशिक्षित लोगों को लगाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लगभग 18–20 लाख घुमक्कड़ भेड़ें राजस्थान में पानी एवं चराई के लिये अन्य राज्यों में पहुंचती है। इनके लिये लगभग साढ़े चार-पांच लाख हैक्टेयर चरागाहों की आवश्यकता है।

(2) विभाग द्वारा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये चरागाह निजी भेड़ पालकों को आवंटित नहीं किये जाते हैं। ये चरागाह भेड़ पालक सहकारी सहकारी समितियों को आवंटित किये जाते हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी है।

(3) चरागाह विकास हेतु (राजस्थान सिविल सेवायें विशिष्ठ चयन एवं विशिष्ठ शर्तें) परियोजना निदेशक परियोजना अधिकारी/नियम. 1975 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता के आधार पर चयनित अधिकारियों को ही लगाया हुआ है।

(4) नियमों में निर्धारित योग्यता के अनुसार ही अधिकारियों को चरागाह विकास में लगाया गया है।

193

सहकारी समितियों को आवंटित भू-खण्डों की सूची

वर्ष 1975 से 81 तक राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं, 9 (5) कृषि/वि. यो/7/77 दिनांक 8.6.79 एवं 4.7.79 के द्वारा दिनांक 7.7.79 को जोधपुर जिले में 10 भू-खण्ड तथा नागौर जिले में 9 भू-खण्ड कुल 19 भू खण्ड (1900 हैक्टेयर) भेड़ पालक सहकारी समितियों को सुपुर्द किये जा चुके हैं। विवरण निम्न प्रकार है :

जोधपुर जिले के 100 हैक्टेयर के भू-खण्डों का नाम	भेड़ों की संख्या	नागौर जिले के 100 हैक्टेयर के भू-खण्डों का नाम	भेड़ों की संख्या
1. घड़ियाला	173	1. गोगेलाव	255
2. दहिपड़ा खिचिया	140	2. खामियाद	272
3. भवाद	247	3. रताउ	239
4. मेलावास गंगाणी	189	4. निम्बी जोधा	149
5. कास्टी	306	5. वल्दू	151
6. उस्तरा	427	6. नवरंगपुरा	240
7. लोहावट	114	7. खजवाना	279
8. देनोक	144	8. मूण्डवा	287
9. मलार	130	9. पालड़ी जोधा	203
10. चिराई	129		

———

भवानी मंडी-झालावाड़ सड़क की मरम्मत

206. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (3 ग) :

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भवानी मण्डी से झालावाड़ तक सड़क के बीच बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं और उनकी हालत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई है और उसमें से कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

उत्तर

भवानी मंडी से झालावाड़ तक सड़क कुछ किलोमीटर्स में खराब है। मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इस सड़क पर विशेष मरम्मत हेतु 4.30 लाख रुपये का विशेष मरम्मत में प्रावधान रखा गया है और जनवरी, 82 तक विशेष मरम्मत मद तथा सालाना मरम्मत मद से कुल रुपये 2, 44, 825 खर्च किये जा चुके है।

तहसील नोखा (बीकानेर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

203. श्री सुरजा राम टाक (नोखा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांव हैं ?

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य प्रारम्भ होने के बाद कितने नये गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि की सिंचाई हेतु कितने कुओं का विद्युतीकरण किया गया ?

(4) विद्युत कनेक्शन का कार्य धीरे सम्पन्न किये जाने के क्या कारण हैं और शेष गांवों का कितने वर्षों में विद्युतीकरण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर के 80 ग्राम स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हैं।

(2) योजना का कार्य प्रारम्भ होने के बाद 37 नये ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसकी सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तहसील नोखा का स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(4) विद्युत कनेक्शन दिये जाने व ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य योजनानुसार प्रगति पर है। योजनानुसार ग्रामों का विद्युतीकरण 4 वर्षों में प्रस्तावित है। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में योजना मद में वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नोखा के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की सूची माह जनवरी, 82 तक

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नम्बर	योजना जिसके अन्तर्गत स्वीकृत	विद्युतीकरण की दिनांक
1.	जांगलू	2–4–3	ग्रा. वि. नि.	30/1/80
2.	देसलसर प्ररोहितान	39	,,	31/12/79
3.	साईसर	54	,,	31/12/79
4.	नथूसर	55	,,	30/[illegible]/79
5.	शोभाणा	90	,,	26/3/80
6.	सिजगुरु	34	,,	22/8/79
7.	देसलसर भाटियान	40	,,	10/5/80
8.	देसलसर मंडलावत	41	,,	15/5/80
9.	हियादेसर	61	,,	30/1/82
10.	जगेला जोगलियान	4	,,	20/6/80
11.	जेगला पन्ना दरोगा	5	,,	20/6/80
12.	मनयाना	38	,,	25/5/80
13.	पारवा	36	,,	10/1/81
14.	सोवा	10	,,	18/8/81
15.	किरतासर	32	,,	25/10/81
16.	गजरुपदेसर	11	,,	सितम्बर, 81
17.	बनिया	12	,,	,,
18.	घट्ट	64	,,	29/10/80
19.	रायसर	106	,,	30/4/80
20.	दासनू	107	,,	31/3/80
21.	मेलेसर	100	,,	30/12/81
22.	सीलुवां	98	,,	30/12/81
23.	दांवा	101	,,	30/12/81

1	2	3	4	5
24.	टास्ट	97	ग्रा.वि. न.	30/12/81
25.	केडली	96	"	30/ /82
26.	भाऊ	102	"	13/11/81
27.	भादला	88	"	20/6/80
28.	लुम्बासर	56	"	30/9/80
29.	कुम्भासरिया	57	"	30/9/80
30.	रताडिया	52	"	31/10/80
31.	घरनोक	53	"	31/10/80
32.	साजनवासी	70	"	15/7/80
		गैर आबादी वाले गांव		
33.	जयसिंह देसर कालियान	2/4/13	"	30/9/81
34.	माणकसर	31	"	31/10/80
35.	भोमकिरतार	33	"	31/10/80
36.	शरह मानकसर	51	"	31/10/80
37.	शरह पांचू	89	"	31/10/80

———

ट्रैक्टर-ट्रोली पर से रोड टैक्स समाप्त करना

204. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या यातायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार कृषकों को राहत प्रदान करने हेतु ट्रैक्टर-ट्रोली पर से रोड टैक्स समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कबसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

ग्राम कागदीवाड़ा (ब्रह्मपुरी, जयपुर) के निकट स्थित पर्वत पर वन भूमि में अतिक्रमण

205. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कागदीवाड़ा (ब्रह्मपुरी) जयपुर के पास के पर्वत पर वन भूमि में स्थित लगभग सभी पेड़ काटे जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वन भूमि एवं ओदी (गढ़ी के पास) कागदीवाड़ा में पेड़ लगवाने तथा ओदी के मैदान (कागदी वाड़ा) को फोरेस्ट गार्डन के रूप में विकसित करने के लिए कई प्रतिवेदन उक्त ग्राम के ग्राम वासियों द्वारा सरकार को दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? अब कबतक उक्त ओदी (गढ़ी के पास) में स्थित मैदान, कागदीवाड़ा को फोरेस्ट गार्डन के रूप में विकसित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बारह मोरी दरवाजा (कागदीवाड़ा) ब्रह्मपुरी, जयपुर के गूजर घाटी तक वन विभाग द्वारा लगाई गई पत्थरों की दीवार (किलोजर) लगभग समाप्त हो गई है तथा लगातार वन भूमि में अतिक्रमण व पेड़ों की कटाई हो रही है ?

(4) राज्य सरकार अब उपरोक्त वन भूमि में लगे पेड़ों की कटाई एवं वन भूमि में होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मौके का निरीक्षण किया गया लेकिन रकबा प्लान्टेशन के उपयुक्त नहीं पाया गया।

(2) वन भूमि पर अतिक्रमण तथा अवैध कटान के कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं। पत्थर की दीवार भी अतिक्रमियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई है।

(4) अवैध कटान के प्रकरणों में राजस्थान वन अधिनियम 1953 तथा

(वन मंत्री)

अतिक्रमण के प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व नियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

जिला बाड़मेर में डामर एवं सीमेन्ट की उपलब्धता

206. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 मार्च, 1981 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक बाड़मेर डिवीजन में कुल कितना डामर एवं सीमेण्ट कहां-कहां से प्राप्त हुआ ?

(2) उक्त डामर एवं सीमेण्ट में से कितना डामर एवं सीमेण्ट बाड़मेर जिले के निर्माण कार्यों पर काम में आया ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश मात्रा में डामर एवं सीमेण्ट दूसरे जिलों यानी जालौर, सिरोही एवं पाली को भेजा गया ?

(4) यदि हां, तो कितना सीमेण्ट एवं डामर दूसरे जिलों को भेजा गया और किसकी आज्ञा से ?

(5) अभी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कितना डामर एवं सीमेण्ट स्टॉक में है ?.

(6) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के कई एक कार्य केवल डामर एवं सीमेण्ट के अभाव में बंद पड़े हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 मार्च, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक बाड़मेर डिवीजन में जो डामर व सीमेण्ट प्राप्त हुआ है उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (प्रपत्र 'क")

(2) प्रपत्र "क" में वर्णित डामर व सीमेण्ट की मात्रा में से 14543 ढोल डामर के व 7597 बोरी सीमेण्ट बाड़मेर जिले के निर्माण कार्यों पर काम आये।

(3 एवं 4) यह सही है कि कुछ मात्रा में डामर एवं सीमेण्ट अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० विभाग, बाड़मेर तथा अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त—2 जोधपुर की आज्ञा से जालौर, सिरोही, जोधपुर तथा पाली जिलों को भेजा गया है जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (प्रपत्र "ख")

(5) बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 31 दिसम्बर, 81 को 91 ड्रम डामर व 636 बोरी सीमेण्ट उपलब्ध थी।

(6) डामर एवं सीमेण्ट के अभाव में बाड़मेर जिले में कोई कार्य बन्द नहीं पड़े हैं।

प्रपत्र "क"

मैटीरियल का नाम	जहां से प्राप्त किया		मात्रा
सीमेण्ट	जे. के. सीमेण्ट वर्क्स		13,859 बोरी
,,	उदयपुर सीमेण्ट वर्क्स		1,000 बोरी
,,	साइट से प्राप्त		124 बोरी
,,	अधिशासी अभियन्ता जैसलमेर		400 बोरी
		योग बोरी	15,383
डामर	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम बम्बई		14,885 ड्रम
	अधिसासी अभियन्ता, सा. नि. वि. सूरतगढ़		435 ,,
	अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. वि, उदयपुर		300 ,,
	अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. वि., जैसलमेर		1,500 ,,
	अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. वि., जालौर		520 ,,
	साइट से प्राप्त		2,994 ,,
		योग ड्रम	20,634

प्रपत्र "ख"

मेटीरियल का नाम	जिला जिसको भेजा गया	मात्रा
सीमेण्ट	जालोर	4000 बोरी
,,	सिरोही	3000 बोरी
,,	कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर	150 बोरी
डामर	पाली	4000 ड्रम
,,	सिरोही	2000 ड्रम

———

तहसील जैतारण के ग्रामों का विद्युतीकरण

207. श्री शिवदान सिंह रौठोड़ (जैतारण), श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल), श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील जैतारण के ग्रामों की कोई आर. ई. सी.या एस. पी.ए. योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों की योजना बनाई गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस योजना की सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति कर दी जायेगी ? कब तक इन गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) तहसील जैतारण की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची बताना सम्भव नहीं है ।

(2) इस सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

कोटा व अजमेर जिलों के वनों से हरे पेड़ों की अनधिकृत कटाई

208. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा व अजमेर के वनों से हरे पेड़ों की अवैध कटाई की गई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो कब तक उन्हें नियमित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । कोटा एवं अजमेर जिले के वनों से अवैध कटान के कुछ प्रकरण विभाग की जानकारी में आये हैं । इन प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी हां, अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

आहू नदी (रामगंज मण्डी) की सहायक नदी से सिंचाई करने की योजना

209. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)– क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की रामगंज मण्डी तहसील में आहू नदी की

(श्री हरीश शर्मा)

सहायक नदी से सिंचाई करने का सरकार ने विचार किया था तथा इसका सर्वेक्षण भी किया गया था ?

(2) सर्वेक्षण की समाप्ति के बाद सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाया तथा अब तक क्या प्रगति हुई है ? इस योजना में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा किस-किस गांव की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस योजना को तेजी से क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

आहू नदी की सहायक नदी तकली से रामगंज मण्डी तहसील में सिंचाई हेतु एक योजना तकली सिंचाई योजना का सर्वेक्षण किया गया था।

(2) सर्वेक्षण की समाप्ति पर योजना बनाकर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त आदेशों के अनुसार संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान प्रारूप के अनुसार इस योजना से संलग्न सूची के 33 गांवों में औसतन प्रति वर्ष कुल 4640 हैक्टेयर क्षेत्र मे सिंचाई हो सकेगी।

(3) केन्द्रीय जल आयोग एवं मध्य-प्रदेश सरकार के द्वारा योजना के अनुमोदन के पश्चात् तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धि होने पर तथा प्राथमिकता के अनुसार योजना को क्रियान्वित करने का राज्य सरकार का विचार है।

ताकड़ी गांव से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

1. धनकिया
2. सतराकला
3. चन्दरपुरा
4. चेचट
5. बड़ोदिया
6. गणेशपुरा
7. थरोपुरा
8. चादपुरा
9. भगवानपुरा
10. मुढसा
11. मीना खेड़ी
12. मोडक (उदतुरा)
13. कोठारी
14. राइखेड़ा
15. मोतीपुरा
16. भीस
17. गुमानपुरा
18. हुगायी
19. मुकन्दपुरा
20. खेढली
21. कवाईपुरा
22. मान्दा
33. हृदियाखेडी
24. दोरीमा
25. पीपल्दा
26. ईसरपुरा
27. कवलपुरा
28. सालीमपुरा
29. सलियाखेड़ी
30. मोडक
31. सरबाडा
32. सतारा खुर्द
33. जगपुरा खुर्द

जिला झुन्झुनू के ग्रामों में सड़क निर्माण कार्य

210. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनू में 3,000 से अधिक की आबादी वाले कितने गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं ?

(2) सड़क सुविधा से वंचित इन ग्रामों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

(3) उक्त जिले में काम के बदले अनाज योजना के तहत कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था की गई ?

(4) उक्त जिले में कौन-कौनसी मंजूरशुदा सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौनसी अधूरी हैं ? अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) झुंझनू जिले में 1971 की जनसंख्या के अनुसार 3000 से अधिक आबादी वाले नौ गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं।

(2) सड़क सुविधा से वंचित इन नौ गांवों में से 2 गांवों को 31-3-83 तक और एक गांव को जून, 1983 तक सड़क से जोड़ने की सम्भावना है।

(3) झुंझनू जिले में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा किसी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) झुंझनू जिले में जिन मंजूरशुदा सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (प्रपत्र "क")। तथा अधूरी सड़कों कीसूची भी सदन के पटल पर रख दी गई है। (प्रपत्र "ख")

(5) खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी नई सड़क के निर्माण की योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

प्रपत्र (क)

क्रमांक	सडकों का नाम
1.	मन्डावा से फतेहपुर जिला सीमा तक अधूरे कार्य को पूर्ण करना ।
2.	बुहाना-सिघाना सड़क का निर्माण कार्य ।
.	बेरी से रामपुरा तक सड़क का निर्माण कार्य ।
4.	मुकन्दगढ़ बिसाऊ वाया मन्डावा सड़क पर डामर का कार्य ।
5.	प्रतापपुरा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य ।
6.	सुल्ताना-महरमपुर सड़क का निर्माण कार्य ।
7.	मेहड़ा से दुदवा वाया गारीर तक खेतड़ी निजामपुर मार्ग पर सड़क का निर्माण कार्य ।
8.	बगड़ से काली पहाड़ी वाया इस्लामपुर सड़क पर निर्माण कार्य ।
9.	भोड़की से सिगनौर सड़क का निर्माण कार्य ।
10.	झुंझनू मलसीसर सड़क के अधूरे कार्य को पूर्ण करने का कार्य ।
11.	अरडावाला-सुल्ताना सड़क का निर्माण कार्य ।
12.	कम्पलीशन आफ झाझड परसरामपुरा सड़क ।
13.	झाझड-खिरोड़ वाया बसावा सड़क का निर्माण कार्य ।
14.	गुढ़ा से पोख सड़क का निर्माण कार्य कि. मी. 0 × 0 से 8/0
15.	सिघाना—बुहाना—कुहारवास सड़क का निर्माण कार्य ।
16.	सिहोड़ तक सड़क निर्माण कार्य खेतड़ी—निजामपुर सड़क ।
17.	पातुसरी से अजाडी वाया बिन्जूसर सड़क का निर्माण कार्य ।
18.	एप्रोच रोड छावासरी का निर्माण कार्य ।

———

प्रपत्र (ख)

जिला झुंझनू की उन मंजूरशुदा सड़कों की सूची जो अधूरी हैं।

क्र. सं.	सड़क का नाम	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	बुहाना सतनाडी सड़क का निर्माण कार्य	30.6.83
2.	एप्रोच रोड़ बीबासर से ढिगल से झुंझनू मंडावा सड़क का निर्माण कार्य	30.6.83
3.	चिड़ावा से मन्ड्ला सड़क का निर्माण कार्य (काटली नदी पर पुल का कार्य)	"
4.	सूरजगढ़ से लूहारू वाया भोटरी जिला सीमा तक निर्माण कार्य	"
5.	वनगोठरी कला से वन गोठरी खुर्द तक पिलानी से सड़क का निर्माण कार्य	30.6.83
6.	नवलगढ़ से डुमरा वाया नवलडी सड़क निर्माण कार्य	"
7.	एप्रोच सड़क खेतड़ी से जसरापुर	जून, 1983 तक
8.	गोरीर से शिमला सड़क का निर्माण कार्य (3257)	30.6.83
9.	बसावता से बुहाना सड़क का निर्माण	31.3.84
10.	मलसीसर से टमकोर सड़क का निर्माण कार्य (3796)	31.3.84

———

जयपुर में चालित टैक्सियों में मीटर्स की व्यवस्था

211. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में टैक्सी व्यवस्था सर्वथा असंतोषजनक है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में टैक्सियों के मीटर नहीं लगे होने के कारण पर्यटकों को प्राय: बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उक्त कठिनाई का समाधान करना चाहती है ?

(4) यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2, 3 व 4) टैक्सियों में मीटर न होने से जो यात्रियों को असुविधा होती है उसको ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के प्रस्ताव दिनांक 27–5–81 द्वारा विदेशी आयातित एवं ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सियों को छोड़ कर शेष सब टैक्सियों में मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी अनुपालना कराई जा रही है।

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में भेड़ों के लिए चरागाहों का विकास

212. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या भेड़ एवं ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर में भेड़-चरागाह विकास हेतु किस-किस ग्राम में चरागाह बनाये गये हैं ? ये चरागाह कितने-कितने बीघा के हैं ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1980-81 एवं 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति, नागौर एवं मूण्डवा के भेड़ पालकों के स्वयं के खेतों पर चरागाह प्रदर्शन पर खर्चा किया गया था ? यदि हां, तो कृपया काश्तकारों के नाम मय वल्दियत एवं ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में 17 भूखण्डों का विकास किया गया है। जिनका ब्यौरा प्रपत्र (अ) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) केवल वर्ष 1980-81 में भेड़-पालकों के निजी भूमि पर चरागाह विकास कार्य किया गया। विवरण प्रपत्र 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

प्रपत्र "अ"

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत नागौर एवं मूण्डवा पंचायत समिति क्षेत्र में भेड़ चरागाह विकास का विवरण

क्र० सं०	भूखण्ड का नाम	पंचायत समिति	रकबा	तारबन्दी	कुण्ड निर्माण	झोंपड़ी	भेड़ का आवास गृह	भेड़ों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गोगेवाल	नागौर	100 हैक्टेयर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	255
2.	नागौर I	„	560 बीघा	„	„	„	„	152
3.	नागौर II	„	100 हैक्टेयर	„	„	„	„	95
4.	गंगवाना	„	558 बीघा	„	„	„	„	94
5.	दातीणा	„	100 हैक्टेयर	„	„	„	„	98
6.	मूण्डवा	मूण्डवा	100 „	„	„	„	„	287
7.	पालड़ी जोधा	„	100 „	„	„	„	„	203
8.	खजवाना	„	100 „	„	„	„	„	279
9.	रुण	„	100 „	„	„	„	„	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	आकला हमीराना	मूण्डवा	100 हैक्टेयर	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	48
11.	बैरावास	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	90
12.	टाडावास	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	63
13.	काटिया	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	168
14.	पाचला सिद्ध	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	126
15.	बीरेलोका	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	67
16.	पाचोड़ी I	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	108
17.	पाचोड़ी II	,,	100 ,,	,,	,,	,,	,,	138

प्रपत्र "ब"

क्र० सं०	पंचायत समिति	काश्तकार का नाम व पिता का नाम	ग्राम	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल	अनुदान राशि
1.	नागौर	शिवलाल पुत्र भरताराम	सतरेरा	640	$3\frac{1}{4}$ हैक्टेयर	747·50 रु०
2	नागौर	रामलाल पुत्र गोपाराम	मेड	778 व 872	4 हैक्टेयर	920·00 रु०
3.	मूण्डवा	पूनाराम पुत्र हीराराम	मूण्डवा	1329	2 हैक्टेयर	460·00 रु०
		योग :—			$9\frac{1}{4}$ हैक्टेयर	2127·50 रु०

लाडनूं से नागौर तक पक्की सड़क का निर्माण

213. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनू से नागौर तक पक्की सड़क नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तहसील को जिला मुख्यालय से पक्की सड़क द्वारा जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) पिछले 15 वर्षों में लाडनूं तहसील में कितने किलोमीटर पक्की सड़क बनायी गई है ?

उत्तर

(1) लाडनूं से नागौर एक पक्की सड़क वाया डीडवाना बनी हुई है।

(2) पिछले 15 वर्षों में लाडनू तहसील में 16 कि. मी. पक्की सड़कें बनाई गई हैं।

माही बजाज सागर बांध जिला बांसवाड़ा

214. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले का माही बजाज सागर बांध जून, 1982 के मानसून से पूर्व बन कर तैयार हो जायेगा ?

(2) यदि माही बांध पूर्ण कर लिया जाता है, तो क्या बांसवाड़ा-रतलाम मार्ग पर निर्माणाधीन पुल इसी वर्ष पूर्ण हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बजाज सागर बांध वर्तमान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 1983 के जून में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(2) जी नहीं। निर्माणाधीन पुल का कार्य जून, 1983 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

आवासन मण्डल कार्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का नियोजन

215. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आवासन मण्डल के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का कोटा पूरा है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या अब विशेष नियुक्ति कर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का कोटा पूरा किया जायेगा ?

(श्री मेघराज तावड़)

(2) क्या मण्डल द्वारा विभिद्ध श्रेणी के पदों के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को निर्धारित योग्यता में छूट प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से पदों के लिये ?

(3) क्या मण्डल कार्यालय में रोस्टर रजिस्टर खोल लिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भविष्य में भर्ती के लिए विभिन्न पदों पर जब भी रिक्तियां आदि विज्ञप्ति की जावेंगी रोस्टर के अनुसार राजस्थान आवासन बोर्ड के सेवा विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता रखने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का कोटा पूरा किया जावेगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सन् 1978 से मंडल कार्यालय में रोस्टर खोल लिया गया है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

तहसील सवाई माधोपुर में घास के परमिट

216. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर में वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जानवरों को चराने के घास को सिर पर लाने का परमिट दिया जाता था ? यदि हां, तो गत वर्ष कितने परमिट दिये गये हैं और इस वर्ष ऐसे परमिट दिये गये या नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर क्षेत्र को इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि हां, तो जानवरों के लिये जंगल से घास काट कर सिर पर लाने का परमिट इस वर्ष वन विभाग द्वारा क्यों बन्द किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के वन विभाग द्वारा घास का परमिट नहीं देने की शिकायत राज्य सरकार को कर दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं दिये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि सवाई माधोपुर का घास कटा कर अन्य स्थानों पर भेजने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) गत वर्ष (198०-81) में 381 परमिट दिए गए थे। इस वर्ष भी परमिट दिए जा रहे हैं।

(3) जी हां। वन विभाग द्वारा घास के परमिट दिए गए हैं एवं दिए जा रहे हैं। परमिट देने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं।

(4) जी नहीं।

जिला बाड़मेर में ग्राम पंचायतों के मुख्यावास तक सड़क निर्माण करना

217. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ा-मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़-मेर में सिधासवा, हरणियान, भाखरपुरा, रतनपुरा, लूणवा व भेडाणा पंचायत मुख्या-वास व इन पंचायतों के ग्रामों को किसी प्रकार की सड़क से अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं जोड़ा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत मुख्यावास तथा इन पंचायतों के सभी ग्राम लूनी नदी के कारण व सड़क से न जुड़े होने से जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, चिकित्सालय व अन्य सभी सरकारी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे है ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों के मुख्यावास को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि लूनी नदी के आने के कारण जब तक गुडा से जालौर रास्ते पर रपट (काज-वे) नहीं बनाया जाता है तब तक ये ग्राम पंचायतें सड़कों से नहीं जुड़ पायेंगी ? यदि हां, तो क्या सर-कार उक्त रास्ते पर काज-वे बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बाड़मेर जिले में सिधासवा, हरिणयाल, भाखरपुर, रतनपुरा एवं लूणवा पंचायत मुख्यावास व पंचायतों के ग्रामों को अब किसी प्रकार की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। परन्तु भेडाणा पंचायत मुख्यावास को वर्ष 1981–82 में एक ग्रेवल सड़क से जोड़ दिया गया है।

(2) यह सही है कि उक्त सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत मुख्यावास तथा पंचायतों के सभी ग्राम सड़क से नहीं जुड़े होने के कारण जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, चिकित्सालय व अन्य सभी सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाइयां होती हैं जबकि लूणी नदी में पानी बहता है।

(3) 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त ग्राम पंचायत मुख्यावासों को सड़क से जोडने की योजना विचाराधीन है। धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इन मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जायेगा।

(4) जी हां। धन के अभाव के कारण अभी उक्त रास्ते पर काज-वे बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़, चौमूं और आमेर में अकाल राहत कार्य

218. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) जिला जयपुर में चल रहे अकाल राहत कार्यों के तहत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आमेर में कितने कार्य चल रहे हैं और कहां कहां कौन से विभाग से सम्बन्धित कार्य चल रहे हैं ?

(2) जमवा रामगढ़, चौमू और आमेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी राशि के काम पूरे हो चुके हैं और कितने काम विभागों द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे हैं ? कृपया विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में आमेर विधान सभा क्षेत्र में अभी कोई राहत कार्य नहीं चल रहे हैं। जिलाधीश से प्राप्त राहत कार्यों के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) इस वर्ष अभी कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। केवल सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला जयपुर में 16 परीक्षण राहत कार्य शुरू किये गये थे जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

———

परीक्षण, राहत कार्यों की सूची

सिंचाई विभाग

क्र. सं०	नाम तहसील	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य शुरू करने का दिनांक
1.	दूदू	ोजी बांध	16-11-81
2.	,,	छर बांध	17-11-81
3.	,,	धमाना बांध	1-1-82
4.	,,	नयासागर मोखमपुरा	कार्य शुरू नहीं हुआ ।
5.	कोटपूतली	दातिल का नांका	16-11-81 से शुरू 20-12-81 से कार्य बन्द
6.	,,	बुचारा बांध	4-11-81
7.	बैराठ	छितौली बांध	1-12-81
8.	,,	बाधावास बांध	25-11-81
9.	बसवा	विजय सागर	6-12-81
10.	,,	बडियाल बांध	कार्य शुरू नही हुआ

सार्वजनिक निर्माण विभाग

11.	कोटपूतली	कोटपूतली से देवता वाया चिमनपुरा	2-12-81	
12.	बैराठ	विराटनगर से कुहाडा	1-12-81	
13.	,,	अमरसर से बिलन्दरपुर	8-12-81	
14.	बसवा	अप्रोच रोड आभानेरी	8-12-81	13-12-81 से दोनों कार्य बन्द
15.	,,	अप्रोच रोड करनाऊ	7-12-81	
16.	चाकसू	चाकसू से दौलतपुरा	4-12-81	कर दिये गये ।

मारवाड़ जंक्शन एवं तहसील देसूरी के पंचायत मुख्यालयों तक निगम की बसों की व्यवस्था

219. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन एवं तहसील देसूरी के ऐसे कौन से पंचायत मुख्यालय हैं जहां परिवहन निगम की बसें नहीं जाती हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन तहसीलों में स्थित पंचायत मुख्यालय तक परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन एवं देसूरी तहसीलों के निम्न पंचायत मुख्यालयों पर परिवहन की बसें नहीं चल रही हैं :—

तहसील	पंचायत मुख्यालय
देसूरी	दादाई, कोटडी, आना, मादा, भोरखा, सीन्दली, बडोद, ढालोद, ढूढापुरा, माण्डीगढ, नालराई, नाडोल, केसूली, सुमेर, डायलाना-कलां, बागोल, मगरतलाब, पनोता, कोटसीलकियांन ।
मारवाड जंक्शन	जोजावर, भगोडा, चौकडिया, पूलाद, फुडासूरसिंह, मालसाबवडी, चिरपटियां, सिकरीपारी, नीमली माण्डा, सारण, बोरीमादा, वंटारिया दोपारी, मांढा, शेखावास, बोरनडी, सेहवाज, मुसालिया, सरवाड, राणावास, गोदाना, सिणला, दुपेड, चावडिया, बाडसा, धामली हिंगोला खुर्द, बिदूड़ाकलां, भीवालियां कराड़ी, पाचेटिया, देवली आऊवा, जाणुदा, आउव, ईसाली, गुडा-केसरसिंह, वासनीजोजावर, गुडा, रामसिंह, बांता, गुडावास, धुषला घनला, हेमलियावास, हेमलिया खुर्द, मारवाड जंक्शन

(2) जी नहीं। पाली जिले की मारवाड जंक्शन एवं देसूरी तहसील के ऐसे पंचायत मुख्यालय जहां निगम की बसें नहीं चलती है प्रश्न (1) के उत्तर में दर्शा दी गई है। वर्तमान में इन पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजना निगम के विचाराधीन नहीं है। अतः जब तक इन पंचायत मुख्यालयों को जोडने वाले मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता है तब तक निगम की वाहनें चलाया जाना संभव नहीं है।

फसलों हेतु विद्युत प्रदाय

220. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में किसानों को अपनी फसल के सिंचाई कार्य के लिए अक्टूबर व नवम्बर, 1981 माह में कितनी बिजली उपलब्ध कराई गई थी और वर्तमान में कितने घण्टे उपलब्ध कराई जा रही है ?

उत्तर

राज्य में किसानों को सिंचाई कार्य के लिए माह अक्टूबर व नवम्बर, 81 में निम्न तालिकानुसार प्रतिदिन विद्युत उपलब्ध कराई गई है :—

अक्टूबर, 81

दिनांक 1 से 13 तक	14 घण्टे प्रतिदिन
दिनांक 14 से 24 तक	10 घण्टे प्रतिदिन
दिनांक 25 से 28 तक	8 घण्टे प्रतिदिन
दिनांक 29 से 31 तक	6 घण्टे प्रतिदिन

नवम्बर, 81

दिनांक 1 से 10 तक	6 घण्टे प्रतिदिन
दिनांक 11 से 30 तक	7 घण्टे प्रतिदिन

वर्तमान में (दिनांक 22.2.82 से) कृषि उपभोक्ताओं को 6 घण्टे प्रतिदिन विद्युत उपलब्ध की जा रही है।

तहसील बाड़ी के ग्राम सिगोरई का विद्युतीकरण

श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बाड़ी के गांव सिगोरई को आज से करीब चार वर्ष पूर्व बिजली मंजूर हो कर लाइन खींच दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव सिगोरई की पूरी आबादी अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों की है ? यदि हां, तो अब तक गांव का विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया है ?

(3) क्या सरकार गांव का शीघ्र ही विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सिगोरई को मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 30.11.71 को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। ग्राम पहले से ही विद्युतीकृत है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटरू के ग्रामों का विद्युतीकरण

222. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटरू में कितने व कौन कौन से गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है व अब किन किन गांवों में बिजली लगना स्वीकृत हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन गांवों में बिजली लगाना स्वीकृत हुआ है वहां बिजली कब तक लग जायेगी ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र के 187 ग्रामों का विद्युतीकरण अब तक किया जा चुका है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। 17 अन्य ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र के 11 स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1981-82 के कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
तहसील अटरू		
1.	छाजवा	25/10/4
2.	चरडाना	5
3.	हरनावदा	6
4.	मूंडला	7
8.	मोतीपुरा	15
6.	पिपलोद	17
7.	बगली	18
8.	अरहाना	19
9.	आमली	20
10.	जिरोद	24
11.	खरखड़ा	26
12.	उदयपुरिया	28
13.	गुंजेर मंजरा रामपुरया	29
14.	मायथा	30
15.	दिवाली	32
16.	मेरमा तलाव	34
17.	अरडांद	36
18.	मेरमा चाह	37
19.	चैनपुरिया	40
20.	रतनपुरा	41
21.	खेड़लीगंज	42
22.	अटरू मांजरा लक्ष्मीपुरा	43
23.	वैदक्या	44
24.	गंडीलिया	45
25.	कांचरा	46
26.	आटोन	48
27.	मंसड़ा	49
28.	रीछन्दा	57
'29	भौहरा	58
30.	आमली जागिर	59

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
31.	घुमॅन	35/10/61
32.	सकतपुर	62
33.	बमोरी	66
34.	उडब्राड़ा	67
35.	खेड़ली नाहरया	68
36.	अन्ताना	69
37.	मूंडला	70
38.	मुसेन माता	71
39.	पटना	72
40.	वरलां	74
41.	खेड़ली बांसला	75
42,	छत्रपुरा	76
43.	बलदेवपुरा	77
44.	दड़ा	78
45.	लीला हेडी मजरा आमापुरा	81
46.	हानीहेडा	82
47.	टिगरी	83
48.	भखरावदा	84
49.	दीलोद हाथी	85
50.	व्यास खेड़ी	86
51.	खर खड़ा रामलीथान	87
52.	बानपुर	88
53.	भांडोता	92
54.	कटवार	93
55.	भाजू खेडी	94
56.	कनोटिया	95
57.	रघुनाथ पुरा	96
58.	बडोरा	98
59.	अचरावा	100
60.	करजूना	101
61.	कनवाड़िया	102
62.	बरखेड़ी	105

219

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
63.	गोरड़ी	25/10/108
64.	ननावता	109
65.	चारन खेड़ी	110
66.	मोठपुर	111
67.	केखात्य	112
68.	मोतीपुरा	115
69.	कासमपुरा	116
70.	बरावदी	117
71.	कुन्डी	118
72.	उग्रपुरा	119
73.	पाडल्या	120
74.	सोडल हेडी	121
75.	कवाई	122
76.	कंवरपुरा	124
77.	गोरधनपुरा	125
78.	सालपुरा	126
79.	अमृत खेडी	127
80	मूसईगूजरान	128
81.	पांडुहेली	129
82.	हनमत खेड़ा	130
83.	बटावदा	25/4/32
84.	सम्बलपुर	44
85.	घींसरी	46
86.	रपटावन	48
87.	नारेडा	49
88.	बावड़ीखेड़ा	50
89.	आमापुरा	52
90.	तलावदा	53
91.	मोटपुर	54
92.	फूंसरा	55
93.	बेगना	58
94.	मपुराश्या	59

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
95.	ठूंसरा	25/4/60
96.	उम्मेदगंज	61
97.	कलमंडा	62
98.	खेरोली	63
99.	जगन्नाथपुरा	71
100.	रटावत	65
101.	बेगनी	66
102.	ऊंडा	67
103.	चुरेत्या	68
104.	नूरपुर	70
105.	शंकरपूरा	72
106.	तुमसां	73
107.	तूलडां	74
108.	कोटड़ी तुलसा	75
109.	बोरदा	76
110.	दीलोदा	77
111.	बामला	78
112.	बामली	79
113.	दौलपुतरा	80
114.	मंडोली	81
115.	दुर्जनपुरा	82
116.	तमीपुरा	83
117.	ग्रांखेडा	84
118.	जालेड़ा	86
119.	केदाहेडी	89
120.	पाठेड़ा	90
121.	कोटड़ी पाठेड़ा	91
122.	हीकड	92
123.	कोटड़ा	93
124.	बराना	97
125.	बरानी	98
126.	मंडोला	99

221

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
127.	इकलेरा	100
128.	गोरधनपुरा	101
129.	हुनोटया	88

तहसील सांगोद

130.	डावरी कलां	25/9/88
131.	घस खेड़ा	89
132.	रेलावद	90
133.	दमरदा	91
134.	बूढली	93
135.	ब्यावेर खुर्द	95
136.	कोटड़ा	96
137.	ब्यावर कलां	97
138.	भूलाहेड़ी	98
139.	वरु खेड़ी	99
140.	भूलाहेड़ी	100
141.	डोवरी	101
142.	कमोलर	102
143.	गेंहू खेड़ी	103
144.	खड़िया	104
145.	लसाड़िया कला	105
146.	नयापुरा	107
147.	रोसल्या	108
148.	वोरदा	109
149.	तालछी	110
150.	लसाड़िया खुर्द	111
151.	दिल्लीपुरा	25/9/112
152.	लक्ष्मीपुरा	117
153.	कुदेत	146
154.	विजयपुर	147
155.	बेंसार	148
156.	जोगड़ां	149

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
157.	जोगड़ी	150
158.	हरीपुरा	151
159.	दीगोद	152
160.	लटूरा	153
161.	लाटरी	154
162.	हनवत खेड़ी	155
163.	लवानिया	156
164.	बरां	157
165.	सनखेड़ा	158
166.	छरेल	159
167.	जिठानी	161
168.	बुढनहेड़ा	162
169.	डोबरा	165
170.	चतरपुरा	166
171.	हींगी	167
172.	बरखेड़ी	171
173.	मोई खुर्द	174
174.	किशनपुरा	176
175.	बोरिना कलां	177
176.	अमृत कुआ	178
177.	खर खना खेड़ी	179
178.	खजूरी	180
179.	तरकस्या	181
180.	वोरिना खुर्द	182
181.	गुरायता	183
182,	कोई कलां	163
183.	डूंगरपुर	164
184.	नागरा खेड़ी	25/9/116
185.	वमंल्या कलां	170
186.	गाडरवाडा	175
187.	लाला हेडी	94

अटरू विधान सभा क्षेत्र के अविद्युतीकृत ग्रामों सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.
तहसील बारां		
1.	हरीपुरा	25/4/33
2.	खेडी	56
3.	बोरीना	57
4.	लेवां	64
5.	भरन्या	69
6.	भट्ट खेड़ी	85
7.	करनाहेडा	94
8.	लुहारिया	95
9.	बायनहेडा	96
10.	गूगलखेडी	87
तहसील सांमोद		
11.	बांगडस्या	25/9/169
12.	भ्राकोदिया	172
13.	सहापुर	168
14.	दोरानी	160
15.	मूंडा	92 (नान पोटेन्शिय)
16.	मनक्या खेडी	172 ,,
17.	प्रतापपुरा	106 ,,

सदर कानूनगो के पदों पर नियुक्ति पदोन्नतियां

223. श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व मण्डल द्वारा जुलाई 1980 म सदर कानूनगो के पदों पर नियुक्ति हेतु मांगे गये प्रार्थना-पत्रों के उत्तर में कितने प्रार्थना-पत्र आये ?

(2) इनमें से कितने व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई ?

(3) कितने वरिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति न देकर कितने कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई और इसके क्या कारण है ? प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति न देने का कारण बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उन कनिष्ठ व्यक्तियों की सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिन्हें पदोन्नति दे दी गई।

(4) जिन वरिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गई उनका वरिष्ठता में कौन कौन सा स्थान था और जिन कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई उनका वरिष्ठता सूची में स्थान कौन-कौन सा था ?

(5) किन-किन वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रतिनिवेदन इस पदोन्नति के बारे में बाद में प्राप्त हुए और उन पर क्या क्या निर्णय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) प्रतिनिवेदन देने वाले किन-किन व्यक्तियों को बाद में किस-किस पद पर पदोन्नति की गई और साथ ही क्या कोई पदावनत आदेश भी जारी किया गया ? कारण बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) उपरोक्त पदोन्नतियों और पदावनति के आदेशों की प्रतियों की नकल कितने व्यक्तियों ने कब-कब चाही और किन-किन को नकल नहीं देकर उन्हें अपील में जाने के अधिकार से वंचित किया गया ? कारण बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्व मण्डल द्वारा माह जुलाई, 1980 में सदन कानूनगो के पद पर नियुक्ति के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं मांगे गये।

(2) माह जुलाई, 80 में सदर कानूनगो के पद पर मण्डल द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है।

(3) जैसा कि प्रश्न 1 एवं 2 के विषय में अंकित किया गया है कि माह जुलाई, 80 में सदर काननगो पद पर नियुक्ति के लिये प्रार्थना पत्र नहीं मांगे गये और न ही कोई नियुक्ति दी गई, अतः वरिष्ठ कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

(4) पदोन्नतियां न देने की स्थिति में वरिष्ठता सूची में किसी व्यक्ति के स्थान बताने का प्रश्न नहीं रहता है चाहे वह वरिष्ठता में वरिष्ठ हो अथवा कनिष्ठ

(5) माह जुलाई, 80 में सदर कानूनगो के पद पर पदोन्नति के सिलसिले में कोई प्रतिवेदन मण्डल में प्राप्त नहीं हुआ।

(6) पदोन्नति न देने की स्थिति में प्रतिवेदन देने तथा उनके आधार में पदोन्नति न देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(7) पदोनति तथा पदावन्नति से संबंधित आदेश की प्रतियां देने का प्रश्न ही नहीं रहता है जबकि कोई पदोनति/पदावनति ही नहीं की गई है।

226

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न 194 की सूची)

प्रपत्र (क)

तीन हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों की सूची जो डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं।

गांव का नाम	जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार
1. सिराणा	3947
2. सुराना	3166
3. रेवतड़ा	3549
4. बाकरा	3182
5. सियाना	6223
6. हरजी	4311
7. भवरानी	3486
8. मोरसीम	4018
9. दासपा	4117
10. थानसा	4054
11. पुनासा	4595
12. घुमड़िया	3146
13. करड़ा	3178
14. चितलवाना	42[illegible]6
15. पुर	3334

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 140 की सूची)

सन्देश्वर बांध के डूब आई भूमि में प्रभावित लोगों की सूची

क्र० सं०	प्रभावित भूमि के लोगों का नाम
1.	श्री पेमा पिता दाड़मा भील
2.	श्री मोती पिता वदा भील
3.	श्री देवा पिता रोड़ा भील
4.	श्री अम्बावा, रामा, कुशाल, गांगा पिता उमा भील 1/2 वदा नानजी पिता चतरा 1/2 भील
5.	श्री अम्बावा, रामा, कुशाल, गांगा पिता उमा 1/10 नानजी पिता चतरा 1/10 देवा पिता रोड़ा 1/5 देवा पिता प्रथा 1/5 मोती पिता वदां 1/5 भीमा पिता दाड़मा 1/5 भील
6.	श्री नाना पिता थावरा भील
7.	श्री रूपा पिता नाना भील
8.	श्री पीरूखां, कारूखां पिता कालूखां 1/3 नूर मोहम्मद 1/3 जुमेखां 1/3 पिता रहीम वक्श मुसलमान
9.	श्री राधाकिशन गणेशलाल पिता अम्बालाल ब्राह्मण
10.	श्री राधाकिशन, गणेशलाल पिता अम्बालाल, तुलसीराम, गुमानीलाल पिता मगनलाल 1/2 ब्राह्मण श्रीमती मेगा वाई पत्नी मोड़ीराम, हीरालाल पिता शिवशंकर 1/4 हीरालाल पिता देवकिशन 1/4
11.	श्री भूरीलाल पिता स्वरूपचन्द, भंवरलाल पिता शंकरलाल, नन्दलाल पिता भूरीलाल 2/3 मा. नूर मोहम्मद पिता रहीम वक्श 1/3 सा देह
12.	श्री बोंतलाल पिता केसरीमल महाजन
13.	श्री तुलसीराम, गमानीलाल पिता मगनलाल ब्राह्मण
14.	श्री थावरा पिता धूला भील सा चोकडिया
15.	श्री लछा पिता वागा भील
16,	श्री नाना पिता चतरा भील
17.	श्री रामा पिता उमा भील
18.	श्री थावरा पिता वसा भील
19.	श्री रूपा पिता नाना भील
20.	श्री पुरा पिता वदां भील
21.	श्री वदा नानजी, नानका पिता चतरा भील
22.	श्री भूरीलाल, स्वरूपचन्द 1/2 बोतलाल पिता केसरीमल 1/2 महाजन
23.	श्री अम्बावा, रामा, कुशाल, गांगा पिता उमा भील

228

क्र. सं.	प्रभावित भूमि के लोगों का नाम
24.	श्री मोती, नाना पिता भेरा, खुमा पिता उदा भील
25.	श्री नानका पिता थावरा 1/2 बद्धा पिता मावा भील काडवा पिता काल 1/2 भील
26.	श्री चेना पिता मोती भील
27.	श्री नवलराम अबललाल पिता देवा नायक
28.	श्री पृथ्वीराज पिता रंगलाल महाजन
29.	श्री देवीसिंह मोड़सिंह पिता नाथूसिंह राजपूत
30.	श्रीमती चोसर बाई बेवा अम्बालाल खटीक
31.	श्री केमुलाल, ख्यालीलाल, मनोहरलाल पिता भूरीलाल 1/2 कस्तुरचन्द पिता कालूराम 1/2 महाजन
32.	श्री मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इशाक मोइनूद्दीन पिता लाल मोहम्मद मुसलमान
33.	श्री भूरीलाल, स्वरूपचंद, भंवरलाल पिता शंकरलाल, नन्दलाल पिता भूरीलाल ब्राह्मण
34.	श्री राधाकिशन पिता अम्बालाल ब्राह्मण
35.	श्री मंगला फौजा पिता देवा भील
36.	श्री बदा, मावा पिता भीमा काउला पिता कालू, एकलिंग पिता सूरता गमेती
37.	श्री खेमा पिता एकलिंग, मोती पिता बदा, खेमा पिता रोडा, पुरा पिता बरदा देवा पिता रोडा, देवा पिता रोडा गमेती
38.	श्री थावरा, खुमाण, लखा पिता भेरा भील
39.	श्री हीरालाल पिता गोटुलाल भील
40.	श्री रमा पिता नाना 1/2 अम्बालाल पिता भैरूलाल खटीक
41.	श्री रघुनाथ श्री महाजन उदयपुर हनुमान घाट
42.	श्री उदयलाल पिता हीरालाल खटीक
43.	श्री गणेशलाल पिता हीरालाल ब्राह्मण
44.	श्री उमा पिता भेरा भील
45.	श्री भूरीलाल पिता स्वरूपचंद, नन्दलाल पिता भूरीलाल, भंवरलाल पिता शंकरलाल महाजन

229

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची)

राज्य में वर्ष 1981–82 के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा माह जनवरी, 82 के अन्त तक स्वीकृत परियोजनाओं की सूची।

क्र. सं.	परियोजना	श्रेणी	अनुमानित व्यय (लाखों में)
जिला अजमेर			
1.	पीसागन प. स.	एसपीए	45.883
2.	ओएण्डएम स/डी नसीराबाद	हरिजन बस्ती	1.397
3.	ओएण्डएम स/डी विजयनगर	,,	—
			47.627
जिला अलवर			
4.	कोटकासिम (उत्तर) प.स., अलवर	एसपीए	39.952
5.	रामगढ़ स/डी आरईसी	हरिजन बस्ती	0.121
6.	ओ. एण्ड एम स/डी खेरथल	,,	0.186
			40.269
जिला बाड़मेर			
7.	ओएण्डएम स/डी बलोतरा	हरिजन बस्ती	0.158
जिला भरतपुर			
8.	प. स. धौलपुर	आरएमएनपी	109.484
9.	प. स. नगर	,,	116.905
10.	बाड़ी (प. स.)	,,	100.808
11.	प. स. बसेड़ी	,,	101.170

1	2	3	4
12.	ओ. एण्ड एम. उपखण्ड, बयाना	हरिजन बस्ती	0.702
13.	ओ. एण्ड एम. धौलपुर	"	1.863
14.	ओ. एण्ड एम., डीग	"	2.517
			433.449
	जिला भीलवाड़ा		
15.	जिला सब/डी (पूर्वी) भीलवाड़ा	हरिजन बस्ती	0.525
16.	जिला सब/डी (पश्चिमी) भीलवाड़ा	हरिजन बस्ती	0.296
17.	ओएण्डएम एलडी शाहपुरा	हरिजन बस्ती	0.260
			1.081
	जिला बीकानेर		
18.	डी III स/डी बीकानेर	हरिजन बस्ती	1.839
	जिला बांसवाड़ा		
19.	ओएण्डएम स/डी, प्रतापपुर	हरिजन बस्ती	0.355
20.	ओएण्डएम स. डी, चित्तौड़गढ़	हरिजन बस्ती	0.127
21.	" " प्रतापगढ़	"	0.151
22.	" " निम्बाहेड़ा	"	0.308
23.	एल. डी. " रावतभाटा	"	0.177
24.	" " बेंगू	"	0.161
24.	आरईसी स. डी. बडोसादड़ी	"	1.920
26.	एल. डी. स/डी. निम्बाहेड़ा	"	1.988
27.	" " प्रतापगढ़	"	3.556
			8.388
	जिला चूरू		
28.	प. स. सरदारशहर	आरएमएनपी	95.070

1	2	3	4
	जिला डूंगरपुर		
29.	पं. स., आसपुर	आरएमएनपी	63.468
30.	पं. स., डूंगरपुर	,, टी.	66.161
			129.629
	जिला जयपुर		
31.	उपखण्ड, जोबनेर	एसपीए	49.680
32.	पं. स., झोटवाड़ा	,,	14.576
33.	सांयर उपखण्ड, जयपुर	हरिजन बस्ती	0.847
34.	ओ. एण्ड एम. स/डी, सांगानेर	,,	1.588
35.	,, ,, भांखरोटा	,,	0.645
			67.336
	जिला जोधपुर		
36.	ओएण्डएम स/डी नारवा	हरिजन बस्ती	0.122
	जिला जालौर		
37.	ओएण्डएम स/डी जालौर	हरिजन बस्ती	0.241
38.	,, ,, जालौर	,,	0.846
			1.087
	जिला झुंझुनू		
39.	खेतड़ी स/डी	एस. पी. ए.	48.330
40.	नवलगढ़ पार्ट II	,,	17.801
41.	नवलगढ़ पार्ट I	,,	15.392
			81.523

1	2	3	4
जिला झालावाड़			
42.	झालरापाटन पं. स.	एसपीए	27.896
जिला कोटा			
43.	ओएण्डएम स/डी अटरू	हरिजन बस्ती	0.027
44.	„ „ अन्ता	„	0.107
जिला नागौर			
45.	मेड़ता स/डी	एसपीए	37.767
46.	ओएण्डएम स/डी मेड़ता	हरिजन बस्ती	0.314
47.	डीपीएपी सबडिवीजन कुचामन	„	—
			38.663
जिला पाली			
48.	ओएण्डएम स/डी फालना	हरिजन बस्ती	0.672
49.	„ „ रायपुर अण्डर ओएण्डएम स/डी सोजतसीटी	„	0.292
			0.964
जिला सवाईमाधोपुर			
50.	ओएण्डएम स/डी सवाईमाधोपुर	हरिजन बस्ती	0.799
51.	„ „ करोली	„	0.395
52.	आरईसी „ नादोती	„	0.256
53.	„ „ सवाईमाधोपुर	„	0.158
54.	„ „ महुवा	„	1.253
			2.861

1	2	2	4
जिला सीकर			
55.	फतेहपुर पं. स.	एसपीए	14.485
56.	एलडी स/डी फतेहपुर	हरिजन बस्ती	2.950
			17.435
जिला सिरोही			
57.	शिवगंज पं. स.	एसपीए	11.154
58.	ओएण्डएम स/डी सिरोही	हरिजन बस्ती	0.162
			11.316
जिला गंगानगर			
59.	सूरतगढ़ पं. स.	आरएमएनपी	93.451
60.	पदमपुर पं. स.	,,	74.456
61.	हनुमानगढ़ पं. स	,,	33.492
62.	नोहर पं. स.	,,	70.528
			271.927
जिला टोंक			
63.	निवाई पं. स.	आरएमएनपी	76.245
64.	उनियारा पं. स. (नोर्थ)	,,	52.524
65.	उनियारा पं. स. (साउथ)	,,	54.603
66.	निवाई पं. स.	एस. पी. ए.	21.053
67.	ओएण्डएम स/डी मालपुरा	हरिजन बस्ती	0.660
78.	,, ,, मालपुरा	,,	2.225
69.	,, ,, मालपुरा	,,	0.320
			207.631

1	2	3	4
जिला उदयपुर			
70.	देवगढ़ पं. स.	नोर्मल	41.804
71.	भिन्डर पं. स.	एसपीए	10.033
72.	ओएण्डएम स/डी वड़गांव	हरिजन बस्ती	0.203
73.	,, ,, कांकरोली	,,	0.448
74.	,, ,, नाथद्वारा	,,	0.118
75.	आरईसी ,, केलवारा	,,	0.296
76.	ओएण्डएम ,, कांकरोली	,,	0.123
77.	ओएण्डएम ,, कांकरोली	,,	0.117
			53.142
		कुल योग :	1539.902

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची)

परिशिष्ट-क

INFORMATION OF FLOOD DAMAGES OF ROADS

S. No.	Name of Road	Amount required for Rs. restoration (in lacs)
1.	Jaipur—Tonk Deoli road NHW No. 12	13·00
2.	Tonk—Sawaimadhopur road SHW No. 30	17.00
3.	Tonk—Malpura Road (O. D. R.)	8.00
4.	Bonli—Newai Road (ODR)	5.50
5.	Uniara—Nenwa Road (MDR)	5.75
6.	Uniara Indergarh Road (MDR)	9.50
7.	Nasirabad—Deoli Road	3.25
8.	Sanganer—Malpura Road-Kekri Road S. R. No. 12	5.50
9.	Malpura—Lambaharisingh Road (ODR) upto District Border.	2·25
10.	Malpura—Todaraisingh Road (MDR)	3·25
11.	Malpura—Dudu Road (MDR)	5.50
12.	Todaraisingh—Jirana Road (MDR)	7·50
13.	Todaraisingh—Baghera Road (ODR)	2·25
14.	Lambharisingh to Uniara Jhurd (ODR)	4·50
15.	A/R. to Sop	0·50
16.	Pachewar Awda Road	0·25
17.	Repair to city road from chantaghar to Bara Kunwa (2·5 km. long, 32ft. wide)	5.00
	Total	98.50 lacs

परिशिष्ट-ख

STATEMENT OF WORKS SANCTIONED UNDFR HEAD 289 FLOOD RESTORATION

S. No. 1	Name of Works 2	San. cost 3	Expr. upto Jan., 82 4
I	**Tonk Sawaimadhopur Road 1164 for Rs. 27·25**		**8.62 lacs**
1.	Restoration of road in Km. 3 to 7, 8, 11, 12	6.76 lacs	106105.03
2.	Reconstruction of road in Km. 15 to 21	6.05 „	246223.95
3.	-Do- Km. 41, 43 & 47	2.16 „	52178.96
4.	-Do- Km. 61, 62 & 63	2.78 „	33180.00
5.	Protection work in Km. 14	1.63 „	68762.50
6.	Reconstruction of Road Km. 31, 32	3.78 „	69167.50
7.	Reconstruction of Road Km. 22, 23	1.35 „	—
8.	Restoration of road in Km. 36	1.08 „	119792.80
9.	Reconstruction of damaged road Km. 38, 39 & 41	1.72 „	172105.00
II	**Tonk Malpure Road 1165 for Rs. 13.40 Lacs**		**161838.50**
1.	Flood restroation work by raising a layer WBM and 20 mm PMC in km. 12 and recarpeting in 10 & 11	2.50 „	6353.60
2.	Restoration of flood damages in km. 23, 27 & 28	2.15 „	67083.00
3.	Restoration of A/R Mashi Bridge km. 13	1.50 „	19465.00
4.	Restoration of Road in km. 4, 5	1.60 „	7329.00
5.	Restoration of flood damaged 6 & 8	1.70 „	20112.00
6.	Remetalling and carpeting on km. 21 & 22	1.80 „	
7.	Flood restoration in km. 35 to 40 by providing 2 layers WBM & 20 mm. P.M.C.	1.75 „	41491.00
III.	**Sanganer, Malpura, Kekri Road Rs. 8.45 Lacs**		
1.	Const. of surface Causway in km. 97	0.85 lacs	17043.00
2.	Repair of sub-messible bridge km. 99	1.40 „	
3.	Flood Restoration including C. D. works wanted causeway in km. 65 to 69	2.00 „	
4.	Const. of vented causeway in km. 64	2.80 „	
5.	Rematelling & 20 mm PMC km. 91, 92 & 97 (Heavy patch repair & 20 mm PMC	1.20 „	26934.00

1	2	3	4
Iv.	**Dadu Malpura Todaraisingh Road 1167 for Rs, 500 lacs 191750**		
1.	Const. of Minor bridge in km. 27	1.50 lacs	77397.00
2.	Strengthening with 2 layers WBM & 20 mm. PMC in km. 33, 34, 46, 51 & 52		45519.00
3.	-do- in km. 41, 42 & 45	3.50 „	68834.00
V.	**Nasirabad Deoli Road 1179 for Rs. 3.50 lacs 36399**		
1.	Repairs to Flood damages by Renewal & strengthening with 2 layers WBM & 20 mm. PMC in km. 99, 100, 103, 134	3.50 „	36399.00
VI.	**Ranoli Newal Road 1168 for Rs. 2.20 lacs 154489.55**		
1.	Providing a additional opening repairing of C.D. works in km. 31	0.79 lacs	9187.50
2.	Repairing of C.D. works in km. 33	0.39 „	4594.00
3.	Paitch Repair is & Improvement in km. 26, 27, 28.		105097.30
4.	Patch repairs & Improvement in km. 32, 33, 34	1.00 „	35611.00
VII.	**Uniara Nenwa Road 1169 for Rs. 2.00 lacs 127392.60**		
1.	Repairs of 4 Nos. damaged C. D. Works in km. 14, 15, 16 & 17.	1.00 lac	17537.10
2.	Const. of Breached approach Galwa bridge in km. 13.	1.00 „	109855.50
VIII.	**Uniara Indergarh Road 1171 for 2.60 lac 27024.50**		
1.	Protection wall in km. 1 & 9 inc. dry stone masonary	0.40 lac.	
2.	Const. of damaged road in km. 0.5	0,70 „	11364.00
3.	Restoration of damaged road km. 10 to 22		
IX.	**Malpura Lamba Harisingh Road 1172 for Rs. 1.46 lac 84881.60**		
1.	Flood restoration work in km. 3 to 8	0.30 lac	43636.40
2.	Const. of Minor bridge in km. 25/2	1.10 „	41244,75

1	2	3	4
X.	**Todaraisingh Jhirana Road 1173 for Rs. 4.00 lac. 81019**		
1.	Const. of Road in km. 49 to 53 Strengthening with 2 layers WBM and 20 mm. PMC.	4.00 lac	81019.00
XI.	**Todaraisingh Baghera Road 1174 for Rs. 2.00 lac. 29022**		
1.	Const. of G. D. work in km. 7 to 10	2.00 lac	29022.00
XII.	**Uniara Khurd to Lamba Harisingh Road 1175 for Rs. 1.60 lac 60093**		
1.	Const. of Minor Bridge in Km. 12 & caltivate in Km. 7	1.60 lacs	60093.00
XIII.	**Approach road to Sop 1176 for Rs. 00 70 lac.**		
1.	Restoration of A/R to soap	0.70 lac	
XIV.	**Pachewar Nagar Road 1177 for Rs. 2.00 lac 33075**		
1.	Providing addl. water way in Km. 1, 2, 3 & 9	2.00 lac	33075.00
XV.	**Tonk City Roads 1178 for Rs. 2.82 lac 222667.25**		
1.	Heaby patch repair & 20 mm. PMC on Clock Tower to Bada Kuwa.	2.70 lac	222667.25
2.	Providing & pitching on Jaipur Tonk Road Km. 98 Dhanna Talai	0 10 lac	
XVI.	**Const. of Approach road to village Hingonia for Rs. 3,50 lac**		
1.	Const. of Approach road to Hingonia village.	3.50 lac	

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची

परिशिष्ठ 'अ'

मछलियों की श्रेणियां 1980-81	पकड़ाई की दर प्रति किलो	जयसमन्द तोल केन्द्र पर विपणन की दर प्रति किलो
1. पांच किलो से ऊपर कतला मछली	5.20	8.26
2. चार किलो से ऊपर कतला, पिटार, संवल, मिग्रल, रोहू, महीसिर, सिघाड़ा, लांची, दोगला	4.20	7.55
3. दो किलो से चार किलो तक कतला, रोहू, संवल, मिग्रल, पिटार, महासिर, लांची, सिघाड़ा, दोगला, व कबरा	3.20	6.55
4. दो किलो से कम कतला, रोहू, संवल, मिग्रल, सिघाड़ा, पिटार, महासिर, लांची, दोगला, कबरा, कालबासू, बाम व मकोला	2.40	5.05
5. सरसी पुट्टी, पतोला व अन्य	2.00	2.55

———

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न 155 की सूची

वर्ष 80–81 में बीकानेर जिले में विभिन्न उद्योगों में कामगारों को वितरित की गई राशि का विवरण—

क्र०	उद्योग	संख्या	ऋण
1.	चर्म उद्योग (व्यक्तिगत)	195	4,02,750–00
2.	कुम्हारी उद्योग	44	78,100–00
3.	अनाज दाल प्रशोधन	44	39,720–00
4.	कली चूना उद्योग	15	75,000–00
5.	लुहारी सुथारी	70	1,26,200–00
6.	तेल उद्योग	5	26,125–00
	कुल योग	373	7,47,895–00
	संस्थायें—		
1.	राष्ट्रीय ग्रामोद्योग समिति	1	15,000–00
2.	क्षेत्रीय समग्र लोक विकास संघ	1	14,350–00
	योग	2	29,350–00
	कुल योग	375	7,77,245–00

वर्ष 1981–82 में माह जनवरी तक बीकानेर जिले में विभिन्न उद्योगों में कामगारों को वितरित की गई राशि का विवरण—

क्र०	उद्योग (व्यक्तिगत)	संख्या	ऋण
1.	चर्म उद्योग	115	2,02,650–00
2.	कुम्हारी उद्योग	15	34,800–00
3.	अनाज दाल प्रशोधन	18	13,500–00
4.	कली चूना उद्योग	6	26,500–00
5.	लुहारी एवं सुथारी उद्योग	8	23,600–00
6.	तेल उद्योग	1	10,000–00
7.	बांस बेत उद्योग	4	4,400–00
8.	रेशा उद्योग	8	10,200–00
	योग	175	3,25,650–00

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर, वर्ष 1980-81 व्यक्तिगत

चर्म उद्योग

क्रमांक	नाम कामगार	जाति	गांव	ऋण
1	2	3	4	5
1.	श्री त्रिलोकाराम/मोतीराम	मोची	नाथावाना	2250-00
2.	,, मेघाराम/हीराराम	,,	लूणकावास	2250-00
3.	,, जीतूराम/जवाराराम	,,	,,	2250-00
4.	,, रामेश्वर/जवाराराम	,,	,,	2250-00
5.	,, गुलाबाराम/तेजाराम	मेघ	,,	2250-00
6.	,, जयनारायण/बदनाराम	मोची	,,	2250-00
7.	,, सावरमल/भूलाराम	,,	,,	2250-00
8.	,, मोडाराम/मोतीराम	,,	,,	2250-00
9.	,, नत्थूराम/पांचूराम	,,	,,	2250-00
10.	,, बूद्धाराम/सदासुख	,,	कालू	2250-00
11.	,, मोतीराम/डेलाराम	,,	झल्लू	2250-00
12.	,, बुद्धाराम/हमीरा			
13.	,, नेनूराम/पोकरराम	मेघ	अकासर	2250-00
14.	,, बालाराम/मूलाराम	रैगर	देशनोक	1050-00
15.	,, बक्सीराम/भूलाराम	मेघ	कोलायत	1050-00
16.	,, सुरेशचन्द्र/गेनाराम	रैगर	शिवबाड़ी	3750-00
17.	,, अमराराम/धन्नाराम	,,	,,	3750-00
18.	,, रामूराम/मगनाराम	,,	नोखा	3750-00
19.	,, खियाराम/मोटाराम	,,	,,	3750-00
20.	,, मांगीलाल/कुरडाराम	,,	देशनोक	3750-00
21.	,, परमाराम/हरदास	,,	,,	3750-00
22.	,, धन्नाराम/रतनाराम	,,	,,	3750-00
23.	,, लालाराम/मघाराम	,,	,,	3750-00

1	2	3	4	5
24.	श्री उदाराम/पुरखाराम	रैगर	उदरामसर	3750-00
25.	,, सुखाराम/सकुनराम	,,	शिवबाड़ी	3750-00
26.	,, रामचन्द्र/किशनाराम	,,	उदरामसर	3750-00
27.	,, भवराराम/हेमाराम	,,	लूणकरणसर	3750-00
28.	,, सोनाराम/ गराम	,,	उदरामसर	3750-00
29.	,, हेमाराम/मघाराम	,,	देशनोक	3750-00
30.	,, खेतराम/सदासुख	मोची	कालू	2250-00
31.	,, भोमाराम/बुद्धाराम	,,	नोखा	2250-00
32.	,, भंवरलाल/कालूराम	,,	,,	2250-00
33.	,, भासूराम/भोमाराम	,,	,,	2250-00
34.	,, मोहनलाल/नानूराम	,,	,,	2250-00
35.	,, लालूराम/मोटाराम	,,	जैलसर	2250-00
36.	,, इशरराम/कोडाराम	,,	शिवबाड़ी	2250-00
37.	,, गोदाराम/मोडाराम	,,	उदरारामसर	2250-00
38.	,, फूसाराम/नानूराम	,,	देसलसर	1050-00
39.	,, सुगनाराम/भोजाराम	,,	नोखा	1050-00
40.	,, भगवाना/हरदास	,,	देसलसर	1050-00
41.	,, जगनाथ/धर्माराम	,,	देशनोख	1050-00
42.	,, मोटाराम/धर्मा	,,	,,	1050-00
43.	,, नत्थूराम/पन्नाराम	,,	शिवबाडी	1050-00
44.	,, भादूराम/मघाराम	,,	देशनोख	1050-00
45.	,, बिरधाराम/उदाराम	,,	भीनासर	1050-00
46.	,, पोकरराम/मोडाराम	,,	उदरारामसर	1050-00
47.	,, पन्नाराम/रिक्ताराम	,,	भीनासर	1050-00
48.	,, देवाराम/पन्नाराम	,,	देशनोख	1050-00
49.	,, रणजीतराम/पन्नाराम	,,	,,	1050-00
50.	,, चेतनराम/धर्माराम	,,	,,	1050-00
51.	,, शंकरलाल/नत्थूराम	हरिजन	लूणकरणसर	1050-00

1	2	3	4	5
52.	श्री मोडाराम/दानाराम	मोची	लूणकरणसर	1050-00
53.	,, रतनाराम/मोडाराम	रैगर	शिवबाडी	2250-90
54.	,, सुरजाराम/लालाराम	,,	,,	2250-00
55.	,, जेठाराम/मोडाराम	,,	,,	2250-00
56.	,, उदाराम/मांगूराम	,,	,,	2250-00
57.	,, चुन्नीराम/मोहनराम	,,	,,	2250-00
58.	,, भंवरराम/घीसाराम	,,	,,	2250-00
59.	,, गणपत/ग्रकडूराम	,,	,,	2250-00
60.	,, हजारी/ग्रादूराम	,,	,,	2250-00
61.	,, पन्नाराम/ग्रकडूराम	,,	,,	2250-00
62.	,, चन्दूराम/घेवरराम	,,	लूणकरणसर	2250-00
63.	,, भीमराज/सुगनाराम	मोची	,,	1050-00
64.	,, पेमाराम/गोविन्दराम	रैगर	शिवबाडी	2250-00
65.	,, गोवर्धन/मोडाराम	,,	,,	2250-00
66.	,, भंवार/चुनाराम	,,	उदरामसर	2250-00
67.	,, सुभाष/रामचन्द्र	,,	शिववाड़ी	2250-00
68.	,, बननाराम/भंवराराम	,,	जसरासर	1050-00
69.	,, चुनाराम/लादूराम	,,	,,	1050-00
70.	,, बुद्धाराम/नत्थूराम	सांसी	कालू	1050-00
71.	,, गेनाराम/मुनीराम	रैगर	शिववाडी	2250-00
72.	,, मेवाराम/खेराम	,,	,,	2250-00
73.	,, सुजाराम/इन्द्राराम	,,	,,	2250-00
74.	,, तालाराम/ग्रमानाराम	,,	देशनोक	2250-00
75.	,, मघनाराम/ग्रमृताराम	,,	देसलसर	1050-00
76.	,, पुरखाराम/तेजाराम	,,	गुडा	1050-00
77.	,, किशनाराम/तालाराम	,,	शिववाडी	2250-00
78.	,, ग्रोमप्रकाश/लिखमाराम	,,	,,	2250-00
79.	,, कालूराम/प्रेमाराम	,,	देशनोक	2250-00

1	2	3	4	5
80.	श्री देवचन्द्र/महादेवाराम	मोची	बीकानेर	2250-00
81.	,, गोवर्धन/चम्पालाल	,,	,,	2250-00
82.	,, तीर्थराम/मूलाजी	,,	,,	2250-00
83.	,, केवलराम/केसाराम	,,	लूणकरणसर	1050-00
84.	,, भूराराम/गुडाराम	,,	नोखा	1050-00
85.	,, बुद्धाराम/प्रेमाराम	,,	लूणकरणसर	1050-00
86.	,, ओमप्रकाश/देवाराम	,,	शिववाड़ी	3750-00
87.	,, डूंगरराम/आसूराम	,,	उदरारामसर	3750-00
88.	,, वक्ताराम/मुकनाराम	,,	कोलायत	1050-00
89.	,, भीखाराम/मूलाराम	,,	भीनासर	3750-00
90.	,, किशनलाल/जीवनराम	,,	,,	3750-00
91.	,, सेठमल/सुखराम	,,	शिववाड़ी	3750-00
92.	,, नारायणराम/बलमाराम	,,	भीनासर	3750-00
93.	,, रतनलाल/भेराराम	,,	,,	3750-00
94.	,, हरिराम/किस्तूराराम	,,	,,	3750-00
95.	,, मोहनराम/तेजाराम	रेगर	उदरामसर	2250-00
96.	,, महेशराम/पुरखाराम	मोची	बापरिया	1050-00
97.	,, किशनलाल/हमीराराम	,,	झाज्झू	1050-00
98.	,, हनुमानमल/गोकलराम	मोची	,,	1050-00
99.	,, ओमप्रकाश/बुद्धाराम	,,	,,	1050-00
100.	,, लक्ष्मीनारायण/भकडूराम	रेगर	शिववाड़ी	2250-00
101.	,, ब्राजलाल/मनसुखराम	,,	,,	2250-00
102.	,, कुन्दनमल/रामचन्द्र	हरिजन	लूणकरणसर	1050-00
103.	,, बिजोराम/चुनाराम	,,	गंगाशहर	1050-00
104.	,, पूरवराम/कालूराम	सांसी	कालू	1050-00
105.	,, बाराख/चम्पालाल	रेगर	बीकानेर	2250-00
106.	,, बालूराम/मूडाराम	,,	,,	2250-00
107.	,, जीवणराम/किशनाराम	,,	शिववाड़ी	2250-00

1	2	3	4	5
108.	श्री रतनराम/लालाराम	रेगर	शिववाड़ी	2250-00
109.	,, मूलचन्द/रावतराम	,,	,,	2250-00
110.	,, मदनमोहन/मूलचन्द	,,	,,	2250-00
111.	,, कुतमाराम/बनाराम	,,	,,	3750-00
112.	,, भंवरलाल/मालचन्द	,,	,,	2250-00
113.	,, हरिकरण/मोहनलाल	,,	उदारामसर	2250-00
114.	,, भीखाराम/अनुपाराम	,,	दियात्रा	1050-00
115.	,, सूताराम/चम्पाराम	,,	बीकानेर	1050-00
116.	,, अनुपाराम/घमजी	,,	दियात्रा	1050-00
117.	,, मूलाराम/मोतीराम	मोची	लूणकरणसर	1050-00
118.	,, मोडाराम/मोतीराम	रेगर	उदारामसर	2250-00
119.	,, तोलाराम/मनसुख	,,	देशनोक	2250-00
120.	,, नारायणराम/आसूराम	,,	उदारामसर	2250-00
121.	,, फुसाराम/कालूराम	,,	,,	2250-00
122.	,, भंवरलाल/मालाराम	,,	भीनासर	2250-00
123.	,, भीखाराम/मूलाराम	,,	उदारामसर	2250-00
124.	,, हरकचन्द/रामदेव	मोची	महाजन	1050-00
125.	,, कालूराम/जयराम	,,	बीकानेर	1050-00
126.	,, रामलाल/पेमाराम	,,	लूणकरणसर	1050-00
127.	,, बालाराम/धर्माराम	,,	उदरामसर	2250-00
128.	,, धर्माराम/उदाराम	,,	शिववाड़ी	2250-00
129.	,, भंवरलाल/रामचन्द्र	,,	उदरामसर	2250-00
130.	,, सुरखाराम/जोगाराम	,,	भीनासर	2250-00
131.	,, गंगाजल/धन्नाराम	,,	शिववाड़ी	3750-00
132.	,, रामलाल/तनाराम	,,	,,	2250-00
133.	,, लिखमाराम/परसाराम	,,	उदयरामसर	2250-00
134.	,, किशनाराम/रामचन्द्र	,,	,,	2250-00
135.	,, मालाराम/परमाराम	,,	भीनासर	2250-00

1	2	3	4	5
136.	श्री श्रवणकुमार/प्रभूराम	मोची	कालू	2250-00
137.	,, भगवानाराम/मोडाराम	रैगर	भीनासर	2250-00
138.	,, धन्नाराम/लादूराम	,,	देशनोख	1050-00
139.	,, मनसुख/हरकचन्द	मोची	महाजन	1050-00
140.	,, सीताराम/मानाराम	,,	लूणकरणसर	1050-00
141.	,, मनोहरलाल/लीखमाराम	,,	,,	1050-00
142.	,, हुकमाराम/मोतीराम	,,	,,	1050-00
143.	,, बुस्सीराम/रेवतराम	,,	,,	1050-00
144.	,, धमडाराम/दानाराम	,,	,,	1050-00
145.	,, पारूराम/मालाराम	,,	,,	1050-00
146.	,, चम्पालाल/फडूराम	,,	,,	1050-00
147.	,, कालूराम/धमंडाराम	,,	,,	1050-00
148.	,, लिखमाराम/जोमीराम	,,	,,	1050-00
149.	,, उदाराम/कुन्दनाराम	,,	,,	1050-00
150.	,, बजरंगलाल/चांदूराम	,,	,,	1050-00
151.	,, रेवंताराम/मोतीराम	,,	,,	1050-00
152.	,, कन्हैयालाल/पेमाराम	,,	,,	1050-00
153.	,, शेरूराम/रूद्धाराम	,,	,,	1050-00
154.	,, सोहनलाल/नत्थूराम	,,	,,	1050-00
155.	,, चम्पाराम/जमवाराम	,,	,,	1050-00
156.	,, सीचूराम/खेताराम	,,	,,	1050-00
157.	,, जेठाराम/मघाराम	,,	,,	1050-00
158.	,, मोहनराम/मोडाराम	,,	चांडोसर	1050-00
159.	,, विहारी/सुरजाराम	हरिजन	लाडरपान	1050-00
160.	,, देवाराम/साबुराम	,,	कक्कू	2250-00
161.	,, मांगीलाल/नैनूराम	मोची	देसलसर	1050-00
162.	,, अर्जुनराम/जीमाराम	,,	,,	1050-00
163.	,, लालूराम/नैनूराम	,,	,,	1050-00

1	2	3	4	5
164.	श्री उमाराम/छोटूराम	मोची	देसलसर	1050-00
165.	,, पूरडाराम/मोटाराम	,,	,,	1050-00
166.	,, मताराम/मोफराम	,,	,,	1050-00
167.	,, चौथाराम/आंसूराम	,,	साधुना	1050-00
168.	,, कोखाराम/लादूराम	,,	,,	1050-00
169.	,, मोहनराम/खेताराम	,,	,,	1050-00
170.	,, देवीलाल/सदाराम	,,	,,	1050-00
171.	,, शंकरलाल/मेघराम	रैगर	बीकानेर	2250-00
172.	,, प्रतापचन्द/बुद्धाराम	,,	,,	2250-00
173.	,, लालचन्द/मालचन्द	,,	,,	2250-00
174.	,, चेतनराम/हुकमाराम	,,	भीनासर	3750-00
175.	,, मोटाराम/उतमाराम	,,	,,	3750-00
176.	,, अमराराम/हरावाराम	,,	शिववाडी	3750-00
177.	,, हरिराम/पन्नाराम	,,	भीनासर	3750-00
178.	,, वीरबलराम/रतनाराम	,,	शिववाडी	3750-00
179.	,, रामदेव/मालाराम	,,	भीनासर	3750-00
180.	,, रोशनअली/कमालूदीन	,,	बीकानेर	2250-00
181.	,, पेमाराम/फरसाराम	,,	सरूडिया	1050-00
182.	,, रेवताराम/अमराराम	,,	भीनासर	3750-00
183.	,, मोहनलाल/धर्माराम	,,	शिववाडी	3750-00
184.	,, अमराराम/देवाराम	,,	,,	3750-00
185.	,, सीताराम/देवाराम	,,	,,	3750-00
186.	,, चुन्नीराम/धन्नाराम	,,	,,	3750-00
187.	,, गोपाल/धन्नाराम	,,	,,	3750-00
188.	,, पूरणाराम/मूलाराम	,,	उदरामसर	3750-00
189.	,, प्रदीपकुमार/हरिराम	,,	शिववाडी	3750-00
190.	,, हरजीराम/भोजाराम	,,	भीनासर	3750-00

249

1	2	3	4	5
191.	श्री रेखाराम/जीवनराम	सांसी	उच्छोडसर	1050-00
192.	,, चांदाराम/बुवाराम	सांसी	,,	1050-00
193.	,, भंवरलाल/जीवणराम	,,	,,	1050-00
194.	,, गिरधारी/जीवनराम	,,	,,	1050-00
195.	,, रामगोपाल/मेघराम	रेंगर	बीकानेर	2250-00
				4,02,750-00

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर

ऋण वितरण : कुम्हारी वर्ष 1980-81 (व्यक्तिगत)

क्र.सं.	नाम कामगार मय जाति	ग्राम	ऋण राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री धन्नाराम/ग्रासूराम कुम्हार	झझू	1650	
2.	" श्योपतराम/पूनाराम कुम्हार	लूनकरणसर	1650	
3.	" गोपाल/चूनाराम कुम्हार	कालू	1650	
4.	" श्रवणराम/गणेशाराम कुम्हार	कालू	1650	
5.	" रिछपाल/किशनाराम कुम्हार	कालू	1650	
6.	" मेघाराम/मुरलीराम कुम्हार	लूणकरणसर	1650	
7.	" सुरजाराम/गणेशाराम कुम्हार	कालू	1650	
8.	" सूरताराम/ग्रासूराम "	कोलायत	1650	
9.	" बीरमाराम/लालूराम "	कोलायत	1650	
10.	" मांगीलाल/नत्थूराम "	गगाशहर	1650	
11.	" नत्थूराम/बालूराम "	"	1650	
12.	" शेतानाराम/जूमरराम "	"	1650	
13.	" भंवरलाल/चौथतराम "	"	1650	
14.	" पोकरराम/भोलाराम "	"	1650	
15.	" सूरजाराम/कानाराम "	"	1650	
16.	" पूनमचन्द/मुरलीराम "	"	1650	
17.	" गिधाराम/उदाराम "	"	1650	
18.	" पूनमचन्द/ईशरराम "	"	1650	
19.	" चुन्नीलाल/रूपाराम "	"	1650	
20.	" केवलराम/मनरूपाराम "	"	1650	
21.	" जेठाराम/लक्ष्मणराम "	"	1650	
22.	" मामराज/रूपाराम "	"	1650	
23.	" मूलचन्द/नीमाराम "	"	1650	
24.	" हणमानराम/घूड़ाराम "	"	1650	
25.	" मोहनराम/रूपाराम "	"	1650	
26.	" मोहनलाल/भोलाराम "	"	1650	
27.	" भंवरलाल/सोजीराम "	लूनकरणसर	1650	

1	2		3	4	5
28.	श्री भेराराम/मोहनराम	कुम्हार	खिंदासर	1650	
29.	" लूणकराम/फूसरराम	"	लूणकरणसर	1650	
30.	" हरीराम/दुलाराम	"	कोलायत	1650	
31.	" उमाराम/लाधूराम	"	महाजन	1650	
32.	" बीरबल/तुलसीराम	"	लूणकरणसर	1650	
33.	" सुरताराम/परमाराम	"	"	1650	
34.	" उदाराम/रुपाराम	"	गंगाशहर	1650	
35.	श्रीमती राधादेवी/चम्पालाल	"	"	1650	
36.	श्री हरीराम/गणेशाराम	"	"	1650	
37.	" लक्ष्मणराम/रुपाराम	"	"	1650	
38.	" रामूराम/परताराम	"	कोलायत	1650	
39.	" प्रतापचन्द/रुपाराम	"	बीकानेर	1650	
40.	" मांगीलाल/मूलाराम	"	"	1650	
41.	" पूनमचन्द/चौथाराम	"	"	1650	
42.	" भंवरलाल/कालूराम	"	"	1650	
43.	" हणमानराम/मनरुपराम	"	"	1650	
44.	" सुरेन्द्र कुमार/पीरुराम शर्मा	"	"	5000	
			कुल योग—	1 77,600	

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

ऊन जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर

ऋण वितरण—तेल उद्योग वर्ष 1980-81 (व्यक्तिगत)

क्र.सं. 1	नाम कामगार मय जाति 2	ग्राम 3	ऋण राशि 4	विशेष विवरण 5
1.	श्री तुलसीराम/गणेशराम तेली	पलाना	10,000	
2.	„ नूर मोह०/फकरूद्दीन	हेदरा	1,375	
3.	„ फतेह मोह०/वदरुद्दीन	झुंझू	4,500	
4.	„ हाजी अली मो०/ हाजी गुलाम मोहम्मद	बीकानेर	8,875	
5.	„ वाद खां/रजाक खां	झुंझू	1,375	
		कुल योग	26,125	

252

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर

ऋण वितरण:— अनाज दाल प्रशोधन (1980-81) (व्यक्तिगत)

क्रमांक	नाम	जाति	गांव	ऋण राशि	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्रीमती रमला/गणेशमल पचारिया		नोखा	750	
2.	श्री सत्यनारायण/शान्ती स्वरूप अरोड़ा		बीकानेर	750	
3.	श्री शिव प्रसाद/छगन लाल	प्रोहित	"	750	
4.	" प्रमुलाल/श्री नारायण	अग्रवाल	"	750	
5.	श्रीमती मैनादेवी/हुकम चन्द	माली	"	750	
6.	" तारादेवी/सम्पतलाल	सेवक	झझू	750	
7.	" मधुदेवी/घनश्याम	बिहारी	कोलायत	750	
8.	" तीजादेवी/बालूराम	उपाध्याया	बीकानेर	750	
9.	" माली/रेवन्तराम	मेघवाल	"	750	
10.	" देवीबाई/धाऊमल	सिन्धी	"	750	
11.	श्री ईशरराम/लादूराम	सिंधी	पाबूबारी	750	
12.	श्रीमती राजादेवी/नानूनाथ		लूनकरणसर	750	
13.	" पुष्पावती/आकसरण	नाथ	बीकानेर	750	
14.	श्री गुलजार/मोहम्मद सफी	मुसलमान	नोखा	750	
15.	" समसुद्दीन/अल्लामुद्दीन	"	नोखा	750	
16.	श्री भंवरलाल/मूलचन्द		झझू	750	
17.	श्रीमती जुबेदा/यूसूफ अली	"	लूनकरणसर	750	
18.	सोहनलाल/हजारीमल	ब्राह्मण	मलकीसर	750	
19.	श्री शेराराम/गणेशाराम	कुम्हार	लूनकरणसर	750	
20.	" माणकलाल/छोटूराम		बीकानेर	750	
21.	" मोहनलाल/जसूराम		बीकानेर	750	
22.	पुष्पा/जेठमल	राठी	नोखा	750	
23.	शान्ती	भार्गव	बीकानेर	4500	
24.	" चुन्नी/कोलूराम		भीनासर	750	

1	2	3	4	5	6
25.	श्रीमती उषा/आर. के. भार्गव		बीकानेर	750	
26.	" आनन्दी देवी/लक्ष्मी नारायण		कोलायत	750	
27.	श्री मोहनलाल/प्रभुलाल चोरड़िया		भीनासर पावर पालेटर	4470	
28.	श्रीमती सरस्वती/रामेश्वर लाल		गंगाशहर	750	
29.	श्री रजाक अली/मंगलू खां काजी		लूनकरणसर	750	
30.	" भंवरी/उमा राम		बीकानेर	750	
31.	" गोमती/फूसाराम		गंगाशहर	750	
32.	" कमला/सन्तोष कुमार ब्राह्मण		महाजन	750	
33.	" सावरी/मानीराम माली		बीकानेर	750	
34.	श्री नन्दकिशोर/काना राम		उदासर	750	
35.	,, मोहम्मद सबीर/मो. सफी		बीकानेर	750	
36.	,, अशोक कुमार/मोहनलाल		भीनासर	750	
37.	श्रीमती मूलीदेवी/जेठाराम		बीकानेर	750	
38.	,, धापू/भीखाराम		,,	750	
39.	,, चम्पादेवी/भगवानसिंह		,,	750	
40	,, तुलसीदेवी/भगवानसिंह		,,	750	
41.	,, शान्ति/जेठमल		,,	750	
42.	,, कोशल्या/गुरु बक्श		,,	750	
43.	,, गोमती/ओमप्रकाश		,,	750	
44.	महिलामण्डल, बीकानेर		,,	750	
			कुल योग	39,720	

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर

ऋण वितरण : कली चूना उद्योग (1980–81) (व्यक्तिगत)

क्रमांक	नाम मय जाति	गांव	ऋण राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री खेनाराम/रूघनाथराम मेघवाल	झझू	5,000	
2.	,, मोहनलाल/सोनाराम ,,	,,	5,000	
3.	,, किशनराम/रेखाराम ,,	भीनासर	5,000	
4.	,, अमरचंद/रामदेव माली	गंगाशहर	5,000	
5.	,, सोहनलाल/गुणाराम	शिववाड़ी	5,000	
6.	,, मोहम्मद सकीन/नजीर मो. मुसलमान	बीकानेर	5,000	
7.	,, हीरालाल/मोतीलाल	,,	5,000	
8.	,, गंगाराम/द्वारकाराम माली	,,	5,000	
9.	,, पनाराम/नत्थूराम	,,	5,000	
10.	,, संजय/फतेहचन्द	,,	5,000	
11.	,, भीखाराम/केसूराम	गुड़ा	5,000	
12.	,, श्रीमती मंवरीदेवी/प्रभुसिंह	बच्छासर	5,000	
13.	,, श्री रामस्वरूप/जेठमल भाटी	बीकानेर	5,000	
14.	,, नवीचन्द/मदनलाल	,,	5,000	
15.	,, चोरूलाल/लाभूराम	गंगाशहर	5,000	
		योग—	75,000	

285

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर
ऋण वितरण : लुहारों सुथारों उद्योग (1980-81) (व्यक्तिगत)

क्र. सं. 1.	नाम कामगार मय जाति 2.	ग्राम 3.	ऋण राशि 4.	विशेष विवरण 5.
1.	श्री भेराराम/हमीराराम लुहार	गुंडा	1400	
2.	" मोहनराम/गंगाराम लुहार	कोलायत	2200	
3.	" पन्नालाल/सीताराम सुथार	रोगा	1600	
4.	" रामचन्द्र/ग्रमानाराम सुथार	टोंकला	1600	
5.	" मोडाराम/रुघनाथराम सुथार	गुंड़ा	1600	
6.	" रुघनाथ/भागूराम सुथार	गुंड़ा	1600	
7.	" संतुराम/बोरुराम खाती	राणी—पाडूसर	1600	
8.	" सीताराम/पन्नाराम लुहार	लूनकरणसर	2200	
9.	" लियाकतग्रली/फकीर मो0 लुहार	बीकानेर	2200	
10.	" मांगीराम/हेमाराम सुथार	दियातरा	1600	
11,	" बद्रीराम/जेसाराम लुहार	नोखा	2200	
12,	" हनीफ/ग्रहमद बक्स लुहार	बीकानेर	2200	
13.	" मो0 इस्माईल/गुलाम रसूल लुहार	बीकानेर	2200	
14.	" मो0 फारुक/ग्रलानूर लुहार	बीकानेर	2200	
15.	" हरसोराम/जोराराम लुहार	कोलायत	2200	
16.	" रुपचन्द/कालूराम लुहार	लूनकरणसर	2200	
17.	" मो0ग्रली/कमालूद्दीन सुथार	बीकानेर	1600	
18.	" जीयाराम/राधाकिशन सुथार	कोलायत	1600	
19	" ग्रखाराम/केशुराम सुथार	सुरपुरा	1600	
20.	" हेमाराम/तिलोकाराम सुथार	रोझा	1600	
21.	" पृथ्वीराज/ग्रासूराम सुथार	महाराज	1600	
22.	" भगवानाराम/किसनाराम सुथार	कालू	1600	
23.	" मघाराम/ग्रासूराम सुथार	महाजन	1600	
24.	" लूणाराम/रावतराम सुथार	नोखा	1600	
25.	" खोयेराम/केसूराम सुथार	सुच्युरा	1600	

1	2	3	4	5
26.	श्री हनुमतराम/गोविन्दराम लुहार	कालू	2200	
27.	" रुघाराम/हजारीराम सुथार	सुरचना	1600	
28.	" महादेवाराम/गोविन्दाराम सुथार	सुसाणा	1600	
29.	" कासीराम/हुसाराम सुथार	कालू	1600	
30.	" खैराजराम/रुपाराम सुथार	नोखा	1600	
31.	" हनुमानराम/जगराम सुथार	कालू	1600	
32.	" ग्रासाराम/मैंराराम सुथार	कालू	1600	
33.	" कालूराम/भेरूंराम लुहार	कालू	2200	
34.	" शंकरलाल/रुपाराम लुहार	हसनसर	2200	
35.	" सामनराम/धूड़ाराम लुहार	कालू	2200	
36.	" रेवन्तराम/ग्रासूराम लुहार	भाभू	2200	
37.	" रतनलाल/चोखाराम सुथार	सुरधना	1600	
38.	" हेमाराम/ग्रनाराम सुथार	सुरघना	1600	
39,	" सोहनदास/मघादास सुथार	मणे का	1600	
40.	" मांगीलाल/चन्दाराम "	"	1600	
41.	" खेरदान/करणीदास "	"	1600	
42.	" रामचरन/ईश्वरराम "	"	1600	
43.	" बन्सीलाल/रिधूराम "	उदासर	1600	
44.	" खेतादान/मालदास "	भाभू	1600	
45.	" छगनलाल/रिछूराम "	उदयरामसर	1600	
46.	" ग्रसरफ/गेन्दाजी लुहार	बीकानेर	2200	
47.	" गुलाम मोहम्मद/मो0सफी "	"	2200	
48.	" ग्रनवर ग्रली/गुलाम मोह0 "	"	2200	
49.	" मो0इलास/मो0 मुखाक "	"	2200	
50.	,, लियाकत ग्रली/वली मोह0 "	"	2200	
51.	,, सफी रमजान/वली मो0 "	"	2200	
52.	,, जाकिर हुसैन/गुलाम मुस्तफ "	"	2200	
53.	,, ग्र0 हमीद/नसरुद्दीन "	"	2200	
54.	,, कमरुदीन/फकरुदीन "	,,	2200	
55.	,, श्योकत ग्रली/मो0 यासीन "	,,	1600	
56.	,, शोकत ग्रली/नूर मोहम्मद ,,	,,	1600	
57.	,, मूलाराम/बनाराम सुथार	हदा	1600	

1	2		3	4	5
58.	श्री कमालूदीन/अमीन बक्स	सुथार	बीकानेर	1600	
59.	,, मो0उस्मान/अ0गफ्फार	,,	,,	1600	
60.	,, अर्जनराम/महताराम	,,	हदा	1600	
61.	,, लिखमाराम/पेमाराम	,,	माणेकागांव	1600	
62.	,, बाबूलाल/हनुमान	,,	कालू	1600	
63.	,, मदनलाल/भैराराम	,,	,,	1600	
64.	,, पुलाराम/उमाराम	,,	,,	1600	
65.	,, हनुमानराम/सोहनराम	,,	भीनासर	1600	
66	,, युसुफ/कमालूद्दीन	,,	बीकानेर	1600	
67.	,, भंवरलाल/सुगनाराम	,,	झाझू	1600	
68।	,, घमूराम/तेजाराम	,,	हदा	1600	
69.	,,बालूराम/गोविन्दराम	,,	गंगाशहर	1600	
70:	,, जलालुदीन/सराजूदीन	,,	बीकानेर	2200	

कुल योग :—1,26,200

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

जिला उद्योग केन्द्र—बीकानेर

व्यक्तिगत कामगारों की चर्म उद्योग योजनान्तर्गत ऋण वितरण

1981–82, जनवरी, 82 तक

क्र.सं.	नाम कामगार वल्दियत	निवासी	प० स०	उद्योग	ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मूलाराम पुत्र सेवाराम मेघवाल	खींदासर,	कोलायत	छोटी जूता मरम्मत इकाई	1050
2.	,, तेजाराम पुत्र सेवाराम मेघवाल	,,	,,	,,	1050
3.	,, कानाराम पुत्र जोगाराम	,,	,,	,,	1050
4.	,, हुकमाराम पुत्र मेघाराम रेगर	दासौड़ी	,,	,,	1050
5.	,, आईदान पुत्र मानाराम मेघवाल	खींदासर	,,	,,	1050
6.	,, धुड़ाराम पुत्र नेनुराम मेघवाल	,,	,,	,,	1050
7.	श्री सदा सुखराम पुत्र रूपाराम	नोखा	,,	,,	1050
8.	श्री भूरिराम पुत्र हरलाल रैगर	शिववाड़ी	बीकानेर	रंगाई छोटी	2250
9.	श्री मदनलाल पुत्र सुखराम ,,	,,	,,	,,	2250
10.	श्री केदारराम पुत्र गोपाराम	नापासर	,,	छोटी जूता मरम्मत ई.	
11.	श्री कैलाशचन्द पुत्र पूराराम रेगर	,,	,,	,,	1050
12.	श्री छोटुराम पुत्र नारायणराम रेगर	,,	,,	,,	1050
13.	श्री रामदास पुत्र पेमाराम रेगर	,,	,,	,,	1050
14.	श्री पूनमचन्द पुत्र मूलाराम रेगर	शिववाड़ी	,,	चर्म रंगाई छोटी	2250
15.	श्री ओमप्रकाश पुत्र कोडाराम रेगर	,,	,,	,,	2250
16.	श्री डूंगरराम पुत्र रोमाराम	,,	,,	,,	2250
17.	श्री रामेश्वरलाल पुत्र पोकरराम	,,	,,	,,	2250

1	2	3	4	5	6
18.	श्री भंवरलाल पुत्र देवाराम	शिववाड़ी	बीकानेर	चर्म रंगाई छोटी	2250
19.	श्री मुन्नीराम पुत्र कोडाराम	,,	,,	,,	2250
20.	श्री कानाराम पुत्र मुरलीराम	,,	,,	,,	2250
21.	श्री मानाराम पुत्र लादूराम रेगर	लनकरणसर	लूनकरणसर	जूता छोटी इकाई	1050
22.	श्री तनसुखराम पुत्र भंवरलाल	,,	,,	,,	1050
23.	श्री चान्दनराम पुत्र कुम्भाराम	,,	,,	,,	1050
24.	श्री बन्सीलाल पुत्र जीतूराम	,,	,,	,,	1050
25.	श्री पदमाराम पुत्र लालूराम	,,	,,	,,	1050
26.	श्री छेवरराम पुत्र मंगलाराम	,,	,,	,,	1050
27.	श्री प्रेमचन्द पुत्र जाननराम	,,	,,	,,	1050
28.	श्री चिमनाराम पुत्र लीखमगल	,,	,,	,,	1050
29.	श्री जगदीशप्रसाद पुत्र चाननराम	,,	,,	,,	1050
30.	श्री गणेशराम पुत्र नानगराम रेगर	उदयरामसर	बीकानेर	चर्म रंगाई छोटी	2250
31.	श्री मीयाराम पुत्र नगाराम रेगर	देशरोक	,,	,,	3750
32.	श्री रामसा पुत्र मगुजी	बीकानेर	,,	चर्मजूता	2250
33.	श्री चेतनमल पुत्र पूसाराम	भीनासर	,,	,,	2250
34.	श्री ग्रादराम पुत्र फूसाराम	भीनासर	,,	,,	2250
35.	श्री रमेशकुमार पुत्र भगवानदास	बीकानेर	,,	,,	2250
36.	श्री नत्थूराम पुत्र जीवनराम	भीनासर	,,	,,	2250
37.	श्री रीनूराम पुत्र रामचन्द	उदयरामसर	,,	,,	2250
38.	श्री गोपाल पुत्र ग्रमीराराम रेगर	शिववाड़ी	,,	चर्म जूता इकाई	2250
39.	श्री नन्दलाल पुत्र जवानाराम	,,	,,	,,	2250
40.	श्री सूरजमल पुत्र रावतराम रेगर	,,	,,	,,	2250
41.	श्री किसनलाल पुत्र मगाराम रेगर	,,	,,	,,	2250
42.	श्री मोहनलाल पुत्र शिवनाथ रेगर	,,	,,	,,	2250

1	2	3	4	5	6
43.	श्री भूरीराम पुत्र सुगनाराम रेगर	भीनासर	बीकानेर	चर्म रंगाई	2250
44.	श्री सीताराम पुत्र घडसीराम मेघवाल	छत्रगढ	बीकानेर	जूता छोटी	2250
45.	श्री मोड़ाराम पुत्र टीकूराम रेगर	शिववाड़ी	,,	चर्म रंगाई	3750
46.	श्री सजनामल पुत्र बुद्धाराम मोची	बीकानेर	बीकानेर	जूता इकाई	2250
47.	श्री शिवदयाल पुत्र बुद्धाराम मोची	बीकानेर	बीकानेर	जूता इकाई	2250
48.	श्री रामकरण पुत्र मघाराम मोची	शिववाड़ी	,,	,,	2250
49,	श्री कुम्भाराम पुत्र चुन्नाराम मोची	छत्रगढ़	,,	,,	2250
50.	श्री गणेशाराम पुत्र लालाराम रेगर	शिववाड़ी	,,	रंगाई	3750
51.	श्री उदाराम पुत्र हस्ताराम रेगर	भीनासर	,,	,,	3750
52.	श्री नरसिंहराम पुत्र खातरजी रेगर	शिववाड़ी	,,	,,	3750
53.	श्री कालाराम पुत्र रूपाराम रेगर	छत्रगढ़	,,	,,	3750
54.	श्री निरमाराम पुत्र मोराराम रेगर	देशनोक	,,	,,	3750
55.	श्री मदनमोहन पुत्र पूनमचन्द मोची	शिववाड़ी	,,	जूता	2250
56.	श्री जीवणराम पुत्र हीराराम मोची	भीनासर	,,	,,	2250
57.	श्री भेराराम पुत्र सरदाराराम मोची	भीनासर	,,	,,	2250
58.	श्री दुर्गाराम पुत्र पन्नाराम मोची	भीनासर	,,	मरम्मत	1050
59.	श्री घुड़ाराम पुत्र पन्नाराम मोची	भीनासर,	बीकानेर	मरम्मत	1050
60.	श्री सुरजाराम पुत्र पन्नाराम	,,	,,	,,	1050
61,	श्री पेमाराम पुत्र लालाराम मोची	,,	,,	,,	1050
62.	श्री हिमताराम पुत्र पूनाराम रेगर	,,	,,	,,	1050
63.	श्री मोडाराम पुत्र शोभाराम रेगर	कक्कू	नोखा	रंगाई	3750
64.	श्री सीताराम पुत्र भगनाराम रेगर	भीनासर	बीकानेर	,,	3750
65.	श्री दुलाराम पुत्र सोहनलाल रेगर	,,	,,	मरम्मत	1050
66.	श्री रणजीताराम पुत्र पन्नाराम रेगर	देशनोक	,,	जूता ई०	2250
67.	श्री शोभाराम पुत्र कुम्भाराम रेगर	लूणकरणसर	,,	मरम्मत	1050
68.	श्री हरीशचंद पुत्र लेखमाराम रेगर	,,	,,	,,	1050
69.	श्री हवाराम पुत्र चांदूराम रेगर	,,	,,	,,	1050

1	2	3	4	5	6
70.	श्री चूनाराम पुत्र जेठाराम सांसी	गंगाशहर	बीकानेर	जू०म०	1050
71.	श्री रामूराम पुत्र जेठाराम सांसी	,,	,,	,,	1050
72.	श्री चन्दराराम पुत्र ईश्वरराम सांसी	,,	,,	,,	1050
73.	श्री जगनमल पुत्र शिवनाथ रेगर	शिववाडी	,,	रंगाई	3750
74.	श्री बाबूलाल पुत्र मघाराम मोची	लूणकरणसर	लूणकरणसर	चर्म जूता	2250
75.	श्री हेमराज पुत्र मूलाराम मोची	,,	,,	,,	2250
76.	श्री नानूराम पुत्र पूनाराम रेगर	खिमेरा	,,	मरम्मत	1050
77.	श्री लालूराम पुत्र चेतनराम रेगर	,,	,,	,,	1050
78.	श्री मोटाराम पुत्र वक्ताराम मेघवाल	टोकला	कोलायत	जूता	2250
79.	श्री दुर्गाराम पुत्र वगाराम सांसी	सेनसर	,,	मरम्मत	1050
80.	श्री मोहनराम पुत्र लालूराम रेगर	दासौड़ी	कोलायत	जूता	2250
81.	श्री समाराम पुत्र रतनाराम मेघवाल	भेलू	,,	मरम्मत	2250
82.	श्री रामसुख पुत्र पूनाराम मेघवाल	हुंदा	,,	,,	1050
83.	श्री पूनमचन्द पुत्र केसूराम रेगर	खिमेरा	लूणकरणसर	रंगाई	3750
84.	श्री केवलाराम पुत्र अचलदास मोची	कोरगटे	बीकानेर	जू०म०	1050
85.	श्री लूणाराम पुत्र भोजाराम मेघवाल	गंगासहर	बीकानेर	,,	1050
86.	श्री रवेतराम पुत्र भेराराम मेघवाल	,,	,,	,,	1050
87.	श्री सूरजाराम पुत्र गुलाबाराम नायक	गंगाशहर	,,	,,	1050
88.	श्री घूडाराम पुत्र सीताराम हरिजन	,,	,,	,,	1050
89.	श्री शोभाराम पुत्र खार्काराम हरिजन	बीकानेर	,,	,,	1050
90.	श्री भोमराज पुत्र भंवरलाल हरिजन	,,	,,	,,	1050
91.	श्री लिच्छूराम पुत्र भंवरलाल हरिजन	,,	,,	,,	1050
92.	श्री गोबिन्दराम पुत्र मंगनूराम हरिजन	गंगाशहर	,,	,,	1050
93.	श्री रामस्वरूप पुत्र जीवराल हरिजन	,,	,,	,,	1050
94.	श्री छगनलाल पुत्र दुलाराम हरिजन	,,	,,	,,	1050
95.	श्री दुर्गाराम पुत्र भंवरलाल हरिजन	,,	,,	,,	1050

262

1	2	3	4	5	6
96.	श्री जीवराम पुत्र देवाराम हरिजन	गंगाशहर	बीकानेर	जू०म०	1050
97.	श्री बाबूलाल पुत्र भोलाराम मेघवड	धडसोसर	,,	,,	1050
98.	श्री सुखाचन्द पुत्र सोहनलाल हरिजन	बीकानेर	,,	,,	1050
99.	श्री मोहनलाल पुत्र कालूराम हरिजन	गंगाशहर	,,	,,	1050
100.	श्री भंवरलाल पुत्र केशूराम नायक	,,	,,	,,	1050
101.	श्री नेमीचन्द पुत्र गोरधनलाल हरिजन	बीकानेर	,,	,,	1050
102.	श्री फूसाराम पुत्र जमनाराम रेगर	शिवबाड़ी	बीकानेर	रंगाई	1050
103.	श्री बाबूलाल पुत्र मघाराम रेगर	,,	,,	,,	3750
104.	श्री हरखाराम पुत्र सांवरराम हरिजन	गंगाशहर	,,	जूता छोटी	1050
105.	श्री जगदीश पुत्र अखाराम बस्ती	बीकानेर	,,	,,	1050
106.	श्री गोविन्दराम पुत्र छोटूराम हरिजन	गंगाशहर	,,	,,	1050
107.	श्री मोहनलाल पुत्र भोलूराम हरिजन	विनोबा बस्ती बीकानेर	,,	,,	1050
108.	श्री लिखमाराम पुत्र जेठाराम हरिजन	गंगाशहर	,,	,,	1050
109.	श्री पानाराम पुत्र रामलाल हरिजन	,,	,,	,,	1050
110.	श्री बुहाराम पुत्र छोटाराम हरिजन	,,	,,	,,	1050
111.	श्री कुन्दनलाल पुत्र भाडराम हरिजन	बडीखाड़, बीकानेर	,,	,,	1050
112.	श्री कुन्दनमल पुत्र फूसाराम	भीनासर	बीकानेर	चर्मजूता	2250
113.	श्री गोपाल पुत्र मूलाराम	,,	,,	,,	2250
114,	श्री जीनाराम पुत्र लालाराम	,,	,,	,,	3750
115.	श्री मेहरचन्द पुत्र रामलाल	लूणकरणसर	लूणकरणसर	जूता छोटी	1050

योग 202650

जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर

व्यक्तिगत कामगारों को अनार्ज वलि प्रशोधन उद्योग योजनान्तर्गत

ऋण 81–82 जनवरी, 82 तक

क्र.सं.	नाम कामगारमय वल्दियत	निवासी	पं. स.	उद्योग	ऋण
1.	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री सीताराम व्यास	बीकानेर	बीकानेर	अ, दा. प्रशो.	750/-
2.	,, पूमीदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश	,,	,,	,,	750/-
3.	धापू पत्नी गोविन्दराम	सर्वोदय बस्ती	बीकानेर	,,	750/-
4.	मनोहरी देवी पत्नी हरकचन्द	भीनासर	,,	,,	750/-
5.	अशोककुमार पुत्र हनुमान	,,	,,	,,	750/-
6.	श्रीमती आशा पत्नी राजेन्द्र	रा. बा.	,,	,,	750/-
7.	शारदा पत्नी देवकीनंदन	श्री. क्षे.	,,	,,	750/-
8.	श्री जयन्ती देवी पत्नी हरिश्चन्द्र ब्राह्मण	रा. क्षे.	,,	,,	750/-
9.	शकुन्तला/टी.एन.सक्सेना	रा. बा.	,,	,,	750/-
10.	लक्ष्मीदेवी/गोपालजी नाई	उदासर	,,	,,	750/-
11.	पांचीदेवी/हनुमानप्रसाद गूजर	लालगढ़	,,	,,	750/-
12.	सीतादेवी/भंवरलाल ब्राह्मण	वार्ड नवां	,,	,,	750/-
13.	पुष्पादेवी/रामकिशन मोदी	कोलायत	कोलायत	,,	750/-
14.	रामबक्श/किशनाराम ब्राह्मण	कालू	लूणकरणसर	,,	750/-
15.	भंवरलाल/शिवनाथ दर्जी	मड कोलायत	,,	,,	750/-
16.	आशा देवी/मांगीलाल माली	रा. बा. बीकानेर	,, ,,	,, ,,	750/-
17.	श्रीमती चौथीदेवी/गुलाबचन्द ब्राह्मण	सर्वोदय बस्ती	,,	,,	750/-
8.	पूनमचन्द/मेराराम माली	शिववाड़ी	,,	,,	750/-
				योग	13500/-

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

जिला उद्योग केन्द्र बीकानेर

राशि वितरण (1981-82) जनवरी 82 तक

रेशा उद्योग

क.सं.	नाम कामगार व्यक्तिगत	निवासी	पं.स.	उद्योग	ऋण
1.	खाजूखां पुत्र भोलेखां मुसलमान	घड़सीसर	बीकानेर	रेशा	1275
2.	बंशीलाल पुत्र देवाराम ब्राह्मण	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
3.	मूलाराम पुत्र दीनाराम कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
4.	हरिकिशन पुत्र लादूराम नाई	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
5.	मुमताजअली पुत्र जमालदीन मुसलमान	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
6,	द्वारकाप्रसाद पुत्र हीरालाल	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
7.	भंवरलाल पुत्र मंवरलाल हरिजन	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
8.	फूसाराम पुत्र रेवाराम हरिजन	गंगाशहर	बीकानेर	रेशा	1275
					10200/=

चूना उद्योग

1.	बाबूलाल पुत्र हेमाराम ब्राह्मण	उदासर	बीकानेर	चूना करीगर	5000/=
2.	नारायण पुत्र जेठमल माली	बीकानेर	बीकानेर	चूना करीगर	5000/=
3.	गोरधन पुत्र रामसुख नायक	बीकानेर	बीकानेर	चूना कारीगर	5000/=
4.	सुगनाराम पुत्र पन्नाराम जाट	भोरवा	कोलायत	चूना कारीगर	5000/=
5.	वजीरदीन पुत्र रमजान खां मुसलमान	घडसीसर	बीकानेर	चूना कारीगर	5000/=
6.	हनुमानमल पुत्र सोहनलाल	भीनासर	बीकानेर	चाक	1500/=
					26500/=

कुम्हारी उद्योग

1.	भंवरलाल पुत्र छोटुराम कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
2.	मांगीलाल पुत्र मेगाराम कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
3.	कालूराम पुत्र अकुड़ाराम कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
4.	खराजराम पुत्र नत्थुराम कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
5.	तोलाराम पुत्र सुखाराम कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
6.	हनुमानराम पुत्र मुरलीराम	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
7.	रामचन्द पुत्र पुरखाराम	लूण-करणसर	लूण-करणसर	कुम्हारी	1650/=
8.	लूनाराम पुत्र छोटुलाल कुम्हार	गंगाशहर	बीकानेर	कुम्हारी	1650/=
9.	लक्ष्मीनारायण पुत्र बालूराम कुम्हार	किलोरी	नौखा	कुम्हारी	1650/=
10.	केवलराम पुत्र जोराराम	कोलायत	कोलायत	कुम्हारी	1650/=
11.	लिखमाराम पुत्र मोडाराम	कोलायत	कोलायत	कुम्हारी	1650/=
12.	वक्ताराम पुत्र आसुराम कुम्हार	कोलायत	कोलायत	कुम्हारी	1650/=
13.	नरसिंहराम पुत्र मोडाराम	देशनोक	बीकानेर	ईंट भट्टा	5000/=
14.	गोविन्दराम पुत्र सावंतराम मेघवाल	सुजानदेसर	बीकानेर	ईंट भट्टा	5000/=
15.	काशीराम पुत्र छगनलाल	शिववाडी	बीकानेर	ईंट भट्टा	5000/=
			योग		34800/=

लुहारी सुथारी उद्योग

1.	रूपाराम पुत्र तमाराम सुथार	हंदा	कोलायत	सुथारी	1600/=
2.	रामचन्द्र पुत्र पेमाराम लुहार	लूणकरणसर	लूणकरणसर	लुहारी	2200/=
3.	अयूबअली पुत्र रहमत अली लुहार	बीकानेर	बीकानेर	लुहारी	2200/=
4.	बुन्दु पुत्र आसीन लुहार	बीकानेर	बीकानेर	लुहारी	2200/=
5.	अनवरअली पुत्र मोहम्मद रमजान	बीकानेर	बीकानेर	लुहारी	2200/=
6.	जीवनराम पुत्र जुगताराम सुथार	हंदा	कोलायत	सुथारी	1600/=
7.	आसूराम पुत्र उमाराम सुथार	हंदा	कोलायत	सुथारी	1600/=
					13·600/=
8.	अब्दुलमजीद पुत्र मजीदखां	बीकानेर	बीकानेर	लु०सु०	10·000/=
				कुल योग	23·600/=

बांसवेत उद्योग

1.	महबूब अली पुत्र फरीदखां मुसलमान	घडसीसर	बीकानेर	बाँसवेत	1100/=
2.	मोहम्मद गफीर पुत्र नब्बू खाँ	घडसीसर	बीकानेर	बाँसवेत	1100/=
3.	फखरूखाँ पुत्र रमजान खां मुसलमान	घडसीसर	बीकानेर	बाँसवेद	1100/=
4.	लादूराम पुत्र गोरधन हरिजन	भीनासर	बीकानेर	बाँसवेत	1100/=
					4,400/=

तेल उद्योग

1.	अनारुद्दीन/जहूरूद्दीन तेली	बीकानेर	बीकानेर	ग्रा. तेल	10,000/=

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

मकानों का निर्माण प्रारम्भ करने की स्थिति

तालिका–अ

क्रमांक	योजना का नाम	मकानों की कुल संख्या	वर्ष 72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	दादीबाड़ी	570	51	400	80	39	—	—	—	—	—	—	570
2.	साबरमती	111	95	16	—	—	—	—	—	—	—	—	111
3.	विज्ञान नगर	3081	—	1600	485	85	449	327	33	2	100	—	3081
4.	दादीबाड़ी (विस्तार)	785	—	—	—	—	200	249	336	—	—	—	785
5.	दादाबाड़ी (प्रतिरिक्त)	457	—	—	—	—	—	—	457	—	—	—	457
6.	तलवंडी सैक्टर (डी)	804	—	—	—	—	—	—	—	804	—	—	804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	तलवंडी सैक्टर (ई व एफ)	1708	—	—	—	—	—	502	1166	40	—	—	1708
8.	महावीर नगर	3175	—	—	—	—	—	—	800	791	1006	578	3175
9.	केशुपुरा	739	—	—	—	—	—	—	200	503	36	—	739
10.	रामचन्द्रपुरा	177	—	—	—	—	—	—	93	84	—	—	177
11.	सकतपुरा	144	—	—	—	—	—	—	—	72	72	—	144
12.	महावीर नगर (परिधि)	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	132
13.	वल्लभबाड़ी	88	—	—	—	—	—	—	—	—	40	48	88
		11971	146	2016	565	124	649	1078	3085	2296	1254	758	11971

मकानों के पूर्ण होने की स्थिति **तालिका–ब**

क्रमांक	योजना का नाम	मकानों की कुल संख्या	वर्ष 72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	दादाबाड़ी	570	51	314	93	104	8	—	—	—	—	—	570
2.	साबरमती	111	—	93	18	—	—	—	—	—	—	—	111
3.	विज्ञान नगर	3081	—	274	—	1133	617	942	13	—	2	—	2981
4.	दादाबाड़ी (विस्तार)	785	—	—	—	—	—	—	200	200	284	—	684
5.	दादाबाड़ी (अतिरिक्त)	457	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	290
6.	तलवंडी सैक्टर (डी)	804	—	—	—	—	—	—	—	—	—	804	804
7.	तलवंडी सैक्टर (ई एवं एफ)	1708	—	—	—	—	—	—	—	—	663	860	1523
8.	महावीर नगर	3175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1253	1253

269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	केशुपुरा	739	—	—	—	—	—	—	—	200	200	303	703
10.	रामचन्द्रपुरा	177	—	—	—	—	—	—	—	93	84	—	177
11.	सखतपुरा	144	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	144
12.	महावीर नगर (परिधी)	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	वल्लभ बाड़ी	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		11971	51	681	111	1237	625	942	213	493	1305	3582	9240

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची

सूची संख्या एक

क्र.सं.	अपराधी का नाम पता	अपराध जो किया गया का संक्षिप्त विवरण	एफ. आई. आर. नम्बर एवं दिनांक
1.	सोनकी पत्नी अगरीया, शान्ति पत्नी गोपाल भापली पत्नी माकरीया, शरबती पत्नी मनीराम, वन बावीरी साकिन पाल रहमन वाली रोही।	हिरण का शिकार करना एवं खालें रखना।	1441/28 दि. 15-1-81
2.	मांगीयां पुत्र पन्ना राम, तेजीया पुत्र पोखर जाति नायक साकिन चाण्डासर।	काले हिरण का शिकार करना	1441/29 दि. 31-1-82
3.	चन्देरिया पुत्र किसन, मांगली पत्नी जरनेल एवं जानकी पत्नी साधु जाति बनबावरी, साकिन नापासर की रोही।	नाजायज शिकार करने के प्रयास।	1441/30 दि. 5-2-81
4.	रामूरा पुत्र भेरू नायक, साकिन कोटड़ा।	तीतर मारने की कोशिश करना	1441/31 दि. 15-5-81

1	2	3	4
5.	भैरू लाल पुत्र जयलाल ढहूधर साकिन, बीकानेर ।	नाजायज हिरण की खाल रखना	1441/32 दि, 8-6-81
6.	ना मालूम ।	हिरण का शिकार	262/1 दि. 21-9-81
7.	काली पत्नी रावतीया जाति बनबारी साकिन प्रादनू ।	हिरण का मांस बेचना	232/2 दि: 7-10-81
8.	जेठाराम पुत्र बीजाराम नायक, साकिन, धन्नीराम की ढाणी ।	हिरण की खालें रखना	232/3 दि. 13-11-81
9.	कोहली पत्नी गिरधारी लाल, बनबावी साकिन, श्री कोलायत ।	हिरण की खालें रखना	232/4 दि: 13-11-81
10.	कस्तूरी पत्नी कानाराम, कूनणा पत्नी गोपालराम नायक साकिन, करड़ीसर भाटियान ।	लोमड़ी की खालें रखना	232/5 दि. 29-11-81
11.	लक्ष्मण पुत्र रूपाराम नायक, साकिन, गंगाशहर ।	हिरन का मांस बेचना व खालें रखना ।	232/6 दि. 21-12-81
12.	मालनाथ पुत्र हीरानाथ जोगी, साकिन, जैसलमेर ।	नाजायज तौर से वन्य प्राणियों को पकड़ने का सामान रखना (कुड़के)	232/7 दि. 30-12-81

हस्ताक्षर ।

मंडल वन अधिकारी,

बीकानेर

(273)

सूची संख्या दो

वन्य जीवों की सूची

1.	काला हिरण	581
2.	चिंकारा	385
3.	जंगली सुग्रर	194
4.	नील गाय	139
5.	सांभर	3
6.	गीदड़	113
7.	लोमड़ी	54
8.	खरगोश	97
9.	तीतर	188
10.	मोर	184
	कुल सं०	1938

ह०

मण्डल वन अधिकारी

बीकानेर